लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, मंगलवार, 24 फरवरी, 1970/5 फाल्गुन, 1891 (शक)

No. 3, Tuesday, February 24, 1970/Phalguna 5, 1891 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

31. छोटी कार परियोजना	Small Car Project	..	1—5
32. केन्द्रीय सरकार की सहायता से बेरोजगार युवकों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries by Unemployed Youths with Central Assistance	..	5—6
33. इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of Steel	..	6—12
34. सीमेंट के पुनरीक्षित मूल्य	Revised Price of Cement		12
35. रांची से लोहरडागा तक (दक्षिण पूर्व रेलवे) नैरो गेज लाइन को बदलना	Conversion of Narrow Gauge Line from Ranchi to Lohardaga (South Eastern Railway)	..	13
36. चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये इस्पात सम्बन्धी परिव्यय	Steel Outlay for the Fourth Five Year Plan		16—18
37. छोटी रेलवे लाइनों में सुधार	Improvement in Narrow Gauge Railway Lines	..	13—16

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

38. धातु मिश्रित तथा विशेष इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंसों का दिया जाना	Grant of Licences to Birlas for setting up Alloy and Special Steel Plants	..	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		

39. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को हुई हानि	Loss incurred by Hindustan Machine Tools Ltd. ..	19—20
40. दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रभारी निदेशक की पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री से भेंट	Meeting of Director in charge, Durgapur Steel Plant with West Bengal Deputy Chief Minister ..	20
41. बोकारो इस्पात कारखाना परियोजना के सम्बन्ध में भारत और रूस के बीच मतभेद	Indo Soviet Differences on Bokaro Steel Plant Project ..	21
42. कागज उद्योग द्वारा कागज के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Paper by Paper Industry	21—22
43. राज्यों में औद्योगिक विकास के लिये सहायता	Assistance for Industrial Development in States ..	22
44. तेल के ढोल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licensed Capacity of Oil Barrel Fabricators ..	22—23
45. माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कार्य में सुधार करने के उपाय	Measures to improve working of Mining and Allied Machinery Corporation ..	23—24
46. 13 जनवरी, 1970 को हावड़ा बर्दवान लाइन पर रेल सेवा का अस्त व्यस्त हो जाना	Disruption of Train Services on Howrah Burdwan Line on 13th January, 1970 ..	24
47. स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस	Licences to Manufacture of Scooters ..	25—26
48. बाल कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति	Appointment of a National Committee on Child Welfare ..	26
49. रूरकेला इस्पात संयंत्र	Rourkela Steel Plant	26—27
50. निर्वाचन विधि में संशोधन	Amendment of Election Law ..	27
51. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजी बद्ध कम्पनियों का बन्द होना	Closure of Companies Registered Under Companies Act ..	27—28
52. हावड़ा दिल्ली ट्रंक मार्ग का विद्युतीकरण	Electrification of Howrah Delhi Trunk Route ..	28
53. पश्चिम बंगाल में विदेशी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के महा सचिव का कथित वक्तव्य	Reported Statement of CPM General Secretary regarding take over of Foreign Firms in West Bengal ..	29

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

54.	मताधिकार के लिये आयु को कम करना और निर्वाचन कानून में संशोधन	Lowering of the Age for Franchise and Amendment of Election Law ..	29
55.	इटली के सहयोग से पंजाब में बेबी स्कूटर कारखाने की स्थापना	Establishment of Baby Scooter Factory in Punjab in Collaboration with Italy ..	30
56.	खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा लघु उद्योगों के लिये सहायता	Assistance to Small Scale Sector by Food and Agricultural Organisation ..	30
57.	समाज कल्याण विभाग के पदों के लिये भर्ती नियम	Recruitment Rules for Posts under Social Welfare Department ..	30—31
58.	पोलिस्टर फाइवर कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licence for Setting up a Polyster Fibre Plant ..	31—32
59.	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय के अधीन सलाहकार मण्डल तथा समितियां	Advisory Boards and Committees under Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs ..	32
60.	भारत द्वारा ईराक और सीरिया में रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Railway Lines by India in Iraq and Syria ..	32—33

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

201.	दक्षिण रेलवे की समय सारिणी में गलतियां	Discrepancies in Southern Railway Time Table ..	33—34
202.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा भारी कृषि मशीनरी का निर्माण	Manufacture of Agricultural Heavy Machinery by Hindustan Machine Tools Ltd. ..	34
203.	खलीलपुर और गढ़ी हरसरू (उत्तर रेलवे) के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Double Track between Khalilpur and Garbi Harspu (Northern Railway) ..	34
204.	मैसर्स देवी दयाल ट्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई का परिसमापन	Liquidation of M/s Devidayal Tube Industries Ltd., Bombay ..	34—35
205.	मध्य और पश्चिमी रेलों में यात्रा करने की हालत तथा किरायों में वृद्धि	Conditions of travel and increase in fares on Central and Western Railways ..	35—36

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
206. रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के प्रकाशमान संकेत	Plastic Illuminated signs on Railway Stations ..	36
207. श्रीनगर स्थित सीमेंट के कारखाने में पूंजी लगाना	Investment in Cement factory at Srinagar..	36—37
208. भारतीयों तथा विदेशियों द्वारा दत्तक बनाये गये बच्चे	Children adopted by Indian and foreigners	37—38
209. इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को समयोपरि भत्ते का आंशिक भुगतान	Part payment of over time allowance to Assistant Station Masters of Allahabad Division (Northern Railway) ..	38
210. संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों में पुलिस व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन	Sharing of expenditure on Police Arrangements during elections to Parliament and State Legislative Assemblies ..	38
211. औद्योगिक माल के मूल्यों के बारे में सलाह देने के लिये तालिका	Panel to advise on industrial prices ..	39
212. विदेशों में इस्पात कारखानों का लगाया जाना	Setting up of Steel Plants in Foreign Countries ..	39—40
213. कागज बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में निगम की स्थापना	Corporation in public sector to Manufacture paper ..	40
214. संसद् तथा राज्य विधान सभाओं में उप-चुनावों को स्थगित किया जाना	Postponement of Bye elections to Parliament and State Assemblies ..	40—42
215. बम्बई में जनवरी, 1970 में हुआ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन	Chief Electoral Officers' Conference held in Bombay in July, 1970 ..	42—43
216. औद्योगिक लाइसेंस नीति के सम्बन्ध में दत्त समिति के प्रतिवेदन पर बाद की कार्यवाही	Follow up Action on Dutt Committee Report on Industrial Licensing	43—44
217. लघु-उद्योगों सम्बन्धी लोकनाथ समिति का प्रतिवेदन	Loknathan Committee Report on Small Scale Industries ..	44
218. हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड को हानि	Loss to Hindustan Steel Ltd. ..	45
219. लघु अद्योग आयोग	Small Industries Commission ..	45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
220. दिनांक 24 दिसम्बर, 1969 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कथित गुंडागर्दी	Reported rowdyism at New Delhi Railway Station on 24th December, 1969 ..	46
221. सहायक इंजीनियर और डिजाइन इंजीनियर का वेतन मानों को मिलाना	Merger of Pay Scales of Assistant Engineers and Design Engineers ..	46
222. भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची	Heavy Engineering Corporation Ltd. Ranchi ..	47
223. भारी इंजीनियरी निगम के बारे में अनकही कहानी नामक पुस्तक	Book Entitled Untold Story about HEC ..	48
224. रूसी प्रतिनिधि मंडल की भारी इंजीनियरी निगम, रांची की यात्रा	Visit by Soviet Delegation to HEC Ranchi	48
225. भारी इंजीनियरी निगम, रांची की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	49—50
226. त्रिचूर रेलवे स्टेशन के लिये नया भवन	New Buidling for Trichur Railway Station	50
227. सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Public Sector ..	50—51
228. गोहाद रोड, सोनी और भिंड स्टेशनों (मध्य रेलवे) के लिये गोदाम	Godowns for Gohad Road, Soni and Bhind Stations (Central Railway) ..	51
229. भिंड स्टेशन (मध्य रेलवे) पर रेलवे के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था	Provision of electricity at Residence of Railway Officers and Staff at Bhind Station (Central Railway)	51
230. गोरखपुर स्टेशन पर नौतनवा गोरखपुर यात्री गाड़ी की एक माल गाड़ी से भिड़ंत	Collision of Nautanwa Gorakhpur Passenger Train with a Goods Train at Gorakhpur Station ..	52—53
231. इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव	Impact of increase in prices of Steel	53—54
232. इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का उपभोक्ता सामान पर प्रभाव	Impact of increase in prices of Steel on consumer Goods ..	54
234. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के गोयनका उद्योग समूह के शेयर	Shares of Goenka Group of Industries in Indian Iron and Steel Co. ..	54—55

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			

235. दिल्ली के लिये वृत्ताकार रेलवे	Ring Railway for Delhi	..	55
236. चण्डीगढ़ के प्रश्न पर पंजाब तथा हरियाणा में रेलवे सम्पत्ति को हानि	Damage caused to Railway property in Punjab and Haryana on Chandigarh Issue	..	56
237. टिकट निरीक्षण कर्मचारियों के लिये दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें	Second Pay Commission's Recommendations for Ticket Checking Staff	..	56—57
238. कारों की उत्पादन लागत	Production cost of passenger cars and Monopoly in Car Manufacture	..	58—59
239. औद्योगिक समवायों का पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में ले जाया जाना	Shifting of Industrial concerns from West Bengal to other States	..	59—60
240. आन्तरिक व्यापार कर रही विदेशी कम्पनियां	Foreign Companies engaged in Internal Trade	..	61
242. समाज कल्याण संस्थाओं के पंजीयन के लिये विधान	Legislation for Registration of Social Welfare Institutions	..	61
243. नैनीताल और पीलीभीत में बसे हरिजन	Harijans settled in Nainital and Pilibhit		62
244. चुनावों में मोटरगाड़ियां किराये पर लेना	Hiring of vehicles during Elections		62
245. बिड़ला सार्थ समूह के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये आयोग	Commission to enquire into charges against Birla House	..	62—63
246. संघ लोक सेवा आयोग को निर्देशन के बिना समाज कल्याण विभाग में पदों का भरा जाना	Posts filled up in Department of Social Welfare without reference to UPSC	..	63
247. मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई	M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Co.. Bombay	..	64—65
248. मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एन्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी तथा मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड द्वारा आयातित इस्पाती चादरों का उपयोग	Utilization of Imported Steel Sheets by M/s Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. and M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	..	65

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

249. मैसर्स दस्तूर एंड कम्पनी द्वारा धातु मिश्रित तथा विशेष इस्पात की मांग का सर्वेक्षण	Survey by M/s Dastur and Co. of demand for Alloy and Special Steel ..	65—66
250. झांसी में मुख्य यांत्रिक अभियन्ता के कार्यालय में मध्य रेलवे के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Central Railway Employees at Chief Mechanical Engineer's Office at Jhansi ..	66
251. रूरकेला इस्पात कारखाने में खलासियों की वर्गोन्नति	Upgrading of Khalasis in Rourkela Steel Plant ..	66—67
252. औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव	Effect of increase in Steel Prices on Industrial production and prices of Consumer goods ..	67
253. दुर्गापुर इस्पात कारखाने का पहिया तथा धुरी बनाने का कारखाना	Wheel and Axle Plant of Durgapur Steel Plant ..	67—68
254. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd. ..	68—70
255. रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travelling on Railways ..	70
256. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by HMT and BHEL Workers	70—71
257. मध्य रेलवे के महा प्रबन्धक द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय से क्षमा याचना	Apology by General Manager of Central Railway to Bombay High Court ..	71
258. दिल्ली में भूमिगत रेलवे	Underground Railway in Delhi	72
259. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नये रेलवे स्टेशन	New Railway Stations in Union Territory of Delhi ..	72
260. समाज कल्याण विभाग के अधीन कुछ पदों पर नियुक्तियां	Appointments to certain posts under Department of Social Welfare	72—73
261. बिड़ला बन्धुओं को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Industrial Licences to Birlas ..	73—74
262. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में घाटा	Loss incurred by Durgapur Steel Plant ..	74
263. अनुसूचित जाति की एक लड़की गिरवी रखी जाने की कथित घटना	Reported Mortgage of a Scheduled Caste Girl in Assam ..	74—75

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
264. श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा गैर-सरकारी क्षेम से सम्बन्धित औद्योगिक नीति की आलोचना	Shri J. R. D. Tata's criticism of Industrial Policy relating to Private Sector ..	75
265. मैसूर राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गृह निर्माण के हेतु धन का नियतन	Allotment of Funds for construction of Houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Mysore State ..	76—77
266. रेल के माल डिब्बों की मांग में कमी	Fall in Demand for Railway Wagons ..	77
267. मैसूर में पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Fifth Steel Plant in Mysore ..	77—78
268. रेलवे लाइनों में सुधार के लिये समिति के प्रस्ताव	Proposals by Committee for improvement of Railway Lines ..	78
269. संविधान के भाग तीन से सम्पत्ति अधिकार का हटाया जाना	Removal of right of property from Part III of Constitution ..	78—79
270. औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन	Changes in Industrial Licensing Policy ..	79
271. रेलवे दुर्घटनाओं में आहत व्यक्तियों को मुआवजा	Compensation to vicitims of Rail Accidents	79—80
272. संसद् द्वारा पास किये गये अधिनियमों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court verdicts against Act Passed by Parliament ..	80
273. संसद् तथा विधान सभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats for Anglo Indians in Parliament and Assemblies ..	80—81
274. खतौली इंजीनियरिंग वर्क्स, खतौली	Khatauli Engineering Works, Khatauli ..	81
275. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में पूंजी लगाना	Investment in Hindustan Steel Ltd. ..	81—82
276. उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के विद्यार्थियों के लिए छात्र वृत्तियां	Scholarships for Students of U. P. and Tamil Nadu ..	82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

277. संचार मंत्रालय के एक भूतपूर्व मुख्य इंजीनियर की टाटा की एक फर्म में नियुक्ति	Appointment of a former Chief Engineer in Communications Ministry in a Tata Firm ..	83—84
278. अलाभकर रेलवे लाइन	Uneconomic Railway Lines ..	84—87
279. त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन पर टेलीप्रिन्टर सेवा	Teleprinter service at Trivandrum Railway Station ..	87
280. भारी इंजीनियरिंग निगम के उपकरणों की बोकारो इस्पात कारखाने को सप्लाई	Supply of Equipment of Heavy Engineering Corporation to Bokaro Steel Plant ..	87—88
281. सरकारी क्षेत्र में घाटे के कारण गैर सरकारी क्षेत्र के अग्रेतर उत्पादन की योजना	Scheme for further production in private Sector due to losses in Public Sector ..	88
282. इस्पात की कमी	Shortage of Steel ..	89
283. बम्बई और हावड़ा तथा बम्बई और मद्रास के बीच दो डीलक्स गाड़ियों का चलाना बन्द करना	Cancellation of two Delux Trains between Bombay Howrah and Bombay Madras ..	89—90
284. मनीपुर में किये गये समाज कल्याण उपाय	Social Welfare Measures taken up in Manipur ..	90
285. मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों के लिये वितरकों का चयन	Selection of Distributors for C. I. Sheets in Manipur ..	91
286. भुसावल और इटारसी (मध्य रेलवे) के बीच स्थित रेलवे स्टेशनों के प्रतीक्षालयों/पार्सल-घरों का विस्तार	Expansion of Waiting Rooms/Parcel Rooms/Railway Stations between Bhusawal and Itarsi (Central Railway) ..	92
287. मध्य प्रदेश से लघु उद्योगों के विकास के लिये सहायता	Assistance for Development of Small Scale Industries in Madhya Pradesh ..	92—93
288. औद्योगिक लाइसेंसों के लिये मध्य प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्र	Applications received from Madhya Pradesh for Industrial Licences	93
289. मध्य प्रदेश में बड़े उद्योगों का स्थापित किया जाना	Establishment of Big industries in Madhya Pradesh ..	93—94
290. मध्य रेलवे द्वारा अर्जित लाभ	Profit earned by Central Railway	94—95
291. निर्यात प्रधान उत्पादन में जापानी पूंजी निदेश की सम्भावना	Scope for Japanese Investment in Export Oriented Production ..	95

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

292. अल्वाय रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल	Over bridge at Alwaye Railway Station ..	95—96
293. त्रिवेन्द्रम एरणाकुलम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Trivandrum Ernakulam metre gauge line into Broad Gauge ..	96
294. बांदा जंकशन पर ऊपरि पुल का निर्माण	Construction of over bridge at Banda Junction ..	96—97
295. चतुर्थ योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योग	Industries in U. P. during fourth Plan	97—98
296. भारतीय रेलों का स्वायत्तशासी निगम के रूप में पुनर्गठन	Re-organisation of Indian Railways into an Autonomous Corporation ..	98
297. गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण टूट फूट को रोकने के लिये उपकरण का आविष्कार	Invention of a Device to Obviate Damage due to Derailment ..	98—99
298. छोटे पैमाने के उद्योगों को कानूनी संरक्षण	Statutory protection to Small Scale Industries ..	99
299. मतदान केन्द्र तथा मतदाताओं के निवास स्थानों के बीच दूरी सीमा	Distance limits between Polling Booths and Residence of voters ..	100
300. मध्य रेलवे में लूट, हत्याओं और डकैतियों के मामले	Cases of Loot, Murders and Dacoities on Central Railway ..	100
301. उत्तर रेलवे में जंजीर खींचने तथा माल की चोरी की घटनायें	Incidence of chain pulling and cases of pilferage of goods on Northern Railway ..	100—101
302. मध्य रेलवे में जंजीर खींचने तथा माल की चोरी की घटनायें	Incidence of chain pulling and cases of pilferage of goods on Central Railway ..	101
303. स्टेन्सिल बनाने के लिये मैसर्स भारत कार्बन्स को लाइसेंस देने में देरी	Delay in sanctioning licence to M/s Bharat Carbons for Manufacture of Stencils	102
304. कैरा सहकारी समिति द्वारा निर्मित माल	Goods Manufactured by Kaira Cooperative Society ..	102—103
305. इस्पात के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Consumer Goods due to revision in Steel Prices ..	103

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

306. बोकारो इस्पात संयंत्र को रिफ्रैक्टरियों की सप्लाई	Supply of Refractories to Bokaro Steel Plant	..	103—104
307. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के व्हील तथा एक्सल संयंत्र में कम उत्पादन	Low Production in Wheel and Axle Plant of Durgapur Steel Plant	..	104—105
308. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान में कच्ची ऊन का वितरण	Distribution of Raw wool in Rajasthan by Khadi and Village Industries Commission	..	105
309. सीमेंट उद्योग में एकाधिकार समाप्त करना	Curb on Monopoly in Cement Industry	..	105—106
310. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में संकट	Crisis in Bharat Heavy Electricals Ltd.	..	106
311. भारत के विकास के लिये लघु तथा मध्यम वर्ग के उद्यमों को सारे देश में फैलाना	Dispersal of Small and Medium Scale Entrepreneurship for Development of India	..	106—107
313. सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1969	Cement Control (Amendment) Order, 1969	..	107
314. सरकारी उपक्रमों में रूसी तकनीशियनों के लिये क्लब	Clubs for Russian Technicians Public Undertakings	..	107—108
316. अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की शिकायतें	Grievances of All India Railwaymen's Federation	..	108—110
317. कोडक कम्पनी के सहयोग से रंगीन फिल्म उत्पादन	Manufacture of colour films in Collaboration with Kodaks	..	110
318. पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना	Setting up of Fifth Steel Plant		110
319. औद्योगिक उत्पादन में गिरावट	Fall in Industrial Production	..	111
320. राजनैतिक चन्दों पर प्रतिबन्ध का स्मारिकाओं के माध्यम से निष्क्रिय किया जाना	Getting over ban on political donations through Souvenirs	..	111—112
321. साहू जैन उद्योग समूह को दिया गया शेयर मूल्य	Share price paid to Sahu Jains	..	112
322. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल से प्रभावित कर्मचारी	Employees involved in September 19, 1968 strike	..	113—114

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
323. मेन तथा लूप लाइनों (पूर्व रेलवे) पर रेलगाड़ियों की की स्थिति	Condition of trains on Main and loop lines (Eastern Railway)	..	115
324. इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of steel	..	115—117
326. दिल्ली में भिक्षावृत्ति की समस्या	Beggary Problem in Delhi	..	117
327. भारतीय रेलवे में अपराध की घटनायें	Incidence of Crime on Indian Railway	..	118
328. जयपुर में ठग नटवरलाल की गिरफ्तारी	Arrest of Cheat Natwar Lal at Jaipur	..	118
329. धनुषकोडी रेलवे लाइन का पुनः चालू किया जाना	Re-opening of Dhanushkodi Railway Line	..	118
330. रेलवे के माध्यम से परिवार नियोजन प्रचार	Family Planning Publicity through Railways	..	119
331. हरिद्वार स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट के लिये क्रयादेशों की कमी	Shortage of orders for Heavy Electrical Plant, Hardwar	..	119—120
332. बोकारो इस्पात संयंत्र को क्वायल की सप्लाई	Supply of coils to Bokaro Steel Plant	..	120
333. रंगीन फिल्मों के उत्पादन के लिये अमरीका की एक फर्म के सहयोग से कारखाने की स्थापना	Establishment of a Factory in Collaboration with US Firm for production of Colour Film	..	120—121
334. साइकिलों की कीमतों में वृद्धि करने की साइकिल निर्माताओं की मांग	Demand of Cycle Manufacturers for increase in price of Bicycles	..	121
335. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर हुई कम्पनियों का बन्द होना	Closure of Companies Registered under Companies Act	..	121—122
336. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व	Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services	..	122—123
337. प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा के लिये योजना	Scheme for Education of Adult Women	..	123

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
338. स्टेशन मास्टरों के सम्बन्ध में सिफारिशों का कार्यान्वित किया जाना	Implementation of Recommendations in respect of Station Masters ..	123—124
339. कांग्रेस दल का चुनाव चिह्न	Election Symbol of Congress Party ..	124
340. जमशेदपुर में टाटा उद्योगों को केन्द्र द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने की मांग	Demand for Central Takeover of Tata concerns in Jamshedpur ..	124
341. भारत के नगरों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to prevent Polygamy prevalent in Urban India ..	125
342. 12 जनवरी, 1970 को आसाम मेल तथा अन्य रेलगाड़ियों का दिल्ली देर से पहुंचना	Late Arrival of Assam Mail and other Trains at Delhi on 12th January, 1970 ..	125
343. इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों को स्थानापन्न भत्ता	Officiating Allowance to Assistant Station Masters of Allahabad Division (Northern Railway) ..	125
344. बिहार में बन्द पड़ी पेपर मिलों को पुनः चालू करवाना	Rehabilitation of closed Paper Mills in Bihar ..	126
345. चौथी योजना में कागज के नये कारखानों की स्थापना	Setting up of New Paper Mills during Fourth Plan ..	126—127
346. विस्तार कार्यक्रम की गति धीमी हो जाने के कारण माल डिब्बों की खरीद में कटौती	Cut in wagon purchase due to slowing down of Expansion Programme	127
347. निर्वाचन आयोग के अधीन एक पृथक निर्वाचन विभाग स्थापित करना	Setting up of a separate election department under Election Commission ..	127—128
348. किसी राजनैतिक दल को चुनाव चिह्न आवंटित करने के नियम	Rules for allotting election symbol to Political party ..	128—129
349. पूर्वोत्तर रेलवे लाइन पर उगना और परसा में हाल्ट स्टेशन खोलना	Opening of Ugna and Parsa Halts on North Eastern Railway ..	129
350. दक्षिण मध्य रेलवे के सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Vigilance Inspector of South Central Railway ..	129—130
351. सरकारी क्षेत्र में कागज निगम की स्थापना	Establishment of a Paper Corporation in Public Sector ..	130

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		

352. तीन पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of 3 wheel scooters ..	130—131
353. इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के अधीन सलाहकार बोर्डों, समितियों और स्वायत्तशासी एजेंसियों पर व्यय	Expenditure incurred on Advisory Boards, Committees and Autonomous Bodies under Steel and Heavy Engineering Ministry ..	131—132
354. संसद सदस्यों से रेलवे मंत्रालय को पत्र	Letters from M. Ps. to Ministry of Railways ..	132—133
355. भारतीय रेलवे में अपराध	Crime on Indian Railways ..	133—134
356. यवतमाल अचलपुर सैक्शन (मध्य रेलवे) पर यात्री तथा माल यातायात	Passenger and Goods Traffic on Yeotmal-Achalpur Section (Central Railway) ..	134—135
357. महिलाओं के लिये तृतीय श्रेणी के पृथक प्रतीक्षा गृह	Separate III Class Waiting Rooms for Ladies ..	135
358. निर्वाचन कानून में परिवर्तनों के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की सिफारिशें	Recommendations of Chief Electorat Officers for Changes in Election Law ..	136
359. गरहरा (पूर्वोत्तर और पूर्व रेलवे) में उच्चतर माध्यमिक स्कूल की मांग	Demand for Higher Secondary School at Garhra (North Eastern and Eastern Railways) ..	136
360. सियाल्दह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में लिपिकों की पदोन्नति	Promotion of Clerks in Sealdah Division (Eastern Railway) ..	137
361. विहार में मध्यवती चुनावों के दौरान दानापुर में हुए चुनाव के बारे में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार की शिकायतें	Complaint by B. K. D. Candidate Regarding Election held in Danapur during Mid term Poll in Bihar ..	137—138
362. अखिल भारतीय अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की धनबाद शाखा द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Dhanbad Branch of All India Ministerial Staff Association ..	138
363. यात्री गाइडों को सुविधायें	Facilities to Passenger Guides ..	138—139
364. इलाहाबाद भटनी रेलवे लाइन पर साहूबाड़ी गांव में हाल्ट स्टेशन	Halt Station at Village Sahubari on Allahabad Bhatni Railway Line ..	139
365. हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. ..	139

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

366. इस्पात उत्पादन में वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम	Programme for Increase in Steel Production ..	140
367. ग्रामीण उद्योगों में छोटे पैमाने के एककों के लिये ऋण योजना	Credit Scheme for Small Scale Units in Rural Industries ..	140—141
368. लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये उपाय	Measures for Encouraging Small Scales Industries ..	141—142
369. लघु क्षेत्र के प्रति राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण सम्बन्धी नीति का पुर्निर्धारण	Reorientation of Lending Policy on Nationalised Banks towards Small Scale Sector ..	142
370. इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Steel Prices ..	142—144
371. बिमलगढ़ कोयरा से होकर तालचेर से रूरकेला तक रेल सम्पर्क	Rail Link from Talcher to Rourkela via Bimalgarh Koira ..	144
372. निर्वाचक सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of Electoral Rolls	145
373. बच्चों को गोद लेने के बारे में कानून	Legislation for Adoption of Children ..	145—146
374. प्रथम श्रेणी के यात्रियों को स्थानों के आँवंटन के बारे में प्रक्रिया	Procedure for Allotment of Berths to First Class Passengers ..	146—147
375. रेलवे में द्वितीय श्रेणी समाप्त करना	Abolition of Second Class in Railways ..	147—148
377. सिग्रेट के कारखानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Cigarette Industry ..	148
378. इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Increase in Steel Price ..	148
379. इम्पीरियल टोबाको कम्पनी	Imperial Tobacco Co. ..	148—149
380. कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा दिया जाना	Donations to Political Parties by Companies	149
381. लघु तथा सहायक उद्योगों के लिये कानून	Legislation for Small and Ancillary Industries ..	150
382. भाखड़ा नंगल रेलवे लाइन (उत्तर रेलवे) को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Nangal Bhakra Railway Line (Northern Railway) ..	150

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
383. चौथी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करना	Setting uo of Industrial Projects in Himachal Pradesh during Fourth Plan ..	150—151
384. हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Establishment of Industries in Himachal Pradesh ..	151
385. सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर निर्माण कारखाने की स्थापना	Establishment of Tractor Plant in Public Sector ..	152
386. राज्यों में लघु-उद्योगों को बिजली की सप्लाई के लिये केन्द्रीय राज सहायता	Central Subsidy for Supply of Electricity to Small Scale Industries in States ..	152
387. मशीनों के पुर्जों का मानकीकरण	Standardisation of Machinery Parts ..	152
388. इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Steel ..	153
389. कटक पारादीप रेल संपर्क	Cuttack Paradeep Rail Link ..	153
390. लघु-उद्योगों के लिये आयातित इस्पात	Imported Steel for Small Scale Industries ..	154
391. केरल में पुराने रेल डिब्बों का बदला जाना	Replacement of Outmoded Railway Carriages in Kerala ..	154
392. इस्पात का मूल्य	Price of Steel ..	154—155
393. पिछड़े राज्यों में टायर और ट्यूब बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने हेतु आवेदन-पत्र	Application for Licensing to set up Tyre and Tube Factory in Backward State ..	155
394. राजस्थान में साहू जैन संस्थान के बारे में जांच	Inquiry into Sahu Jain Establishment in Rajasthan ..	156
395. रेलवे वर्कशापों से रद्दी इस्पात की खरीद	Purchase of Steel Scraps from Railway Workshops ..	156
396. पश्चिमी तट रेलवे लाइन	West Coast Railway Line ..	156—157
397. औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन	Changes in Industrial Policy Resolution ..	157—161
398. विकास में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना	Removal of Regional Imbalances ..	161—162
399. तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानीय या निकटतम रेलवे डिवीजन में लगाया जाना	Posting of Class III and Class IV employees under local or nearest Railway Division ..	163
400. वाणिज्य विभाग के रेलवे कर्मचारियों को आवास की सुविधा	Housing Facility to Railway Employees of Commercial Department ..	163

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सभापति तालिका	Panel of Chairman	..	164
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—		
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन मानों का पुनर्निर्धारण	Revision of Pay Scales of Himachal Pradesh Staff	..	164—166
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	..	164, 165
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	..	164—165
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	166—168
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	..	168
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	Assent to Bills	..	168—169
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—		
100वां और 104वां प्रतिवेदन	Hundredth and Hundred-Fourth Reports	..	169
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—		
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report—		169
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन—	Committee on Subordinate Legislation—		
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	..	170
बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार सम्बन्धी करार के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Exchange of Protocol on the Expansion of Bokaro Steel Plant	..	170
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh	..	170
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—		
44वां प्रतिवेदन	Forty-Fourth Report	..	170—171
स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक	Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill	..	171—180
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	..	171
श्री दत्तात्रेय कुण्टे	Shri Dattatraya Kunte	..	171
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao	..	172

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री रंगा	Shri Ranga ..	172
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua ..	172
श्री शिंकरे	Shri Shinkre ..	172—173
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri ..	173
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy ..	173
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 ..	174—180
पारित किये जाने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended ..	174
संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक	Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill ..	180—194
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	181
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi ..	180—182
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar ..	182—183
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani ..	183—184
श्री तेन्नटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham ..	184—185
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi ..	185
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu ..	185—186
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh ..	186—187
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu ..	187
श्री वेणीशंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma ..	188
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan ..	188—189
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey ..	189—190
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha ..	190—191
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 ..	193—194
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended	194
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व के माल) संशोधन विधेयक	Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill ..	194—203
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	194
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi ..	194—195
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka ..	196

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	.. 196—197
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	.. 197
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kanadappan	.. 197—199
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	.. 199
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	.. 199
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	.. 200
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	.. 200
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	.. 201
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	.. 201—203
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	.. 203

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 24 फरवरी, 1970/5 फाल्गुन, 1891 (शक)
Tuesday, February 24, 1970/Phalguna 5, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छोटी कार परियोजना

*31. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री मयावन :**
श्री सामिनाथन् : **श्री दण्डपाणि :**
श्री नारायणन :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसूर के मुख्य मंत्री के एक पत्र के उत्तर में कहा है कि छोटी कार परियोजना की स्थापना के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में हुये असाधारण विलम्ब को ध्यान में रखते हुये सरकार अब इस पर तुरन्त अन्तिम निर्णय करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नि० रं० लास्कर : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर क्या है ? क्या सरकार तुरन्त निर्णय करेगी अथवा नहीं ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : भाग (ख) का उत्तर 'हां' में है क्योंकि यह अभी सरकार के विचाराधीन है और मंत्रिमंडल ने इस ओर या उस ओर निर्णय करना ही है ।

श्री नि० रं० लास्कर : समाचार-पत्रों में छपे समाचार के अनुसार योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किस आधार पर यह निर्णय करने जा रही है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह सच है कि योजना आयोग ने चौथी योजना में छोटी कार परियोजना को शामिल करना स्वीकार नहीं किया है । परन्तु औद्योगिक विकास मंत्रालय यह महसूस कर रहा है कि रोजगार उपलब्ध करने की दृष्टि से सहायक तथा छोटे उद्योगों के विकास के लिये यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है । इसलिये मंत्रालय इस पर जोर दे रहा है और यह मामला मंत्रिमण्डल में भेज दिया गया है और निर्णय कर लिये जाने पर सभा को सूचित कर दिया जायेगा ।

Shri Shashi Ranjan : The small car project has been hanging fire for a long time, and we are being kept under suspense. The Hon. Minister should tell us specifically as to when this project is coming up. They should tell us as to what are their difficulties in this matter ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : As my colleague has stated that the Planning Commission has not included it in their Plan because from the points of view of availab'lity of resources it could not come under the priority items. Now the question is whether the Government should decide to take it up or not. A new policy about financial institution aid has recently been announced. We shall see whether we can get any aid from the financial institution under the new scheme for this project or not. After that a decision will be taken.

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस बात को चुनौती नहीं दी जा सकती कि इस देश में सामूहिक परिवहन प्रणाली तथा जन परिवहन प्रणाली की घोर उपेक्षा की गई है । रेलवे मंत्री के जन-साधारण विरोधी बजट से, जो कल पेश किया गया था, जनसाधारण पर और अधिक भार डाला गया है । इसे दृष्टि में रखते हुए एक अन्य मोटर गाड़ी निर्माण कारखाने के लिये जो 50,000 से 75,000 कारों के निर्माण स्तर पर भी लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता, 30 या 40 करोड़ रुपये निर्धारित करने की बजाय इन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना जरूरी है । इसलिये क्या सरकार का इरादा प्राथमिकताओं को ठीक से निश्चित करने का है और जब तक इन सार्वजनिक हित वाली प्रणालियों का आवश्यकता के अनुसार विकास नहीं कर दिया जाता तब तक सरकार इस परियोजना को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेगी और इस पर जोर नहीं देगी ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : जहां तक इसके लाभप्रद अथवा अलाभप्रद स्वरूप का सम्बन्ध है, सरकार की राय में यह नया कारखाना लाभप्रद होगा और जहां तक प्राथमिकता का सम्बन्ध है, सरकार समझती है कि इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये परन्तु दुर्भाग्य से योजना आयोग ऐसा नहीं समझता । इसलिये हम इस पर जोर दे रहे हैं ।

श्री वेदव्रत बरुआ : दूसरा जो वैकल्पिक प्रस्ताव सुझाया गया है, उसके बारे में सरकार की नीति क्या है कि समूचे कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और बड़े पैमाने पर सस्ती कार बनाई जाये ? यदि यह कहा जाता है कि योजना छोटी होने के कारण बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं किया जा सकता है, तो मैं नहीं जानता कि एक अन्य कार निर्माण कारखाना कैसे सस्ती कारों का निर्माण कर सकता है, जब तक कि बाजार में कारों का ढेर न लग जाये। क्या वैकल्पिक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मोटर गाड़ी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का यहां कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने कहा है कि योजना आयोग इसके लिये धन नहीं जुटा पा रहा है। क्या गैर-सरकारी सहयोग के लिये कोई सुझाव प्राप्त हुये थे ? उदाहरण के लिये मोटरगाड़ियों के निर्माण के बारे में एक जर्मन फर्म के साथ टाटाओं के सहयोग के समाचार प्रकाशित हुए हैं। यदि सरकार के पास धन नहीं है, तो क्या सरकार गैर-सरकारी उद्यमियों को विदेशी सहयोग से देश में सस्ती मोटर गाड़ियां बनाने की अनुमति देगी या सरकार तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक संजय गांधी एक ऐसी पूरी योजना तैयार नहीं कर लेते, जिसे स्वीकार किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे आक्षेप नहीं लगाये जाने चाहिये ।

श्री चेंगलराया नायडू : इस पर आपत्ति कैसे की जा सकती है ? यदि मंत्रियों के लड़कों की ऐसी कोई योजनाएं हैं तो हमें उनके बारे में जानने का अधिकार है।

कुछ माननीय सदस्य : आप इस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं ?

श्री अटल बिहारी बाजपेई : क्या आक्षेप है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री बाजपेई भी इसे उचित समझते हैं, तो मेरा समर्थन कौन करेगा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेई : कोई आक्षेप नहीं लगाया गया है। आपको यह मानना ही पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अप्रत्यक्ष रूप से यह एक आक्षेप है ।

श्री शिव नारायण : इसमें क्या अक्षेप है ? लोकतंत्र हमें यह प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। इस देश में लोकतंत्रीय सरकार है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार के नवीनतम निर्णय के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता देनी है। नए निर्णय के अनुसार 1 करोड़ रुपये तक, और यदि आयातित मशीनों की आवश्यकता है, आयात के 10 प्रतिशत तक भी और 1 से 5 करोड़ रुपये तक यदि यह स्वदेशी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है। यदि टाटा इन चार श्रेणियों में से किसी एक के अन्तर्गत आते हैं, तो वे अपनी योजनाओं की कार्यान्विति की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।

श्री बलराज मधोक : वह प्रश्न को टाल रहे हैं। मैंने औद्योगिक नीति के बारे में निर्देश नहीं किया है। यदि टाटाओं का जर्मन फर्म के सहयोग से छोटी कार बनाने का कोई प्रस्ताव है, तो उसके बारे में माननीय मंत्री को क्या कहना है ? वह औद्योगिक नीति के बारे में बता रहे हैं। मेरा इस समय उससे क्या सरोकार है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कोई भी लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दे सकता है और उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : छोटी कार के बारे में काफी समय से बातचीत चल रही है और यह वास्तव में एक बड़ी कार बन गई है। क्या सरकार की छोटी कार संबंधी कोई योजना है ? माननीय मंत्री ने कहा है कि आयोग सारे मामले पर विचार कर रहा है। परन्तु मामला अभी तय नहीं हुआ है। क्या इस मामले में आयोजना परिवार नियोजन बन गया है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं बता चुका हूं कि योजना आयोग अब इस पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने इसे स्वीकृति नहीं दी है।

श्री जी० विश्वनाथन : हम इस छोटी कार के बारे में काफी वर्षों से सुन रहे हैं। छोटी कार की परिभाषा क्या है और इसकी अश्वशक्ति कितनी होगी ? क्या हमारी दृष्टि में हेरल्ड बड़ी, छोटी या मंझली कार है ? दूसरे हमारी 54 करोड़ की जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करने के लिये केवल तीन कारखाने हैं। प्रतिवर्ष कारों का स्तर गिरता जा रहा है और उनके मूल्य भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या सरकार इस स्थिति से संतुष्ट है ? क्या वे अब भी बड़े उद्योगपतियों के दबाव में आते रहेंगे या वे कुछ अन्य कारखानों की स्थापना की अनुमति देने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस समय जिस स्तर की कारें बनाई जा रही हैं और उनके जो मूल्य लिये जा रहे हैं, उससे सरकार खुश नहीं है। इसीलिये हम जोर दे रहे हैं कि छोटी कार के लिये एक नया कारखाना स्थापित किया जाना चाहिये।

श्री रा० बरुआ : रूस भी लोक परिवहन की जनसाधारण की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाया है और इसलिये उन्होंने छोटी कारों का निर्माण शुरू नहीं किया है और सामान्य रूप से कारों की संख्या में वृद्धि भी नहीं की है। हमारे सीमित संसाधनों और विभिन्न वायदों को दृष्टि में रखते हुये, क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि अनेक वर्षों तक इस छोटी कार योजना को हाथ में नहीं लिया जायेगा क्योंकि उनके पास इसे कार्यान्वित करने के लिये धन नहीं है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : ऐसा अश्वासन देना संभव नहीं है। मैंने कहा है कि मामला मंत्रिमण्डल के सामने है और सरकार निर्णय करने जा रही है। अन्तिम निर्णय करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि धन के अभाव के कारण योजना आयोग या सरकार छोटी कार निर्माण कारखाना स्थापित नहीं कर सकती है, क्या यह विदेशी मुद्रा

है या भारतीय मुद्रा ? यदि विदेशों में रहने वाले भारतीय राज्य सरकारों के सहयोग से 49:51 प्रतिशत के आधार पर यहां कारखाना स्थापित करने के लिये तैयार हों, तो क्या सरकार ऐसे प्रस्तावों पर विचार करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उस पर विचार किया जायेगा।

श्री चेंगलराया नायडू : जवाब 'हां' या 'ना' में क्यों नहीं दिया जाता ? इस मंत्रालय का निकम्मापन रास्ते में बाधक है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य ने अब जो सुझाव दिया है केवल मात्र यही एक प्रस्ताव आया है। उन्हें इसे लिखकर भेज देना चाहिये। इस पर विचार किया जायेगा।

श्री चेंगलराया नायडू : मुझे इसे लिखकर देने के लिये कहने का फायदा क्या है, जब वह इस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि छोटी कार परियोजना चौथी योजना में शामिल की गई थी और योजना आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया है ? यदि हां, तो योजना आयोग ने ऐसा किन मूल कारणों से किया है ? क्या यह भी सच है कि सरकार ने योजना आयोग को छोटी कार परियोजना के लिये कुछ आवेदन पत्र भेजे थे, जिन्हें आयोग ने अस्वीकार कर दिया ? यदि हां, तो उन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : योजना आयोग ने कहा है कि सीमित संसाधनों के अन्दर इस परियोजना को प्राथमिकता देना संभव नहीं है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, आवेदन पत्र योजना आयोग को नहीं भेजे जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार की सहायता से बेरोजगार युवकों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना

+
*32. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री जि० मो० विस्वास :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री जनार्दनन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवकों को केन्द्रीय सरकार की सहायता से विभिन्न क्षेत्रों में लघु-उद्योग स्थापित करने के कार्य में प्रोत्साहन देने हेतु पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा प्रस्तावित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानुप्रकाश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वासुदेवन नायर : क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों में कोई सच्चाई है केंद्रीय सरकार ने बेरोजगार युवकों, विशेषत: बेरोजगार इंजीनियरों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिये ऐसी सहायता देने हेतु स्वयं कुछ योजनाएं बनाई हैं और यदि हां, तो इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मूल प्रश्न कुछ सामान्य था। बेरोजगार युवकों के लिये इस प्रकार की कोई योजना नहीं है किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योग क्षेत्र में आठ लाख लोगों को और रोजगार दिये जाने का प्रस्ताव है। बेरोजगार इंजीनियरों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आदर्श योजना बनाई गई है जो विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार से हमें अब तक कोई पत्र नहीं मिला है।

श्री वासुदेवन नायर : मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि बैंकों से बेरोजगार इंजीनियरों को आसान शर्तों पर ऋण दिये जाने का प्रस्ताव था। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ऋण की वास्तविक शर्तें क्या हैं ? क्या ऋण 100 प्रतिशत पूंजी के लिये दिया जायेगा ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : स्टेट बैंक की एक योजना है जिसके अन्तर्गत अब तक 160 लोगों को ऋण दिया गया है और इसके अन्तर्गत 2 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

Shri Sarjoo Pandey : Various State Governments have been asked to make available facilities to the unemployed persons in the country. May I know whether Central Government have circulated a model scheme to various State Governments on their own to give employment to the unemployed persons ?

Shri Bhanu Prakash Singh : The Central Government have formulated a model scheme which has been circulated to various State Governments. I may lay it on the Table of the House if so desired.

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

+
*33. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**
डा० रानेन सेन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1970 से इस्पात के मूल्यों में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्योरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में इस्पात उद्योगों, रेलवे तथा अन्य उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार ने संयुक्त संयंत्र समिति को इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दे दी है जो कि सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिखाई गई है।

(ग) जितनी मूल्य वृद्धि के लिए सरकार ने सहमति दी है, उससे अधिक मूल्यवृद्धि के लिए इस्पात उत्पादकों ने अभ्यावेदन दिया था। मूल्य वृद्धि की मंजूरी देते समय रेलवे तथा अन्य उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा गया था।

विवरण

1-1-1970 से अनुमत मूल्य वृद्धि

मद्द	रुपया प्रति मी० टन
क : विक्रेय इस्पात	
1. जस्ती चादरें	62
2. गर्म/ठण्डी बेलित चादरें और कुण्डल	207
(क) 20 गेज से अधिक	207
(ख) 16 से 20 गेज	207
(ग) 10 से 14 गेज	103
3. परीक्षित प्लेटें	103
4. स्केल्प	103
5. पहिए, टायरें और धुरे	103
6. रेलें—हल्की और भारी	41
7. **संरचनात्मक**	
(क) ज्वाइंट्स	88
(ख) अन्य	47
8. दण्ड तथा छड़	67
9. बिलेट, ब्लूम आदि	62
10. स्लीपर	124
ख : विक्रेय कच्चा लोहा	
1. स्टैण्डर्ड बेसिक	40
2. फाउण्ड्री ग्रेड 4	55
3. फाउण्ड्री ग्रेड 3	60
4. फाउण्ड्री ग्रेड 2	65
5. फाउण्ड्री ग्रेड 1	75

Shri Raghuvir Singh Shastri : Is it a fact that the establishments under the Ministries of Railways and Defence are the main consumers of the major portion of the steel produced in the country ? Thus the rise in the prices of steel affects these Ministries. May I know whether these Ministries had protested against this rise in the prices of steel and whether on this account the announcement of the decision in this regard was delayed by 5 to 6 months ? May I also know whether Government was forced to increase railway fare and freight in the railway budget to cover up the increased expenditure on account of rise in priees of steel ?

Shri K. C. Pant : Nearly 20 to 25 percent of the steel produced in the country is used by the Railways and other Government departments. The prices of steel were increased by the Government and not by the Steel Ministry and the Ministry of Railways and all other departments which utilise steel were consulted before increasing the prices of steel.

Shri Raghuvir Singh Shastri : The Government have stated in a press note issued by them that the income which would accrue to the industry as a result of increase in steel prices would be utilised for replacement and modernisation. How the Government would ensure that this increase in prices would in fact be utilised for this purpose and the sad experience of cement industry would not be repeated ?

Shri K. C. Pant : Before increasing the steel prices we have taken an undertaking from the steel industry that the amount earmarked for replacement and modernisation would be utilised for the purpose and the Steel Secretary and the members of the Boards of these two private steel plants have been asked to see that this amount is utilised for this purpose.

Shri Raghuvir Singh Shastri : For how long in future the steel prices will not be increased ?

Shri K. C. Pant : It may be five years if the cost does not go up.

श्री नम्बियार : क्या सरकार को पता है कि इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण सभी प्रकार के इस्पात तथा इस्पात-उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है जिसके परिणामस्वरूप इस्पात पर निर्भर उद्योगों में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । क्या सरकार को यह भी पता है कि इस्पात उद्योग से सम्बन्धित सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं ? और सरकार इस वृद्धि के लिये उत्तरदायी है ? क्या सरकार इस बात के लिये कोई कार्यवाही करेगी कि इस वृद्धि के कारण हुई हानि पूरी हो जाय ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मूल्य वृद्धि के बाद भी संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों से खुले बाजार में इस्पात के मूल्य बहुत अधिक हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनकी जानकारी के लिये कलकत्ता में खुले बाजार के कुछ मूल्य बता सकता हूं । 15 जनवरी, 1970 को समाप्त होने वाले पखवाड़े की अवधि में मूल्य बढ़ाये जाने के बाद भी मूल्य लगभग उतने ही रहे जितने कि मूल्य बढ़ाये जाने से पहले 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले पखवाड़े की अवधि में थे । मेरी जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने वाले पखवाड़े की अवधि में छड़ों और रॉडों का मूल्य 1100 रुपये था और यही मूल्य 15 जनवरी, 1970 को समाप्त होने वाले पखवाड़े की अवधि में भी थे । कड़ी का मूल्य दोनों अवधियों में 1300 रुपये था ; तार छड़ों का मूल्य दोनों अवधियों में 1300 रुपये था तथा जी० पी० चादरों का मूल्य भी दोनों अवधियों में 2600 रुपये था । खुले बाजार में अब तक मूल्यों में प्रायः कोई अन्तर नहीं रहा । लोहा तथा इस्पात निर्माताओं का थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 1961-62 में

100 मानकर मूल्य वृद्धि से पहले 27 दिसम्बर, 1969 को 149.3 था और मूल्य वृद्धि के बाद बढ़कर 3 जनवरी, 1970 को 154.6 हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्य वृद्धि के बाद मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतता बहुत कम है। दूसरा सूचकांक स्टाक मार्केट और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के शेयरों के मूल्य का हो सकता है। मूल्य वृद्धि से पहले टाटा के शेयर लगभग 104 पर थे और अब भी इतने ही हैं। ये सूचकांक हमारे सामने हैं जो हमें प्रभाव के बारे में बताते हैं।

Shri D. N. Tiwary : May I know the international price of such categories of steel the prices of which have been increased? How these prices compare with each other? What is the landed price of imported steel ?

Shri K. C. Pant : The Hon. Member would be glad to know that the indigenous prices of steel are less than the prices of steel in other countries? These are less than those in U. K. and Japan and very much less than those in America.

Shri D. N. Tiwary : The quality should be the same.

Shri K. C. Pant : Yes, Sir.

5 एम० एम० से 10 एम० एम० की छड़ों और सलाखों का आधार मूल्य, वाणिज्यिक, 800 रुपये है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 930 रुपये है। दाम बढ़ाने के पहले की प्राइस हमारे पास है जो इस प्रकार है :

कड़ी : 150 एम० एम० से 75 एम० एम० : संयुक्त संयंत्र समिति आधार मूल्य 879 रुपये हैं; अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 1,095 रुपये है।

8 एम० एम० से कम की प्लेटों का संयुक्त संयंत्र समिति मूल्य 979 रुपये ; अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 1,200 रुपये है।

18 एम० एम० तथा 18 से अधिक एम० एम० की प्लेटों का संयुक्त संयंत्र समिति मूल्य 979 रुपये तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 12,200 रुपये है।

लेकिन कुछ कटेगरीज हैं जिनके दाम अधिक हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या सरकार ने लोहे और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने से पहले इस बात पर विचार किया था कि उसका इन्जीनियरी उद्योग, जिसे गत कुछ वर्षों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तथा लोहे और इस्पात पर निर्भर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या सरकार ने मूल्यों में यह वृद्धि करने से पहले प्रशुल्क आयोग से परामर्श किया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ठीक-ठीक स्थिति बताना कठिन है। यदि प्रशुल्क आयोग से पूछा गया होगा तो मैं समझता हूं कि वह इससे भी बहुत अधिक मूल्य के लिये सहमत हुआ होगा। वस्तुतः हमने संभावित वृद्धि तथा परिचालन तथा पूंजी लागत दोनों को ध्यान में रखकर मूल्यों में वृद्धि की है। इन्हीं सामान्य आधारों पर प्रशुल्क आयोग कार्य करता है। वास्तव में प्रशुल्क आयोग ने टिस्को के पूंजी ब्लाक के आधार पर पहले मूल्य निर्धारित किया था जोकि 1,176 रुपये प्रति मीटरी टन था जबकि हिन्दुस्तान स्टील का 2,500 रुपये प्रति मीटरी टन था। आज टाटा का मूल्य स्वयं 1600 रुपये से 1700 रुपये प्रति मीटरी टन है। यदि इसी आधार

पर मूल्यों की वृद्धि की जाती तो मूल्य कहीं और अधिक होते । हमने बह आधार अपनाया जिससे मूल्य कम है । अतः इस मामले में प्रशुल्क आयोग से पूछना आवश्यक नहीं था और न ही इससे माननीय सदस्य का कोई प्रयोजन सिद्ध होता ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इंजीनियरी उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री कृष्ण चन्द पन्त : निस्संदेह इन्जीनियरी उद्योग पर इसका प्रभाव पर विचार किया गया था । अब वास्तविक समस्या यह नहीं है कि मूल्य में थोड़ी बहुत वृद्धि की गई है । समस्या है, खुले बाजार में मूलयों की । उपभोक्ताओं पर संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित किये मूल्यों का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु उन्हें खुले बाजार में बहुत अधिक मूल्य पर इस्पात खरीदना पड़ेगा । जहां तक खुले बाजार में बिक्री का सम्बन्ध है, यदि बिचौलियों और मूल उत्पादकों को मिलने वाले लाभ के एक भाग का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, तो यह एक अच्छी बात है । मैंने खुले बाजार में मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में बताया है, वास्तव में यह कुछ नहीं है । जिन वस्तुओं के मामले में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण उत्पादों के मूल्य नहीं बढ़ाये गये हैं, उत्पादकों पर कुछ भार पड़ा है । खुले बाजार में मूल्यों का सम्बन्ध है अन्तिम उपभोक्ताओं पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है ।

यदि इस समय मूल्यों में वृद्धि नहीं की जाती तो इस्पात उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ता । हिन्दुस्तान स्टील, जिसे 30 करोड़ से 40 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, के अलावा 'टिस्को' भी अपनी आरक्षित निधि में से धन निकाले बिना लाभांश देने की स्थिति में नहीं है । 'टिस्को' ने वर्ष 1969-70 में लाभांश नहीं दिया । अतः सारी परिस्थितियों तथा इस्पात उद्योग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूल्य में यह वृद्धि की गई है । यदि यह वृद्धि न की जाती तो इस्पात का उत्पादन कम हो जाता और इंजीनियरी उद्योग पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता ।

श्री एस० कंडप्पन : मंत्री महोदय का यह कहना कि वृद्धि के बाद भी मूल्य वही है, कम से कम उन कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में भ्रामक हैं जिन्हें नियंत्रित दरों पर इस्पात सप्लाई करने का आश्वासन दिया गया है । उदाहरणार्थ, अनेक इन्जीनियरी उद्योगों, इलेक्ट्रिक मोटर निर्माताओं तथा कुछ अन्य अत्यावश्यक उद्योगों को पहले इस्पात नियंत्रित दरों पर मिलता था । अब उन्हें अधिक मूल्य देना पड़ता है । विशेषतः उन इंजीनियरी उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है जो अपने माल का निर्यात करते हैं । इस्पात के मूल्य में वृद्धि के बाद किसानों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले पम्पों की कीमत पांच गुनी बढ गई है । 2", $2\frac{1}{2}$" और 4" के नलों के मूल्य बढ़ गये हैं । क्या मंत्री महोदय मुझे यह समझायेंगे कि वह किसानों की सहायता किस प्रकार करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना बहुत कठिन है । मेरे विचार में प्रश्न का जोर इस बात पर था कि क्या जे० पी० सी० के मूल्यों के अनुसार की गई सप्लाई के बारे में वास्तव में मूल्य वृद्धि हुई है । यह ठीक है । इसी कारण मूल्यों में वृद्धि की गई थी, मैं पहले खुले बाजार में मूल्यों का उल्लेख कर रहा था । जहां तक जे० पी० सी० मूल्यों का सम्बन्ध है, वहां पर प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ता हैं जिनको मुख्य उत्पादकों से सीधे

माल सप्लाई किया जाता है । इंजीनियरिंग निर्यात उद्योग को इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार मुख्य उत्पादकों द्वारा इस्पात सप्लाई किया जाता है । इन इन्जीनियरिंग निर्यात उद्योगों को जे० पी० सी० के मूल्यों पर इस्पात मिलता है न कि खुले बाजार के मूल्यों पर जोकि बहुत अधिक है । जहां तक इन्जीनियरिंग उद्योगों द्वारा निर्यात का सम्बन्ध है, उनको अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर इस्पात दिया जाता है । उन पर मूल्य में हुई वर्तमान वृद्धि से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री एस० कन्डप्पन : कृषि के काम आने वाली मोटरों तथा पम्पों के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गलत प्रथा है कि मुझे माननीय सदस्यों को बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि उनको सीधे प्रश्न पूछने चाहिये और तर्क आदि में नहीं पड़ना चाहिये । ऐसा नियमित वाद-विवाद के समय किया जा सकता है, न कि प्रश्न काल में ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल्यों में वर्तमान वृद्धि टिस्को, इस्को और अन्य इस्पात निर्यातकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर की गई है ? क्या सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि भारत अन्ततः अन्य विकाससील देशों के आवास कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर भाग ले रहा है और कि उसको अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर प्रतियोगिता करनी पड़ती है । क्या मूल्य वृद्धि से अन्य देशों को इस प्रकार के इस्पात के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह बिलकुल सच है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के संयंत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे और इन्हीं अभ्यावेदनों के आधार पर सरकार अन्तः इस निर्णय पर पहुंची है । जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, समूचे विश्व में इस्पात के मूल्यों में तेजी आई है । वास्तव में गत वर्ष समूचे विश्व में इस्पात के मूल्यों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । समूचे विश्व में ऐसा हुआ है । अतः हमने राज सहायता बन्द कर दी है जोकि निर्यात के लिये दी जाती थी ।

Shri Hukam Chand Kachwai: I want to know the measures being taken to check the rise in prices in the open market. The small scale industries are facing a lot of difficulty due to the rising of prices and they are being closed down on large scale. I want to know the necessity to increase the prices and present cost of production ?

Mr. Speaker: You have felt the necessity of putting up a question even after the Hon. Minister has stated so much on this matter. The Hon. Minister will have to repeat his answer. He may answer that part of question which might not have been answered.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 1965 से इस्पात के मूल्य पर नियंत्रण नहीं है । जे० पी० सी० के मूल्य इस्पात उत्पादकों पर लागू होते हैं, न कि व्यापारियों पर और इससे वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है । वर्तमान प्रबन्धों के अन्तर्गत जे० पी० सी० मूल्य निर्धारित करती है । जे० पी० सी० में उत्पादकों तथा रेलवे के प्रतिनिधि होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोहे तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा की जाती है । इसलिये जे० पी० सी० द्वारा निर्धारित मूल्यों को वे स्वीकार करते हैं । परन्तु यह बात व्यापारियों पर लागू नहीं होती और न ही वे इस बात को स्वीकार करते हैं जिस कारण खुले बाजार में मूल्य बहुत अधिक हैं । माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात को मैंने नोट कर लिया है और इस मामले की जांच करनी पड़ेगी ।

Shri Maharaj Singh Bharati : I want to know whether it is a fact that excise duty is not imposed on the production of steel in other couutries of the world keeping in view that steel is being used as raw material for industrialisation ?

Shri K. C. Pant : There should be no objection if the prices are less as compared to the prices preventing in other countries even after imposing excise duty.

सीमेंट के पुनरीक्षित मूल्य

*34. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "साहु जैन सीमेंट-समूह" के सुझाव के अनुसार सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाना-वार पहिले मूल्य क्या थे ; और

(ग) कारखाना-वार पुनरीक्षित मूल्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Ram Kishan Gupta : I want to know whether the Hon. Minister will give an assurance to the effect that the present control policy will continue and inspite of the presence the rates of the cement will not be increased ?

Shri Bhanu Prakash Singh : This matter is under consideration.

Shri Ram Kishan Gupta : It is not clear from the answer of the Hon. Minister as to what suggestion had been received from Messrs. Sahu Jain. Will the Hon. Minister state the rates quoted therein and rates they actually wanted ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : As have already been stated, rates will not be increased. The representations received from the industry are under consideration.

श्री सेझियान : मुझे आशा है सरकार को इस बात का पता है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने सभी फैक्ट्रियों के लिये 100 रु० के समान मूल्य के बारे में सीमेंट नियन्त्रण आदेश को पिछले दिसम्बर में रद्द कर दिया था । सरकार द्वारा कारखाने को दिये गये समान मूल्य को रद्द करने सम्बन्धी उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुये क्या सरकार पुरानी तीन-टायर वाली प्रणाली को बदलने जा रही है अथवा वह इस प्रश्न पर विचार करेगी कि विभिन्न एककों को कितना-कितना मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पास किये गये आर्डर से सरकार अवगत है और सरकार रोक आदेश के लिए अपील तथा याचिका दायर करने जा रही है । उनके बाद ही कोई कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मनुभाई पटेल : प्रश्न संख्या 37 को प्रश्न संख्या 35 के साथ ही लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 37 का उत्तर भी प्रश्न संख्या 35 के साथ ही दिया जाये ।

रांची से लोहरडागा तक (दक्षिण-पूर्व रेलवे) नैरो गेज लाइन को बदलना

*35. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रांची से लोहरडागा तक नैरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार लोहरडागा क्षेत्र के लोगों की मांगों पर उचित ध्यान देगी जो ऐसा भीतरी प्रदेश है जिसमें बाक्साइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और जिससे एल्युमीनियम कारखाना स्थापित किया जा सकता है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) और (घ). इस समय रांची लोहरदगा खण्ड पर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इस खण्ड पर छोटी लाइन की वर्तमान क्षमता यातायात की वर्तमान जरूरतों और साथ ही भविष्य में यातायात में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ।

Improvement in Narrow Gauge Railway Lines

*37. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the committee constituted to suggest improvement in the narrow gauge Railway lines in the country has submitted its report and, if so, the details thereof ; and

(b) the programme chalked out by Government on the basis of the said report ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : (a) Yes, Sir. A statement detailing the main recommendations is laid on the table.

(b) The recommendations are under examination. **[Placed in the Library. See LT No. 2563/70]**

श्री कार्तिक उरांव : इस रेलवे लाइन को छोड़कर औद्योगिक कारखानों के केन्द्र रांची में मिलने वाली अथवा वहां से बदलने वाली सभी रेलवे लाइनें बड़ी हैं। मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों के रूप में बदलने के लिये क्या मुख्य सिद्धान्त अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : रांची से लोहरडागा जाने वाली यह रेलवे लाइन मुख्यतः बाक्साइट अयस्क ले जाने के लिए वर्ष 1913 में बनाई गई थी । मैंने माननीय सदस्य के साथ हाल ही में इस स्थान का दौरा किया है और मांग यह है कि इस लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाये । वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान लाइन की क्षमता से यातायात की

आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। जब कभी मांग बढ़ जायेगी और हम उसे पूरा नहीं कर सकेंगे तो हम निश्चय ही इसको बड़ी लाइन के रूप में बदलने के बारे में विचार करेंगे।

श्री कार्तिक उरांव : यद्यपि यह लाइन बहुमूल्य खनिज निक्षेपों को मिलाती है सरकार इस क्षेत्र के हितों का ध्यान नहीं रख रही है विशेषकर क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्र है और सरकार यह नहीं चाहती कि वहां पर कोई कारखाना स्थापित हो। इस स्थान पर एल्युमीनियम और कागज आदि के कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं। सरकार इस पहलू पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि लोहरडागा से रांची बॉक्साइट ले जाने से प्राप्त भाड़े से और यात्रियों से प्राप्त किराये से सरकार को कितनी वार्षिक आय होती है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जहां तक इस प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता कि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण हम वहां कोई कारखाना नहीं लगाना चाहते।

श्री कार्तिक उरांव : अन्यथा इसमें अपवाद की कोई बात नहीं है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जब कभी कोई और एल्युमीनियम कारखाना अथवा कोई अन्य कारखाना लगाया जायगा और वर्तमान लाइन से काम नहीं चलेगा तो हम निश्चय ही इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। इस बीच वर्ष 1955 में जांच पड़ताल की गई थी और उसका परिणाम यह निकला कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता नहीं थी। हाल ही में अलाभकारी शाखा लाइन समिति ने इस क्षेत्र का दौरा किया था और उन्होंने बिहार की राज्य सरकार के साथ बातचीत की थी तथा राज्य सरकार ने कहा था कि वहां पर कागज का तथा एल्युमीनियम का कारखाना लगाये जाने की सम्भावना है। हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब कभी ये कारखाने लगाये जायेंगे तो रेलवे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में पीछे नहीं रहेगी।

Shri Yashwant Singh Kushwah: Will the hon'ble Minister be pleased to state whether representations of Gwalior and other districts had requested him during his visit to Gwalior alongwith the members of Sub-Committee that Gwalior Bhind narrow gauge line should be converted into broadgauge line and the same should be connected with Etawah, because only then it will help the farmers who are going to be benefited by Chambal Hydro-electric Project on which crores of rupees have been spent by the Government? This is most essential for the increasing in production of the country. I want to know the decision taken keeping in view the importance of this aspect?

Shri R. L. Chaturvedi: It is true that during my visit alongwith members of the Sub-Committee we had received representations and also had talks with the hon'ble Member. But it is regretted that the committee had not recommended the conversion of this line into broad gauge line keeping in view the present conditions. **[Interruptions].**

Shri Rabi Ray: What is the condition **[Interruptions].**

Shri R. L. Chaturvedi: I am referring to economic aspect of Railways. Moreover the present traffic requirement is being met. But I may state that improvement and track removal of the said line had been recommended by the committee so that people may get more facilities and this matter is being looked into. The said Report was placed on the Table of

the House on 19th December. English version of the Report has been printed and copies of the same will be circulated to hon'ble Members very soon. The Report is being translated into Hindi.

Shri Yashwant Singh Kushwah : Is it not a fact that its condition was much better when State Government had handed over this narrow gauge Railway line to the Central Government and they had also given a saving of Rs. 75 lakhs in lump sum to them? Is it also not a fact that during these twenty years, not a single new engine or bogie has been given for this line whereas fare has been increased and double time is consumed in travelling. In view of this and in view of terror of dacoits living in the area of Chambal project, whether Government would pay special attention towards this problem?

Shri R. L. Chaturvedi : We will pay special attention towards this problem. We have made specific recommendations on this matter.

श्री रा० की० अमीन : क्या रेलवे मंत्री यह आश्वासन देंगे कि जिन राज्यों ने अब तक नागपुर योजना के अनुसार भी सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया है, वहां से छोटी रेलवे लाइनें हटाई नहीं जायेंगी और यदि उन्हें हटाया जायेगा तो उनके स्थान पर मीटर लाइन अथवा बड़ी लाइन की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसा कि मैंने बताया है, प्रतिवेदन विचाराधीन है और हमने तत्कालीन रेलवे मंत्री डा० राम सुभग सिंह के नीति सम्बन्धी निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमने कुछ सुधारों के सुझाव दिये हैं।

श्री रा० की० अमीन : मैं विशेषकर गुजरात राज्य के बारे में पूछ रहा हूं, जहां नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा था फिर भी मैंने उनको आश्वासन देने के लिये कह दिया था। परन्तु अब आप एक ही बात पर जोर देते जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

Shri M. A. Khan : May I know whether it is a fact that the committee under the chairmanship of our hon'ble Minister, which made a tour to see the uneconomic lines had recommended that Etah—Kasganj line should be connected, in order to make them profitable one. Keeping in view the loss of Rs. 7 crores being incurred on the said uneconomic lines, will the hon'ble Minister give an assurance that action will be taken to connect Etah—Kasganj line in this butget and provision will be made accordingly?

Shri R. L. Chaturvedi : The budget has already been presented yesterday. The hon'ble Member is also aware that the roport on uneconomic lines is under consideration. The committee had recommended its conversion but the matter is being examined in detail. It has not yet been included in the budget.

Shrimati Jayaben Shah : I want to ask about the lines about which a decision was taken in principal such as Viramgaon—Okha line. Its preliminary survey was also included in this budget last time but it has been earmarked for preliminary survey again in the new budget.

This was agreed to in principle and had been recommended by the committee also, may I know as to why it has not been included in the Budget?

Shri R. L. Chaturvedi : Both these questions have no relevance with the uneconomic branch lines. I want to submit that the committee's report is under examination and whatever decision is taken shall be placed on the Table of the House. So far as the question of

Biramgaon—Okha line is concerned, it has been recommended for preliminary survey. At present I am not in a position to divulge the details.

Shrimati Jayaben Shah: This question of preliminary survey is hanging fire since long.

Mr. Speaker: We are going to have a 17 hour discussion on the Railway Butget. You will get an opportunity at that time. Why do you use the Question Hour in this way ?

श्री मणिभाई जे० पटेल : उन्होंने प्रश्न 37 (ख) का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : रेलवे पर जितने प्रश्न किये गये हैं, आप उन्हें कार्यवाही से निकाल क्यों नहीं देते, रेलवे बजट पर वाद-विवाद तो करना ही है ।

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिये और प्रश्नों के लिये मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरे पूरक प्रश्न का सम्बन्ध प्रश्न संख्या 37 से ही है । समिति ने जब उदारतापूर्वक पारसिया का दौरा किया तो उससे अनुरोध किया गया था कि आर्थिक कल्याण के लिये नागपुर और पारसिया के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत चतुर वकील हैं, लेकिन मुझे अफसोस है, अगला प्रश्न पूछा जाना है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये इस्पात सम्बन्धी परिव्यय

\+

*36. **श्री पीलु मोडी**
श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये इस्पात संबंधी परिव्यय में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1970 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). 7 जनवरी, 1970 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित रिपोर्ट सारांशत: सत्य है । इस मंत्रालय ने योजना आयोग को चतुर्थ योजना काल में इस्पात के विकास पर होने वाले व्यय का संशोधित अनुमान दिया है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर अन्तिम निर्णय करते समय सरकार इस कार्यक्रम पर भी फैसला करेगी । चालू योजनाओं के अलावा व्यय के संशोधित अनुमान का ब्यौरा

सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2564/70]** इसमें मूल कार्यक्रम के लगभग 326 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 234 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था है।

श्री पीलु मोडी : इस तथ्य को देखते हुए कि लक्ष्यों में संशोधन किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि आरम्भ में बिलेट उत्पादन के लिये जो कार्यक्रम रखा गया था, उसे समाप्त ही क्यों कर दिया गया ? उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बिलेट निर्माण भी भिलाई विस्तार कार्य का ही एक अंग है। भिलाई कारखाने की उत्पादन क्षमता को 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 42 लाख मीट्रिक टन किया जायेगा।

श्री पीलु मोडी : तो क्या बिलेट तैयार किये जायेंगे ? इनकी मात्रा कितनी होगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : नवीनतम अनुमान यह है कि भिलाई में 680 हजार मीट्रिक टन तक उत्पादन किया जायेगा।

श्री पीलु मोडी : आपने मूल अनुमानों में वृद्धि कर दी है। मेरा दूसरा प्रश्न बोकारो के सम्बन्ध में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अवस्था पर ही बोकारो इस्पात संयंत्र की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यद्यपि इस बात का प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है फिर भी मैं बता देता हूं कि प्रथम प्रक्रम में बोकारो की मूल लागत से कुछ अधिक व्यय किया जायेगा।

श्री पीलु मोडी : यह कितना अधिक होगा ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : महोदय, पिछले तीन वर्षों से इस्पात बिलेटों की पूंजीगत लागत में होने वाली अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि नई क्षमताओं की प्रति टन पूंजीगत लागत कितनी होगी और वर्तमान संयंत्र की पूंजीगत लागत की तुलना में यह कितनी अधिक होगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं कि जब तक इस प्रायोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती, मैं आपको ठीक-ठीक आंकड़े नहीं बता पाऊंगा। ये संयंत्र कहां-कहां लगाये जायें अभी हम इस सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय करने का प्रयत्न कर रहे हैं और फिर उनकी व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन किया जायेगा। प्रायोजना सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तैयार होने पर ही सुनिश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रति टन कितनी लागत आयेगी। मोटे तौर पर हमने अनुमान लगाया है कि दो इस्पात संयंत्रों पर 700 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : उनकी क्षमता क्या होगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनकी क्षमता 30 से 40 लाख मीट्रिक टन तक होगी। **(अन्तर्बाधा)**

श्री क० लकप्पा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र लगाने के कार्य को भी सम्मिलित करने के लिये क्या किया जा रहा है ? मैसूर में इस्पात संयंत्र लगाये जाने के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं । मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में निश्चित उत्तर चाहता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे प्रसन्नता है कि आप राज्य सरकार के प्रति दयालु हो रहे हैं । इस्पात संयंत्र कहां लगाया जाये, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री क० लकप्पा : मुझे अपने प्रश्न का निश्चित उत्तर चाहिए कि क्या मैसूर राज्य में इस्पात संयंत्र लगाया जायेगा अथवा नहीं । अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मुझे आपका संरक्षण चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैसूर के कुछ भागों पर भी इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरा संरक्षण सदा मिलता रहेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

धातु मिश्रित तथा विशेष इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंसों का दिया जाना

*38. **श्री गणेश घोष** :

श्री वि० कु० मोडक :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** मिश्रित धातु तथा विशेष इस्पात संयंत्र के लिए बिड़ला उद्योग समूह को लाइसेंस दिये जाने के बारे में 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में दुर्गापुर स्थित मिश्रित धातु इस्पात कारखानों की विस्तार योजनाओं का व्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ;

(ग) सरकारी क्षेत्र के धातु मिश्रित इस्पात कारखानों की विस्तार योजनाओं को तुरन्त क्रियान्वित करने के बजाय सरकार को किन परिस्थितियों में बिड़ला उद्योग समूह की सम्बद्ध फर्मों को धातु मिश्रित तथा विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने पड़े ;

(घ) क्या किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने धातु मिश्रित तथा विशेष इस्पात के उत्पादन के हेतु लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र दिए थे ;

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम और व्यौरा क्या है ; और

(च) लाइसेंस देने के लिए बिड़ला उद्योग समूह की दो सम्बद्ध फर्मों के विशेषरूप से चुने जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) और (ख). दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार की योजना अभी विचाराधीन है ।

(ग) जैसा कि 18 नवम्बर, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर में कहा गया था, बिड़लाओं की दो सम्बद्ध फर्मों और 12 दूसरी प्राइवेट पार्टियों तथा मैसूर आइरन एण्ड स्टील लि० को लाइसेंस इसलिए दिए गए थे क्योंकि भविष्य की मांग के मूल्यांकन से ऐसा प्रतीत होता था कि दुर्गापुर के मिश्र-धातु कारखाने के विस्तार के बाद भी मांग की पूर्ति न हो सकेगी ।

(घ) और (ङ). एक विवरण, जिसमें उन पार्टियों का नाम दिया गया है, जिन्हें लाइसेंस / आशय-पत्र दिये गये हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2565/70]**

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को हुई हानि

*39. **श्रीमती सावित्री श्याम : डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : श्री क० अनिरुद्धन :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को उसकी स्थापना के आरम्भ से ही लगातार हानि होती चली आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 के दौरान इसे कितनी धनराशि की हानि हुई;

(ग) इस हानि के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस उपक्रम की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने अपने 13 वर्षों के कच्चे माल में से 11 वर्षों में लाभ दिखाया है ।

(ख) 1968-69 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को 34 लाख रुपये कुल हानि हुई ।

(ग) तथा (घ). विगत दो से तीन वर्षों में इंजीनियरी उद्योग की क्षमता के सामान्य तौर से कम उपयोग होने की समस्या से मशीनी औजारों की मांग में अधिक कमी के कारण,

एच० एम० टी०, बंगलौर की कुल खरीद सन्तोषजनक नहीं रही है। फलतः कम्पनी के पास मशीनी औजारों का पर्याप्त भंडार हो गया है। आगे भंडार का और ढेर न लगे, अतः कम्पनी ने उत्पादन पर रोक लगा दी थी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, अपने उत्पादन क्षेत्र में विविधिकरण द्वारा प्राप्त निर्माण क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए आयोजित प्रयास कर रहा है, ताकि अब तक आयातित सभी प्रकार की जटिल मशीनों का निर्माण किया जाये। अतः कम्पनी ने नए मशीनी औजारों के प्रगामी निर्माण का कार्य हाथ में लिया है जिनमें गियर शेयरों, गियर होबरों, सभी विद्युत चालित मशीनों, स्वचालित बहुत तकुए, स्वचालित एकल तकुआ, हैवी ड्यूटी सरफेस ग्राइण्डरों, हैवी ड्यूटी लेथें, टार्ट लेथें, स्वचालित अनेक औजार, होरीजेन्टल बोरिंग मशीनें तथा ब्रोचिंग मशीनें आदि हैं। कम्पनी की योजना अपने उत्पादन क्रम में विविधिकरण करके डाई ढालने वाली मशीनें प्लास्टिक इंजकशन मोड़ने वाली मशीनें, कोओरडिनेट ड्रिलिंग तथा जिग बोरिंग मशीनें, हाइड्रोलिक प्रेस तथा प्रेस ब्रेक, छपाई की मशीनें तथा कृषि ट्रेक्टरों के बनाने की है। अपने कार्यों में उन्नति करने के लिए एच० एम० टी० मशीनें तथा घड़ियों के निर्यात के लिये घोर प्रयत्न कर रहा है। सरकार ने पश्चिम जर्मनी, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में विक्रय राह सेवा केन्द्रों को खोलने का अनुमोदन कर दिया है। कम्पनी ने बिक्री के लिये अमरीका, स्वीडन, पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क, युगोस्लाविया, बैनेलक्स देशों, इंगलैंड, कनाडा तथा लंका की फर्मों के साथ तथा पूर्वी यूरोप के देशों के लिये स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के साथ एजेन्सी (अभिकरण) करारों पर समझौते किये हैं। 1968-69 में एच० एम० टी० ने 97.37 लाख रुपये में मशीनें औजार तथा घड़ियां निर्यात कीं, जो अब तक का सबसे अधिक निर्यात है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रभारी निदेशक की पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री से भेंट

*40. **श्री मोहन स्वरूप :**

श्री लखन लाल कपूर :

श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रभारी निदेशक को पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री द्वारा हाल ही में बुलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस भेंट के क्या कारण थे ; और

(ग) पिछले 6 महीनों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रभारी निदेशक कितनी बार उप-मुख्य मंत्री से मिलने गये ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) चार बार।

बोकारो इस्पात कारखाना परियोजना के सम्बन्ध में भारत और रूस के बीच मतभेद

*41. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री रा० कौ० अमीन :**
श्री मी० रु० मसानी : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बोकारो इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में भारत और रूस के बीच मतभेद के बारे में 25 जनवरी, 1970 के 'हिन्दू' (मद्रास) में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि रूस बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए रूस द्वारा भारत को दिये गये ऋण के पुनर्भुगतान को पौंडों में लेने का अधिकार रखता है जबकि सामान्य धारणा यह थी कि इस ऋण का पुनर्भुगतान केवल रुपयों में होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिये 25 जनवरी, 1965 को दिये गये करार के अनुच्छेद 9 के अनुसार ऋण की राशि तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान भारतीय रुपयों में किया जायेगा और इस प्रकार भुगतान की गई मुद्रा को सोवियत संगठन उसी तरह लागू भारत-रूसी व्यापार समझौते के अनुसार भारत में सामान खरीदने के काम में ला सकते हैं और/अथवा उसे पाउन्ड स्टर्लिंग में बदल सकते हैं। अभी तक किये गये किसी भुगतान को पाउन्ड स्टर्लिंग में नहीं बदला गया है। ये शर्तें उन शर्तों से भिन्न नहीं है, जिन पर भारत में दूसरी प्रायोजनाओं के निर्माण के लिये रूसी ऋण मिले हैं।

कागज उद्योग द्वारा कागज के मूल्य में वृद्धि

*42. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जनवरी, 1970 को हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ की एक बैठक में सदस्यों के समक्ष भाषण देते हुये उन्होंने उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने कोई नाजायज बात की ओर हेर फेर किया तो सरकार इसे चुपचाप नहीं देखती रहेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को नाजायज व्यवहार तथा छल सम्बन्धी किन-किन तथ्यों का पता चला है ;

(ग) जब से कागज उद्योग पर से नियन्त्रण हटाया गया है, तब से अब तक इस उद्योग के उद्योगपतियों ने कितनी बार कागज के मूल्यों में वृद्धि की है और प्रत्येक बार कितनी-कितनी वृद्धि की गई है ;

(घ) कागज के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये यदि कागज उद्योग के उद्योगपतियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रकट किये गये विचार सरकार की केवल सामान्य चेतावनी के रूप में थे और इसका सम्बन्ध किसी विशिष्ट दुर्व्यवहार अथवा हेराफेरी से नहीं था ।

(ग) कागज उद्योग ने प्रथम बार कागज के मूल्यों में 250 रु० प्रति मी० टन की वृद्धि की और द्वितीय बार यह वृद्धि कागज के तौल के अनुसार 95 रु० से 150 रु० तक प्रति मी० टन थी ।

(घ) सरकार ने कागज उद्योग की संयुक्त समिति को सूचित कर दिया है कि कागज के मूल्यों में सरकार से पूर्व परामर्श के बिना और वृद्धि न की जाए ।

Assistance for Industrial Development in States

*43. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union Cabinet had taken a decision last year for giving financial assistance so as to provide incentives for industrial development in six backward regions including Uttar Pradesh, which includes exemption from taxes ;

(b) if so, the region-wise progress made in this regard so far ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). In lieu of the various financial and tax incentives recommended by the Working Group on Fiscal and Financial incentives for starting industries in backward areas, the Government propose to give an outright grant or subsidy amounting to one-tenth of the total fixed capital investment of new units, having a total fixed capital investment of not more than Rs. 50 lakhs each, in two selected districts, of each one of the nine States including Uttar Pradesh identified as industrially backward by the Working Group on Identification of Backward Areas, and in one district each of the other States and Union Territories. Schemes and projects for new units involving fixed capital investment of more than Rs. 50 lakhs are to be considered on merit.

The State Governments/Union Territory Administrations have been requested to select industrially backward districts for special treatment, but replies from all of them have not yet been received. Further action to implement the aforesaid decision will be taken after receipt and consideration of all the replies. It is, therefore, not possible to indicate the region-wise progress made in the implementation of the decision at this stage.

तेल के ढोल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

*44. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री तेल के ढोल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के सम्बन्ध में 18 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न सं० 331 में उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढोलों का निर्माण करने के लिए इण्डस्ट्रियल कन्टेनर्स लि०, स्टील कन्टेनर्स

लिमिटेड तथा स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है ;

(ख) स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बेरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी की क्षमता का निर्धारण कितनी बार किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि जब भी उनके कारखाने के बारे में निर्धारण किया गया, उनकी निर्धारित क्षमता सदा पहले से अधिक पाई गई ;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे यह पता चलता है कि अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रत्येक निर्धारण के समय वे अपने संयंत्र तथा मशीनों में सदा कुछ और मशीनों को बढ़ाते रहे थे ; और

(ङ) यदि हां, तो अपनी क्षमता में इस प्रकार अवैध वृद्धि की जाने से सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मे० इण्डस्ट्रियल कंटेनर्स लि०, मे० स्टील कैटनर्स लि० तथा मे० स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कं० की प्रति वर्ष बैरल निर्माण करने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्रमशः 6,000 टन, 5,860 टन तथा 3,700 टन (अस्थायी, पुनर्निर्धारण के अधीन) है।

(ख) से (ङ). बैरल उद्योग के प्रतिबंधित सूची में होने के बावजूद इसकी अतिरिक्त क्षमता की मान्यता के सम्बन्ध में लोक सभा में 30 अप्रैल, 1969 से प्राक्कलन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई 85वीं रिपोर्ट (चौथी लोक सभा) में सभी पहलुओं पर पहले ही विचार कर लिया गया है। प्राक्कलन समिति की 85वीं रिपोर्ट के पृष्ठ 34-42 पर पैरा 2.57 से 2.79 इससे सम्बन्धित है। प्राक्कलन समिति की प्रायः सभी सिफारिशें लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई हैं और सरकार को प्राक्कलन समिति की आगामी सिफारिशें मालूम हो जाने पर ही उस पर अंतिमरूप से निर्माण किया जाएगा।

माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन के कार्य में सुधार करने के उपाय

*45. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन अब भी घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी क्षमता का उपयोग करने तथा इसका उत्पादन बढ़ाने के बारे में रूसी विशेषज्ञों के एक दल द्वारा की गई अनेक सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और उचित कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या हल्दिया पत्तन के यंत्रीकरण के लिए कारपोरेशन ने भारी मात्रा में सामान को उतारने तथा चढ़ाने के उपकरण के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) सोवियत विशेषज्ञों के दल का मतलब सम्भवतः सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के मशीन निर्माण उपमंत्री, श्री जी० पी० सेम्योनोव के नेतृत्व में आये सोवियत विशेषज्ञों के दल से है जिसने भारत सरकार के आमंत्रण पर फरवरी और मार्च, 1968 में कारखाने का दौरा किया था । इस दल की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और क्रमशः कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ग) और (घ). कंपनी ने हल्दिया में एक अयस्क लदान कारखाना और एक कोयला लदान कारखाना लगाने के लिए एक ठेका लिया है । इस ठेके में समस्त और विभागवार ले-आउट के साथ-साथ कई उपकरणों का निर्माण भी सम्मिलित है, यथा, डिब्बा उलटाने वाले, कोयले और अयस्कों का चट्टा लगाने वाले अयस्क इकट्ठा करने वाले बर्तन, तथा एक विशेष किस्म के वाहक उपकरण तथा सम्बद्ध वैद्युतिक उपकरण 1971 के मध्य में कार्य को पूरा करने की समय सूची को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने कार्य के एक भाग को आगे ठेके पर देने के लिये कार्यवाही की है । जहां तक कम्पनी द्वारा किये जाने वाले कार्य का प्रश्न है, डिजाइनों और ड्राइंगों के तैयार करने तथा आवश्यक कच्चे मालों तथा संघटकों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

लाइन पर रेल सेवा का अस्त-व्यस्त हो जाना

*46. **श्री क० लकप्पा :**
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 जनवरी, 1970 को हावड़ा-बर्दवान लाइन पर कई घंटों के लिये गाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो रेल सेवा कितने समय तक बन्द रही ; और

(ग) नियमित रेल सेवा के अस्त-व्यस्त हो जाने के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (श्री गुलजारी लाल नन्दा) : (क) और (ख). जी हां । 8-43 बजे से 11-12 बजे तक और फिर 13-38 बजे से 17-30 बजे तक अर्थात कुल 6 घंटे तक ।

(ग) पहले मानकुंडू स्टेशन पर यात्रियों और चावल-तस्करों के बीच मुठभेड़ होने के कारण और बाद में मोटरमैनों द्वारा उस खण्ड पर तब तक उपनगरीय गाड़ियां चलाने से इंकार करने के कारण जब तक कि कथित चावल-तस्करी के आरोप में हावड़ा स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया मोटरमैन बिना शर्त न छोड़ दिया जाये ।

स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस

*47. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन पार्टियों को स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) कौन-कौन से कारखाने स्कूटर बना रहे हैं, उनकी क्षमता कितनी है तथा वास्तव में प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है ;

(ग) लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन पड़े हैं ;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इससे क्या अतिरिक्त लाभ होंगे ;

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

Statement

(a) The following parties are licensed for the manufacture of scooters :

1. M/s Automobile Products (I) Pvt. Ltd., Bombay-78
2. M/s Bajaj Auto Ltd., Poona-19
3. M/s Enfield India Ltd., Madras-19
4. M/s Escorts Ltd., Faridabad (Haryana)

Earlier, M/s Ideal Jawa Ltd. Mysore had also been licensed for the manufacture of scooters within their licenced capacity for Motor Cycles. However, since they did not take any steps to take up the manufacture of scooters, this item has been deleted from their industrial licence on the 26th Dec. 1969.

(b) Name of the firm	Licensed capacity for scooters (including three wheelers)	Production Yearwise of Scooters 1966 Nos.	1967 Nos.	1968 Nos.	1969 Nos.
1. M/s Automobile Products (I) Ltd.	24,000 Nos. per annum	8,632	13,270	16,367	22,372
2. M/s Bajaj Auto Ltd.	24,000 Nos. Per annum	10,389	15,982	19,040	26,431
3. M/s Enfield India Ltd.	6,000 Nos. per annum	1,950	1,050	545	377
4. M/s Escorts Ltd. Faridabad	6,000 Nos. per annum (including Motor Cycles)	—	—	—	*90
Total	65,000	20,971	30,302	35,952	49,270

* Production commenced only from September, 1969.

(c) Twenty seven.

(d) Yes, Sir.

(e) The intention is to set up a project in the public sector of an economic capacity for the manufacture of scooters based on an indigenous design.

The establishment of such a public sector project will, it is expected, result in larger availability of scooters to cope with the growing demand at a relatively cheaper price.

बाल कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति

*48. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बच्चों की आवश्यकताओं पर एकीकृत दृष्टिकोण लेने के उद्देश्य से बाल कल्याण सम्बन्धी उच्चस्तरीय राष्ट्रीय समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) इस समिति का अध्यक्ष तथा सदस्य कौन-कौन व्यक्ति होंगे ; और

(घ) क्या इस समिति में राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). बच्चों की आवश्यकताओं पर इकट्ठा विचार करने के लिये बाल कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति करने के प्रश्न पर यह विभाग सक्रिय विचार कर रहा है। समिति के गठन पर, जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व भी शामिल है, विचार किया जा रहा है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

*49. **श्री जे० अहमद :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री स० कुन्दू :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गम्भीर श्रमिक झगड़ों के कारण रूरकेला इस्पात संयंत्र के कार्य पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों ने कार्य मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हाल में इस्पात कारखाने के कोक भट्ठी और उष्मसह विभागों में श्रमिक अशांति हुई थी जिससे कारखाने के उत्पादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) और (ग). जी, नहीं। जहां तक कोक भट्ठी विभाग के मजदूरों की मांगों का प्रश्न है कारखाने के प्रबन्धक वर्ग ने कार्य-मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन पूरा कर लिया है और उसके परिणामों के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त यूनियन से बातचीत चल रही है। जहां तक ऊष्मसह विभाग के मजदूरों की मांगों का प्रश्न है, 24 जनवरी, 1970 को एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है जिसके अनुसार यह तय हुआ कि स्थिति सामान्य होने के बाद इस मामले पर दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श किया जायेगा।

Amendment of Election Law

*50. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the changes proposed to be made in the Election Law by the Election Commission and the time by which these changes would be made ;

(b) whether Government have had discussions with the political parties in this connection ; and

(c) if so, their reactions thereto ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) Two statements containing the main recommendations of the Election Commission are placed on the Table of the House. They are being examined by the Government. **[Placed in Library. See No. LT 2566/70.]**

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध कम्पनियों का बन्द होना

*51. **श्री भगवान दास :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध 39 कम्पनियों ने देश भर में सितम्बर, 1969 में काम बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 1969 में कुल कितनी कम्पनियां बन्द हुयीं;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि कम्पनियां सुचारु रूप से काम करती रहें सरकार किसी विशेष कार्यक्रम पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इन कम्पनियों की बाबत ब्योरे, सदन के पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र में दिये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2567/70]**

(ग) 1969 के वर्ष के मध्य, सूचित, कार्य बन्द कर देने वाली कम्पनियों की कुल संख्या 528 थी ।

(घ) तथा (ङ). कम्पनी कार्य विभाग, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत बहुत-सी कम्पनियों के लेखे की किताबों के निरीक्षण का गठन प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक रूप से इस दृष्टि से करना है कि उनके कार्य-कलापों में पाई जानी वाली किसी भी त्रुटि को प्रबंध के ध्यान में लाया जा सके । कोई अशांतिकारी उल्लक्षण नोटिस में आने पर कम्पनी विधि बोर्ड, उन पर चिन्तनीय विचार करता है, व इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही करता है ।

हावड़ा-दिल्ली ट्रंक मार्ग का विद्युतीकरण

*52. **श्री मु० कु० तापड़िया :**

श्री न० रा० देवघरे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-दिल्ली ट्रंक मार्ग, जिस पर राजधानी एक्सप्रेस चलती है, का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग के किस भाग का विद्युतीकरण किया गया है और किस भाग का नहीं किया गया है;

(ग) इस मार्ग के विद्युतीकरण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस लक्ष्य की संभवतः कब तक पूर्ति हो जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). हावड़ा से कानपुर तक के खण्ड का 25 किलोवाट ए० सी० प्रणाली पर बिजलीकरण पहले ही किया जा चुका है । कानपुर-टूंडला खण्ड के बिजलीकरण का काम जारी है और 1970-71 के वर्ष में पूरे हो जाने की संभावना है । शेष भाग अर्थात् दिल्ली-टूंडला खण्ड का बिजलीकरण करने के लिये इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किये जाने वाले बिजलीकरण के कार्यक्रम में अस्थायी रूप से शामिल कर लिया गया है । इस काम को हाथ में लेने का निर्णय इस परियोजना के आर्थिक अध्ययन, जो इस समय किया जा रहा है, के पूरे हो जाने के बाद किया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में विदेशी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के महासचिव का कथित वक्तव्य

*53. **श्री अजमल खां :**

श्री सी० मुत्तुस्वामी :

श्री गु० च० नायक :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के महासचिव श्री पी० सुन्दुरैया द्वारा कलकत्ता में दिनांक 5 जनवरी, 1970 को दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने पश्चिम बंगाल में सभी विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) के जनरल सेक्रेटरी श्री पी० सुन्दुरैया का यह कथित वक्तव्य कि संयुक्त विधायक दल सरकार (यूनाइटिड फ्रंट सरकार) ने पश्चिमी बंगाल में सभी विदेशी फर्मों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया है, समाचार-पत्रों में छपा है ।

(ख) राज्य सरकार से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है ।

मताधिकार के लिये आयु को कम करना और निर्वाचन विधि में संशोधन

*54. **श्री नम्बियार :** **श्री के० एम० अब्राहम :**

श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मताधिकार आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन के सम्बन्ध में न्यायालयों में लाये गये मामलों का सामना करने के लिये सरकार निर्वाचन विधि में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इटली के सहयोग से पंजाब में "बेबी स्कूटर" कारखाने की स्थापना

*55. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली के सहयोग से पंजाब में एक "बेबी स्कूटर" कारखाने की स्थापना की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसके आरम्भ हो जाने की संभावना है और इस परियोजना का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसा पता चला है कि पंजाब सरकार ने अपने राज्य में स्कूटरों/मोपे बनाने में रुचि दिखाई है। तथापि अभी तक इस आशय का कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा लघु-उद्योगों के लिये सहायता

*56. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु-उद्योगों के विकास में सहायता देने के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये उद्योग कौन-कौन से हैं और कहां-कहां हैं;

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायेगी; और

(घ) क्या प्रस्तावित उद्योग निर्यात-प्रधान है अथवा इनका माल देश में ही खपत के लिये होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

समाज-कल्याण विभाग के पदों के लिये भर्ती-नियम

*57. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **विधि तथा समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज-कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों के लिये भर्ती-नियम बनाने गये हैं :

(एक) परामर्शदाता, समाज-कल्याण

(दो) सचिव, केन्द्रीय-समाज-कल्याण बोर्ड

(तीन) निदेशक, सुधार-कार्य-विभाग

(चार) निदेशक, समाज-कल्याण तथा पुनर्वास;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इन नियमों को अनुमोदित कर दिया है;

(ग) क्या इन नियमों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो भर्ती के नियम कब बनाये जायेंगे ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) से (ग). परामर्शदाता (समाज-कल्याण) के पद के लिये भर्ती के नियम संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके बना लिये गये हैं। उनकी एक प्रति सदन के पटल पर रखी जा रही है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2568/69]** अन्य पदों के लिये भर्ती के नियम अब तक नहीं बनाये गये हैं।

(घ) शेष भर्ती के नियमों को बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

पोलिस्टर फाइबर कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया जाना

*58. **श्री अब्दुल गनीदार :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 2 दिसम्बर, 1969 के औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 348 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस पार्टी या समवाय का नाम क्या है जिसे एक पोलिस्टर फाइबर कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया था तथा लाइसेंस की मंजूरी की तिथि क्या है;

(ख) उस पार्टी या समवाय ने उक्त लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र कब दिया था ;

(ग) क्या उस पार्टी न आवेदन-पत्र सीधे भेजा था अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से ; और

(घ) यदि आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भेजा गया था तो उक्त सरकार ने वस्तुतः क्यां सिफारिश की थी तथा सिफारिश किस तिथि को की गई थो ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिनांक 2-12-1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 348 के उत्तर में यह बतलाया गया है कि 1-1-1969 से 31-10-1969 तक की अवधि में पोलिस्टर फाइबर संयंत्र की स्थापना हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, केवल उत्तर प्रदेश में एक ऐसे संयंत्र की स्थापना के

लिए एक 'आशय पत्र' जारी किया गया है। संभवतः माननीय सदस्य को इस "आशय पत्र" के विषय में सूचना अपेक्षित है। अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

(क) 24 जुलाई 1969 को मेसर्स काटन मिल्स लिमिटेड कानपुर को एक आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

(ख) आवेदन पत्र की तारीख 1-1-1968 को प्रेषित किया गया था और 4-1-1968 को प्राप्त हुआ।

(ग) और (घ). आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं भेजा गया था सीधे आवेदक ने ही भेजा था। लाइसेंस आवेदन पत्रों पर विचार करने की प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार से 5-1-1968 को उनके विचार प्रेषित करने के लिए भेज दिया गया। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 30-11-68 में इस आवेदन पत्र पर लाइसेंस दिये जाने की जोर दार सिफारिश की।

Advisory Boards and Committees under Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs

*59. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of advisory boards, committees, autonomous bodies under his Ministry or otherwise controlled by it;

(b) the functions of each of them and the total annual expenditure incurred on each of them;

(c) whether the senior and junior officials of his Ministry are entirely dependent upon the advice tendered by the above agencies, and make no contribution of their own ;

(d) whether Government propose to reduce the number of posts of senior officers in the same proportion ; and

(e) the reasons for incurring double expenditure ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(c) No, Sir.

(d) and (e). Do not arise.

भारत द्वारा ईराक और सीरिया में रेलवे लाइन का निर्माण

*60. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा ईराक और सीरिया में रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई वार्ता हाल में भारत तथा इन देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या भारतीय विशेषज्ञों ने एक ऐसी ही परियोजना के लिये सीरिया सरकार को अपना सम्भाव्यता प्रतिवेदन दे दिया हैं; और यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और परियोजना को आरम्भ करने की क्या सम्भावनाएं हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). ईराक में 400 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन के लिए प्रारम्भिक व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन के सम्बन्ध में, जनवरी, 1970 में विदेशी व्यापार मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने ईराकी सरकार के प्रतिनिधिमण्डल के साथ विचार-विमर्श किया था। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप यह निश्चित हुआ कि यह अध्ययन भारतीय रेलवे दलों द्वारा किया जायेगा और इस काम के लिए शीघ्र ही उनकी प्रतिनियुक्ति की जायेगी। इस अध्ययन में लगभग 4 महीने लगेंगे। सीरिया सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हाल में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

(ग) जी हां। भारतीय विशेषज्ञों द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर राज्य व्यापार निगम ने सीरिया सरकार को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर वह अभी विचार कर रही है।

दक्षिण रेलवे की समय-सारिणी में गलतियां

201. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की समय-सारिणी के बारे में कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उसमें नक्शे गायब हैं और समय-सार आदि भी नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). दक्षिण रेल प्रशासन को शिकायतें मिली हैं लेकिन ये शिकायतें रेलवे के नक्शे शामिल न करने के बारे में नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय समय-सारणी में से उनकी रेलवे के स्टेशनों से शुरू होने वाली और उन स्टेशनों पर समाप्त होने वाली 'डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों की संक्षिप्त समय सारणी" को शामिल न करने के बारे में हैं। चूंकि भारत के महत्वपूर्ण नगरों के बीच सीधे जाने वाली और मेल लेने वाली गाड़ियों की संक्षिप्त समय सारणी के अलावा दक्षिण रेलवे की समय-सारणी में शामिल "डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों की संक्षिप्त समय-सारिणी" में दी जाने वाली सूचना अलग से आवश्यक नहीं समझी गयी, इसलिये 1-4-67 से इसे समय सारणी में से निकाल दिया गया और दूसरी सूचना को अन्य रेलों की समय सारणियों के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली परिपाटियों के अनुसार तथा उस सीमा तक हुई हानि को कम करने के लिये बरकरार रखा गया।

दक्षिण रेलवे की समय सारणी में, जो 1-10-69 से लागू हुई थी, केवल एक क्षेत्रीय मार्ग नक्शा (सामान्य नक्शे के बदले जिसके एक तरफ क्षेत्रीय रेलवे और दूसरी तरफ अखिल भारतीय रेलवे का नक्शा होता है) रेलों की क्षेत्रीय समय-सारणी समिति के परामर्श से परीक्षण के तौर पर शामिल कर लिया गया था और समय-सारणी की कीमत 5 पैसे कम कर दी गयी थी। पूरे

मान के नक्शे, जिनके एक तरफ क्षेत्रीय रेलवे और दूसरी तरफ अखिल भारतीय रेलवे दिखाई गयी थी, एक पृथक प्रकाशन के रूप में बिक्री के लिए सुलभ थे । यह प्रयोग असफल सिद्ध होने पर अब यह विनिश्चय किया गया है कि 1-4-1970 से अन्य क्षेत्रीय रेलों दक्षिण की समय-सारणियों की तरह रेलवे की समय-सारणी में सामान्य नक्शा शामिल कर लिया जाये ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा भारी कृषि मशीनरी का निर्माण

202. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कृषि से संबंधित भारी मशीनें बना रहा है अथवा बनाने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपने पिन्जौर (हरियाणा) एकक में 12,000 नग प्रतिवर्ष की क्षमता से 20 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों के उत्पादन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । प्रस्ताव पर इस समय सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

खलीलपुर ओग गढ़ी हरसरु (उत्तर रेलवे) के बीच दोहरी लाइन बिछाना

203. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में मीटर गेज सेक्शन पर खलीलपुर और गढ़ी हरसरु के बीच दोहरी लाइन बिछाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई का परिसमापन

204. **श्री राम चरण** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स देवीदयाल ट्यूब इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई का परिसमापन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खातेदारों को नियत अवधि जमा राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ग) उक्त राशि की अदायगी कब तक हो जायेगी ; और

(घ) क्या सरकार उक्त फर्म के पास गत तीन वर्षों में धन जमा करने वाले लोगों के नाम और उनकी राशि को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् । कम्पनी को, बम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक, 20 सितम्बर, 1968 के आदेश से परिसमापन आदेश दिये गये थे ।

(ख) कम्पनी के अनेक जमाकर्ताओं के दावों की परीक्षा/जांच-पड़ताल हो जाने तथा कम्पनी को परिसम्पत्तियों के वसूल हो जाने के पश्चात् सरकारी समापक बम्बई द्वारा कम्पनी के जमाकर्ताओं को उनके सावधि निक्षेप धन, वापिस करने के लिये आवश्यक पग उठाये जायेंगे ।

(ग) उस समय को ठीक ठीक रूप से बताना संभव नहीं होगा, जिसको, सावधि जमा-कर्ताओं (जो साधारणतः अन्य सामान्य जमाकर्ताओं की कोटि में रखे गये हैं) की राशि, उन्हें वापिस मिल जायेगी । चूंकि यह विषय बम्बई उच्च न्यायालय के अन्तर्गत है, अतः सरकारी समापक को न्यायालय के निदेशनों के अनुसार कार्यवाही करनी है ।

(घ) कम्पनी के 30-6-1967 को वर्ष समाप्ति के लेखा-परीक्षित, लेखे के अनुसार इसके द्वारा लिये गये व देय दिखाये गये सावधि निक्षेपों की राशि, 15,05,796 रु० है । कम्पनी को जमा की गई राशि सहित, जमाकर्ताओं के नाम बताते हुये, विवरण-पत्र प्रस्तुत करना संभव नहीं है, क्योंकि यह विषय बम्बई उच्च न्यायालय के अन्तर्गत है तथा सरकारी समापक को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 454 के अन्तर्गत निदेशकों द्वारा भेजे गये, कार्य-कलापों के विवरण पत्र सहित, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है । न्यायालय के समक्ष समापक की रिपोर्ट तथा विवरण-पत्र में, जमा धन के ब्यौरे भी सम्मिलित होंगे ।

मध्य और पश्चिमी रेलों में यात्रा करने की हालत तथा किरायों में वृद्धि

205. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धुनगर सोशल वैल्फेयर सर्किल, उल्हासनगर से मध्य तथा पश्चिमी रेलों में यात्रा की हालत तथा किरायों में वृद्धि के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि उपरोक्त (ग) भाग का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) सिन्धुनगर सोशल एण्ड वैल्फेयर सर्किल, उल्हासनगर ने अपने अभ्यावेदन में कहा था कि पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किराये में हाल में की गई वृद्धि, विशेषकर बम्बई क्षेत्र के दैनिक यात्रियों के सम्बन्ध में, पूर्णतः अनौचित्यपूर्ण थी । उसने सुझाव दिया कि पहले दर्जे के

मासिक सीजन टिकट का किराया बढ़ाने की अपेक्षा स्कूल/कालेजों के रियायती पासों को वापस ले लेना समस्या का सर्वोत्तम हल होता। सर्किल ने अपने अभ्यावेदन में यह भी कहा कि यद्यपि पहले दर्जे के किरायों में बार-बार संशोधन किया जाता है, तथापि यात्रियों को उचित सुविधाएं नहीं दी जातीं ; गाड़ियों के डिब्बे गन्दे रहते हैं, पंखे कभी-कभार ही चालू हालत में होते हैं, खिड़कियां काम नहीं देती और गद्दों की हालत भी कोई अच्छी नहीं होती।

(ग) इस मामले की जांच की गयी थी और माननीय सदस्य को रेल मंत्री के 4-2-1970 के पत्र सं० टी० सी०-II/2001/69/एन० आर० यू० सी० सी०/4(I) में स्थिति बतायी गयी थी। इस पत्र में बताया गया था कि पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किराये में 1-10-1969 से प्रभावी वृद्धि रेल परिचालन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए अनिवार्य थी ; विद्यार्थियों को दी गई रियायत को बन्द करना वांछनीय नहीं समझा जाता और रेल प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हिदायतें हैं कि डिब्बे साफ रखे जायें और रोशनी, पंखे तथा फिटिंग चालू हालत में रहे।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुये सवाल नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के प्रकाशमान संकेत

206. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के प्रकाशमान संकेतों के लिये भारतीय रेलवे के प्रचार प्रतिनिधि श्री डी० एस० मित्तल और आकाशवाणी बम्बई को एक क्रयादेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह क्रयादेश कुल कितनी राशि का है ;

(ग) क्या इसके लिये टेंडर मांगे गये थे ; और

(घ) क्या श्री मित्तल ने क्रयादेश पूरा कर दिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। लेकिन पश्चिम रेलवे ने श्री डी० एस० मित्तल को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के प्रकाशमान संकेतों के विज्ञापनों को बुक करने की अनुमति दी थी।

(ख) 53,735 रुपये।

(ग) जी नहीं। आम तौर से विज्ञापन के ठेके निर्धारित दरों पर "पहले आये, पहले पाये" के सिद्धान्त पर स्वीकार किये जाते हैं।

(घ) जी हां।

श्रीनगर स्थित सीमेंट के कारखाने में पूंजी लगाना

207. **श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर स्थित सीमेंट के कारखाने में सरकार की कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) इस कारखाने की प्रतिदिन की निर्धारित क्षमता कितनी है, वास्तव में प्रतिदिन कितना उत्पादन होता है तथा सीमेंट का प्रतिदिन कितना उत्पादन होता है ;

(ग) क्या यह सच है कि उस कारखाने में लुआनी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जिसमें सीमेंट लगाने के लिये कोयले की बजाय तेल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि काश्मीर में सही किस्म का कोयला नहीं मिलता ; और यदि हां, तो कारखाना चलाने के लिये भारत से प्रतिवर्ष कितना और कितने मूल्य का तेल लिया जाता है ; और

(घ) क्या यह सच है कि कार्य अकुशलता तथा अलाभप्रद मूल्यों के कारण कारखाने को घाटा हुआ है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कुल कितना घाटा हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मे० जे० एण्ड के मिनरल्स लि० श्रीनगर की वोयन सीमेंट फैक्टरी पूर्ण रूपेण जम्मू और कश्मीर सरकार के स्वामित्व में है। इस फैक्टरी की कुल नियोजित पूंजी 169 लाख रुपये है।

(ख) निर्धारित क्षमता	60 टनीज प्रतिदिन
औसत उत्पादन	20 से 40 मीटर प्रतिदिन
बिक्री मूल्य	394 रु० प्रति टन

(ग) लुदगी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जिसमें हल्का डीजल तेल तथा कोयले का ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है।

हल्के डीजल आयल का मूल्य 571 रुपया प्रति कि० लीटर

वार्षिक आवश्यक (मांग) 750 किलो लीटर

(घ) अलाभ के कार्य संचालन के फलस्वरूप निम्नलिखित हानि हुई है :

1966-67	1.97 लाख रुपये की हानि (लेखा परीक्षाधीन)
1967-68	1.92 ,, ,, ,, ,,
1968-69	लेखा तैयार किया जा रहा है

Children Adopted by Indians and Foreigners

208. **Shri Baburao Patel :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of children adopted by Indian and foreign parents from orphanages and foster homes during the last three years, State-wise ;

(b) the total number of children taken abroad in three years by each foreign country and the total number waiting to be adopted ;

(c) the reasons why the Delhi Social Welfare Board issued a directive recently asking the remand homes not to release children for adoption if they were to be taken abroad ; and

(d) whether it is a fact that these orphan children are adopted by Christian mission or their agents ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). The Government have no information.

(c) No such directive was issued by the Delhi Social Welfare Advisory Board who have no remand homes under their administration.

(d) The Government have no information. The existing law does not recognise the adoption of children by Non-Hindus.

Part Payment of Overtime Allowance to Assistant Station Master of Allahabad Division (Northern Railway)

209. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3357 on the 9th December, 1969 regarding part payment of overtime allowance to A. S. Ms. of Allahabad Division and state :

(a) whether the required information has since been collected and if so, the details thereof ; and

(b) if not, the reasons for this unusual delay and what are those points relating to Overtime Allowance due to which the collection of information is being delayed ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes. A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L,T.-2569/70.]**

(b) Does not arise.

Sharing of expenditure on Police arrangements during Elections to Parliament and State Legislative Assemblies

210. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have received information regarding a proposal being placed before the Southern Zonal Council on behalf of Kerala, Tamil Nadu and some other State Governments that during elections to Parliament and State Legislative Assemblies, the expenditure to be incurred on Police arrangements may be shared equally by the State and Central Governments ; and

(b) if so, the action taken by Government in this respect and the decision, if any, taken to share the expenditure to be incurred on police arrangements in this connection by the Centre and the State Governments equally ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). A proposal for the sharing between the Central Government and State Governments of expenditure on police arrangements during elections to Parliament and State Legislative Assemblies was made by the Governments of Andhra Pradesh, Kerala, Mysore and Tamil Nadu at the meeting of the Southern Zonal Council held at Bangalore on 6th January, 1970. The matter is under consideration.

औद्योगिक माल के मूल्यों के बारे में सलाह देने के लिये तालिका

211. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री नारायणन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त : **श्री मयाबन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दण्डपाणि :**
श्री सामिनाथन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औद्योगिक माल के मूल्यों के बारे में सलाह देने के लिये एक तालिका नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उस तालिका के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) तालिका के अधिकार क्या होंगे ; और

(घ) तालिका की नियुक्ति से सरकार को क्या सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने औद्योगिक लागतों तथा मूल्यों का एक आयोग गठित करने का निश्चय किया है न कि औद्योगिक मूल्यों की तालिका का।

(ख) आयोग सम्बन्धी अभी कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

(ग) अपने विचार के लिये एकत्रित की जाने वाली आवश्यक विषय का आयोग के अधिकार, आयोग गठित करने सम्बन्धी संकल्प में जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जा रही है, में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2570/70]**

(घ) आयोग द्वारा सरकार को दी जाने वाली सलाह विषयक एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विदेशों में इस्पात कारखानों का लगाया जाना

212. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री मयाबन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दण्डपाणि :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री सामिनाथन : **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री नारायणन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के सहयोग से विदेशों में इस्पात के कारखाने लगाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) भारत तथा रूस का विचार किन देशों में इस्पात के कारखाने लगाने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) रूसी सहयोग से विदेशों में इस्पात कारखाना लगाने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है परन्तु अवसर मिलने पर रूस के साथ मिलकर अन्य देशों में कारखाने लगाने की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

कागज बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में निगम की स्थापना

213. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री नारायणन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री मयावन :**
श्री सामिनाथन : **श्री दण्डपाणि :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक निगम बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने नियंत्रण हटाये जाने के बाद भी कागज उद्योग के व्यवहार के बहुत असहयोगपूर्ण बताया है ।

(ग) क्या विनियंत्रण के बाद भी इसकी कीमतों में दो बार वृद्धि हुई है ; और

(घ) यह निगम कब तक कागज बनाने का कार्य आरम्भ करेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कागज के निर्माण के लिये एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया है ।

(ख) कागज उद्योग को बता दिया गया है कि सरकार से पूर्व परामर्श किये बिना कागज के मूल्यों में और वृद्धि न करे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) आशा है कि निगम आगामी वित्तीय वर्ष में कागज निर्माण के लिये कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वियन का काम प्रारम्भ कर देगा । सामान्यतः किसी नए कागज के कारखाने को स्थापित करने में लगभग 3 से 4 वर्ष समय लग जाता है ।

संसद तथा राज्य विधान सभाओं में उप-निर्वाचनों को स्थगित किया जाना

214. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री मयावन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दण्डपाणि :**
श्री सामिनाथन : **श्री बलराज मधोक :**
श्री नारायणन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद तथा विधान सभाओं के उप-निर्वाचनों को स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये निर्वाचन कब कराये जाएंगे ;

(ग) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कितने उप निर्वाचन कराये जाएंगे ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जी नहीं ; देश में सारे निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण जिनमें वे निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां उप-निर्वाचन लम्बित है, हो चुका है और उनका अन्तिमरूप से प्रकाशन 15-1-1970 को कर दिया गया है ; जो उप निर्वाचन लम्बित हैं उनके सम्बन्ध में कार्रवाई की जाएगी और वे यथासम्भव शीघ्र पूरे कर दिये जाएंगे ।

(ग) निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस पुनरीक्षण के होने के दौरान कुछ उप-निर्वाचन न कराने का विनिश्चय किया ।

(घ) लम्बित उप-निर्वाचनों को दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है (उपाबन्ध) ।

विवरण

लम्बित उप-निर्वाचनों की सूची

लोक सभा :

1. मध्य प्रदेश में दुर्ग
2. महाराष्ट्र में बुल्डाना
3. उत्तर प्रदेश में गोरखपुर
4. उत्तर प्रदेश में मथुरा
5. पंजाब में गुरुदासपुर

राज्य सभा :

1. मैसूर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
2. हरियाणा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा

विधान सभाएं :

1. आसाम में ढोलाई
2. आसाम में जोवाई (अनुसूचित जन जाति)
3. आसाम में शिलांग
4. आसाम में नांगपोह (अनुसूचित जन जाति)
5. आसाम में नागस्त्वाएन (अनुसूचित जन जाति)
6. आसाम में चीरापूंजी (अनुसूचित जन जाति)
7. आसाम में बाघमारे (अनुसूचित जन जाति)
8. आसाम में दायनाडूबी (अनुसूचित जन जाति)
9. आसाम में तूरे (अनुसूचित जन जाति)

10. आसाम में फूल बाड़ी (अनुसूचित जन जाति)
11. आन्ध्र प्रदेश में खैराताबाद
12. बिहार में रामगढ़
13. हरियाणा में एलनाबाद
14. हरियाणा में पलवल
15. जम्मू-कश्मीर में वेरीनाग
16. जम्मू-कश्मीर में पमपारे
17. जम्मू-कश्मीर में रामगढ़
18. केरल में नीलाम्बर
19. केरल में मादायी
20. केरल में कोट्टारकरा
21. मध्य प्रदेश में मुरवारा
22. मध्य प्रदेश में नीमच
23. मध्य प्रदेश में नारीसिंगढ़
24. मध्य प्रदेश में गरोथ
25. मध्य प्रदेश में विदिशा
26. मैसूर में होस्पेट
27. मैसूर में हुनगुण्ड
28. राजस्थान में टोंक
29. राजस्थान में नसीराबाद
30. तमिल नाडु में पेरुनदुराए
31. तमिल नाडु में कोलाचेल
32. तमिल नाडु में चेरामहादेवी

बम्बई में जनवरी, 1970 में हुआ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन

215. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सामिनाथन :
श्री नारायणन :
श्री मयाबन :
श्री दण्डपाणि :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री न० कु० सांघी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री वि० नरसिम्हाराव :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1970 को बम्बई में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी और उसमें क्या सिफारिशें की गईं ; और

(ग) सरकार ने इनमें से किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चित विषयों और उसमें की गई सिफारिशों को दर्शाने वाले दो विवरण सदन के पटल पर रखे जाते हैं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-2571/70]**

(ग) सरकार द्वारा सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति के सम्बन्ध में दत्त समिति के प्रतिवेदन पर बाद की कार्यवाही

216. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री नारायणन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री मयावन :**
श्री सामिनाथन : **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति के संबंध में दत्त समिति की सिफारिशों पर बाद की कार्यवाही करने में विलम्ब हो गया है और इसमें कुछ और महीने का विलम्ब भी हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस विलम्ब के कारण निकट भविष्य में तेजी से औद्योगिक विकास करने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है ;

(घ) क्या औद्योगिक नीति के बारे में सरकार में मतभेद के कारण यह विलम्ब हुआ है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि आन्तरिक तथा निर्यात व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लगभग 40 औद्योगिक कारखानों में विस्तार करना अपेक्षित है और क्या इसका निर्माण करने वाले कारखानों का पता लगा लिया गया है परन्तु उसमें विस्तार के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है और प्रार्थना-पत्र काफी समय से अनिर्णीत पड़े हुये हैं ; और

(च) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जी नहीं । सरकार ने 18 फरवरी, 1970 को ही औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों तथा निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति से सम्बन्धित अपने निर्णय को घोषित कर दिया है । चूंकि समिति की सिफा-

रिशों की विवक्षा दूरगामी है, अतः उन पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, योजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से जिनमें केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद्, औद्योगिक विकास विभाग की संसदीय परामर्श दात्री समिति तथा अन्य सम्मिलित हैं के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय लिया गया है।

(ग) तथा (घ). जी नहीं।

(ङ) तथा (च). विदेशी व्यापार मंत्रालय औद्योगिक ऐसे एककों तथा उत्पादों के निर्यात की गति को प्रोत्साहन देने हेतु क्षमता में विस्तार करने की आवश्यकता है। क्षमता के विस्तारार्थ इस मंत्रालय में कुछ आवेदन प्राप्त भी हुये हैं जो अभी तक विचाराधीन हैं। विदेशी व्यापार मंत्रालय द्वारा इन आवेदन-पत्रों पर विचार कर लेने के पश्चात् इन पर लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

Loknathan Committee Report on Small Scale Industries

217. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Deven Sen : **Shri Atam Das :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Loknathan Committee on Small Scale Industries ;

(b) if so, the main recommendations made therein ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The main recommendations relate to achievement of healthy and balanced development of small scale and large scale industries; reservation of most of the consumer goods industries for small scale sector, cancellation of delicensing in respect of such items; encouragement of sub-contracting and ancillary units in the small scale sector; treatment of the small scale sector as priority sector of economy and allocation of foreign exchange and scarce indigenous raw materials in proportion to the contribution of this sector to the total industrial production and employment; earmarking of production of large units of technical materials and intermediates for use of small scale units; strengthening of the capital base of small scale units; effective co-ordination in SSIDO and DGTD to promote the co-ordinated development of both sectors; strengthening of the SSIDO and the State Directorates of Industries; preferential treatment to small scale industries in levy of excise duties, special assistance to this sector to develop exports; and collection of statistics on a regular and continuing basis and compulsory registration of small scale units employing five workers or more.

(c) The Committee's recommendations are under consideration.

Loss to Hindustan Steel Ltd.

218. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Mohan Swarup :
Shri B. K. Das Chowdhury :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Kartik Oraon :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Lakhan Lal Kapoor :
Shri Mangla Thumadam :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri S. K. Sambhandan :

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Steel Ltd. has suffered loss to the tune of about Rupees forty crores during the year 1968-69 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps Government propose to take for streamlining the working of this undertaking and to check the loss ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) Hindustan Steel sustained a net loss of Rs. 399.17 million during 1968-69 after providing Rs. 598.42 million towards depreciation and Rs. 274.58 million towards payment of interest on Government loans.

(b) The various factors responsible for the losses sustained by the Company were indicated in the Pamphlet entitled "Performance of Hindustan Steel Limited" placed on the Table of the House on 5th April, 1968.

(c) The measures taken to contain and reduce the losses and increase the efficiency of the Steel Plants have also been indicated in the Pamphlet referred to in (b) above. These are being pursued. Concerted efforts are also being made to step up production and to remove as speedily as possible the various impediments standing in its way. This should help to improve the working results of the Company.

Small Industries Commission

219. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri B. K. Daschowdhury :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Administrative Reforms Commission has recommended in one of its Reports that a Small Scale Industries Commission should be appointed in place of the present Small Scale Industries Board ;

(b) the other recommendations made in this connection ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhrnddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The other recommendations pertain to distribution of work on a functional basis between the Small Scale Industries Commission and the Khadi and Village Industries Commission ; Setting up of Inter-ministerial Committee to deal with problems of common interest ; and the continuance for some time of the Handicrafts Board the Handloom Board etc. as subsidiaries of the two Commissions in their respective fields.

(c) The matter is under the consideration of the Government.

स्टेशन पर कथित गुंडागर्दी

220. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री अदिचन :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : **डा० कर्णी सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 दिसम्बर, 1969 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बम्बई में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन के लिये प्रतिनिधियों को ले जाने वाली विशेष रेलगाड़ी को रेलवे अधिकारियों ने प्रतिनिधियों द्वारा धन की अदायगी न किये जाने के कारण रोक लिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन प्रतिनिधियों ने रेलवे कार्यालयों में हंगामा मचाया तथा कर्मचारियों के साथ हाथापाई की और रजिस्टरों, रिकार्ड तथा कागजों को उठा कर फेंक दिया ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । कांग्रेस प्रतिनिधियों के बम्बई जाने के लिये 24-12-1969 को जिस विशेष गाड़ी का प्रबन्ध किया गया था वह 15-30 बजे (प्रस्थान के निर्धारित समय) से 22-15 बजे तक रुकी रही थी क्योंकि संयोजकों ने देय रकम का भुगतान नहीं किया था ।

(ख) गाड़ी रुकी रहने के कारण प्रतिनिधियों ने बेचैन होकर इसके बारे में व्यग्रतापूर्ण पूछ-ताछ की थी लेकिन किसी कर्मचारी के साथ हाथापाई नहीं की गई और न कोई हुल्लड़बाजी हुई ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

सहायक इंजीनियर और डिजाइन इंजीनियर का वेतन मानों को मिलना

221. **श्री कार्त्तिक उरांव :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक इन्जीनियरों और डिजाइन इन्जीनियरों का वेतन मान परस्पर मिला दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कुछ मामलों में सहायक इन्जीनियर को डिजाइन इंजीनियरों से, जिनके अधीन वे कार्य करते हैं, अधिक वेतन मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो इन वेतनमानों को मिलाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सहायक इन्जीनियरों और डिजाइन इन्जीनियरों के वेतन मान का विलय सभी सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में किया गया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची

222. **श्री कार्तिक उरांव : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि भारी इन्जीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची की परियोजनाएं उत्पादन कार्यक्रम से बहुत पीछे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनमें पूरा उत्पादन किस वर्ष तक आरम्भ हो जायेगा ;

(ग) प्रत्येक परियोजना में वर्ष 1969-70 का उत्पादन लक्ष्य कितना है ; और

(घ) दिसम्बर, 1969 तक महीनेवार कुल उत्पादन कितना था ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन कम हुआ है।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार भारी मशीन तथा निर्माण कारखाने में 1974-75 फाउण्ड्री फोर्ज कारखाने में 1977-78 और भारी उपयंत्रों के कारखाने में 1978-79 में निर्धारित क्षमता तक उत्पादन होने लगेगा।

(ग) प्रत्येक कारखाने के 1969-70 के उत्पादन लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :

(i) फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट	45384 टन
(ii) भारी मशीनें बनाने का कारखाना	27000 टन
(iii) भारी उपयंत्रों का कारखाना	41 उपयंत्र और ट्रैक्शन गियरों के 40 सेट

(घ) अप्रैल-दिसम्बर, 1969 की अवधि में तीनों कारखानों का वास्तविक उत्पादन नीचे दिखाया गया है :

	भारी मशीनें बनाने का कारखाना (टन)	फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट (टन)	भारी उपयंत्रों का कारखाना (उपयंत्रों की संख्या)
अप्रैल, 1969	2093.4	1852.93	1
मई, 1969	1814.0	2038.22	—
जून, 1969	2328.2	2564.19	2
जुलाई, 1969	2550.9	2490.64	1
अगस्त, 1969	2166.6	3294.32	—
सितम्बर, 1969	1923.9	2530.46	4
अक्तूबर, 1969	1639.7	1717.31	3
नवम्बर, 1969	1436.0	1734.37	2
दिसम्बर, 1969	2303.7	2121.30	3
जोड़	18256.4	20343.74	16

भारी इंजीनियरी निगम के बारे में "अनकही कहानी" नामक पुस्तक

223. **श्री कार्तिक उरांव : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारी इन्जीनियरी निगम लिमिटेड, रांची में नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामलों में की गई अनियमितताओं के बारे में "अनकही कहानी" शीर्षक वाली एक पुस्तिका की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस तरह की कोई पुस्तिका सरकार की नजर में नहीं आई है किन्तु भारी इंजीनियरी निगम के प्रबन्धकों ने बताया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अनकही कहानी नामक एक गुमनाम पुस्तिका लिखी है। इस पुस्तिका में भारी इंजीनियरी निगम के कुछ अधिकारियों पर अस्पष्ट आक्षेप लगाये गये हैं।

(ख) भारी इन्जीनियरी निगम के प्रबन्धक इस पुस्तिका के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझते ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रूसी प्रतिनिधिमण्डल की भारी इंजीनियरी निगम, रांची की यात्रा

224. **श्री कार्तिक उरांव :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रवि राय :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस का एक प्रतिनिधिमण्डल जनवरी, 1970 में भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में परामर्श सेवाओं के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची की उत्पादन क्षमता

225. **श्री चं० चु० देसाई : श्री पीलु मोडो :**
श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० रा० सिंह देव : श्री एन० शिवप्पा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची स्थित भारी इंजीनियरी निगम का वर्ष 1969-70 का कुल कितना मीटरी तथा कितने मूल्य का उत्पादन हुआ ;

(ख) अधिष्ठापित क्षमता में से कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ; और

(ग) निगम के पास किस अवधि तक के लिये क्रयादेश आये हुये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अप्रैल, 1969 से जनवरी, 1970 तक की अवधि में कम्पनी के विभिन्न कारखानों का उत्पादन इस प्रकार रहा :

(1) भारी मशीनें बनाने का कारखाना	20,572.4 टन, मूल्य 1163.23 लाख रुपये ।
(2) फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट	22,629.60 टन, मूल्य 421.37 लाख रुपये ।
(3) भारी उपयंत्र बनाने का कारखाना	19 उपयंत्र, मूल्य 36.85 लाख रुपये ।

(ख) इस प्रकार की प्रायोजनाओं को पूर्ण-क्षमता प्राप्त करने में काफी लंबा समय लगता है, क्योंकि कामगारों को भारी और आधुनिकतम प्रौद्योगिक उपकरणों और मशीनों को चलाने का काम सीखने और उसमें दक्षता प्राप्त करने में समय लगता है। कारखाने अभी निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं कर सके हैं। अन्ततः क्षमता, 1969-70 में अनुमानित उत्पादन तथा जनवरी, 1970 के अन्त तक की अवधि में वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है :

कारखाना	अन्ततः क्षमता	1969-70 में अनुमानित उत्पादन	अप्रैल 1969 से जनवरी, 1970 तक उत्पादन की अनुपाती क्षमता	अप्रैल 1969 से जनवरी, 1970 की अवधि में वास्तविक उत्पादन
भारी मशीनें बनाने का कारखाना	105,000 टन	27000 टन	22330 टन	20572.4 टन
फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	188,240 टन	45384 टन	35151 टन	22629.6 टन
भारी उपयंत्र बनाने का कारखाना	278 सं०	41 सं०	32 सं०	19 सं०

(ग) प्रत्येक कारखाने को मिले आर्डरों की स्थिति इस प्रकार है :

(1) **भारी मशीनें बनाने का कारखाना** : 1971-72 तक की अवधि के लिये आर्डर प्राप्त हैं। किन्तु संरचनात्मक संविरचन के लिये केवल 1970-71 के मध्य तक के लिये ही आर्डर हैं।

(2) **फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट** : 1970-71 के अन्त तक के लिये आर्डर हैं।

(3) **भारी उपयंत्र कारखाना** : 1971-72 के मध्य तक के लिये आर्डर प्राप्त हैं।

त्रिचूर रेलवे स्टेशन के लिये नया भवन

226. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री सी० के० चक्रपाणि** :
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री पी० पी० एस्थोस** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास त्रिचूर रेलवे स्टेशन के भवन में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि त्रिचूर के वर्तमान रेलवे स्टेशन का निर्माण 70 वर्ष पूर्व हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नये स्टेशन का निर्माण करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 3-4 महीनों में।

(ग) जी हां।

(घ) स्टेशन की वर्तमान इमारत के ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन किया जा रहा है।

Setting up of industries in Public Sector

227. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the various types of factories set up so far by the Government of India in the public sector, State-wise, and the cost involved on each of them ; and

(b) the names of places where such factories are proposed to be set up during the Fourth Five Year Plan and the cost likely to be involved on each of them ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Statement giving the list of the Central industrial projects State-wise set up so far has already been laid on the Table of House on the 13th November, 1968 in reply to starred question No, 61 regarding Central Industrial Projects by Shri Hardayal Devgun. This also gives the investment made on these projects during the Plan period 1951-68 and that required for the completion of these projects.

(b) The list of the central industrial projects to be set up during the Fourth Plan is indicated on pages 253 to 260 of the Draft Fourth Five Year Plan Report brought out by the Planning Commission. It also gives the investment to be made on these projects during the Fourth Plan period.

Godowns for Gohad Road, Soni and Bhind Stations (Central Railway)

228. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that necessary arrangements for godowns at the Railway stations of Gohad Road, Soni and Bhind of the Gwalior-Bhind narrow gauge line of the Central Railway have not been made ;

(b) whether it is also a fact that no shed has been provided for passengers under which they could take refuge in cold, sun and rains at the Gohad Road and Nonera Railway stations which are the main stations on this line ; and

(c) the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) A covered godown of size 108'×16' for storage of goods and a covered accommodation of size 10'×10' for storage of parcels have already been provided at Bhind Railway Station. No Godowns are provided at Gohad Road and Soni Railway Stations.

(b) IIIrd. class Waiting Hall accommodation measuring 20'×16' at Gohad Road and 13'×13' at Nonera Railway Stations already exists.

(c) While there is no justification for the provision of a godown at Soni Railway Station, the same will be provided at Gohad Road in future years' Works Programme as and when funds become available.

Provision of electricity at Residences of Railway Officers and Staff at Bhind Station (Central Railway)

229. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether electricity has been provided in the residences of the Railway Officers and employees at the Bhind City Railway station of the Gwalior-Bhind narrow-gauge Railway line of the Central Railway ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) It has not been possible to electrify these quarters so far due to paucity of funds.

गोरखपुर स्टेशन पर नौतनवा-गोरखपुर यात्री गाड़ी की एक माल गाड़ी से भिड़ंत

230. **श्री गणेश घोष :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री न० कु० सांघी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री जनेश्वर मिश्र :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री ई० के० नायनार :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री धी० ना० देब :
श्री पीलू मोडी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री सीताराम केसरी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री पी० राम मूर्ति :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जनवरी, 1970 को 8.20 म० पू० पूर्वोत्तर रेलवे पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के सामने नौतनवा-गोरखपुर यात्री गाड़ी की वहां शंट पर कर रही एक माल गाड़ी से टक्कर हो जाने के कारण कुछ लोग मारे गये थे तथा अन्य कई व्यक्ति घायल हो गये थे, जिनमें कुछ व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुये थे ;

(ख) क्या यह दुर्घटना इस बात के बावजूद हुई कि गोरखपुर स्टेशन पर आधुनिक स्वचालित सिगनल व्यवस्था है ;

(ग) यदि हां, तो इस दुर्घटना की पृष्ठभूमि तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या सहित इसका पूरा ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई थी और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ग). 17-1-70 को लगभग 8-12 बजे, जब पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्टेशन के माल विन्यास यार्ड से सवारी लाइनों के आर-पार गोंडा वाले सिरे की तरफ शंटिंग किया जा रहा था तो 196 डाउन नौतनवा-गोरखपुर सवारी गाड़ी यार्ड में घुस कर शंटिंग करती गाड़ी से टकरा गयी । इस दुर्घटना के फलस्वरूप, 7 व्यक्ति मारे गये और 29 घायल हुए, जिनमें से 17 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं ।

(ख) गोरखपुर स्टेशन पर स्वचल सिगनल नहीं लगे हैं । इस स्टेशन पर मानक 3 के अन्तर्पाश लगे हैं और यहां बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिगनलों तथा रंगीन एवं अवस्थित रोशनी वाले शंट सिगनलों की व्यवस्था है । सवारी लाइनें पूरी तरह रेल-पथ परिपथित हैं और माल लाइनें कांटों और क्रांसिगों से उल्लंघन चिन्ह (फाउलिंग मार्क) तक रेलपथ परिपथित हैं ।

(घ) लखनऊ स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी । उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

231. **श्री गणेश घोष :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 77.50 रुपये प्रति टन की नवीन वृद्धि की अनुमति देने से पहले भारत में इस्पात का प्रति टन मूल्य कितना था ;

(ख) नवीन वृद्धि के बाद प्रति टन मूल्य कितना है ;

(ग) हमारा वर्तमान इस्पात मूल्य (प्रति टन) जापान, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी और सोवियत संघ में इस्पात के प्रति टन मूल्य से कितना कम अथवा अधिक है ;

(घ) गत सात वर्षों में आयात किये गये इस्पात का प्रति टन मूल्य कितना था ;

(ङ) क्या नवीनतम मूल्य वृद्धि के कारण करदाताओं पर प्रति वर्ष 28 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा ; और

(च) क्या यह सच है कि इस मूल्य वृद्धि का सबसे अधिक लाभ टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को होगा, जो मार्टिन बर्न्स एण्ड गोयनकाज के नियंत्रण में है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) संलग्न विवरण (क) देखिये । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2572/70]**

(ख) संलग्न विवरण (ख) देखिये । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2572/70]**

(ग) भारतीय इस्पात का निर्माणी-वाह्य मूल्य सामान्यत: यू० के०, जापान और पश्चिमी जर्मनी के तदनुरूप मूल्यों से अपेक्षाकृत कम है और अमेरिकी मूल्यों से काफी कम है । सोवियत रूस के मूल्यों की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) निम्नलिखित तालिका में अपेक्षित सूचना दी गई है :

साधारण इस्पात का आयात

वर्ष	मात्रा	मूल्य	प्रति टन औसत मूल्य
	(हजार टन)	(हजार टन)	(रुपये)
1966-67	339	500,400	1476
1967-68	427	595,900	1396
1968-69	508	556,000	1094

(ङ) जी, नहीं ।

(च) सभी उत्पादकों की औसत अतिरिक्त आमदनी एक सी ही होगी। चूंकि हिन्दुस्तान स्टील लि० सबसे बड़ा उत्पादक है, अतः बिक्री से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आमदनी भी इसे ही सर्वाधिक होगी।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का उपभोक्ता-सामान पर प्रभाव

232. **श्री गणेश घोष :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात पर आधारित सामान की उत्पादन लागत के बढ़ जाने की सम्भावना है तथा उपभोक्ताओं पर इस अतिरिक्त लागत पर भार पड़ेगा ; और

(ख) इस्पात के मूल्यों में वृद्धि होने से सामान्य लोगों को क्या लाभ पहुंचेगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। लोहे और इस्पात के थोक मूल्यों का सूचकांक जो मूल्य वृद्धि से पूर्व 27 दिसम्बर, 1969 को 149.3 था (1961-62=100) मूल्य वृद्धि के पश्चात् 3 जनवरी, 1970 को 154.6 हो गया।

(ख) मूल्य वृद्धि से देश के इस्पात उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के गोयनका उद्योग समूह के शेयर

234. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री गोयनका उद्योग समूह के बारे में 23 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में चार न्यासधारियों, अर्थात् सर्व श्री एस० के० गंगूली, के० गाणेसन, आर० एन० सेन तथा पी० के० चोक्से के साम्य अंशों का पुस्त मूल्य क्या है ;

(ख) उपरोक्त कम्पनी के 3,39,200 साम्य अंश खरीदने के लिये श्री गोयनका के प्रतिनिधियों ने जिन संसाधनों से यह धन इकट्ठा किया है, उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के गोयनका उद्योग समूह के अन्य उनके अंशों का पुस्त मूल्य क्या है ; और

(घ) ये अंश खरीदने के लिये उन्होंने जिन साधनों से धन जुटाया है, उनका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इन चार न्यासधारियों के इक्विटी हिस्सों का पुस्त मूल्य, 3,36,92,000 रु० की राशि का है ।

(ख) न्यासधारियों के यह हिस्से डलहौजी होल्डिंग्ज लिमिटेड के नाम से हैं, श्री गोयनका के नाम से नहीं ।

(ग) तथा (घ). श्री गोयनका द्वारा नियन्त्रित हिस्सों का अधिकांश, उसके नियन्त्रण की कम्पनियां, मित्र व सरकारी एवं दलालों के नाम पर हैं । 21,24,622 तथा 18,900 इक्विटी हिस्से, जो एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री आर० एन० गोयनका के नामों में हैं, के अतिरिक्त, उन व्यक्तियों के नाम, जिनके नाम पर शेष हिस्से हैं, जो गोयनका समूह से सम्मिलित है, ज्ञात नहीं है । वित्त के वास्तविक साधनों की बाबत ठीक-ठीक सूचना भी उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली के लिये वृत्ताकार रेलवे

235. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
डा० सुशीला नैयर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की वृत्ताकार रेलवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मार्ग को यात्रियों के उपयोग के लिये खोल दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस लाइन पर यात्रियों के लिये यातायात कब तक चालू हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) संभवतः आशय "दिल्ली परिहार लाइनें और सम्बद्ध यातायात सुविधा परियोजना" से है । यह परियोजना पूरी करके 16-2-69 को माल यातायात के लिये खोल दी गयी थी ।

(ख) से (घ). यह परियोजना मूलतः माल यातायात के लिये थी । यात्री यातायात के लिये इस लाइन को खोलने के लिए अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है, क्योंकि यह बात कुछ महत्वपूर्ण ऊपरी/निचले पुलों के पूरा होने पर निर्भर है, जो इस समय निर्माणाधीन हैं ।

चण्डीगढ़ के प्रश्न पर पंजाब तथा हरियाणा में रेलवे सम्पत्ति को हानि

236. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
डा० सुशीला नैयर :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री न० कु० सांघी :
श्री बलराज मधोक :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1970 के महीने में पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में अनेक रेलवे डिब्बे तथा स्टेशन जला दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में रेलवे को अनुमानतः कितनी हानि हुई है और रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । केवल हरियाणा राज्य में ।

(ख) पंजाब और हरियाणा के राज्यों में चण्डीगढ़ के प्रश्न पर हुये आन्दोलन के फलस्वरूप रेल सम्पत्ति को लगभग 22.7 लाख रुपये की कुल क्षति होने का अनुमान है ।

राज्य पुलिस के सहयोग से एहतियाती उपाय बरते जा रहे हैं । रेल गाड़ियों, संस्थापनों और अन्य रेल सम्पत्ति की हिफाजत के लिये रेलवे सुरक्षा दल/रेलवे सुरक्षा विशेष दल के सशस्त्र स्कन्ध की टुकड़ियां भेजी जाती हैं ।

ऐसी घटनाओं पर तुरन्त राज्य सरकार/राज्य पुलिस अधिकारियों का ध्यान दिलाया जाता है, ताकि सामान्य स्थिति को फिर से कायम करने के लिए वे समय पर हस्तक्षेप कर सकें । जब कभी आवश्यक होता है तो गृह-मंत्रालय को भी समय-समय पर स्थिति से अवगत कराया जाता है ।

टिकट निरीक्षक कर्मचारियों के लिये दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें

237. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री लखन लाल कपूर :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल टिकट निरीक्षक कर्मचारियों के बारे में दूसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन-जिन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है, उनका ब्योरा क्या है तथा उन्हें कब से क्रियान्वित किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी हां । दूसरे वेतन आयोग द्वारा रेलवे टिकट जांच कर्मचारियों के लिये जिन वेतनमानों की सिफारिश की गयी थी और इन कर्मचारियों

को 1-7-1959 से जो वेतनमान आवंटित किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

	वेतनमान जिनकी सिफारिश दूसरे वेतन आयोग द्वारा की गई		आवंटित वेतनमान
प्रधान टिकट कलेक्टर और प्रधान चल टिकट परीक्षक	450-25-575 रु० 370-20-450-25-475 रु०	वरिष्ठ विशेष निरीक्षक	450-25-575 रु०
चल टिकट परीक्षक	335-15-425 रु० 150-5-175-6-205-द० रा०-7-240रु० 130-5-175-द० रो०-6-205-7-212 रु०	मुख्य टिकट निरीक्षक विशेष टिकट निरीक्षक मुख्य (टिकट) निरीक्षक	450-25-575 रु०
टिकट कलेक्टर	110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180-रु०	मुख्य टिकट निरीक्षक कनिष्ठ विशेष निरीक्षक मुख्य चल टिकट निरीक्षक मुख्य टिकट निरीक्षक	370-20-450-25-475 रु०
		मुख्य टिकट निरीक्षक मुख्य निरीक्षक टिकट चल टिकट परीक्षक चल टिकट निरीक्षक मुख्य चल टिकट निरीक्षक	335-15-425 रु०
		चल टिकट परीक्षक टिकट कलेक्टर प्रधान टिकट कलेक्टर मुख्य टिकट निरीक्षक सहायक विशेष निरीक्षक निरीक्षक (टिकट)/संयुक्त (सहायक विशेष) प्रधान चल टिकट परीक्षक चल टिकट निरीक्षक मंडल टिकट निरीक्षक स्टेशन टिकट निरीक्षक टिकट निरीक्षक	250-10-290-15-380 रु०
		वरिष्ठ चल टिकट परीक्षक/प्रधान/वरिष्ठ टिकट कलेक्टर	150-5-175-6-205-द० रो० 7-240 रु०
		चल टिकट परीक्षक	130-5-175-द० रो०-6-205-7-212 रु०
		टिकट कलेक्टर	110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180 रु०

कारों की उत्पादन लागत

238. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 2 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2286 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार (1) अम्बेसडर, (2) फिएट तथा (3) स्टैंडर्ड कारों की उत्पादन लागत कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार प्रत्येक प्रकार की कार की कुल उत्पादन लागत में (1) आयातित पुर्जों तथा कुछ सामग्री, (2) देसी पुर्जों तथा कच्चे माल (3) श्रम, (4) करों तथा (5) अन्य मदों की लागत कितमी थी ;

(ग) वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक वर्षवार प्रत्येक प्रकार की कार पर (करों तथा मूल्यह्रास से पूर्व) मुनाफे की दर कितनी थी ;

(घ) क्या एकाधिकार जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी की है कि मोटर-गाड़ी उद्योग में उत्पादन तथा पूंजी का बहुत अधिक केन्द्रीयकरण हो गया है ;

(ङ) क्या मोटर गाड़ी उद्योग अपनी स्थापना से लेकर अब तक उपभोक्ताओं से मन-चाहे मूल्य लेता रहा है ;

(च) क्या कारों के मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण कार निर्माताओं द्वारा एकाधिकारिता की प्रवृत्ति का अपनाया जाना है ; और

(छ) क्या सरकार इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करने पर विचार करेगी ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). प्रत्येक वर्ष के लिये देश में निर्मित तीनों प्रकार की कारों की उत्पादन लागत के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी प्रशुल्क आयोग ने निम्नलिखित अवधि को कारों की उत्पादन लागत के बारे में जांच पड़ताल की थी ।

एकक का नाम	वह अवधि जिसमें उत्पादन की वास्तविक लागत का विचार किया गया
1. हिन्दुस्तान मोटर लि०	अप्रैल, 1966 से मार्च, 1967
2. दि प्रीमियर आटोमोबाई लि०	जुलाई, 1965 से जून, 1966
3. स्टैन्डर्ड मोटर प्रो० आफ इण्डिया लि०	जनवरी से दिसम्बर, 1965

4. उपरिलिखित अवधि में तीनों प्रकार की कारों की उत्पादन लागत जो प्रशुल्क आयोग ने लगायी है, वह नीचे दी जाती है :

	एम्बासेडर रु०	फिएट रु०	स्टैण्डर्ड रु०
आयातित उपकरणों तथा कच्चे मालों की लागत	2,839.899	2,046.043	3,639.92
देशी उपकरणों तथा कच्चे मालों की लागत	6,142.238	5,018.595	4,421.09
श्रम तथा कारखाने के व्यय	2,611.004	3,879.046	1,668.84
ह्रास	1,417.415	1,436.053	558.90
अन्य	578.225	37.905	382.38
कारखाने से निकलते समय की लागत ह्राससहित	13,568.781	12,686.642	10,671.11
ह्रासरहित कारखाने से निकलते समय की लागत	12,151.366	11,650.589	10,112.21
कारखाने से निकलते समय का विक्रय औसत मूल्य	13,857.000	12,687.000	10,191. 00
ह्रास से पूर्व लाभ/हानि जमा	18,705.634	1,036.411	78.00

(घ) एकाधिकार जांच आयोग ने बताया है कि आटोमोबाइल्स तथा उसके सहायक उत्पादनों में एकत्रीकरण का अधिक रूप पाया जाता है ।

(ङ) जी नहीं । सरकार द्वारा अनुमोदित विक्रय दर पर ही गाड़ियां बेची जाती हैं ।

(च) जी नहीं ।

(छ) 21 सितम्बर, 1969 से सरकार ने देश में निर्मित कारों का कानून रूप से एक विक्रय मूल्य निर्धारित कर दिया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को वे उचित दर पर प्राप्त हो सकें । सरकार के पास सरकारी क्षेत्र में कम कीमत वाली कार के निर्माण करने वाली परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव भी है ।

औद्योगिक समवायों का पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में ले जाया जाना

239. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई उद्योगपतियों ने अपने उद्योगों को पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों, विशेषतया महाराष्ट्र, दिल्ली तथा हरियाना में ले जाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है, जैसाकि दिनांक 17 जनवरी, 1970 के कुछ प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगपतियों के नाम क्या हैं, जिन उद्योगों के ले जाये जाने का प्रस्ताव है। उनका ब्यौरा क्या है तथा उनमें कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ग) क्या सरकार ने अनुमति दे दी है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग). 1-1-1967 से 31-12-1969 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पश्चिमी बंगाल में स्थित उद्योगों को अन्य राज्यों में स्थानान्तरित किये जाने हेतु 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा दो को लाइसेंस दिया गया है। शेष एक आवेदनपत्र अभी विचाराधीन है। प्रार्थियों के नाम, सम्मिलित उद्योग तथा सरकारी निर्णय तथा उनकी वर्तमान स्थिति का ब्योरा संलग्न है। इसमें लगने वाली पूंजी की राशि अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

	प्रार्थी का नाम	उत्पादन वस्तु	राज्य जिसमें स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है	सरकार का निर्णय/ वर्तमान स्थिति
1967	मे० जान फाउलर इण्डिया लि०, बंगलौर	इन्टरनल कम्ब्यूशन	मैसूर	अस्वीकृत
1968	श्री एच० एल० मोमान, कलकत्ता	ग्लेण्ड टाइल्स	हरयाणा	स्वीकृत
1968	मे० अमेरिकन रेफरीजरेटर कम्पनी लि० कलकत्ता	इण्डिस्ट्रयल ब्लोअर्स	महाराष्ट्र	स्वीकृत
	मै० हिन्दुस्तान गैस एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता	विविध रसायन	हरयाणा	अस्वीकृत
	मे० नवयुग डाई-कैमू० इण्डिस्ट्रीज लि० बम्बई	डाई-स्टफ	गुजरात	अस्वीकृत
	मे० शालीमार स्टील एण्ड सा लि०, कलकत्ता	स्माल तथा हैण्ड टूल	राजस्थान	अस्वीकृत
	मे० भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यू० कं० प्रा० लि०	ड्रम तथा बैरल	तामिलनाडु	अस्वीकृत
1969	मे० बालमेर लारी एण्ड कं० लि०, कलकत्ता	ड्रम तथा बैरल कंटेनर्स	तमिलनाडु	अस्वीकृत
	श्री ए० सी० बर्मन द्वारा मे० डेबा (डा० एस० के० बर्मन) प्रा० लि० कलकत्ता	ड्रम तथा फार्मासूटिकल्स	हरयाणा	अस्वीकृत
	मे० भारत बैरल तथा ड्रम मैन्यू० कं० प्रा० लि०, कलकत्ता	ड्रम तथा बैरल	महाराष्ट्र	विचाराधीन

आन्तरिक व्यापार कर रही विदेशी कम्पनियां

240. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री नम्बियार : **श्री प० गोपालन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी विदेशी कम्पनियां हमारे देश में आन्तरिक व्यापार कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ कम्पनियां आन्तरिक व्यापार के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी लगी हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा इनका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार विदेशी नियन्त्रित कम्पनियों को आन्तरिक व्यापार करने से रोकने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और इसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 31 मार्च, 1969 तक, 59 कम्पनियां, जो भारत के बाहर निगमित हुईं, तथा उनके व्यापार का स्थान इस देश में था, व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न कम्पनियों के नाम से वर्गीकृत हुई थीं।

(ख) इसी प्रकार की 595 कम्पनियां व्यापार एवं वाणिज्य से भिन्न कारोबार में संलग्न वर्गीकृत हुई थीं।

(ग) इन कम्पनियों के वर्गीकरण उनके उन प्रधान कार्य-कलापों के आधार पर हैं, जो उनके द्वारा, उनकी सांविधिक विवरणियों में प्रकट किये गये हैं। बहुत-सी कम्पनियां दोनों व्यापार तथा व्यापार रहित कार्यों में संलग्न भी हो सकती हैं, तथा उनकी बाबत व्यापक ब्योरे शीघ्रतः उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) तथा (ङ). विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 के संशोधन के कुछ प्रस्ताव, सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

Legislation for Registration of Social Welfare Institutions

242. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a proposal is being considered or steps are being taken in connection with the regularisation of registration of social welfare institutions and to enact a uniform legislation for their day to day working, compulsory registration, inspection and maintenance of accounts etc. as published in the 5th issue of December, 1969 Social Welfare magazine ;

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

Harijans Settled in Nainital and Pilibhit

243. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Harijans of the Eastern Districts of Uttar Pradesh who have settled in Nainital and Pilibhit Districts of Uttar Pradesh and are engaged in agriculture for the last ten years ;

(b) whether it is also a fact that employees of the Government of Uttar Pradesh are destroying their crops and perpetrating atrocities ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the steps being taken by Government to check it and to ensure that the land under plough is allotted to them ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) to (d). The details are being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Hiring of Vehicles during Elections

244. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 351 on the 18th November, 1969 regarding Hiring of Vehicles during Elections and state :

(a) whether the Election Commission has implemented the proposals and recommendations connected with the hiring of Motor Cars for use during Elections ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). It is for the Government to implement the recommendations of the Election Commission. The recommendations regarding illegal hiring of vehicles are :

(i) Illegal hiring or procuring of vehicles for free conveyance of voters should be made a cognizable offence resulting in confiscation of the vehicles so used in suitable cases and cancellation of the licences of the drivers of these vehicles.

(ii) Conviction for the aforesaid offence should entail disqualification for membership and voting.

(iii) No vehicles should be allowed to ply on roads on a polling day in the polling areas, without the written permit from the concerned District Election Officer, Returning Officer or Assistant Returning Officer.

The recommendations are being examined by the Government.

बिड़ला सार्थ समूह के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये आयोग

245. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री रवि राय :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला सार्थ समूह के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच करने के लिये आयोग नियुक्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके निर्देश के पद क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित अनियमितताओं, त्रुटियों तथा अनुचितताओं जिन का बड़े-बड़े औद्योगिक समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए बिड़ला समूह की कम्पनियों के विरुद्ध विशिष्ट आरोपों की जांच के लिये एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति को अधिसूचित किया है और वह सदस्य है श्री ए० के० सरकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश। इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना जिसमें आयोग को सौंपे गए विषय दिए गए हैं, की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2573/70]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग को निर्देशन के बिना समाज कल्याण विभाग में पदों का भरा जाना

246. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री इसहाक साम्भली : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968 और 1969 में संघ लोक सेवा आयोग को निर्देशन के बिना समाज कल्याण विभाग के अधीन भरे गये पदों का ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : एक विवरण, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग को निदशन के बिना 1968-69 के दौरान समाज कल्याण विभाग में भरे जाने वाले पदों का ब्योरा दिया गया है, संलग्न है।

विवरण

अतारांकित प्रश्न संख्या-246

विवरण, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग को निर्देशन के बिना 1968 तथा 1969 के दौरान समाज कल्याण विभाग के अधीन भरे गये पदों का ब्यौरा दिया गया है।

क्रम संख्या	पद का नाम	कार्यालय का नाम	वेतनमान	सेवा	पदों की संख्या
1.	क्षेत्रीय निदेशक	महा निदेशालय, पिछड़े वर्ग कल्याण	1100-1800	सामान्य केन्द्रीय सेवा-श्रेणी I	3
2.	उप निदेशक	,,	700-1250	,,	1
3.	अनुसंधान अधिकारी	,,	400-900	सामान्य केन्द्रीय सेवा-श्रेणी II	4
4.	सहायक निदेशक	सुधार सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो	590-900	,,	1
5.	अन्वेषक	,,	325-575	,,	1

मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई

247. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई के बारे में 12 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मई, 1959 से जुलाई, 1961 तक मेसर्स स्टेन्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बम्बई द्वारा प्राप्त इस्पात चादरों का नामवार विवरण ।

मास	बाडी शीटें	एण्ड शीटें	उत्पादक
1959			
मई	72	124	टिस्को/इस्को
जून	96	9	—वही—
जुलाई	17	64	इस्को
अगस्त	—	—	—
सितम्बर	85	—	टिस्को
अक्टूबर	—	—	—
नवम्बर	—	—	—
दिसम्बर	42	—	टिस्को
1960			
जनवरी	—	—	—
फरवरी	2	19	टिस्को
मार्च	—	—	—
अप्रैल	66	66	इस्को
मई	66	—	इस्को
जून	113	10	—वही—
जुलाई	—	—	—
अगस्त	—	44	इस्को

मास	बाडी शीटें	एण्ड शीटें	उत्पादक
सितम्बर	—	22	—वही—
अक्टूबर	—	—	—
नवम्बर	—	—	—
दिसम्बर	—	—	—
1961			
जनवरी फरवरी मार्च	—	—	—
अप्रैल	527	—	इस्को
मई	—	84	—वही—
जून	—	151	—वही—
जुलाई	—	—	—

मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी तथा मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड द्वारा आयातित इस्पाती चादरों का उपयोग

248. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री 19 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स स्टैण्डर्ड एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी तथा मैसर्स हिन्द गैलवेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड द्वारा इस्पाती चादरों के जो कि उन्होंने भारतीय तेल निगम से खरीदी थी, दुरुपयोग किये जाने के बारे में इस बीच जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जांच मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा की जा रही है और यह अभी पूरी नहीं हुई है ।

मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा धातु मिश्रित तथा विशष इस्पात की मांग का सर्वेक्षण

249. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने चौथी पांचवीं योजनाओं की अवधि में देश में

धातु मिश्रित तथा विशेष इस्पात की मांग का पता लगाने के लिये बाजार का सर्वेक्षण करने का कार्य मैसर्स दस्तूर कम्पनी को सौंपा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स दस्तूर कम्पनी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने दुर्गापुर स्थित धातु मिश्रित सन्यन्त्र का विस्तार करने की सिफारिश की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). जी, हां ।

झांसी में मुख्य यांत्रिक अभियन्ता के कार्यालय में मध्य रेलवे के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

250. **श्री क० लकप्पा :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के 12,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों ने 10 जनवरी, 1970 को झांसी में मुख्य यांत्रिक अभियन्ता के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करने के मामले से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाने की मांग की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 10-1-70 को झांसी वर्कशाप के लगभग 600 कर्मचारियों ने उप मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, झांसी वर्कशाप के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है और यथावश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में खलासियों की वर्गोन्नति

251. **श्री क० लकप्पा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री स० कुण्डू :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के खलासियों ने मांग की है कि उनके पदों को वर्गोन्नत किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या उस इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों ने उनके दावों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राउरकेला इस्पात कारखाने के खलासियों की ओर से उनके पदों की वर्गोन्नति के लिये कोई आम मांग नहीं की गई है। लेकिन उष्मसह विभाग में कन्वर्टरों की रीलाइनिंग के काम में लगे हुये हेल्परों ने अपने पदों की वर्गोन्नति की मांग की है। इसके अतिरिक्त मान्यताप्राप्त यूनियन ने भी मांग की है कि चूंकि कई खलासी अपने वेतनमान का अधिकतम वेतन ले रहे हैं, अतः उन पदों की वर्गोन्नति की जानी चाहिए।

(ख) और (ग). जी, हां। प्रबन्धकों द्वारा किये गये कार्य-मूल्यांकन अध्ययन से यह पता लगा है कि इन हेल्परों द्वारा आजकल किये जा रहे कार्य को देखते हुए उनके पदों को वर्गोन्नत करने का औचित्य नहीं है। परन्तु 24 जनवरी, 1970 को वहां की मान्यताप्राप्त यूनियन राउरकेला मजदूर सभा के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर सम्बद्ध पक्षों द्वारा जोब कम्बीनेशन के बारे में यथासमय बातचीत की जायेगी। जहां तक खलासियों के वेतनमान में संशोधन की मांग का प्रश्न है, प्रबन्धक उसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर इस्पात के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

252. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि का औद्योगिक उत्पादन तथा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) इसका प्रभाव किन किन उद्योगों पर पड़ा है ; और

(ग) क्या इससे चौथी योजना में विभिन्न उद्योगों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में भी बाधा पड़ेगी और यदि हां, तो किस प्रकार ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का पहिया तथा धुरी बनाने का कारखाना

253. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के पहिया तथा धुरी बनाने के कारखाने की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) गत तीन वर्षों में उक्त कारखाने से कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में रेलवे की आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा किया जाता रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी मांग तथा वास्तविक सप्लाई में कितना अन्तर रहा है और उसके क्या कारण थे ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों का उत्पादन इस प्रकार था :

वर्ष	उत्पादन (पहियों के जोड़ों की संख्या)
1966-67	16,210
1967-68	15,420
1968-69	12,732

(ग) जी, नहीं।

(घ) पिछले तीन वर्षों में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को प्राप्त हुए आर्डरों के आधार पर मांग और आपूर्ति का अन्तर इस प्रकार था :

वर्ष	कमी (पहियों के जोड़ों की संख्या)
1966-67	4,600 (लगभग)
1967-68	1,800 (लगभग)
1968-69	5,800 (लगभग)

पहियों के जोड़ों के उत्पादन में कमी के निम्नलिखित कारण थे :

(1) श्रमिक अनुशासनहीनता।

(2) फालतू पुर्जों की कमी के कारण उपकरणों की दुरवस्था।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

254. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभिन्न कारखानों में कितना-कितना उत्पादन हुआ है तथा यह गत तीन वर्षों में हुए उत्पादन की तुलना में कैसा है ;

(ख) क्या पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाता है ; और

(ग) कम क्षमता का उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1966-67 से 1969-70 तक की अवधि में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की इकाइयों में उत्पादन

(हजार टन)

	इस्पात पिण्ड	विक्रेय कच्चा लोहा	विक्रेय इस्पात
1. **भिलाई इस्पात कारखाना**			
1966-67	1852	549	1328
1967-68	1785	656	1252
1968-69	1735	591	1344
1969-70 (अप्रैल, 69 से जनवरी 1970 तक)	1512	543	1228
		...	...
2. **राउरकेला इस्पात कारखाना** (अप्रैल, 69 से 31 जनवरी 70 तक)			

(हजार टन)

	इस्पात पिण्ड	तैयार इस्पात
3. **मिश्र इस्पात कारखाना**		
1966-67	12.3	2.4
1967-68	13.8	6.6
1968-69	39.8	23.7
1969-70 (अप्रैल, 69 से 31 जनवरी 70 तक)	54.4	34.8

(हजार टन)

	कैल्सियम एमोनियम नाइट्रेट (20.5 प्र०श० एन—2)
4. **उर्वरक कारखाना राउरकेला**	
1966-67	188
1967-68	190
1968-69	236
1969-70 (अप्रैल, 69 से 31 जनवरी, 70 तक)	124

(ख) और (ग). इस समय देश में लोहे और इस्पात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आर्डरों के अभाव में इस्पात कारखानों का क्षमता से कम उपयोग नहीं हो रहा है। परन्तु भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों ने, जिनका हाल में 2.5, 1.8 और 1.6 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की क्षमता तक विस्तार किया गया है, अभी निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं की है। उत्पादन को निर्धारित क्षमता पर पहुंचाने में समय लगता है और यह कई बातों पर निर्भर होता है जैसे परिपक्वावस्था की प्राप्ति में समय लगना, संधारण की स्थिति, कार्य कुशलता प्राप्ति, में यथावश्यक संतुलन उपकरणों की स्थापना, औद्योगिक सम्पर्क, जलवायु आदि। ये बातें मिश्र इस्पात कारखाने पर भी लागू होती हैं। उर्वरक सन्यन्त्र के उत्पादन में कमी प्रमुखतः मई, 1969 में नेफ्था रिफार्मिंग यूनिट की रिफार्मर भट्टी में एक दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट होने के कारण हुई है। इस भट्टी की मरम्मत की जा रही है और इस वर्ष के जुलाई मास तक इसके पुनः चालू हो जाने की आशा है।

रेलवे में बिना टिकट यात्रा

255. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में रेलवे में बिना टिकट यात्रा में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में ये आंकड़े कितने अधिक अथवा कम हैं ; और

(ग) किन-किन जोनों में अब भी बिना टिकट यात्रा अत्यधिक होती है और इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). इस समय सभी रेलों के केवल नवम्बर, 1969 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं।

सभी क्षेत्रीय रेलों पर जून से नवम्बर, 1969 तक बिना टिकट यात्रा करते हुए 14,39, 763 व्यक्ति पकड़े गये जबकि 1968 की इसी अवधि में 44,90,016 व्यक्ति पकड़े गये थे। इस प्रकार लगभग 68 प्रतिशत की कमी हुई। यह कमी प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर दिखाई पड़ी है और बिना टिकट यात्रा पर सराहनीय नियंत्रण पा लिया गया है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

256. **श्री जे० अहमद :**
श्री लखनलाल कपूर :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के श्रमिक हड़ताल पर हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि श्रमिकों ने इंजीनियरी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० हैदराबाद एकक के श्रमिक 28-11-69 तथा 8-1-70 से 22-1-70 तक हड़ताल पर थे। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, रामचन्द्रपुरम के श्रमिक 12-1-70 को हड़ताल पर थे। आजकल इन कंपनियों के एक भी एकक में हड़ताल नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने बंगलौर, पिंजोर तथा हैदराबाद कम्पनी के एककों की यूनियनों से 195-15-375 रुपये या इससे कम के वेतनमान वाले कर्मचारियों के वेतनमानों में पुनरीक्षण करने का समझौता कर लिया है। कदर्मश्सेरी एकक के बारे में यूनियन से वार्ता प्रगति पर है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के बारे में प्रत्येक एकक की श्रमिक यूनियनों से प्रबन्धकों ने विचार-विमर्श करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे कि विभिन्न मांगों के बारे में उनसे कोई समझौता किया जा सके।

Apology by General Manager of Central Railway to Bombay High Court

257. **Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Bansh Narain Singh : Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Baliga, General Manager, Central Railway has apologised to the Bombay High Court ;

(b) if so, the reasons therefor and whether the Court had asked for filing a suit against him for contempt of court ; and

(c) the action taken by Government to ensure that the Government officials do not commit such mistakes in future ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) This was due to a misunderstanding of the Court's directives for which a summons for Contempt of Court was issued.

(c) As this is a rare case and was due to a bonafide misunderstanding of the legal position, no action seems to be necessary.

दिल्ली में भूमिगत रेलवे

258. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में भूमिगत रेलवे बनाने के लिये कोई सर्वेक्षण कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब पूरा हो जाएगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नये रेलवे स्टेशन

259. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कितने नये रेलवे स्टेशन अथवा हाल्ट स्टेशन स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) ये स्टेशन कब और कहां-कहां स्थापित किये जाएंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में फिलहाल नये स्टेशन या गाड़ी हाल्ट खोलने का विचार नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

समाज कल्याण विभाग के अधीन कुछ पदों पर नियुक्तियां

260. **श्री झारखण्डे राय** : **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री जनार्दनन** :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग के अधीन निम्नलिखित पदों पर नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं ;

(एक) सलाहकार, समाज कल्याण ;

(दो) सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ;

(तीन) निदेशक, सुधार कार्य विभाग ;

(चार) निदेशक, समाज कल्याण तथा पुनर्वास ; और

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किये गये व्यक्तियों की योग्यताओं तथा अनुभव का ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० **(श्रीमती) फूलरेणु गुह**): (क) इन चार पदों पर नीचे दिये गये आधार पर नियुक्तियां की गई थीं :

(1) सलाहकार, समाज कल्याण के पद पर नियुक्त भर्ती नियम ; 1967 में उस पद के लिये विहित की गई अर्हताओं तथा अनुभव के आधार पर की गई थीं।

(2) सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पद पर नियुक्ति उस पद के उत्तर-दायित्वों को तथा उस पद के लिये चुने गये व्यक्ति की अर्हताओं और अनुभव को देखते हुए की गई थीं।

(3) निदेशक सुधारात्मक सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो के पद पर नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित व्यक्तियों में से चयन के आधार पर की गई थी। भर्ती की पद्धति के बारे में सुझाव संघ लोक सेवा आयोग ने दिया था।

(4) निदेशक, समाज कल्याण तथा पुनर्वास के पद पर नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई थी।

(ख) चारों वर्तमान पदधारियों में से प्रत्येक की अर्हताओं और अनुभव का ब्योरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2574/70]**

बिड़ला बन्धुओं को औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

261. **श्री भगवान दास** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री वि० कु० मोडक : **श्री शिवचन्द्र झा** :
श्री नम्बियार :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत तीन वर्षों में बिड़ला बन्धुओं को 27 औद्योगिक लाइसेन्स दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हजारी समिति तथा दत्त समिति द्वारा जिन्हें सरकार द्वारा बिड़ला बन्धुओं सहित व्यापार गृहों पर लगाये गये कदाचार के आरोपों की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था, लगाये गये आरोपों के बाद भी ये लाइसेन्स दिये गये हैं और ;

(ग) यदि हां, तो लाइसेन्स के दिये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). 1967, 1968 और 1969 के गत तीन वर्षों में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बिड़ला समूहों के उद्योगों को 20 लाइसेन्स प्रदान किये गये। इनमें से 4 लाइसेन्स 1967 में, 6 लाइसेन्स 1968 में तथा 10 लाइसेन्स 1969 में जारी किये गये थे। इनमें से 7 लाइसेन्स नई वस्तुओं के उत्पादन के लिये, 9 पहले

से चल रहे परियोजनाओं का आंशिक विस्तार करने के लिये दिये गये थे। लाइसेन्स, पहले से चल रही परियोजना का उसी राज्य में स्थानान्तरण करने के लिये तथा 3 लाइसेन्स नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए दिए गए सब के सब सभी नए औद्योगिक लाइसेन्स 1968 में जारी किये गये थे तथा 1969 में कोई नई परियोजना का लाइसेन्स जारी नहीं किया गया। ये लाइसेन्स अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद उनके गुणावगुणों ने आधार पर प्रदान किए गए हैं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में घाटा

262. **श्री अजमल खां :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्रीमती सावित्री श्याम : **श्री सी० मुत्तुस्वामी :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : **श्री धी० ना० देव :**
डा० सुशीला नैयर **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में भारी घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). वर्ष 1968-69 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने को 17.37 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों को जिन मूल कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनका उल्लेख परफार्मेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील नामक पुस्तिका में किया गया है जो 5 अप्रैल, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी। इसके अतिरिक्त कुछ समय से दुर्गापुर इस्पात कारखाने में लगातार श्रमिक अशान्ति तथा रखरखाव का काफी काम न होने के कारण भी कारखाने के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहां तक मालिक मजदूरों सम्बन्धी एक प्रश्न है, कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत और विचार-विमर्श किया जाता है तथा राज्य सरकार से सहयोग प्राप्त किया जाता है। 5 अगस्त, 1969 से हिन्दुस्तान स्टील एम्प्लाइज यूनियन को मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कुछ समय पूर्व पाण्डे कमेटी ने कारखाने के कार्यकरण का विशेषज्ञ-पुनर्विलोकन किया था। इसकी सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

अनुसूचित जाति की एक लड़की गिरवी रखी जाने की कथित घटना

263. **श्री अजमल खां :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री धी० ना० देव :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1970 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुई

इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि आसाम में गोपालपारा जिला में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को 5 मन धान प्राप्त करने के बदले में अपनी 14 वर्षीय लड़की को गिरवी रखना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां।

(ख) असम सरकार को इस मामले में सम्बोधित किया गया है। उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक नीति की आलोचना

264. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री इंद्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री जनार्दनन:

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्री जे० आर० डी० टाटा ने गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति सरकार की नीति को विनियमनों, नियंत्रणों तथा प्रतिबन्धों का जंजाल बताकर उसकी आलोचना की थी तथा वह ऐसी नीतियों को कार्यान्वित करने के विरुद्ध बोले थे ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि श्री जे० आर० डी० टाटा ने सरकार को धमकी दी है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये देश के 40 प्रतिशत औद्योगिक विकास का भार वहन करना असम्भव होगा जैसा कि चौथी योजना में निर्दिष्ट किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बदले में सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). श्री जे० आर० डी० टाटा द्वारा दिया गया भाषण जिसमें कथित विचार प्रकट किये गये हैं, सरकार के ध्यान में आया है।

(ग) देश में औद्योगिक विकास की गति को और त्वरित करने के लिये नियंत्रणों में ढिलाई करने की आवश्यकता है किन्तु आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने और अन्य सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुये सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति में कुछ नीति निर्णयों की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2575/70]** यह निर्णय विभिन्न मंत्रालयों के विचारों तथा व्यापार तथा उद्योग के विभिन्न प्रतिनिधि पक्षों के विचारों की विस्तृत जांच के पश्चात् किये गये।

मैसूर राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गृह-निर्माण के हेतु धन का नियतन

265. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गृह-निर्माण हेतु केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत मैसूर राज्य को कितना धन दिया गया और उस राज्य द्वारा कितने धन का उपयोग किया गया ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन जातियों को सहायक अनुदान तथा ऋण बिना व्याज के दिया गया ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को उनके मकानों के निर्माण में सहायता देने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :

(क) **केन्द्रीय क्षेत्र**

रुपये लाख की राशियों में

	आवंटित धन			उपयोग किया गया धन		
	1966-67	1967-68	1968-69	1966-67	1967-68	1968-69
	1	2	3	4	5	6
अनुसूचित आदिम जातियां	कोई योजना नहीं है ।					
अनुसूचित* जातियां	3.00	0.50	0.75	2.49	0.50	0.75

राज्य क्षेत्र

	1	2	3	4	5	6
अनुसूचित आदिम जातियां	0.40	0.45	0.45	0.29	0.98	0.46
अनुसूचित जातियां	—	0.50	1.00	—	0.62	0.82

*मेहतरों तथा संमार्जकों के काम की परिस्थितियों में सुधार के लिये व्यवस्था इसमें शामिल है ।

(ख) से (घ). यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेल के माल डिब्बों की मांग में कमी

266. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रेलवे के माल डिब्बों की मांग बहुत कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके कारणों की जांच की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मई, 1969 के अन्त से माल डिब्बों की बकाया मांगें 1968 के इन्हीं महीनों की बकाया मांगों की तुलना में कम रही हैं लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में, इस्पात कारखानों को आने-जाने वाले यातायात के सिवाय, अधिक यातायात की ढुलाई की गई है ।

(ख) जुलाई के महीने से अक्तूबर तक, जो कि मन्दी का मौसम होता है, सामान्यतया रजिस्ट्रेशनों का रुख कमी की ओर रहता है फिर भी इस वर्ष माल डिब्बों की मांगें पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में काफी कम रही है, क्योंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष लदान संतोषजनक रहा था । 1968-69 में रेलों ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 77.5 लाख मीटरिक टन अतिरिक्त प्रारम्भिक मीटरिक टन माल की ढुलाई की और 1969-70 में दिसम्बर, 1969 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रेलों पर 62.1 लाख मीटरिक टन अधिक प्रारम्भिक यातायात का लदान हुआ । चूंकि अधिकांश रेलों पर मांगें तुरन्त पूरी कर दी जाती थीं ; इसलिये व्यवसायियों द्वारा की गई मांगों में वृद्धि नहीं हुई और मांगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया ।

(ग) रेलों की ओर अधिक यातायात आकृष्ट करने के लिये रेलों पर विपणन और बिक्री संगठनों की स्थापना की गई है ताकि व्यवसायियों से निकट सम्पर्क बना रहे और रेलों के लिये अधिकतम यातायात प्राप्त करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जा सकें । रेलों पर सेवा के स्तर में सुधार करने के लिये घर से घर तक माल पहुंचाने, महत्वपूर्ण स्थानों के बीच कन्टेनर सेवाएं/तेज सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ियों और शीघ्र परिवहन सेवाएं शुरू की गई हैं । मन्दी के मौसम में अधिक आसानी से माल डिब्बे उपलब्ध हो सकते हैं, इस बारे में समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यवसायियों का ध्यान दिलाया गया है ।

मैसूर में पांचवे इस्पात कारखाने की स्थापना

267. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री अदिचन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवां इस्पात कारखाना मैसूर राज्य में स्थापित किये जाने का

मैसूर का हक अधिक है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के चार इस्पात कारखाने उत्तर में स्थित है ;

(ख) क्या मैसूर राज्य ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग) . इस्पात की अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिये कारखाने लगाने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां ।

रेलवे लाइनों में सुधार के लिये समिति के प्रस्ताव

268. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मयावन :
श्री सामिनाथन :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नारायणन :
श्री श्रीधरन
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में रेलवे लाइनों में सुधार के संबंध में रेलवे उप-मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति के क्या प्रस्ताव हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2576/70]**

संविधान के भाग तीन से सम्पत्ति के अधिकार का हटाया जाना

269. **श्री इंद्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री गाडिलिंगन गौड :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जनार्दनन :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री अदिचन :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों संबंधी अध्याय से सम्पत्ति के अधिकार को हटाने के लिये जनता की बढ़ती हुई मांग की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में से सम्पत्ति का अधिकार निकाल देने के बारे में कुछ व्यक्तियों द्वारा जिनमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा संसद् सदस्य भी सम्मिलित हैं, व्यक्त किये गये विचारों से सरकार अवगत है।

(ख) सरकार इस विषय में सम्यक् रूप से विचार करने के बाद आवश्यक निर्णय कर देगी।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में परिवर्तन

270. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
डा० रानेन सेन : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक लाइसेंस नीति में ऐसा परिवर्तन करने का निर्णय किया है जिससे आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित न हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के विचार से सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति में संशोधन के निर्णयों की घोषणा की है।

(ख) इस आशय के लिये जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें औद्योगिक लाइसेंस नीति में किये गये विभिन्न संशोधन/परिवर्तन दिये गये हैं, की एक प्रति संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2577/70]**

रेल दुर्घटनाओं में आहत व्यक्तियों को मुआवजा

271. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं और उनमें आहत तथा मृत व्यक्तियों की संख्या का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या उन व्यक्तियों के सम्बन्धियों को कोई मुआवजा दिया गया है, जो इन दुर्घटनाओं में आहत हुये थे अथवा मारे गये थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1-4-1969 से 31-170 तक की अवधि में भारतीय रेलों पर टक्कर लगने, पटरी से उतरने, समपारों पर रेलगाड़ियों का सड़क यातायात से टकरा जाने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों की 835 रेल दुर्घटनाएं हुईं।

इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप 274 व्यक्ति मारे गये और 697 घायल हुये।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के रूप में 3,43,242 रुपये का भुगतान किया गया है। सम्बन्धित रेल कर्मचारियों को कामगर प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के रूप में दी गई रकम के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

संसद् द्वारा पास किये गये अधिनियमों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के निर्णय

272. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा गत तीन वर्षों में संसद द्वारा पास किये गये अधिनियमों के बारे में कितनी बार और किन आधारों पर निर्णय दिया गया है ; और

(ख) क्या इसका कारण सरकार द्वारा विधेयकों को संसद द्वारा पास कराने के लिये की गई जल्दबाजी है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सर्वोच्च न्यायालय ने गत तीन वर्षों के दौरान दो केन्द्रीय अधिनियमों को अविधिमान्य घोषित कर दिया। ये अधिनियम मेटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1965 और बैंककारी कम्पनी (अन्तरण और उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1969 हैं। वे इस आधार पर अविधिमान्य घोषित कर दिये गये थे कि उनमें अधिकथित सिद्धान्त, उन व्यक्तियों को जिनसे सम्पत्ति अर्जित की गई थी, ऐसी सम्पत्ति का न्यायसंगत समतुल्य दिया जाना सुनिश्चित नहीं बनाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

Reservation of Seats for Anglo-Indians in Parliament and Assemblies

273. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total population of Anglo-Indians in India;

(b) the number of seats reserved for them in the Lok Sabha and Rajya Sabha ;

(c) the total population of Parsis and Christians ;

(d) whether it is a fact that no seat is reserved for Parsis and Christians either in the Lok Sabha or Rajya Sabha ;

(e) if so, whether this position is as a result of any secret agreement concluded by the Government of India with the British Government when the Britishers left India ; and

(f) whether it is also a fact that only the supporters of Government have continuously been nominated to the Lok Sabha and Rajya Sabha and the Nationalist Anglo-Indians have been ignored ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon): (a) to (f). Reservation of seats for Anglo-Indians is made only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. This was done as a result of the Constituent Assembly providing for the same in Article 331 of the Constitution. The period of reservation for the Anglo-Indians has been

extended by another 10 years by a Constitutional amendment (The Constitution (Twenty-third Amendment) Act, 1969). At the 1961 census, Anglo-Indians were not enumerated separately and, therefore, Government are not in a position to state what their total population in India is.

Parts (e) and (f) of the question contain imputations as covered by rule 41 (2) (iii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

Khatauli Engineering Works, Khatauli

274. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Company which is not registered under the Companies Act, 1956, cannot become a Government supplier ;

(b) if so, whether his attention has been drawn to the claim made by the Khatauli Engineering Works, Khatauli (U. P.) by advertising themselves as suppliers of Stores of various Government undertakings in the September, 1969 issue of Journal 'Vaishya Hitkari' published from Meerut ;

(c) if so, how the aforesaid firm became Government supplier without its having been registered under the Companies Act, 1956 ;

(d) the total capital invested by the Khatauli Engineering Works at the time of its establishment and as on the 1st January, 1970 ; and

(e) the amount of profits earned by them during the year 1968-69 ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

(d) and (e). M/s Khatauli Engineering Works, Khatauli (U. P.) is not a company registered under the Companies Act, 1956. Therefore, the information sought for is not available.

Investment in Hindustan Steel Ltd.

275. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the total investment (Equity and Loans) in the Hindustan Steel Ltd., is Rs. 1028.50 crores ;

(b) the extent of annual income likely to accrue from interest on the said amount if it is given on loan to various parties through the Government agencies, and

(c) the total amount out of the said investment on which interest has to be paid to the foreign Governments and agencies and the amount of interest paid annually thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) As on 31st March, 1969, total investment on capital account based on Government funds in Hindustan Steel Ltd. was Rs. 10,915 million—equity Rs. 5,570 million and loan Rs. 5,345 million.

(b) The loans advanced to the Company consist of (i) loans sanctioned in connection with the Million Tonne Stage of the three integrated Steel Plants at Bhilai, Rourkela and Durgapur and consolidated into a single loan of Rs. 3,571, million as from Ist April, 1962 and carrying an interest rate of 5% per annum and (ii) a total amount of Rs. 1,774 million sanctioned during the period 1965-66 to 1968-69 for the expansion of the Steel Plants, setting up of Alloy Steel Plant etc. which carries an interest rate of 6½% per annum. On these loans, interest is already being paid by the Company at the prescribed rates. If this amount had been lent to other parties interest income would not have been materially different as rates of interest on loans and advances by the Central Government to other parties are more or less the same.

Government have contributed towards the share capital of the Company from time to time. While interest income could accrue to Government on this amount if it were to be advanced to other parties at the Government lending rate, investment and direct participation in the establishment of basic industries is part of the Government Policy directed towards a continuous increase in production for accelerated economic development.

(c) Almost the entire foreign exchange expenditure involved in the establishment/expansion of HSL units has been financed out of a number credits/loans received by Government from several foreign countries. Up to the end of 1968-69, such expenditure amounted to Rs. 5047.4 million. Foreign exchange expenditure for HSL projects has been financed out of "tied" credits, and also "untied" credits which cover more than one specific purpose. Hence it is difficult to determine the exact amount of interest payable specifically in respect of outstandings relating to HSL Projects and the time and labour involved would not be commensurate with the advantage.

Scholarships for Students of U. P. and Tamil Nadu

276. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the number of students from the low income groups from Tamil Nadu and Uttar Pradesh, separately, who have been awarded scholarships and the amount of each of the scholarships;

(b) the slabs of income of the guardians in each of the two States taken for awarding the said scholarships;

(c) whether it is proposed to increase the number of these scholarships in order to remove poverty and backwardness of Uttar Pradesh; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) to (d). The required information is not readily available as award of these scholarships falls within the sphere of the State Governments. The post-matric scholarhips to Lower Income Group students are awarded and paid by the State Governments from their non-Plan budgets. The terms and conditions of awards are also laid down by them.

Appointment of a Former Chief Engineer in Communications Ministry in a Tata Firm

277. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4017 on the 16th Deeember, 1969 regarding appointment of a former Chief Engineer in Communications Ministry in a Tata firm and state :

(a) the time by which the details of share of Shri P. M. Agarwal and his wife in the Tata concerns are likely to become available ;

(b) the minimum value of shares required for appointment to the key post of the Managing Director in the Tatas ;

(c) while in Government service, whether Shri Agarwal had established contacts with the Tatas for securing appointment to such an important post ;

(d) the considerations on which Shri Agarwal was allowed to take up appointment in Messrs Tata Hydro-Eleciric Ltd., Bombay : and

(e) the date from which Shri Agarwal has been serving with the said Company as also the total emoluments being paid to him per month ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) There are large number of companies in the Tata Group. Collection of information about shareholdings of Shri P. M. Agarwal and his wife in these companies would take very considerable time and would not, therefore, be commensurate with the results likely to be achieved.

(b) The Companies Act does not specifically provide for share qualification to make a person eligible for appointment as Managing Director. Section 270 of the Act, however, provides that, if such qualification is prescribed by the articles of the company, "the nominal value of the qualification shares shall not exceed five thousand rupees, or the nominal value of one share where it exceeds five thousand rupees."

(c) While taking up employment with M/s. Tata Hydro Electric Agencies Ltd. Shri Agarwal had stated that during the period of his employement with the P & T Department, he had no dealings with the aforesaid company of the Tata Group.

(d) Shri Agarwal had attained the age of 55 years on July 7, 1968. As Shri Agarwal was not to lose financially, he sought and obtained Government's permission to retire as from 31-3-1964. Later on he approached Government for permission to take up employment in M/s. Tata Hydro Electric Agencies Ltd., Bombay. The Government, after due consideration of the relevant criteria for according such permission, allowed him to take up employment in this company.

(e) Shri Agarwal is serving in Tata Hydro Electric Agencies Ltd. as from 1-1-1965. The remuneration is as under :—

Basic Salary : Rs. 4500-250-5500 p. m. (Present salary is Rs. 5250 p. m.)

Rent Subsidy : If the rent paid exeeds 15% of the basic salary, the company will bear the excess up to 15% of the salary.

Entertainment Allowance : Rs. 3,500 per anuum.

Car Allowance : Rs. 4,300 per annum.

A Company owned car without a driver will be provided.

Bonus and other benefits as applicable.

Besides the above, Shri P. M. Agarwal is also paid a sitting fee of Rs. 250/- for each Board Meeting attended by him.

अलाभकर रेलवे लाइन

278. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मयाबन :
श्री स्वामिनाथन :
श्री दण्डपाणि :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नारायणन :
श्री श्रीधरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभकर रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में सरकारी समिति ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) किन उपचारी उपायों का सुझाव दिया गया है ; और

(घ) क्या ऐसी कुछ लाइनों को बन्द करने का सुझाव है और यदि हां, तो उन लाइनों के नाम क्या हैं और उनमें सुधार न हो सकने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) (i) शाखा लाइनों की अर्थ-क्षमता का मूल्यांकन करने के तरीके में परिवर्तन अपेक्षित है।

(ii) स्टाक के उचित अनुरक्षण और बदलाव के काम को स्थगित रखने के परिणाम-स्वरूप कुछ मामलों में सेवाओं में गिरावट आयी है और राजस्व में हानि हुई है।

(iii) बेहतर रेल-सड़क समन्वय सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों को सक्रिय भाग लेना चाहिए।

(iv) कुछ लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने और उनका विस्तार करने से उनकी अर्थ क्षमता में सुधार होने की सम्भावना है।

(ग) समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :

(1) अपेक्षाकृत बड़ी लाइनों में बदलाव के लिए सर्वेक्षण करना :

(i) **पाचौरा-जामनेर :** बड़ी लाइन में बदलाव और बोटवड तक विस्तार

(ii) **शांतिपुर-नवद्वीप घाट :** शांतिपुर से कृष्ण नगर तक बड़ी लाइन में बदलाव तथा नवद्वीप घाट-कृष्ण नगर सिटी शाखा को बन्द करना।

(iii) **बेंगलुरू सिटी-बंगारपेट्टै :** मीटर लाइन में बदलाव और श्री निवासपुरी तथा मदनपल्लि रोड के बीच लाइन का निर्माण ।

(iv) **कुडुवाडी-पण्ढरपुर :** बड़ी लाइन में बदलाव ।

(v) **कुरडुवाडी से लटूर खण्ड :** बड़ी लाइन में बदलाव और लटूर रोड तक लाइन का विस्तार ।

(vi) **रायपुर-धमतरी :** बड़ी लाइन में बदलाव ।

(vii) **रुप्सा-तालबन्द :** बड़ी लाइन में बदलाव और राजालुका तथा कोकपारा या बुड़ामरा तथा चकुलिया के बीच लाइन का निर्माण ।

(viii) **सतपुड़ा रेलवे :** उत्तरी खण्ड का बड़ी लाइन में बदलाव ।

(ix) **चुचापुरा-तन्खाला शाखा सहित छोटा उदयपुर-प्रतापनगर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव ।**

(x) **बिल्लीमोरा-बधई :** बड़ी लाइन में बदलाव ।

(xi) **भावनगर-तलाजा-महुआ :** मीटर लाइन में बदलाव ।

(xii) **पुरुलिया-कोटशिला :** बड़ी लाइन में बदलाव ।

(2) कुछ लाइनों के विस्तार के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण :

(i) धौलपुर-तांतपुर से बंद बरेटा तक (छोटी लाइन)

(ii) बख्तियारपुर-राजगीर से नवादा तक (बड़ी लाइन)

(iii) रोहतक-गोहाना से पानीपत तक (बड़ी लाइन)

(iv) बरहन-एटा से कासगंज और आगरा तक (बड़ी लाइन)

(v) अकबरपुर-टांडा से टांडा टाउन तक (बड़ी लाइन)

(vi) रंगपाडा नाथ-तेजपुर से भुमरागुडी तक (छोटी लाइन)

(vii) सागरा-तालगुप्पा से होनावर तक (मीटर लाइन)

(viii) नानजनगुड-चामराजनगर से सत्यमंगलम् और कोयम्बतूर तक (मीटर लाइन)

(ix) चिक्कजाजुरु-चित्रदुर्ग से रायदुर्ग तक (मीटर लाइन)

(x) बोटाड-जसदण से राजकोट तक (मीटर लाइन)

(ix) सांगानेर टाउन-टोडा रायसिंह से बूंदी तक (मीटर लाइन)

(3) लगभग सभी लाइनों पर रेलपथ और चल स्टाक का पुनः स्थापन

(4) निम्नलिखित खण्डों पर डीजल कारें चलाना :

(i) धौलपुर-तांतपुर-सिरमुत्रा ।

(ii) पाचौरा-जामनेर ।

(iii) शांतिपुर-नवद्वीप घाट ।

(iv) बरहन-एटा

(v) बेंगलुरू सिटी-बंगारपेट

(vi) चिक्कजाजुरु-चित्रदुर्ग ।

(vii) मयुरम्-त्रांक्येवर ।

(viii) पेरलम-करैकल ।

(ix) बिल्लुपुरम्-पांडीचेरी ।

(x) पुरुलिया-कोटशिला ।

(xi) गोधरा-लुनावड़ा ।

(xii) चाम्पानेर-पानी माइन्स

(xiii) जोरावरनगर-सायला

(xiv) मोरवी-घांटिला

(xv) पिपलोद-देवगढ़बरिया

(xvi) उज्जैन-आगर

(xvii) प्राची रोड-कोडिनार

(5) निम्नलिखित खण्डों को माल यातायात के लिए बन्द करना और इनकी कोचिंग सेवाओं में सुधार करना :

(i) शांतिपुर-नवद्वीप घाट

(ii) चिक्कजाजुरु-चित्रदुर्ग

(iii) बेंगलुरू सिटी-कोलार

(iv) नडियाद-कपाद्वंज

(v) चाम्पानेर-पानी माइन्स

(vi) गोधरा-लुनावडा

(vii) जोरावर नगर-सायला

(viii) पिपलोद-देवगढ़ बरिया

(ix) उज्जैन-आगर

(x) प्राची रोड-कोडिनार

(xi) निंगाला-गधादा-स्वामी नारायण

(xii) फतेहपुर-शेखावटी-चुरू

(xiii) नदिया-भद्रन

(xiv) मोरवी-गांटिला

(6) मेट्टुपालयम-उदकमण्डलम और दार्जिलिंग-हिमालयन खण्डों पर माल के परिवहन के लिये सड़क सेवाओं को संगठित करना।

(7) सामान्य (i) गाड़ियों की रफ्तार में सुधार करना।

(ii) टिकट जांच के प्रबन्धों को कड़ा करना।

(iii) राज्य सरकारों और रेल प्रशासनों की समन्वय समितियों की स्थापना करना।

(घ) रेल मंत्री द्वारा की गई घोषणा में यह कहा गया था कि किसी लाइन को बन्द करने के बारे में विचार नहीं किया जायेगा। फिर भी समिति ने विचार व्यक्त किया है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर स्थित 9 किलोमीटर लम्बी लाटागुड़ी-समशाई लाइन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के सुधार की सम्भावना नहीं है।

त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन पर टेलीप्रिन्टर सेवा

279. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में विलम्ब को रोकने के लिये त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन पर टेलीप्रिन्टर सेवा स्थापित करने पर विचार करेगी ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां,।

(ख) लगभग एक वर्ष में।

(ग) सवाल नहीं उठता।

भारी इंजीनियरी निगम के उपकरणों की बोकारो इस्पात कारखाने को सप्लाई

280. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के अध्यक्ष ने इस कारखाने को भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची द्वारा भेजे गये लगभग 100 टन उपकरणों की सप्लाई अस्वीकृत कर दी है।

(ख) यदि हां, तो उसे अस्वीकृत करने के क्या कारण थे और भारी इंजीनियरी निगम रांची को इस कारण कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या बोकारो इस्पात कारखाने अथवा किसी अन्य ग्राहक द्वारा कभी पहिले भी भारी इन्जीनियरी निगम के उत्पादों को अस्वीकृत किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं । भारी इन्जीनियरी निगम द्वारा सप्लाई किये गये उपकरणों में से अभी तक केवल 54 टन ही अस्वीकृत हुए हैं ।

(ख) अस्वीकार किये गये 54 टन में से बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा अस्वीकृत 50 टन धमन भट्टी के कुण्डल हैं जिनकी मोटाई आवश्यक विवरण के अनुसार नहीं थी । भारी इन्जीनियरी निगम इन कुण्डलों और प्लेटों का उपयोग धमन भट्टी के अन्य भागों के संविरचन के लिये कर रहा है, अत: बोकारो तक भेजने और वहां से वापस आने में जो भाड़ा खर्च हुआ केवल उतना ही भारी इन्जीनियरी निगम को हानि हुई । शेष 4 टन उपकरण इसलिए अस्वीकृत हुए कि वे विशिष्ट विवरण के अनुसार नहीं थे । इतने माल अस्वीकार किये जाने से होने वाली हानि की मात्रा की गणना अभी नहीं गई है ।

(ग) और (घ). बोकारो स्टील लिमिटेड या भारी इंजीनियरी निगम के दूसरे खरीदारों द्वारा अस्वीकार किये गए मालों की मात्रा नगण्य है । इने-गिने मामलों में छुट-पुट वस्तुओं को अस्वीकार किये जाने पर निर्माताओं द्वारा उन्हें बदल देना इस उद्योग के लिये असाधारण नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र में घाटे के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के अग्रेतर उत्पादन की योजना

281. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में निरन्तर हो रहे घाटे को ध्यान में रखते हुए सरकार इस क्षेत्र में, केवल अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग को छोड़ कर, अग्रेतर विकास को रोकने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को पुनः मैदान में आने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ कोई योजना बनायेगी ताकि आम आदमी को लाभ पहुंचे न कि कुछेक पूंजीपतियों को ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं, यह धारणा भी सही नहीं है कि समग्र सरकारी क्षेत्र में निरन्तर हानि ही होती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकारी नीतियां इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि उनसे अधिकाधिक लोगों का लाभ हो कुछ हाथों में आर्थिक शक्ति केन्द्रित न हो जाये ।

इस्पात की कमी

282. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के अभाव का कारण यह था कि पिछले दशक में बोकारो इस्पात कारखाने के अतिरिक्त अन्य किसी के सम्बन्ध में विनियोजन सम्बन्धी निर्णय नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बोकारो इस्पात कारखाने के दूसरे चरण के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). बोकारो के अतिरिक्त 1960-1969 के दशक में इस्पात के उत्पादन हेतु निम्नलिखित विनियोजन सम्बन्धी निर्णय लिये गये थे :

(i) भिलाई इस्पात कारखाने का 25 लाख टन तक विस्तार।

(ii) राउरकेला इस्पात कारखाने का 18 लाख टन तक विस्तार।

(iii) दुर्गापुर इस्पात कारखाने का 16 लाख टन तक विस्तार।

(ग) और (घ). बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के साथ ही द्वितीय चरण का कार्य आरम्भ करने का भी निर्णय किया गया है, बशर्ते कि चतुर्थ योजना को अन्तिमरूप दे दिया जाये।

बम्बई और हावड़ा तथा बम्बई और मद्रास के बीच दो डीलक्स गाड़ियों का चलाना बन्द करना

283. **श्री बेणीशंकर शर्मा** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और हावड़ा तथा बम्बई और मद्रास के बीच चलने वाली वातानुकूलित डीलक्स एक्सप्रेस गाड़ियों का चलाना 1 जनवरी, 1970 से बन्द कर दिया गया है क्योंकि वे विशेष लोकप्रिय सिद्ध नहीं हो सकीं और "व्यावसायिक लाभ अनुपात" (आक्यूपेशन रेशों) बहुत कम था;

(ख) यदि हां, तो उनको कब चालू किया गया था और क्षमता, व्यावसायिक लाभ अनुपात, कुल आमदनी तथा लाभ अथवा हानि के सम्बन्ध में उनके कार्यकरण का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बात के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि इन दो गाड़ियों के बन्द हो जाने से कठिनाई न हो ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) 95/96 बम्बई-हावड़ा और 97/98 बम्बई-मद्रास साप्ताहिक वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां 1-4-1967 को चालू की गई थीं।

एक विवरण संलग्न है, जिसमें इन गाड़ियों की औसत क्षमता और इनके उपयोग का औसत प्रतिशत दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2578/70]**

आमदनी और लाभ या हानि के गाड़ीवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) 11 डाउन/12 अप बम्बई-मद्रास एक्सप्रेस का 25-12-69 से और 1 डाउन/2 अप बम्बई-हावड़ा (बरास्ता नागपुर) डाक गाड़ी का 1-1-70 से डीजलीकरण करके, उनमें क्रमशः 4 और 3 डिब्बे बढ़ाकर इन मार्गों पर अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था कर दी गई है।

मनीपुर में किये गये समाज कल्याण उपाय

284. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में मनीपुर के अनुसूचित जातियों वाले क्षेत्रों में कौन-कौन से समाज-कल्याण उपाय किये गये हैं; और

(ख) उस कार्य में कितनी राशि व्यय हुई तथा उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) 1969-70 में निम्नलिखित कल्याण उपाय किये गये हैं :

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां देना।

(2) कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।

(3) पीने के पानी की प्रदाय।

(4) चिकित्सा सहायता की व्यवस्था।

(5) आवासीय सुविधाओं में सुधार।

(6) मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां देना।

(7) मेहतरों तथा संमार्जकों के काम की तथा रहने-सहने की परिस्थितियों में सुधार।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन (6) तथा (7) पर उल्लिखित योजनाओं के लिये क्रमशः 0.04 लाख रुपये तथा 0.50 लाख रुपये की राशियों का आवंटन किया गया है। राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 10.00 लाख रुपये का मिश्रित परिव्यय स्वीकृत किया गया था। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा खर्च के ब्योरे की सूचना दी जायेगी।

मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों के लिये वितरकों का चयन

285. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में लोहे की नालीदार चादरों की मण्डी में, विनियंत्रण के पश्चात् भी, मुख्य रूप से एक ही व्यापारी का नियंत्रण है;

(ख) क्या मनीपुर की सरकार मनीपुर से, वितरक के रूप में माल प्राप्त करने और विक्रय के लिए केवल एक ही व्यापारी का नाम अपनी सिफारिश के साथ भेजती है, जब कि इस सिफारिश के लिए कई फर्मों ने आवेदन-पत्र दिये थे;

(ग) यदि हां, तो विनियंत्रण के पश्चात् भी एकाधिकार संभरण बनाये रखने का क्या कारण है; और

(घ) यदि अधिक व्यापारियों को वितरक के रूप में नियुक्त किया जाये तो, क्या लोहे की नालीदार चादरों के मूल्य और उसकी उपलब्धता में सुधार नहीं होगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). इस समय लोहे और इस्पात के उत्पादों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और लोहे और इस्पात का व्यापार करने के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सामान्य व्यापारिक ढंग से लोहे और इस्पात का व्यापार कर सकता है। वास्तव में मणिपुर में एक से अधिक व्यापारी नालीदार चादरें बेच रहे हैं। लेकिन 1 मई, 1967 से इस्पात पर से नियंत्रण हटाने के पूर्व लोहे और इस्पात के व्यापार के लिये रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। नियंत्रण हटाने से पहले मणिपुर से लोहे की नालीदार चादरों की बिक्री के लिये एक रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट था और नियंत्रण हटाने के बाद अब भी वह लोहे और इस्पात की बिक्री कर रहा है।

जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, मुख्य उत्पादक निम्नलिखित दर पर लोहे की जस्ती चादरों की बिक्री करते हैं :

		(प्रति टन)
	परीक्षित	अपरीक्षित
नालीदार सादी/जस्ती चादरें	1866 रु०	1846 रु०

ठण्डी बेलित इस्पात से बनाई गई जस्ती चादरों के लिए प्रति टन 175 रुपया अधिक लगेगा।

मूल्य निर्धारण और वितरण के लिये कानूनी नियंत्रण के अभाव में सरकार के पास कोई ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है, जिससे खुले बाजार के उस मूल्य पर रोक लगाई जा सके जो स्वभावतः मांग और आपूर्ति की स्थिति से प्रभावित होते रहते हैं। परन्तु लोहे की नालीदार चादरों की उपलब्धि व्यापारियों की संख्या पर निर्भर नहीं है। वास्तविक उपभोक्ता इन चादरों को प्रमुख उत्पादकों से सीधा प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में इस समय लोहे की नालीदार चादरों की कोई कमी नहीं है और वास्तविक उपभोक्ताओं की मांगें संपूर्ण रूप से पूरी की जा रही हैं।

Expansion of Waiting Rooms/Parcel Rooms/Railway Stations between Bhusawal and Itarsi (Central Railway)

286. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has formulated a scheme for the expansion of several Railway stations, including waiting rooms and parcel Rooms which are situated on the Bhusawal—Itarsi Section of the Central Railway;

(b) if so, the names of the Railway stations, waiting rooms and parcel rooms included in the said scheme; and

(c) whether there are any other expansion schemes and if so, the details thereof?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) to (c). A scheme for the expansion/extension of the facilities on the under mentioned stations of Bhusawal—Itarsi section of Central Railway has been proposed:

(i) Provision of waiting halls at Chhidgaon and Masangaon.

(ii) Extension of parcel accommodation at Burhanpur.

(iii) Provision of latrine blocks at Duskheda, Ashirgarh Road and Khaigaon.

(iv) Provision of flush type latrines to 3rd class waiting hall and upper class waiting room at Harda.

Expansion of waiting halls at Singaji and Bagmar and provision of new parcel room at Timarni are under examination. There are no other approved expansion schemes at present for passenger amenities at other stations on this section.

Assistance for Development of Small Scale Industries in Madhya Pradesh

287. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the details of the Central assistance, if any, given during the last three years for the purpose of protecting, promoting and developing small scale industries in Madhya Pradesh; and

(b) the concrete results achieved with the help of such assistance?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) and (b). The development of small scale industries is primarily the responsibility of the State Government. The Government of India, however, helps in establishing Industrial Estates and also offers technical assistance through the Development Commissioner, Small Scale Industries. The Central assistance sanctioned to the Government of Madhya Pradesh during the last three years is as follows:

	Development of SSI		Industrial Estate
	Loans	Grants Rs. in lakhs	Loans
1966-67	9.50	4.40	10.00
1967-68	9.76	3.92	8.00
1968-69	3.68	10.73	3.63

Under the control of the Development Commissioner there is a Small Industries service institute at Indore which provides technical guidance to small scale entrepreneurs in the State of Madhya Pradesh. The Industrial Extension Service is intended to solve technical

problems of Small Scale Industries and help them in increasing the productivity through demonstration, research, dissemination of results of research and information on advancement recorded in various fields of science and technology as well as through provision of common service facilities and training. The National Small Industries Co-operation also offers hire-purchase facilities by supplying machinery, both indigenous and imported to Small Scale Units. 1142 machines valued at Rs. 1,21,21,175 were supplied by the National Small Industries Corporation to Small Scales Units in Madhya Pradesh upto 30.9.1969.

As a result of these programmes and assistance, 24 Industrial Estates were functioning as on 31-3-69 accounting for an annual production worth Rs. 4,10,56,330.

Applications received from Madhya Pradesh for Industrial Licences

288. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of applications received from Madhya Pradesh in 1969-70 for licences for setting up new industries; and

(b) the number of applicants who have been issued licences along with the names of the industries for which they have been issued?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) During the year 1969, 16 applications for industrial licences were received for the setting up of new industrial undertakings in Madhya Pradesh.

(a) 11 applications have been rejected and the remaining 5 applications are under consideration. No licence has so far been issued to any of the applicants.

Establishment of Big Industries in Madhya Pradesh

289. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to undertake economic survey of Madhya Pradesh with the help of the State Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of big industries established in Madhya Pradesh during the last three Five Year Plans, Plan-wise;

(d) the percentage of industrial development achieved in Madhya Pradesh during the last three Plans as compared to the All-India figures of Industrial development;

(e) whether it is a fact that some areas in the State, which are fully capable of industrial development, have been entirely neglected; and

(f) if so, whether any proposal has been included in the Fourth Plan for the establishment of industries in these areas?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) to (f). The assessment of the potentialities for industrial development in a State is undertaken by the State Government concerned through suitable agencies, as considered necessary for the purpose.

Statement giving the list of the Central Industrial Projects set up during the last three Five Year Plans, plan-wise in various States including Madhya Pradesh has already been laid

on the Table of the House on the 13th November, 1968 in reply to Starred Question No. 61 regarding Central Industrial Projects by Shri Hardayal Devgun. Among the major industrial projects set up by the State Government during this period are: Gwalior Engineering Works; Gwalior Leather Factory; Gwalior Pottery; Cotton Spinning Mill; Power Alcohol Plant and Cotton Seed Solvent Extraction Plant.

In deciding the locations of public sector projects; various techno-economic considerations, including the relative industrial backwardness of different regions and States are taken into account. The entire area of a State is normally taken as one single unit in planning for industrial development.

The Central Industrial Projects to be set up during Fourth Five Year Plan and the investments proposed to be made in them are given on pages 253-260 of the Draft Four Five Year Plan Report. The projects to be set up in Madhya Pradesh during the Fourth Plan are also mentioned there. In so far as projects, locations for which have not yet been decided, are concerned it is not possible to state at this stage, which of such projects, if any will be located in Madhya Pradesh. Over and above the investment that will be made on these projects, an outlay of Rs. 7.50 crores on large and medium industries and Rs. 6 crores on village and small industries has been proposed under the State Sector during the Fourth Plan.

The programme in the Fourth Plan envisages the following schemes in the State Sector:

1. Investment in the share capital of Madhya Pradesh State Industrial Corporation.
2. Industrial Area Bhilai.
3. Completion of other Industrial Areas.
4. Industrial Project Reports and Surveys.
5. Financial participations in Industries through Madhya Pradesh Industrial Development Corporation.

The net value added by industries is an indicator of Industrial Development. On an All India basis this figure increased by 50%, 208% and 500% over the figure of 1950, in 1955, 1960 and 1965 respectively. The net value added by industries in respect of Madhya Pradesh increased by 40%, 250% and 715% over the figure of 1950, in the 1955, 1960 and 1965 respectively.

Profit Earned by Central Railway

290. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the amount of profit earned by the Central Railway during the last three years; and

(b) whether it is a fact that the said Railway earned a large profit and, if so, the reasons for not increasing the number of trains run with diesel?

The Minister of Railways (Shri Nanda):

(a) 1966-67 = Rs. 4.58 Crores.

1967-68 = Rs. 2.41 Crores.

1968-69 = Rs. 6.65 Crores.

(b) The number ef trains run with diesels depend on the density of traffic and the capacity available on different sections of individual Railways. Allocation of diesels to different Railways is done on all India basis giving preference to sections reaching saturation due to

increasing train services, as dieselisation with higher speed and increased load of trains permit clearance of more traffic over these saturated sections. Keeping this objective in view, posting of diesel engines on Central Railway also has been progressively increased as may be seen from the following figures:

Year	**Average number of diesels used on Central Railway**
1966-67	103
1967-68	118
1968-69	144
By the end of 1969	175

निर्यात प्रधान उत्पादन में जापानी पूंजी निवेश की सम्भावना

291. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री जि॰ मो॰ विस्वास: **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा जापानी प्रतिनिधि मण्डल के साथ की गई बातचीत से निर्यात प्रधान उत्पादन में जापानी पूंजी निवेश की सम्भावनाओं का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्भावना की खोज के लिए क्या उपाय कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). ऐसा समझा जाता है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा जापानी प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई बातचीत खोजबीन सम्बन्धी थी और भारतीय तथा जापानी उद्यमियों में पारस्परिक विचार विनिमय करके इसका क्षेत्र निर्धारण करना अभी बाकी है।

अल्वाय रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल

292. **श्री अ॰ कु॰ गोपालन :** **श्री पी॰ पी॰ एस्थोस :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कोई ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ हैं जिसमें अल्वाय रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल के निर्माण के लिये अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो देरी के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) अध्यक्ष, नगर परिषद्, अलवाय को सूचना दी गई है कि वांछित ऊपरी पुल एक अतिरिक्त सुविधा है। इसलिये पुल पर आने वाली सारी लागत या तो नगरपालिका या राज्य सरकार को वहन करनी होगी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

त्रिवेन्द्रम एरणाकुलम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

293. **श्री अ० कु० गोपालन** : **श्री पी० पी० एस्थोस** :
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी कार्य को दो वर्षों में पूरा किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य को कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अभी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ). तिरुवनन्तपुरम-कोल्लम-एरणाकुलम खण्ड के बदलाव का काम सर्वेक्षण के परिणाम प्राप्त होने पर और इस बदलाव को मिलने वाली प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

Construction of Over-Bridge at Banda Junction

294. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of worn out girders in Jhansi Division of the Central Railway and whether they would be auctioned ;

(b) whether Government would consider the construction of an over-bridge at Banda Junction to provide an exit for passengers for which eight old girders would be sufficient and old sheets of wagons can be used ;

(c) whether it is a fact that loss of life caused by trains to passengers at the time of crossing Railway line could be avoided in case the said bridge is built there ;

(d) whether it is also a fact that this suggestion was made earlier also but Government had replied that girders had been auctioned ; and

(e) whether girders cannot be brought from other places if they are not available there?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) None at present ; earlier, some girders released from bridges as a result of regirdering and classified as scrap, were disposed of.

(b) No, as there is no justification for an overbridge at this station from the railway's point of view.

(c) No, as only tresspassers have been involved in fatal accidents.

(d) In view of reply to (b) above, the question of agreeing to suggestion received by the Railway for putting up an overbridge, did not arise.

(e) Does not arise in view of reply to part (b) above.

Industries in U. P. during Fourth Plan

295. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :**

(a) the number of big and small industries which have been established in Uttar Pradesh during the first three Five Year Plans, Plan-wise and the names of the places ;

(b) the percentage of industrial development in Uttar Pradesh in proportion to that in the entire country during the aforesaid Plans ;

(c) whether it is a fact that some places of Uttar Pradesh, which are industrially competent or whose raw material is available such as Bundelkhand in Banda District where stone for the manufacture of cement; Aluminium and Sand for the manufacture of glass and bamboos for the paper industry are available, have been completely ignored ;

(d) whether there is a proposal for the establishment of new industries in the eastern districts of Uttar Pradesh and in Bundelkhand during the Fourth Five Year Plan ; and

(e) if so, the names of the industries and the places where these industries would be established ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (e). A statement giving the list of Central Industrial Projects and their locations set up during the first three Five Year Plans, plan-wise in various States including Uttar Pradesh has already been laid on the Table of the House on the 13th November, 1968 in reply to Starred Question No. 61 regarding Central Industrial Projects by Shri Hardayal Devgun. About 10,400 small scale units established in Uttar Pradesh were registered by the State Director of Industries during the Third Five Year Plan period. Similar data for the earlier two plan periods is not available.

In deciding the locations of public sector projects, various techno-economic considerations including the relative industrial backwardness of different regions and States are taken into account. The entire area of a State is normally taken as one single unit in planning for industrial development. The availability of raw-materials etc. in various localities of the State including the Bundelkhaod area is indicated in the repert submitted by the National Council of Applied Economic Research (NCAER) on the techno-economic survey of U. P. The Central Government have no proposal under their consideration to start industries based on the raw-materials mentioned in Bundelkhand.

The Central industrial projects proposed to be set up in the Fourth Five Year Plan are indicated at pages 253-260 of the Draft Fourth Five Year Plan Report. A provision has been made in the Plan for the completion of the Triveni Structurals project at Naini (Allahabad) and Heavy Electrical Equipment Factory at Hardwar. It has also been decided to set up a factory for the manufacture of Transmission Equipment as a unit of the Indian Telephone Industries and a new public sector project for the manufacture of pumps and compressors at Naini (Allahabad).

Over and above the investment proposed to be made on the Central Government projects, an outlay of Rs. 23.72 crores on large and medium industries and Rs. 20.10 crores on village and small industries has been proposed under the State sector during the Fourth Five Year Plan period.

A special programme for the accelerated development of industries in the four eastern districts of Ghazipur, Jaunpur, Deoria and Azamgarh was taken up in 1964-65 on the recommendations of the Joint Study Team by the Planning Commission and the State Government. To promote the industrialisation in these areas, various promotional schemes under the village and small industries sector were launched including approval of loans and grants for setting up of industries, provision of assistance towards procurement of building materials like cement, power connections, controlled raw-materials and imported raw-materials and components, and of machines on hire purchase. In addition, training facilities in certain trades and technical know-how were also established as part of these promotional schemes.

The net value added by industries is an indicator of Industrial Development. On All India basis this figure increased by 50%, 208% and 500% over the figure of 1950, in 1955, 1960 and 1965 respectively. The net value added by industries in respect of Uttar Pradesh increased by 28%, 118% and 318% over the figure of 1950, in 1955, 1960 and 1965 respectively.

भारतीय रेलों का स्वायत्तशासी निगम के रूप में पुनर्गठन

296. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ की वार्षिक बैठक में भारतीय रेलों को स्वायत्तशासी निगम के रूप में पुनर्गठन करने का सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) तीव्र प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के उद्देश्य से समन्वित परिवहन व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पता चला है कि दिसम्बर, 1969 में आगरा में आल-इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के वार्षिक अभिसमय में इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया गया था।

(ख) सरकार भारतीय रेलों को स्वायत्त निगम बनाना आवश्यक नहीं समझती।

(ग) यात्री सेवाओं में समन्वय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से रेलें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संगठित राज्य सड़क परिवहन निगमों में धन लगाती है।

माल सेवाओं के बारे में परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण टूट-फूट को रोकने के लिये उपकरण का आविष्कार

297. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक इंजीनियर ने गाड़ियों के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप होने वाली टूट-फूट को रोकने के लिये एक उपकरण का आविष्कार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस उपकरण से सम्बन्धित प्रमुख व्योरा क्या है तथा उसकी लागत क्या है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने इस उपकरण को अनुमोदित कर दिया है ; और

(घ) इन उपकरणों को कब तथा कहां स्थापित करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). ऐसा जान पड़ता है कि प्रश्न का आशय बिजनौर के श्री के० नारायण की उस युक्ति से है जिसे गाड़ियों के पटरी से उतर जाने के कारण होने वाली क्षति के निवारण के लिए उन्होंने निकाला है । यह युक्ति इस सिद्धांत परआधारित है कि गाड़ी के पटरी से उतरने की स्थिति में उसके निर्वात ब्रेक सर्किट में हवा स्वतः घुस जायेगी । श्री नारायण का मत है कि यह युक्ति मालडिब्बे के धुरा-बक्स में फिट की जा सकती है और उसमें बाहर निकलते हुए एक ऐसे पाये की व्यवस्था रहेगी जो पटरी की सतह से चार इंच ऊपर होगा । गाड़ी के पटरी से उतरने की स्थिति में, यह पाया पटरियों पर आघात करेगा जिसके परिणामस्वरूप होल्डिग पिन टूट जायेगा । इससे ढलवां लोहे का फ्लैंज टूट जायेगा और गाड़ी-पाइप में हवा भर जायेगी और इस प्रकार ब्रेक स्वतः लग जायेगा ।

श्री नारायण द्वारा प्रस्तुत युक्ति के आरेख की उत्तर रेल प्रशासन और लखनऊ स्थित अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा विस्तृत जांच की गयी लेकिन जांच से मालूम हुआ कि युक्ति व्यावहारिक नहीं है । श्री नारायण को तदनुसार सूचित कर दिया गया । इस युक्ति के बारे में, उन्होंने, एक दूसरा पत्र भेजा है जिसकी जांच की जा रही है । परमित अनुमान के अनुसार प्रति चौपहिया माल-डिब्बा उपस्कर की लागत 50 रुपये आयेगी; फलस्वरूप अनुरक्षण की लागत के अलावा लगभग 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजीगत खर्च करना पड़ेगा ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

छोटे पैमाने के उद्योगों को कानूनी संरक्षण

298. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने छोटे पैमाने के उद्योगों का शीघ्र विकास करने के लिये उन्हें कानूनी संरक्षण देने की अत्यधिक हिमायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Distance Limits between Polling Booths and Residendences of Voters

299. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of voters in the country at present ;

(b) whether Government have fixed a distance limit that should exist between a polling booth and the residence of a voter ;

(c) if so, the minimum and the maximum distance fixed for this purpose ;

(d) whether any proposal for further reducing the distance of a polling booth is under consideration of Government ; and

(e) if so, the number of additional polling booths expected to be set up all over the country ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon): (a) About 280 million.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

(d) The Election Commission is considering proposals aimed at progressively reducing the distance which a voter may have to walk so as to reach his polling station.

(e) About 1,40,000.

Cases of Loot, Murders and Dacoities on Central Railway

300. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of looting, murders and dacoities that took place on the Central Railway during the last three years, separately ;

(b) the number of those among them which were registered, separately ;

(c) the number of persons arrested and of those against whom prosecutions were launched in this connection ;

(d) the number of those among them who were convicted and also of those acquitted by courts, separately ; and

(e) the number of those cases which are at present pending in the courts ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Incidents of Chain Pulling and Cases of Pilferage of Goods on Northern Railway

301. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases in which trains were stopped by pulling the chain during the last two years on the Northern Railway ;

(b) the number of cases of pilferage of the goods booked from this Railway which have been registered during the aforesaid period ;

(c) the quantum of goods recovered as a result of investigations and the number of persons arrested in this connection ; and

(d) the number of persons against whom suits were filed, the number of those awarded punishment and the number of cases under considerasion at present ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) :

(a)	1968	—	44,843	
	1969	—	50,794	
(b)	1968	—	383	
	1969	—	40	

		1968	1969
(c)	Value of property recovered.	Rs. 2,233	Rs. 524
	Number of persons arrested.	102	29
(d)	Number of persons prosecuted.	69	6
	Number of persons convicted.	22	3
	Number of cases under consideration.	Not available	Not available.

Incidence of Chain Pulling and Cases of Pilferage of Goods on Central Railway

302. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases in which trains were stopped by pulling chain during the last two years on the Central Railway ;

(b) the number of cases of pilferage of the goods sent by Railways, which have been registered during the aforesaid period ;

(c) the quantum of goods recovered as a result of investigations and the number of persons arrested in this conneetion ; and

(d) the number of persons against whom suits were filed, the number of those awarded punishment and the number of cases under consideration at present ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) :

(a)	1968	—	12,370
	1969	—	13,194
(b)	1968	—	325
	1969	—	241

		1968	1969
(c)	Value of property recovered.	Rs. 17,389	Rs. 9,398
	Number of persons arrested.	348	205
(d)	Number of persons prosecuted.	269	155
	Number of persons convicted.	143	58
	Number of cases under consideration.	Not available	Not available.

स्टेन्सिल बनाने के लिए मैसर्स भारत कार्बन्स को लाइसेंस देने में देरी

303. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत कार्बन्स के श्री बतरा द्वारा एकाधिकार जांच आयोग के सम्मुख लगाये इस आशय के आरोप की जांच कर ली है कि स्टेन्सिल बनाने के लिये मशीनें आयात करने हेतु उनकी फर्म को मंजूर किया गया लाइसेंस इस कारण जारी नहीं किया गया क्योंकि बिड़ला उद्योग समूह की कोरम कम्पनी द्वारा सरकारी अधिकारियों पर दबाव डाला गया ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारी कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है ; यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(घ) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कैरा सहकारी समिति द्वारा निर्मित माल

304. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैरा सहकारी समिति के डा० कुरियन द्वारा एकाधिकार जांच आयोग के समक्ष दिये गये इस वक्तव्य को देखा है कि ग्लैक्सो कम्पनी के लोगों ने उसे धमकी दी है कि वे इस समिति द्वारा निर्मित सभी माल को खरीदेंगे और उसे समुद्र में फेंक देंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन परिस्थितियों में यह धमकी दी गई उनके बारे में सरकार ने और आगे कोई जांच की है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उपरोक्त धमकियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ऐसा विधान बनायेगी ताकि एकाधिकारी छोटे-छोटे प्रतियोगियों को धमकियां न दे सकें ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) से (ङ). एकाधिकार एवं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, अधिनियमित हो चुका है, एवं थोड़े से मासों में जब यह लागू हो जायेगा, तो इस प्रकार की एकाधिकारात्मक प्रक्रियाओं के लिये, कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

305. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1970 के आरम्भ में इस्पात के मूल्यों में वृद्धि घोषित किये जाने के फलस्वरूप, सरकार को देश में किन्हीं निर्माताओं से कोई रिपोर्ट अथवा सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि किये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा उनका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का यह अनुमान है कि इस्पात के मूल्य में वृद्धि होने से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) तथा (घ). इस्पात के मूल्यों में पुनरीक्षण का विस्तृत उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं।

बोकारो इस्पात संयंत्र को रिफ्रैक्टरियों की सप्लाई

306. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र को चालू करने में विलम्ब होने का कारण देश में बनी रिफ्रैक्टरियों की सप्लाई होना है ;

(ख) क्या यह सच है कि उद्योग के प्रतिनिधियों ने बताया है कि रूसी दबाव में बोकारो इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने अवास्तविक विशिष्टियां अपनाई हैं और इससे संभरण स्थिति कठिन हो गई ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को आसान बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। बोकारो इस्पात कारखाने के उत्पादन आरम्भ कार्यक्रम में परिवर्तन करने का

एक मुख्य कारण देशीय निर्माताओं द्वारा उष्मसह की आपूर्ति में विलम्ब भी था ।

(ख) जी, नहीं । उष्मसह के देशीय निर्माताओं ने केवल इतना ही कहा है कि विशिष्टियां और निरीक्षण प्रक्रिया कुछ कठोर है ।

(ग) रूस से 22,000 टन उष्मसह के आयात के लिए आर्डर दे दिये गये हैं। कारखाने को चालू करने के कार्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए रूस से 24,063 टन विशेष प्रकार के उष्मसह आयात करने का भी विचार है । देशीय श्रोतों से उष्मसह की आपूर्ति के मामले में निरीक्षण प्रक्रिया में कुछ ढील दी गई है परन्तु इससे उष्मसह की क्वालिटी में कोई अन्तर नहीं आयेगा ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ह्वील तथा एक्सल संयंत्र में कम उत्पादन

307. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की पूरी सप्लाई होने के बावजूद भी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का ह्वील तथा एक्सल संयंत्र उत्पादन की निर्धारित क्षमता तक नहीं पहुंचा है;

(ख) क्या इस संयंत्र के उत्पादन में इस कारण वृद्धि नहीं हो सकी ; क्योंकि कर्मचारी संघों के मध्य प्रतिद्वंद्विता व्याप्त है ;

(ग) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के भार साधक निवेशक ने पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री को लिखा है कि यदि ह्वील तथा एक्सल संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि न हुई तो वह इस संयंत्र को बंद कर देने तथा इसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को स्थानान्तरित कर देने की सलाह देंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले से सम्बन्धित तथ्य क्या है तथा इस ह्वील तथा एक्सल संयंत्र को इसकी निर्धारित क्षमता तक पहुंचाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पहिए और धुरों का कारखाना अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त नहीं कर सका है। निर्धारित क्षमता प्राप्त न कर सकने का कारण इस्पात की सप्लाई से सम्बद्ध नहीं है।

(ख) कम उत्पादन का एक कारण अन्तर-यूनियन प्रतिद्वन्द्विता है ।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रभारी निदेशक ने मान्यता प्राप्त हिन्दुस्तान स्टील इम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि यदि पहिए और धुरों के कारखाने के उत्पादन में सुधार नहीं हुआ तो कारखाना बन्द कर दिया जा सकता है। इस पत्र की एक प्रतिलिपि पश्चिमी बंगाल के उप-मुख्य मंत्री को भेजी गई थी ।

(घ) इस कारखाने का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं, यथा पाण्डे

समिति, और मांकहाउस तथा कर्फ, दो अंग्रेज विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार एक नई प्रोत्साहन वेतन योजना लागू करना, समतुलन सुविधायें लगाना, मशीनों और उपकरणों की मरम्मत, फालतू पुर्जे प्राप्त करना आदि।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान में कच्ची ऊन का वितरण

308. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान में अकालग्रस्त क्षेत्रों में कताई के लिए कच्ची ऊन वितरित करने का काम अपने हाथ में लिया था ताकि अकाल-पीड़ित लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग ने अब कच्ची ऊन का वितरण बन्द कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या कच्ची ऊन का वितरण अस्थायी तौर पर बन्द किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक वितरण पुनः आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) रोजगार के अवसरों की उस क्षमता का ब्यौरा क्या है जो आयोग द्वारा आरम्भ की गई परियोजना के फलस्वरूप स्थापित की गई थी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट उद्योग में एकाधिकार समाप्त करना

309. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्यों ने सीमेंट उद्योग में एकाधिकार समाप्त करने तथा सीमेंट से नियंत्रण हटाये जाने के बाद उसका उचित वितरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने का सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा मैंने 22 दिसम्बर, 1969 को लोक सभा में वक्तव्य दिया था, सरकार ने फिलहाल 31-12-1969 के बाद भी सीमेंट की बिक्री के लिये इस समय चल रहे गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा सहित तथा भाड़ा पूलिंग व्यवस्था को ही चालू रखने का फैसला किया है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में संकट

310. **श्री उमानाथ :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सत्य नारायण सिंह :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स घाटे में चल रहा है तथा संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सुचारुरूप से चलाने का कोई विशेष कार्यक्रम है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). यद्यपि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० में घाटे हुए हैं फिर भी इस प्रकार की जटिल सामग्री बनाने वाली पूंजी प्रधान परियोजना के लिये उसके प्रारम्भिक वर्षों में इस प्रकार के घाटे का होना कोई असामान्य बात नहीं है । कम्पनी किसी संकट में फंस गई है । यह कहना निराधार है । इस कम्पनी के त्रिचुरापल्ली स्थित हाई प्रेशर बायलर संयंत्र ने 1967-68 से लाभ कमाना शुरू कर दिया है ।

(ग) और (घ). इस कम्पनी के एककों को अपने उत्पादन में यथाशीघ्र विविधता लाकर इन्हें लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से इनको अधिकाधिक क्रयादेश प्राप्त कराने के बराबर प्रयास किये जा रहे हैं ।

Dispersal of Small and Medium Scale Entrepreneurship for Development of India

311. **Shri B. K. Daschowdhury** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the dispersal of small and medium scale

entrepreneurship, backed by a motive of social service before personal gains, in rectifying the process of lop-sided development in the country ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trande and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b). Yes, Sir. The considerations mentioned by the Honourable Member have also been taken into account in the revised licensing policy formulated by Government recently. A copy each of the Press Note dated 18-2-70 and the two Notifications dated 19-2-70 issued in this regard is attached. It would be seen from these announcements that exemption from licensing has been given to small scale and medium-scale units having fixed assets upto Rs. 1 crore subject to certain conditions. These conditions are intended to ensure, among others, that exemption is not availed of by industrial undertakings which belong to Larger Industrial Houses, or which form a company, or a branch or a subsidiary of a foreign company or which is a dominant undertaking as defined in Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969. It has also been decided that preference will be given in licensing to applicants from cooperative sector in respect of agro-industries, particularly undertakings processing sugar cane, jute and other agricultural commodities. **[Placed in Library. See No. LT 2579/70]**

सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1969

313. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रैल, 1969 का सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश को असंवैधानिक घोषित किया है क्योंकि उसने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) उपर्युक्त निर्णय के विषय में सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय की प्रभाग शाखा के समक्ष एक अपील करने का निश्चय किया है ।

सरकारी उपक्रमों में रूसी तकनीशियनों के लिये क्लब

314. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरी निगम तथा अन्य रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में रूसी तकनीशियनों तथा विशेषज्ञों के एकमात्र उपयोग के लिये अलग क्लब खोले गये हैं तथा वे सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं में केवल रूसियों के लिए तैराकी तालाबों का भी निर्माण किया गया है ;

(ग) क्या भारतीयों को इन तैराकी तालाबों अथवा क्लब परिसरों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा केवल रूसियों के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या विभिन्न परियोजनाओं में भी अन्य विदेशी विशेषज्ञों में तथा तकनीशियनों के लिए भी ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की शिकायतें

316. **श्री पी० सी० अदिचन :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री प्रिय गुप्त के नेतृत्व में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल 5 जनवरी, 1970 को भारत के राष्ट्रपति से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति के समक्ष क्या-क्या शिकायतें रखी गईं ; और

(ग) उनकी मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के एक प्रतिनिधि-मंडल ने 3 जनवरी, 1970 को राष्ट्रपति को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने 19-9-1968 और जुलाई, 1960 को हड़तालों में भाग लिया था, निम्नलिखित शिकायतें शामिल थीं :

(1) 19-9-68 की हड़ताल के सम्बन्ध में निलम्बित और सेवामुक्त किये गये 99 कर्मचारियों की बहाली।

(2) उपर्युक्त हड़ताल से सम्बन्धित अदालती मामलों की वापसी।

(3) उपर्युक्त हड़ताल के दौरान पुलिस के गोली चलाने से मारे गये रेलकर्मचारियों के परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति।

(4) हड़ताल में भाग लेने वालों के सेवा-भंग की माफी।

(5) द्विपक्षीय वार्तातंत्रों को पुनर्जीवित करना और सक्रिय बनाना।

(6) 1960 की हड़ताल के सम्बन्ध में दक्षिण-मध्य रेलवे पर सेवामुक्त या बरखास्त किये गये कर्मचारियों की बहाली।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें उपर्युक्त मुद्दों के आमने-सामने तत्सम्बन्धी टिप्पणियां दी हुई हैं।

विवरण

आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन की मागें	टिप्पणियां
(1) 99 निलम्बित या सेवामुक्त कर्मचारियों की बहाली।	जनवरी, 1970 के अन्त में 94 कर्मचारी ऐसे थे जो 19-9-68 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में निलम्बित पड़े थे या सेवा-मुक्त किये हुये थे। रेल प्रशासनों को ऐसी हिदायतें दे दी गयी हैं कि अदालती मामलों में सजा मिलने के फलस्वरूप की जाने योग्य कार्यवाही की अवहेलना न करते हुए ऐसे कर्मचारियों को सेवा में वापस ले लें।
(2) सभी अदालती मामलों की वापसी	सरकार की नीति न्याय की सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की नहीं बल्कि कानून को अपना कार्य करते रहने देने की है।
(3) पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से मारे गये रेल कर्मचारियों के परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति।	राज्य सरकारों ने उन सभी मामलों में जिनमें उन्होंने आवश्यक समझा, मुआवजा दे दिया है।
(4) 19-9-1968 की हड़ताल में भाग लेने वालों के सेवा भंग की माफी।	इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इन मामलों में सेवा-भंग का दंड दिया गया है। फिर भी, इस सम्बन्ध में हिदायत दे दी गयी हैं कि कर्मचारियों के सम्बन्ध में, सामान्यतः पांच वर्ष की सेवा के पश्चात्, सेवा-भंग माफ कर दिया जाये, यदि कर्मचारी उसी दौरान मर जाये तो ऐसी माफी पहले भी दी जा सकती है।
(5) द्विपक्षीय वार्तातंत्रों को पुनर्जीवित करना और सक्रिय बनाना; और	आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन की समझौता सुविधाएं और इससे सम्बद्ध 6 यूनियनों की मान्यता जो 1968 में वापिस ले ली गयी थी, फिर से बहाल कर दी गई है और संयुक्त परामर्श तंत्र तथा स्थायी वार्तातंत्र के अन्तर्गत सभी स्तरों पर समझौता करने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गयी है।

आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन की मांगें	टिप्पणियां
(6) 1960 की हड़ताल के सम्बन्ध में दक्षिण मध्य रेलवे पर सेवामुक्त या बरखास्त किये गये कर्मचारियों की बहाली ।	उस समय लिये गये निर्णयों के अनुसार ये मामले निपटाये गये थे और उन पर समय-समय पर, पुर्नविचार किया गया है। लगभग 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात इन मामलों को फिर से खोलना निरर्थक हैं।

कोडक कम्पनी के सहयोग से रंगीन फिल्म का उत्पादन

317. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री अदिचन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन कच्ची फिल्म के उत्पादन के लिए मैसर्ज कोडक्स के साथ सहयोग का कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सहयोग की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र में रंगीन फिल्मों के उत्पादन के लिए विदेशी सहयोग तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न और उपलब्ध की जाने वाली अन्य सहायता तथा उनकी शर्तें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना

318. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस प्रश्न पर निर्णय ले लिया है कि पांचवां इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस्पात की अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए नये कारखाने स्थापित करने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है। कारखाने के स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

319. **श्री हिम्मत सिंहका:**
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 के पहले नौ महीनों में गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ है ;

(ग) वर्ष 1969 में किन क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन कम हुआ था और प्रत्येक मामले में कितना कम हुआ था और उसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जी, नहीं । औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक जो औद्योगिक विकास का एक परम्परागत संकेतक है 1969 में जनवरी से अगस्त 1968 में 159.3 से 170.6 तक हो गया है (सितम्बर, 1969 के लिये सूचकांक अभी उपलब्ध नहीं है), इस प्रकार लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । तथापि औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सामान्य रूप से सुधार हुआ था, परन्तु कुछ क्षेत्रों में कमियां भी रहीं, विशेषकर के भारी इंजीनियरी उद्योगों में जैसे भारी ढांचे, पारेषण टावर बायलरों, सीमेंट बनाने वाली मशीनें इत्यादि जिन्होंने समीक्षाधीन अवधि में उत्पादन में कमी दिखाई है । इसका मुख्य कारण मांग में कमी होना, श्रमिक व्यवधान तथा कच्चे मालों की कमी थी ।

जनवरी से सितम्बर, 1969 की अवधि में प्रभावित उद्योगों के उत्पादन तथा साथ ही गत वर्ष के तदनुरूप आंकड़े दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2580/70]**

राजनैतिक चन्दों पर प्रतिबन्ध का 'स्मारिकाओं के माध्यम से निष्क्रिय किया जाना

320. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है अथवा सरकार ने राजनैतिक दलों तथा कम्पनियों द्वारा 'स्मारिकाओं' के माध्यम से जिन पर विज्ञापनों के लिये अत्यन्त ऊंची दरें ली तथा दी जाती हैं, धन वसूल करके राजनैतिक चन्दों पर लगे कानूनी प्रतिबन्ध को निष्क्रिय करने के प्रयत्नों की सार्थकता पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार दोनों कांग्रेस दलों द्वारा अपने अहमदाबाद तथा बम्बई अधिवेशनों के अवसरों पर जारी की गई स्मारिकाओं द्वारा प्राप्त धनराशि के बारे में जांच करेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का इस प्रकार अवैध ढंग से स्मारिकाओं के माध्यम से चन्दा प्राप्त करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (घ). हां, श्रीमान् । सरकार ने, इस कानूनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुये, सम्पूर्ण वाणिज्य मंडलों को एक परिचालन पत्र प्रेषित किया है; कि राजनैतिक दलों द्वारा प्रेषित स्मारिकाओं के लिये अंशदान, यदि इनके विज्ञापनों के लिये कोई यथार्थ तत् प्रति तत् नहीं है, तो यह कम्पनी अधिनियम की धारा 293-क की कुचेस्टाओं के अन्तर्गत आता है ।

(ख) तथा (ग). सरकार के पास, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत राजनैतिक पार्टियों को उनके द्वारा प्रेषित स्मारिकाओं के ग्रस्त राशि की बाबत सूचना भेजने के निर्देश देने की शक्ति नहीं है । और न सरकार कम्पनियों के विरुद्ध ही कोई कार्यवाही कर सकती है, जब तक कि, इस प्रकार के अंश दान तुलन-पत्रों में प्रकट नहीं किये जाते अथवा, रजिस्ट्रारों द्वारा, किसी अंशदायी जमाकर्ता या कम्पनी के व्यापार में संलग्न किसी अन्य व्यक्ति से, कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती या इस प्रकार के लोग उल्लंघनों का अन्य किसी रूप से प्राधिकारियों को ज्ञान नहीं होता ।

साहू जैन उद्योग समूह को दिया गया शयर मूल्य

321. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत मिली है कि मध्यस्थ साहू जैन उद्योग समूह को शेयर मूल्य के रूप अत्यधिक राशि दी है ;

(ख) क्या अन्य अंशधारी भी अब उनके द्वारा सरकार को बेचे जाने वाले शेयरों का उतना ही मूल्य मांग रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मध्यस्थ के पंचाट को अभिनत/दूषित आदि के रूप में चुनौती देने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । संसद सदस्य श्री मधु लिमये का दिनांक 22-9-69 का एक पत्र प्राप्त हुआ था तथा उन्हें उसका उत्तर भी भेज दिया गया है ।

(ख) जेसफ एण्ड कम्पनी लि० के कुल अन्य अंशधारियों से भी उनके शेयरों की भी साहू जैन लि० तथा उनके समूह को अदा किए गए मूल्य दर से खरीद करने के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । पार्टियों को सूचित कर दिया गया है कि सरकार का इस कम्पनी में और अतिरिक्त अंश खरीदने का विचार नहीं है ।

(ग) तथा (घ). सरकार ने मध्यस्थ को पंचाट को पहले ही स्वीकार कर लिया है ।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल से प्रभावित कर्मचारी

322. **श्री मधु लिमये:**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के ऐसे रेलवे कर्मचारियों की जोनवार कुल संख्या क्या है जिनके ऊपर 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) इनमें से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक नौकरी पर बहाल नहीं किया गया है या जिनकी मुअत्तिली के आदेश अभी तक रद्द नहीं किये गये हैं ;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की खण्डवार कुल संख्या क्या है जिनकी सेवा में भंग किया गया है ? जिनकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोक दी गई है अथवा जिनके विरुद्ध इस एक दिन की हड़ताल के सम्बन्ध में अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हैं ;

(घ) उन कर्मचारी-संघों के क्या नाम है जिनकी मान्यता अभी तक बहाल नहीं की गई है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को रद्द करने, फिर से "पूर्व स्थिति" स्थापित करने तथा उनके विरुद्ध मामले वापस लेने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसी प्रतिशोधात्मक नीति जारी रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अनुबन्ध-1 के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

(ख) वे सभी कर्मचारी, जिन्हें निलम्बित किया गया था अथवा सेवामुक्त कर दिया गया था, लेकिन इन मामलों में अन्ततः जो अनुशासन की कार्रवाई की जा सकती है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) (i) अनुबन्ध-2 के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें उन कर्मचारियों की संख्या दी गयी है जिनकी सेवा भंग हो गयी है।

(ii) जिन कर्मचारियों के विरुद्ध दूसरी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी, उनकी संख्या इकट्ठी की जा रही है।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) और (च). जिन मामलों में दण्ड दिये गये हैं उनमें दण्ड समय-समय पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों के अनुरूप हैं। बदला लेने की कोई नीति नहीं अपनायी गयी है। मामले विभिन्न न्यायालयों में जो चल रहे हैं उनमें हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है।

विवरण

अनुबन्ध-1

उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं।

रेलवे	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में मामले चल रहे हैं।
पूर्व	84
उत्तर	1444
पूर्वोत्तर	92
पूर्वोत्तर सीमा	3
दक्षिण	37
दक्षिण-मध्य	19
दक्षिण-पूर्व	160
पश्चिम	5
	1844

अनुबन्ध-2

उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवा भंग की गयी है।

रेलवे	उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी सेवा भंग की गयी है।
पूर्व	4221
उत्तर	19428
पूर्वोत्तर	7855
पूर्वोत्तर सीमा	4462
दक्षिण	5629
दक्षिण-मध्य	204
दक्षिण-पूर्व	1287
पश्चिम	8
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	3096
सवारी डिब्बा कारखाना	169
	46,359

मेन तथा लूप लाइनों (पूर्व रेलवे) पर रेलगाड़ियों की स्थिति

323. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्व रेलवे की मेन लाइनों तथा साहिबगंज लूप लाइन पर रेलगाड़ियों की शोचनीय स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या इन रेलगाड़ियों में फिर से पंखे तथा रोशनी लगवाने, टंकियों में पानी उपलब्ध कराने, विभिन्न श्रेणियों में सीटों की मरम्मत कराने, जंजीर खींच कर बिना टिकट यात्रा को रोकने, तथा सर्वोपरि इस क्षेत्र में रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने को रोकने के लिये कोई प्रयत्न किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). मुख्य लाइन और साहिबगंज लूप लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के सवारी डिब्बों की सुविधा और संरक्षा सम्बन्धी फिटिंग का उपयुक्त अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किये जाते हैं । टिकट जांच करने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों, सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारियों और मजिस्ट्रेटों की सहायता से बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध प्रायः छापे मारे जाते हैं ।

खतरे की जंजीर का दुरुपयोग रोकने के लिये रेलों द्वारा एक प्रचार अभियान चलाया गया है । खतरे की जंजीर खींचने के जो बुरे परिणाम निकलते हैं, उनसे यात्रियों को अवगत कराने के लिए उनमें पर्चे बांटे जाते हैं और शिक्षा संस्थाओं में छात्रों के लिए भाषण आयोजित किये जाते हैं ।

सवारी गाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिये सतत प्रयास किये जा रहे हैं और इसके लिए साइंथिया और बड़हरवा के बीच दोहरी लाइन बिछायी जा रही है । साहिबगंज लूप लाइन पर गाड़ियों के समय पर न चलने का कारण यह है कि वहां खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं और केबुल की चोरी के कारण लम्बे अर्से तक नियंत्रण परिपथ नाकाम हो जाते हैं ।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

324. **श्री मधु लिमये :**
श्री प्रेमचन्द वर्मा :
श्री विक्रमचन्द महाजन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में विभिन्न इस्पात उत्पादकों के मूल्यों में कितनी वृद्धि के लिए अनुमति दी गयी है ;

(ख) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डिया आयरन एण्ड स्टील कंपनी के प्रबंधकों के दबाव में आकर ऐसा किया गया है ;

(ग) क्या यह निर्णय किये जाने का एक कारण यह भी है कि सरकारी क्षेत्र के हिंन्दुस्तान स्टील में कुप्रबन्ध के कारण जो भारी हानि हो रही है उसे कम किया जाये ;

(घ) यदि नहीं, तो इस वृद्धि के क्या कारण है ; और

(ङ) सामान्य मूल्य स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) संलग्न विवरण में विभिन्न उत्पादों के मूल्य में सरकार द्वारा अनुमति वृद्धि दिखाई गई है ।

(ख) से (घ). इस्पात के तीनों प्रमुख उत्पादकों से इस्पात की मूल्य की वृद्धि के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे । इन प्रतिवेदनों की जांच करने के पश्चात् सरकार ने मूल्य वृद्धि की अनुमति दी जिसमें इसका ध्यान रखा गया कि अप्रतिपूर्ति लागत वृद्धि, वेतन-वृद्धि और इस्पात कंपनियों के पुराने पुर्जों को बदलने तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले आंतरिक खर्चों के लिए आन्तरिक स्रोतों की वृद्धि की जा सके ।

(ङ) लोहा और इस्पात के उत्पादों के थोक मूल्य का सूचकांक, जो 1961-62 में 100 था, मूल्य वृद्धि से पहले 27 दिसम्बर, 1969 को 149.3 था और मूल्य वृद्धि के बाद 3 जनवरी, 1970 को 154.6 तक बढ़ा दिया गया । उसी अवधि में सभी वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचकांक 171.8 से बढ़कर 173.2 हो गये ।

विवरण

1-1-70 से अनुमति दी गई मूल्य वृद्धि

माल	रुपये प्रति मीटरी टन
(क) **विक्रेय इस्पात**	
1. जस्ती चादरें	62
2. गर्म बेलित/ठंडी बेलित चादरें और क्वायल	
(क) 20 गेज से ऊपर	207
(ख) 16 से 20 गेज तक	207
(ग) 10 से 14 गेज तक	103
3. परीक्षित प्लेट	103
4. स्केल्प	103
5. पहिये टायर और धुरे	103
6. रेल की पटरी—हल्की और भारी	41
7. संरचनात्मक—	
(क) ज्वास्ट्स	88
(ख) दूसरे	47

माल		रुपये प्रति मीटरी टन
8.	छड़ और गोल छड़	67
9.	बिलेट ब्लूम आदि	62
10.	स्लीपर	124
(ख)	**विक्रेय कच्चा लोहा**	
1.	स्टैण्डर्ड बेसिक	40
2.	फाउण्ड्री ग्रेड—4	55
3.	फाउण्ड्री ग्रेड—3	60
4.	फाउण्ड्री ग्रेड—2	65
5.	फाउण्ड्री ग्रेड—1	75

दिल्ली में भिक्षावृत्ति की समस्या

326. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में भिक्षावृत्ति की समस्या बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले दो वर्षों में राजधानी में भिखारियों की संख्या बढ़ गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा सितम्बर, 1969 में राजधानी में शीघ्रता से किए गये सर्वेक्षण के आधार पर राजधानी में भिखारियों की संख्या 3518 आंकी गई है। सामाजिक कार्य को दिल्ली स्कूल ने 1959 में जो सर्वेक्षण किया था, उसके अनुसार राजधानी में भिखारियों की संख्या 3,300 थी। पिछले दस वर्षों में नगर की सामान्य आबादी में हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुए दोनों सर्वेक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि भिक्षावृत्ति की समस्या कोई खास नहीं बढ़ी है।

(ख) हाल का सर्वेक्षण लगभग 10 वर्षों के बाद किए जाने के कारण पिछले दो वर्षों में भिखारियों की वास्तविक स्थिति को नहीं आंका जा सका।

(ग) राजधानी में भिक्षावृत्ति की समस्या को बम्बई भिक्षा निवारक अधिनियम, 1959 को, जिसे दिल्ली में लागू कर दिया गया है, लागू करके हल किया जा रहा है। आवश्यक संगठन तथा कानूनी संस्थाओं, जैसे कि सेवा कुटीर, दिल्ली, सेवा केन्द्र, नरेला, महिला सदन, महरौली तथा वृद्ध और अपंग भिखारियों के लिये गृह, नरेला, की व्यवस्था अधिनियम के अधीन कर दी गई है। अगले वर्ष 4 और भिखारी गृहों का प्रस्ताव किया गया है। भिक्षा अधिनियम के अधीन पकड़े गये व्यक्तियों को मुद्रण, धुलाई, बैंत के काम, राजगीरी, साबुन बनाने, बागवानी, खेती के काम, बेकरी इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

भारतीय रेलों में अपराध की घटनायें

327. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में अपराध के मामलों में गत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

जयपुर में ठग नटवरलाल की गिरफ्तारी

328. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुख्यात ठग नटवरलाल जयपुर में रेलवे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस ठग ने रेलवे से कितनी धनराशि की ठगी की थी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक श्री नटवर लाल द्वारा ठगी का केवल एक मामला पश्चिम रेलवे पर नजर में आया है । इस मामले से सम्बन्धित परेषण का मूल्य 22,000 रुपये था । लेकिन सारा माल बरामद कर लिया गया ।

धनुषकोडी रेलवे लाइन का पुनः चालू किया जाना

229. **श्री राम सिंह अयरवाल** :*
श्री न० कु० सांघी :
श्री दीवीकन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री लंका से स्वदेश भेजे जाने वाले व्यक्तियों को लाने के लिये धनुषकोडी रेलवे लाइन को पुनः चालू करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) रामेश्वरम रोड और धनुषकोडि के बीच के क्षेत्र में, जहां समुद्री कटाव और ज्वार भाटीय तंरगों के कारण स्थल रूप रेखा में काफी परिवर्तन हो गया है, रेल-पथ का अनुरक्षण करना अव्यावहारिक होने के कारण रामेश्वरम रोड और धनुषकोडि के बीच रेलवे लाइन को फिर से बिछाना सम्भव नहीं है ।

रेलवे के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार

330. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन का प्रचार रेलवे द्वारा रेलवे इंजनों पर तथा रेल के डिब्बों में बोर्ड तथा विज्ञापन लगाकर किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के परिणामों का मूल्यांकन किया गया है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय ने देश के बहुसंख्यक रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर और सीमित संख्या में भाप इंजनों के टेण्डरों पर और कुछ सवारी डिब्बों के भीतर भी परिवार नियोजन प्रचार की व्यवस्था की है ।

(ख) रेलवे द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

हरिद्वार स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट के लिये क्रयादेशों की कमी

331. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट के पास इस समय कोई क्रयादेश नहीं हैं जिससे वह 1972-73 के बाद कार्य कर सके ;

(ख) उस कारखाने की वर्तमान निर्माण अनुसूची के अनुसार 1971 के बाद तीन वर्षों में अनुमानतः कितनी फालतू क्षमता होगी ; और

(ग) रूस के इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज मंत्री श्री ए० के० एन्टोनोन जो दिसम्बर, 1969 में भारत आये थे, के साथ हुई बात-चीत का क्या परिणाम निकला तथा हरिद्वार परियोजना को दक्षतापूर्वक चलाने में कैसे सहायता देने का रूस सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 1971-72 तक के लिये हरिद्वार स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट की रूपरेखा स्थिति काफी सन्तोषजनक है तथा हाइड्रो पावर मोटरों तथा इसी प्रकार के अन्य सामान की उसके पश्चात् तक के लिये स्थिति ठीक है, फिर भी कुछ क्षेत्रों की निर्माण क्षमता, देश की मांग से, अधिक होने की सम्भावना है, विशेषकर थर्मल जेनरेशन उपकरण भी ऐसा समझा जाता है कि 1972 से 1974 की अवधि में विशेषरूप में 200 मेगावाट वाले 3 एककों के लिये कम से कम अतिरिक्त क्रयादेशों की आवश्यकता होगी । ऐसे उपकरणों के लिये देश से प्राप्त होने वाले क्रयादेशों की सम्भावनाएं विचाराधीन हैं ।

(ग) रूस के इलैक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज मंत्री श्री ए० के० एन्तोनोव के भारत भ्रमण के समय हरिद्वार परियोजना से सम्बन्धित कई मामलों पर विचार-विमर्श हुआ था। इनमें मशीनों तथा उपकरणों का सम्भरण एवं अनुभवी व्यक्तियों और प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में सहायता करना भी सम्मिलित है। इस संयंत्र द्वारा निर्मित उत्पादों के निर्यात के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया था तथा उस पर दोनों ओर से विचार किया जा रहा है।

बोकारो इस्पात संयंत्र को क्वायल की सप्लाई

332. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के भारी मशीन बनाने वाले संयंत्र के द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र को सप्लाई किये गये 50 टन "क्वायल" को इसके प्रबंधकों ने क्वायल के घटिया किस्म के होने के कारण अस्वीकार किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के विशेषज्ञों ने कई महीने पूर्व भारत इंजीनियरिंग कम्पनी को यह चेतावनी दी थी कि नमूने के "क्वायल" का विशिष्ट विवरण सही नहीं था और यदि हां, तो उस 50 टन "क्वायल" का निर्माण क्यों किया गया ; और

(ग) बोकारो की प्रथम धमन भट्टी के 'स्टोन डोम' को चालू करने में अनावश्यक विलम्ब होने के कारण सरकार को कितना घाटा हुआ ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। बोकारो इस्पात कारखाने ने अपनी प्रथम धमन भट्टी के लिये भारी इंजीनियरी निगम द्वारा सप्लाई किये गये 50 टन क्वायल और प्लेटों को अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि उनकी मोटाई विशिष्टियों के अनुसार नहीं थी।

(ख) जी, नहीं। विशिष्टियों की त्रुटियां उस समय दृष्टिगत हुईं जब ढांचा खड़ा करने के लिये उन्हें जोड़ा जा रहा था।

(ग) चूंकि भारी इंजीनियरी निगम द्वारा इस माल के बदले सही विशिष्टियों के अनुसार माल सप्लाई करने से धमन भट्ठी समूह के सम्पूर्ण परिचालन कार्यक्रम में कोई विलम्ब नहीं होगा इसलिये इस त्रुटि के कारण किसी विलम्ब की सम्भावना नहीं है।

रंगीन फिल्मों के उत्पादन के लिये अमेरिका की एक फर्म के सहयोग से कारखाने की स्थापना

333. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार रंगीन फिल्मों के उत्पादन के लिये अमेरिका की किसी फर्म के सहयोग से एक संयंत्र की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और फर्म ने सहयोग के लिये किन शर्तों का प्रस्ताव किया है ;

(ग) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने रंगीन फिल्मों के निर्माण के लिये प्रस्ताव भेजे हैं और उन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) बातचीत कब तक पूरी हो जाएगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). भारत में रंगीन फिल्में बनाने के लिये आवश्यक विदेशी सहयोग, तकनीकी जानकारी तथा उस हेतु अन्य आवश्यक सहायता का प्रश्न और उनकी शर्तों का प्रश्न अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

साइकिलों की कीमतों में वृद्धि करने की साइकिल निर्माताओं की मांग

334. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के साइकिल निर्माता संगठन ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें साइकिलों की कीमतों में 16 रुपये प्रति साइकिल वृद्धि करने की अनुमति मांगी गई है क्योंकि कुछ क्रय किये जाने वाले पुर्जों की कीमतें बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें तथा विशेषरूप में कीमतों में प्रति साइकिल 16 रुपये वृद्धि की मांग के क्या कारण हैं ; और

(ग) साइकिल निर्माता संगठन के इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). भारत के साइकिल निर्माता संघ ने साइकिलों के मूल्य में 16 रु० प्रति साइकिल वृद्धि करने के लिये निवेदन किया है। उनके अनुसार इस वृद्धि की आवश्यकता कच्चे माल तथा क्रय किये जाने वाले पुर्जों की कीमत में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप हुई है । इस अनुरोध की जांच की जा रही है।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर हुई कम्पनियों का बन्द होना

335. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर हुई अनेक कम्पनियों ने 1969 के पिछले छः महीनों में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में काम करना बन्द कर दिया था और ऐसी कम्पनियों की संख्या उन कम्पनियों से बहुत अधिक थी जिन्होंने उसी वर्ष के पहले छः महीनों में काम करना बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो 1969 के पहले छः महीनों में तथा अन्तिम छः महीनों में काम करना

बन्द कर देने वाली कम्पनियों का राज्यवार पृथक-पृथक ब्योरा क्या है और ऐसी प्रत्येक कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है ;

(ग) क्या जिन कम्पनियों ने काम बन्द कर दिया था, वे अंशों के आधार पर लिमिटेड कम्पनियां थीं ;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा काम बन्द कर दिये जाने के कारण क्या हैं और कम्पनियों का दिवाला निकल जाने के कारण उनके अंशधारियों की क्या स्थिति है ;

(ङ) कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(च) इन मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इन कम्पनियों की संख्या, जिन्होंने 1969 के प्रथम छै मासों में कार्य करना बन्द कर दिया, 262 थी । द्वितीय आधे वर्ष के इसी प्रकार के आंकड़े 266 थे । इनमें 1969 के प्रथम आधे वर्ष के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (5) के अन्तर्गत हटाई गई समाप्तप्राय कम्पनियों के नाम से 144 कम्पनियां तथा द्वितीय आधे वर्ष की 142 कम्पनियां सम्मिलित थी ।

(ख) संलग्न विवरण-पत्र में राज्यवार सूचित कार्य समाप्त कर देने वाली कम्पनियों का विसर्जन, उनकी प्रदत्त पूंजी सहित जनवरी-जून 1969 तथा जुलाई-दिसम्बर 1969 का दिखाया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2581/70]**

(ग) निर्देशित अवधि के मध्य, काम बन्द कर देने वाली कम्पनियों में से अधिकांश, हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियां थीं । तथापि, केवल पांच कम्पनियां, जिन्होंने जनवरी-जून, 1969 के मध्य, काम बन्द किया, वह संस्थाएं थीं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, अथवा गारन्टी द्वारा लिमिटेड कम्पनियां थीं । 1969 के द्वितीय अर्ध वर्ष में, इस प्रकार की कम्पनियां केवल 2 थीं ।

(घ) प्रत्येक कम्पनी के हिस्से धारियों द्वारा उठाई गई हानियों की बाबत ठीक-ठीक स्थिति, केवल उक्त कम्पनी की परिसमापन कार्यवाही के पूर्ण हो जाने पर ही ज्ञात हो सकती है, जो साधारणतः अधिक समय लेती हैं ।

(ङ) तथा (च). कम्पनियों द्वारा रोजगार दिये गये कर्मचारियों की संख्या तथा नामों से संबंधित सूचना उनके लिये कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मिसिल की जाने वाली सांवधिक विवरणियों में प्रकट करना अपेक्षित नहीं है । अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों का सेवा में प्रतिनिधित्व

336. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी राज्य मंत्रियों के हाल में

हुये सम्मेलन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं, अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी उपक्रमों एवं गैरसरकारी उपक्रमों एवं संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के प्रश्न पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का परिणाम क्या है ; और

(ग) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये किन ठोस उपायों को अन्तिमरूप दिया गया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). सम्मेलन ने राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में किये गये उपायों का पुर्नविलोकन किया था ।

प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा के लिये योजना

337. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ स्त्रियों को शिक्षा देने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना द्वारा लाभान्वित होने वाली स्त्रियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने नर्सों, दाइयों और ग्रामसेविकाओं के काम में प्रशिक्षण देने के लिये किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में सहायता दे सकें ; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में एक योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसे वयस्क महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम कहते हैं ।

(ख) 1958 से, जबकि इन पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया था, मार्च, 1969 के अन्त तक 23,000 ने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था ।

(ग) तथा (घ). सूचना अन्य विभागों से एकत्रित की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

स्टेशन मास्टरों के सम्बन्ध में सिफारिशों का कार्यान्वित किया जाना

338. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री ए० श्रीधरन :
श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टरों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्टेशन मास्टरों को पूर्णतः संतुष्ट करने के लिये सरकार का इन सिफारिशों को कब कार्यान्वित करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्यों का आशय स्टेशन मास्टरों के वेतनमान के विषय में जगन्नाथ दास वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों से है। भारतीय रेलों पर स्टेशन मास्टरों के बारे में उस आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को मामूली फेर-बदल के साथ लागू कर दिया गया है और ये स्टेशन मास्टरों के लिए लाभदायक हैं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

कांग्रेस दल का निर्वाचन प्रतीक

339. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री आत्म दास :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस दल के दो भागों में विभाजित हो जाने के पश्चात् इस दल को निर्वाचन प्रतीक प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग ने अन्तिमरूप से कोई विनिश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो किस तारीख तक अन्तिम विनिश्चय किये जाने की सम्भावना है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि अन्तिम विनिश्चय किये जाने की कब संभावना है, क्योंकि निर्वाचन आयोग में अभी मामले की सुनवाई हो रही है।

जमशेदपुर में टाटा उद्योगों को केन्द्र द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने की मांग

340. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1969 में भारतीय साम्यवादी दल की बिहार शाखा ने सरकार से इस आशय की मांग की थी कि केन्द्र जमशेदपुर में टाटा उद्योगों को अपने अधिकार में ले लें ताकि हड़तालग्रस्त चार कारखानों में तालाबन्दी की उनकी घोषणा के प्रयत्न को विफल किया जा सके ; जिनमें 39,000 श्रमिक काम करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत के नगरों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा को रोकने के लिये कार्यवाही

341. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है हिन्दू विवाह अधिनियम के होते हुए भी भारत के नगरों में, एक प्रचलित सामाजिक प्रथा के रूप में बहुविवाह अब भी चालू है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सरकार को ऐसी किसी प्रथा के प्रचलित होने का ज्ञान नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Late arrival of Assam Mail and other Trains at Delhi on 12th January, 1970

342. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Assam Mail, 11 UP and other trains reached Delhi late on the 12th January, 1970 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). As a sequel to the lightning strike by certain categories of loco staff at Mughalsarai on 11-1-70, the train operation was put out of gear between 09.00 and 22.30 hrs. affecting interalia the running of inter-railway trains like 11 Up Howrah-Delhi Express and 85 Up Barauni-New Delhi Assam Mail which arrived Delhi/New Delhi on 12-1-70.

Officiating Allowance to Assistant Station Masters of Allahabad Division (Northern Railway)

343. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3358 on the 9th December, 1969 regarding officiating allowance to Assistant Station Masters of Allahabad Division (Northern Railway) and state :

(a) whether the required information has since been collected and, if so, the details thereof ;

(b) if not, the reasons for such an inordinate delay ; and

(c) the particulars regarding officiating allowance due to which delay is being caused in collecting the required information ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes ; the required information is given in the statement at Annexure 'A'. **[Placed in Library. See No. LT 2582/70]**

(b) and (c). Do not arise.

बिहार में बन्द पड़ी पेपर मिलों को पुनः चालू कराना

344. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार सरकार बन्द पेपर मिलों को पुनः चालू कराने के लिए कार्यवाही कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या अशोक पेपर मिल्स दरभंगा और ठाकुर पेपर मिल्स को भी पुनः चालू किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). आसाम सरकार के सहयोग से बिहार सरकार का अशोक पेपर मिल्स लि० की पुर्नस्थापना का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जहां तक ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर का प्रश्न है, उसके बारे में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। यह एक 10 मी० टन प्रति दिन की क्षमता वाला छोटा एकक है और वित्तीय तथा प्रबन्धकीय कठिनाइयों के कारण कुछ वर्षों से बन्द है।

Setting up of New Paper Mills during Fourth Plan

345. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether a decision to set up new paper mills during the Fourth Five Year Plan has been taken and if so, the details thereof;

(b) whether a thorough investigation has been made in regard to machines and locations for running the Ashok Paper Mills, Darbhanga and Thakur Paper Mills, Samastipur after bringing them under Government control;

(c) if so, the result thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir. It is proposed to set up a Paper Corporation in the Public Sector which will implement some projects for the manufacture of newsprint and paper. No final decision has been taken regarding the schemes to be implemented by the Paper Corporations.

(b) to (d). There is no proposal to take over the Ashok Paper Mills, Darbhanga and Thakur Paper Mills, Samastipur and run them under the control of the Central Government. The Government of Bihar is, however, considering proposals to rehabilitate the Ashok Paper Mills in consultation with the Government of Assam. No final decision has so far been communicated by the State Government in this regard.

As regards Thakur Paper Mills, no such proposal is under consideration by the Government of Bihar. This is a small unit with a capacity of 10 tonnes per day which is closed for quite some years on account of financial and managerial difficulties.

विस्तार कार्यक्रम की गति धीमी हो जाने के कारण माल डिब्बों की खरीद में कटौती

346. **श्री न० कु० सांघी :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में चौथी योजना की अवधि में माल डिब्बों की खरीद के अपने कार्यक्रम में भारी कटौती कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह रेलवे विस्तार कार्यक्रम की गति धीमी हो जाने और माल यातायात में कमी होने का परिचायक है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी नहीं । रेलवे की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 1969-70 से 1973-74 तक की पांच वर्ष की अवधि में, लगभग एक लाख माल डिब्बे प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, जबकि 1973-74 में कुल प्रारम्भिक भाड़ा यातायात 26.5 करोड़ मीटरिक टन होगा। फिलहाल, इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया ज है। लेकिन वास्तविक प्राप्ति वर्षानुवर्ष के यातायात पर निर्भर करेगी ।

यातायात की उतार-चढ़ाव की प्रवृति को देखते हुए, चौथी योजना के लक्ष्य में कोई परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अभी विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यद्यपि 1969-70 के पूर्वार्द्ध में यातायात प्रत्याशी के अनुसार आता रहा, तथापि अन्तिम चार महीनों में उसमें कमी आ गयी । योजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित आर्थिक मंत्रालयों के परामर्श से समय-समय पर इस स्थिति की समीक्षा की जा रही है ।

निर्वाचन आयोग के अधीन एक पृथक निर्वाचन विभाग स्थापित करना

347. **श्री समर गुह :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1970 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा बम्बई में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि निर्वाचन आयोग के सीधे नियंत्रण तथा देख-रेख में एक पृथक विभाग स्थापित किया जाना चाहिये ;

(ख) क्या "निर्वाचन को स्वतंत्र न्यायोचित तथा निष्पक्ष" बनाने के लिये उस वक्तव्य में ऐसी मतदान-व्यवस्था स्थापित करने के प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग को वर्तमान व्यवस्था में स्वतंत्ररूप से कार्य करने में

कोई समस्या सामने आती है और क्या ऐसे उदाहरण पाये गये हैं कि जहां "स्वतंत्र न्यायोचित तथा निष्पक्ष" निर्वाचन आयोजित नहीं किये जा सके ; और

(घ) मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रस्ताव पर सरकार की कुल मिलाकर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). जी हां । इस बारे में विस्तृत प्रस्थापनाओं के निर्वाचन आयोग से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है ।

किसी राजनैतिक दल को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के नियम

348. **श्री समर गुह** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने उस परिस्थिति के लिये जब एक राजनैतिक दल दो अथवा दो से अधिक गुटों में अपने मूल नाम से ही विभाजित हो जाता है, उस राजनैतिक दल के किसी गुट को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के सम्बन्ध में वर्ष 1968 में कुछ नियम बनाये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या लोक सभा द्वारा इन नियमों का अनुमोदन किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो एक विभक्त राजनैतिक दल के किसी विरोधी दावेदार को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग किस अधिकार के आधार पर नियमित न्यायिक कार्यवाही करेगा ; और

(ङ) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये नियमों का तब तक संसद द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस के किसी दल को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करना अवैध होगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) . (क) और (ख). निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अगस्त 1968 को निकाले गए निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 का पैरा 15 इस प्रकार है :

"15. **मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल के टूटकर अलग हो गये गुटों या प्रतिद्वन्दी खण्डों के सम्बन्ध में आयोग की शक्ति** ।

अपने पास की जानकारी से जब आयोग का समाधान हो जाता है कि किसी मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वन्दी खण्ड या गुट हैं जिनमें प्रत्येक वह दल होने का दावा करता है, तब आयोग मामले के सभी उपलब्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने और खण्डों अथवा गुटों के उन प्रतिनिधियों और अन्य व्यक्तियों को सुन लेने के पश्चात्, जो सुने जाने की वांछा रखते हों, यह विनिश्चय कर सकेगा कि ऐसे प्रतिद्वन्दी खण्डों या गुटों में एक वह मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है या उनमें से एक भी ऐसा दल नहीं है और आयोग का विनिश्चय उन सब प्रतिद्वन्दी खण्डों या गुटों के लिये आबद्धकर होगा ।"

(ग) अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम संसद् के समक्ष रखे जाते हैं जैसाकि अधिनियम द्वारा अपेक्षित है। अतः नियमों के अनुसरण में निकाले गए आदेश संसद् के समक्ष नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ). निर्वाचन आयोग ही ऐसा अधिकरण है जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन इस प्रश्न को विनिश्चय करने के लिये सशक्त है। न्यायिक विनिश्चय निर्वाचन आयोग को करना है और यह मामला अभी तक आयोग के विचाराधीन है। यह मामला न्यायाधीन है।

पूर्वोत्तर रेलवे लाइन पर उगना और परसा में हाल्ट स्टशन खोलना

349. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे लाइन पर उगना (सकरी और पंडौल स्टेशनों के बीच) तथा परसा (घोघरडीहा और निरमली स्टेशनों के बीच) हाल्ट स्टेशन बनाने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब दी गयी ; और

(ग) क्या हाल्ट स्टेशनों के निर्माण का काम प्रारम्भ हो गया है और उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). रेलवे बोर्ड ने अपने 20-1-1970 के पत्र के अन्तर्गत सकरी और पंडौल स्टेशनों के बीच एक गाड़ी हाल्ट खोलने की स्वीकृति दी है। घोघरडीहा (घोषारडिहा नहीं) और निरमली स्टेशनों के बीच एक गाड़ी हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी लेकिन वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया।

(ग) सकरी और पंडौल स्टेशनों के बीच गाड़ी हाल्ट के लिए योजना और अनुमान तैयार किये जा रहे हैं और उनको अन्तिम रूप दिये जाते ही काम शुरू कर दिया जायेगा।

दक्षिण-मध्य रेलवे के सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

350. **श्री तेन्नेटी विश्वनाथम्** : क्या **रेलवे** मंत्री काचेगुडा (आन्ध्र प्रदेश) के चल टिकट निरीक्षक के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4040 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे के उस सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है जो अपने बच्चों के साथ अनधिकृत रूप से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इन आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है। यह मामला अब केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है और उनकी सलाह मिलने पर आगे कार्यवाई की जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में कागज निगम की स्थापना

351. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज निगम की स्थापना का निर्णय किया है यदि हां, तो इसमें लगायी जाने वाली पूंजी और इसके कृत्यों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या निगम स्वयं अपने कागज के कारखाने लगायेगा यदि हां, तो पहले किस प्रकार के कागज का उत्पादन किया जायेगा और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ;

(ग) परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार निगम को लाभ होगा अथवा हानि होगी, यदि हानि होगी तो यह कितने वर्ष तक होगी ; और

(घ) क्या निगम ने इस सम्बन्ध में जानकारी क्रय कर ली है ; और यदि हां, तो किस देश से क्रय की गयी है क्रय की शर्तें और अन्य ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। पूंजी आदि के बारे में ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

(ख) जी, हां। कागज निगम द्वारा कागज बनाने की कुछ योजनाएं क्रियान्वित करने के लिये विचाराधीन हैं। प्रथम चरण में अखबारी कागज, छपाई तथा लिखने को कागज को बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) अभी पूर्ण जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि निगम कई परियोजनाओं से सम्बन्धित रहेगा जबकि केवल प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट ही अभी तैयार हो पाई है।

(घ) स्थापित होने के पश्चात् इस पर निगम विचार करेगा।

तीन पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण

352. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण करने वाले कारखानों के नाम क्या हैं, उनकी उत्पादन क्षमता क्या है और उनका प्रतिवर्ष वास्तविक उत्पादन क्या है;

(ख) इन स्कूटरों की वार्षिक मांग कितनी है, 30 दिसम्बर, 1969 तक व्यापारियों के पास स्कूटरों की आपूर्ति के कितने आर्डर पड़े हुये थे और उनमें से कितने तीन वर्ष से भी अधिक समय से पड़े हुये थे;

(ग) क्या सरकार इस मांग को पूरा करने के लिये सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का कारखाना लगाने का विचार कर रही है यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यह कारखाना कब तक उत्पादन प्रारम्भ कर देगा और इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

निर्माता का नाम	स्कूटरों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता (तीन पहिये वाले समेत) संख्या प्रतिवर्ष	तीन पहिये वाले स्कूटरों के उत्पादन 1967 संख्या	1968 संख्या	1969 संख्या
1. मे० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स (इ०)लि० बम्बई-78	24,000	1,292	1,393	1,503
2. मे० बजाज आटो लि०, पूना	24,000	2,688	2,924	3,569

तीन पहिये वाले स्कूटरों के उत्पादन की क्षमता अलग से स्वीकृत नहीं की गई है ।

(ख) तीन पहिये वाले स्कूटरों की मांग अलग से निर्धारित नहीं की गई है । फिर भी, 1973-74 तक स्कूटरों, मोटर साइकिलों, तीन पहिये वाले स्कूटरों तथा मोपों की मांग का अनुमान 2,00,000 संख्या प्रतिवर्ष लगाया गया है ।

31-12-1969 को विक्रेताओं के पास तीन पहिये वाले स्कूटरों की सप्लाई के लिए अनिर्णीत पड़े हुये आर्डरों की संख्या नीचे दी गई है :

मे० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई	4,521 संख्या (लम्ब्रेटा)
मे० बजाज आटो लि०, पूना	12,538 संख्या (वेस्पा)

तीन वर्ष से भी अधिक पुराने आर्डरों के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) देश में स्कूटरों की बढ़ती हुई मांग तथा बढ़ते हुये मूल्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि देशी नमूने तथा सामान के आधार पर स्कूटरों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करना बेहतर होगा । इसके अनुसार, सरकार ने एक तकनीकी विशेषज्ञ जनित गठित की है जो सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों की उपयुक्त देशी डिजाइन तथा उत्पादन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी और उस पर सलाह देगी ।

(घ) इस समय प्रस्तावित कारखाने की उत्पादन क्षमता और उसमें ऐसे उत्पादन प्रारम्भ होगा यह बताना संभव नहीं है ।

Expenditure incurred on Advisory Boards, Committees and Autonomous Bodies under Steel and Heavy Engineering Ministry

353. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the number of Advisory Boards, Committees and autonomous agencies under his Ministry or otherwise controlled by it ;

(b) the functions of each of them and the annual expenditure being incurred on each :

(c) whether the senior and junior officials of his Ministry are entirely dependent upon the advice given by the above agencies etc. and do not make any contribution of their own ;

(d) whether Government propose to reduce the number of posts of senior Officers in the same proportion ; and

(e) the reasons for incurring such double expenditure ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) This Ministry has the following advisory Bodies/Committees :

(i) Iron and Steel Advisory Council ;

(ii) Joint Plant Committee.

(b) The Iron and Steel Advisory Council has been set up to tender advice on all matters of general character relating to iron and steel and in particular to the problems pertaining to production, distribution, transport, research, import and export. This council is scheduled to meet not more than twice in a year. The expenditure on travelling allowance admissible to non-officials members of the Council for attending its meetings is insignificant; it is debitable to the budget grant of the Iron and Steel Controller's Organisation.

The Joint Plant Committee looks after the work of collecting indents from the major consumers in the economy, planning the production on major producers in the public as well as private sector, and controlling despatches of the products to the indentors. This Committee has also been empowered to fix the prices of different categories of steel products in consultation with Government. All expenses of this Committee are met out of the levy on despatches made by producers from their respective Plants.

(c) No, Sir. The officials of the Ministry exercise their own judgment in arriving at decisions, giving due consideration to the advice given by the advisory council. There is no duplication or overlapping of functions of the Miinstry with those of the Advisory Council or the Joint Plant Committee.

(d) and (e). Do not arise in view of reply to (c) above.

Letters from M. Ps. to the Ministry of Railways

354. **Shri Bansh Narian Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of letters received from M. Ps. in his Ministry during the period from the Ist January, 1969 to 31st December, 1969 ;

(b) the number out of them replied to finally and the number of those which were not replied ;

(c) the reasons for not giving final replies to certain letters ;

(d) whether the replies to the letters of M. Ps. are unduly delayed so that important matters may not be raised in the House ; and

(e) if not, whether in future it is proposed to take disciplinary action against the officers responsible for not replying to the letters of M. Ps ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) 6675

(b) Replied .. 5876
Not Replied .. 799

(c) Mostly due to the points raised in the letters requiring detailed investigation and, in many cases, references to the Headquarters and Divisional offices of the Zonal Railways.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

भारतीय रेलवे में अपराध

355. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल से जून, 1969 तक की अवधि में भारतीय रेलवे में हर तीसरे दिन के बाद एक हत्या और प्रतिदिन बाइस चोरियों की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अपराध सबसे अधिक किन-किन राज्यों में हुये हैं; और

(ग) अपराधियों तथा समाज-विरोधी तत्वों को गिरफ्तार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें हत्या और चोरियों के राज्यवार आंकड़े दिये गये हैं । उपर्युक्त अपराध सबसे अधिक महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में हुये हैं ।

(ग) (i) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने और अपराधियों तथा समाज-विरोधी तत्वों को गिरफ्तार करने के लिये आवधिक छापा मारने जैसे सामान्य रेलवे पुलिस व्यवस्था को कड़ा करने के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य सरकारों द्वारा संरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त उपाय किये गये हैं जैसे कि रात में चलने वाली महत्वपूर्ण गाड़ियों में मार्ग रक्षा की व्यवस्था; सशस्त्र गश्त चालू करना । प्रभावित क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाना ।

(ii) सरकारी रेलवे पुलिस के पर्यवेक्षण कर्मचारियों द्वारा रात में अचानक जांच की जाती है ।

(iii) बदमाशों पर निगरानी रखने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

(iv) रेलों पर अपराधों की रोक-थाम और पता लगाने के उद्देश्य से सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस अधिकारियों की हर स्तर पर बैठकें हुईं ।

(v) यार्डों और स्टेशन के प्लेटफार्मों पर रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारियों अथवा यात्रियों पर हिंसक आक्रमण होने पर घटनास्थल पर तुरन्त आने और आहत व्यक्तियों की सब सम्भव सहायता करने के आदेश दिये गये हैं ।

विवरण

	हत्याएं	चोरियां
1—आन्ध्र प्रदेश	—	84
2—असम	4	9
3—बिहार	5	85
4—दिल्ली	—	81
5—गुजरात	—	—
6—हरियाणा	3	20
7—हिमाचल प्रदेश	—	1
8—केरल	—	—
9—मध्य प्रदेश	—	74
10—महाराष्ट्र	5	619
11—मैसूर	1	2
12—उड़ीसा	1	—
13—पंजाब	1	77
14—राजस्थान	2	258
15—तमिल नाडु	—	140
16—उत्तर प्रदेश	7	354
17—पश्चिमी बंगाल	1	130
जोड़	30	1,934

Passenger and goods traffic on Yeotmal-Achalpur Section (Central Railway)

356. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government received a memorandum from the Yeotmal Anaj and Tilhan Vyapari Sangh regarding the difficulties of passenger and goods traffic on the Yeotmal-Achalpur Section ;

(b) if so, the demands mentioned therein and the action taken by Government thereon ; and

(c) whether a delegation of the said Sangh met the General Manager of the Central Railway on the 19th January, 1970 at Badnera ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : Yes.

(b) A statement indicating the position is attached **[Placed in Library. See No. LT 2583/70]**

(c) Yes.

Statement

The main demands placed by the Yeotmal Anaj and Tilhan Vyapari Sangh and action taken thereon are given below :

Demands	Action taken
(i) Waiting room amenities and light and drinking water arrangements at the stations.	(i) In view of the fact that in terms of the agreement with the Central Provinces Railway Co., Ltd., any expenditure on new works exceeding Rs. 1000/- is chargeable to the capital of the Central Provinces Railway Co., Ltd., incurring any additional expenditure is not possible at the present juncture as negotiations for taken over the Central Provinces Railway Co., are under way.
(ii) Provision of lights in train compartments and water in lavatories.	(ii) Instructions have been issued to ensure better maintenence of lights in train compartments and provision of water in lavatories.
(iii) Satisfactory movement of goods traffic.	(iii) Goods traffic offering at stations on the Murtajapur-Achalpur Section is being cleared satisfactorily by 3 trains running each way daily on the section. On the Murtajapur-Yeotmal section, however, the present capacity is limited as there are only 2 mixed trains running on the section with a maximum clearance capacity of 12 goods wagons resulting in difficulty during the busy season. Various alternatives for stepping up the clearance of goods traffic offering from this section are being considered in consultation with Members of the Divisional Railway Users' Consultative Committee, Bhusaval.
(iv) Adequate supply of wagons for non-preferential traffic.	(iv) According to the extant rules in force, clearance of goods traffic has to be arranged in the order of priorities laid down in the Preferential Traffic Schedule. Clearance of lower priority traffic would also be stcpped up with the increase in the capacity as envisaged in item (iii) above.

Separate III Class Waiting Rooms for Ladies

357. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway stations where separate Class III Waiting Rooms for Ladies have not been provided ; and

(b) whether Government purpose to provide separate class III Waiting Rooms for ladies at all those stations ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Separate third class waiting rooms are not provided for ladies at railway stations. However, lady passengers travelling in third class are permitted to use upper class ladies waiting rooms, wherever provided.

(b) Does not arise.

Recommendations of Chief Electoral Officers for changes in Election Law

358. **Shri Janeshwar Misra :**
Shri G. Y. Krishnan :
Shri N. Shivappa :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to amend the law in the light of the recommendations made in the Chief Electoral Officers' Conference to the effect that the practice of seeking help of Government employees by a candidate during election be treated as corrupt and restrictions should be imposed to ensure that a candidate does not seek election from more than two Constituencies ; and

(b) if so, the details of the recommendations on the basis of which Government propose to amend the law ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). All the recommendations of the Election Commission regarding reform of the Election Law are under examination of the Government. The recommendations referred to in the first part of the question is so reasonable that it is likely to be accepted.

Demand for Higher Secondary School at Garhara (North Eastern and Eastern Railways)

359. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of railway employees living in Garhara North-eastern and Eastern Railways is more than six thousand ;

(b) if so, whether it is also a fact that there is only one middle school for their children ;

(c) if so, whether it is further a fact that for many years these employees have been launching agitation with the demand to raise the standard of the Middle School to a Higher Secondary School and to open one primary school in every colony ;

(d) whether it is a fact that the former Railway Ministers, Shri Pooncha and Shri Ram Subhag Singh visited that place and Samastipur during the last Mid-term election and on the 25th October, 1969 respectively, where they committed to upgrade the Middle School ; and

(e) if so, the reasons for not fulfilling their promises ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The number of Railway employees living in Garhara/Barauni area is about 5,500.

(b) Besides one Railway Middle School, there are two Higher Secondary (Classes VI to XI) and three Middle Schools (Classes I to VII), which are privately managed.

(c) Yes.

(d) No record is available to show whether any such commitment was made.

(e) Does not arise.

सियाल्दह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में लिपिकों की पदोन्नति

360. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियाल्दह डिवीजन, पूर्व रेलवे में विभागवार जिन लिपिकों की 130-300 रुपये के पदों पर पदोन्नति की गई है उनके काम क्या हैं तथा उक्त वेतन मान में उनकी नियुक्ति तथा पदोन्नति की तारीखें क्या हैं;

(ख) उन विभागों के क्या नाम हैं जहां लिपिकों की श्रेणी में गतिरोध व्याप्त है;

(ग) उन विभागों के क्या नाम हैं जहां लिपिक श्रेणी में कोई गतिरोध नहीं हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व बर्मा-आसाम रेलवे के बहुसंख्यक उसी आयु वर्ग के कर्मचारी जिन्होंने भारत में रहना पसन्द किया था, उन्हें पूर्व रेलवे के सियाल्दह विभाग के विभिन्न विभागों में पुनः नियुक्त कर लिया गया था;

(ङ) क्या यह विचार किया गया है कि पदोन्नति की वर्तमान प्रतिशतता गतिरुद्ध हुये लिपिकों के अनुकूल पर्याप्त नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार की राहत देने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). अतारांकित प्रश्न सं० 4038 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसका उत्तर लोक-सभा में 19-8-1969 को दिया गया था। सरकार को यह मालूम है कि पूर्व रेलवे के सियाल्दह मण्डल में 110-180 रु० के प्राधिकृत वेतन मान में काम करने वाले अनेक क्लर्क अपने वेतन मान के अधिकतम पर हैं। उनके अधिकतम पर रुके रहने का कारण यह है कि उच्चतर ग्रेडों में खाली पद उपलब्ध नहीं हैं और महायुद्ध के दौरान भूतपूर्व बी० ए० रेलवे में भर्ती किये गये उसी आयु वर्ग के बहुसंख्यक कर्मचारियों को, जिन्होंने भारत के पक्ष में विकल्प दिया था, समाहित किया गया है।

(ङ) से (च). 23-2-1970 को 1970-71 के रेलवे बजट पर रेल मंत्री के भाषण में ऐसे कर्मचारियों को राहत देने की घोषणा की गई है।

Complaint by B.K.D. Candidate Regarding Election held in Danapur during Mid-term Poll in Bihar

361. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9414 on the 13th May, 1969 regarding a complaint made by a B.K.D. candidate in connection with the election held in the Danapur Constituency during mid-term poll in Bihar and state :

(a) whether inquiries in the matter have since been completed ;

(b) if so, whether any action has been instituted against any persons ; and

(c) if not, when the inquiries are expected to be completed ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) No action against any person was considered necessary as the allegations made were unfounded.

(c) Does not arise.

Memorandum by Dhanbad Branch of All India Ministerial Staff Association

362. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Dhanbad branch of the All India Ministerial Staff Association has submitted a memorandum to the Divisional Superintendent on the 27th December, 1969 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Certain Resolutions passed by this Association were forwarded to the Divisional Superintendent, Dhanbad on 27.12.69.

(b) The following demands have been made :

(i) Pooled rent at enhanced rate from 1.10.67 should not be charged ;

(ii) Introduction of departmentwise inter-sectional transfer of staff on a rotational basis.

(iii) Maintenance of a Central Pool for allotment of quarters to Ministerial Staff; and

(iv) Provision of a Higher Secondary school at Dhanbad.

(c) The Railway Administration have taken necessary action as is appropriate in each case.

Facilities to Passenger Guide

363. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether all the Railway employees throughout the country are drawing salaries according to their old pay scales as recommended by the Jagannath Rao Pay Commission ;

(b) whether it is a fact that this facility has not been given to Passenger Guides ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether the Passenger Guides have sent any representation to his Ministry in this regard ; and

(e) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, except those who have opted to retain either the Prescribed scales of pay or the Pre-Prescribed Scales of pay.

(b) No. All staff including Passenger Guides were given an option either to retain the existing scales of pay or come over to the Authorised Scales of pay allotted on the recommendations of Jagannadha Das Pay Commission.

(c) Does not arise.

(d) Representation was received from this category of staff requesting that the authorised

scales of pay should be increased from Rs. 110-200 to Rs. 150-240 equivalent to the Prescribed scale of Rs. 100-185 held by them as personal to them.

(e) The matter was examined, but Government did not see any justification to accede to the demand. However, such of the Passenger Guides who opted for the Authorised Scale of pay of Rs. 110-200 under a misapprehension were allowed to revise their options, with a view to retaining the Prescribed Scales of pay.

इलाहाबाद-भटनी रेलवे लाइन पर साहूबाड़ी गांव में हाल्ट स्टेशन

364. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद-भटनी रेलवे लाइन पर स्थित साहूबाड़ी गांव में हाल्ट स्टेशन का निर्माण करने के लिये कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह हाल्ट स्टेशन पूरी तरह तैयार हो जायेगा और गाड़ी वहां रुकने लगेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। भटनी, औड़िहार खण्ड पर इन्दारा और किरिहरा पुर स्टेशनों के बीच सहुआरी (न कि साहूबाड़ी) गांव के समीप एक गाड़ी हाल्ट खोलने के प्रस्ताव की जांच 1968 में की गई थी, लेकिन उसका औचित्य नहीं पाया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

365. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री हिन्दुस्तान गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में 16 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4046 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पूरी जानकारी एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना अभी तैयार नहीं है तथा वह संयुक्त संयंत्र समिति के साथ विचार-विमर्श से इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय द्वारा इकट्ठी की जा रही है। शीघ्रातिशीघ्र सूचना इकट्ठी करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इस्पात उत्पादन में वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम

366. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार का विचार एक दस वर्षीय निवेश कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) योजना आयोग की सिफारिश पर नियुक्त की गई कर्णधार समिति ने देशीय मांग तथा निर्यात मण्डियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस्पात उद्योग के विकास के लिये पूंजी लगाने का एक 10 वर्षीय कार्यक्रम (1969-70) तैयार किया है ।

(ख) और (ग). चतुर्थ योजना (1969-74) कार्यक्रम इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

ग्रामीण उद्योगों में छोटे पैमाने के एककों के लिए ऋण योजना

367. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण उद्योगों में छोटे पैमाने के एककों के लिये उदार ऋण योजना बनाने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के फलस्वरूप ग्रामीण उद्योगों के छोटे पैमाने के एककों को किस हद तक लाभ होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार के कहने पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने ग्रामीण औद्योगिक परियोजना के लघु एककों के लिये ऋण की उदार योजना चालू की है ।

(ख) इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(1) इस योजना के अन्तर्गत लघु एककों तथा कारीगरों को 5000 रुपये का अधिकतम ऋण दिया जायेगा ।

(2) आवेदन प्रारूपों तथा अन्य दस्तावेजों को पर्याप्त रूप से सरल कर दिया गया है।

(3) सहायता ऋण से आस्तियों के रहन रखने पर नकद रोकड़ के रूप में दी जायेगी।

(4) ऋण की अचल तथा कार्यकारी पूंजी दोनों ही के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। अचल पूंजी हेतु लिये गये ऋण को 3-5 वर्षों की अवधि में आसान किश्तों में लौटाना होगा।

(5) ऋण की बकाया रकम पर 8 प्रतिशत ब्याज लगेगा और 1/10 प्रतिशत ऋण सीमा पर का ब्याज अतिरिक्त होगा।

(ग) ऐसी आशा है कि इस योजना से ऐसे अनेक लघु एककों और कारीगरों को लाभ होगा जो समर्थक ऋणाधार प्रस्तुत न कर सकने के कारण सामान्य रूप से उपलब्ध बैंक ऋण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए उपाय

368. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों सम्बन्धी बोर्ड की स्थायी समिति ने लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु अनेक उपायों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योग मण्डल ने अपनी जनवरी, 1970 में गोहाटी में हुई बैठक में अपनी स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार किया और लघु उद्योगों के त्वरित विकास के लिये कई सिफारिशें कीं।

(ख) मण्डल की बैठक के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं :

1. कमी वाले देशीय कच्चे माल का समुचित प्रतिशत उचित मूल्य पर लघु उद्योग निगम अथवा अन्य नियन्त्रित अभिकरणों के माध्यम से लघु उद्योगों के वितरण के लिये आरक्षित किया जाये।

2. लघु उद्योग क्षेत्र के वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा निर्दिष्ट करेंसी क्षेत्र से आयात की जाने वाली वस्तु की अनुपलब्धि स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए तो ऐसे लाइसेंसों के अंकित मूल्य में बिना किसी कमी किए एक करेंसी से दूसरी करेंसी में परिवर्तित कर दिया जाए।

3. लघु उद्योग की आयात हकदारी एकक की आवश्यकता पर आधारित होनी

चाहिये । लघु उद्योग एककों की सामान्यतः कम सम्भरण वाली आयातित वस्तुओं की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये शीघ्र ही एक सर्वेक्षण किया जाये ।

4. ऋण सुविधाओं की स्थायी समिति लघु उद्योग क्षेत्र की दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं तथा इक्विटी पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक पृथक संस्थान की स्थापना के प्रश्न पर विस्तृत विचार करें ।

5. लघु उद्योगों का भावी विकास सामान्य रूप से तथा सहायक उद्योगों का विकास विशेष रूप से संविधिक आधार पर किया जाना चाहिए ।

6. विज्ञान तथा तकनालोजी के लाभ को लघु उद्योग क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए और इस क्षेत्र में प्रगत्यात्मक आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को बनाने के लिये लघु उद्योग क्षेत्र की आधुनिकीकरण की एक स्थायी समिति गठित की जानी चाहिये ।

(ग) और (घ). यह सरकार के विचाराधीन हैं ।

लघु क्षेत्र के प्रति राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति का पुर्निर्धारण

369. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योगों सम्बन्धी बोर्ड की स्थायी समिति ने लघु क्षेत्र के प्रति राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति के पुर्निर्धारण की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योगों सम्बन्धी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). लघु उद्योग मण्डल ने ऋण सुविधाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है । मण्डल ने कुछ सिफारिशों को पुनः समिति के पास भेज दिया है कि वह इनकी अग्रेतर जांच करें । पूरक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् मण्डल उस पर पुर्नविचार करेगा और सरकार मण्डल की सिफारिशों पर निर्णय लेगी ।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

370. **श्री अदिचन :** **श्री प्रेमचन्द वर्मा :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री विक्रम चन्द महाजन :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मद में कितनी-कितनी ;

(ग) वृद्धि के कारण क्या हैं और मूल्य में वृद्धि करने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा गैर-सरकारी इस्पात कारखानों द्वारा क्या आधार बताये गये थे ; ओर

(घ) मूल्य में उक्त वृद्धि से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात निर्माताओं के मुनाफे में वार्षिक कितनी वृद्धि होगी ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) जी हां।

(ख) एक वक्तव्य संलग्न है जिसमें उत्पादन क्रम से मूल्य वृद्धि दिखाई गई है।

(ग) मूल्य वृद्धि में अपरिपूर्ति लागत वृद्धि, वेतन वृद्धि, तथा इस्पात कम्पनियों के पुराने पुर्जों के बदलने और आधुनिकीकरण के लिये आन्तरिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है।

टिस्को ने औसतन 116 रुपये प्रति टन की मूल्य वृद्धि का सुझाव दिया था जिसमें से 68 रुपये अप्रतिपूर्ति लागत वृद्धि के लिए और 48 रुपये अतिरिक्त खर्चों के लिए था। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने इस्पात के मूल्यों में वृद्धि की मांग यह सुनिश्चित करने के लिए की थी ताकि सरकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कार्यों के फलस्वरूप होने वाली अप्रतिपूर्ति मूल्य वृद्धि का पूर्ण सामंजस्य हो सके। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने इच्छा व्यक्त की थी कि एक आयोग द्वारा इस्पात के मूल्यों की पूरी जांच की जाय और अधिक पूंजीगत लागत, मजदूरों के वेतन, वित्त तथा यातायात के खर्च में वृद्धि जैसे कारणों के आधार पर तत्काल मूल्य-संशोधन की मांग की थी।

(घ) 'टिस्को' और 'इस्को' के लिए यह सम्भव होना चाहिये कि वे अपने कर-योग्य आमद में अगले 5 वर्षों में 35 से 45 रुपये प्रति टन की वृद्धि कर सकें। हिन्दुस्तान स्टील लि० के लिये 1969-70 में लाभ का कमाना शायद सम्भव नहीं होगा।

विवरण

1-1-70 से अनुमति दी गई मूल्य वृद्धि

माल	**रुपये प्रति मीटरी टन**
(क) **विक्रेय इस्पात**	
1. जस्ती चादरें	62
2. गर्म बेलित/ठंडी बेलित चादरें और क्वायल	
(क) 20 गेज से ऊपर	207
(ख) 16 से 20 गेज तक	207
(ग) 10 से 14 गेज तक	103

माल	**रुपये प्रति मीटरी टन**
3. परीक्षित प्लेट	103
4. स्केल्प	103
5. पहिए टायर और धुरे	103
6. रेल की पटरी—हल्की और भारी	41
7. संरचनात्मक—	
(क) ज्वास्ट्स	88
(ख) दूसरे	47
8. छड़ और गोल छड़	67
9. बिलेट ब्लूम आदि	62
10. स्लीपर	124
(ख) **विक्रेय कच्चा लोहा**	
1. स्टैण्डर्ड बेसिक	40
2. फाउण्ड्री ग्रेड—4	55
3. फाउण्ड्री ग्रेड—3	60
4. फाउण्ड्री ग्रेड—2	65
5. फाउण्ड्री ग्रेड—1	75

विमलगढ़-कोपरा से होकर तालचेर से रूरकेला तक रेल सम्पर्क

371. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक-पारादीप रेल सम्पर्क को रूरकेला तथा तालचेर के आस पास के औद्योगिक क्षेत्र के साथ जोड़ने तथा कटक-पारादीप रेल सम्पर्क के बाराजामडा खनन क्षेत्र तक विस्तार हेतु तालचेर-विमलगढ़ कोथरा के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने की दृष्टि से सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा सर्वेक्षण कराने पर विचार करेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). विमलगढ़-तालचेर रेल सम्पर्क, जिसमें कोयरा घाटी तक लाइन का विस्तार शामिल है, का सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस रेल सम्पर्क का वास्तबिक निर्माण सर्वेक्षण के परिणाम, इस लाइन की प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

निर्वाचक सूचियों का पुनरीक्षण

372. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचक सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1967 की तुलना में देश में मतदाताओं की संख्या में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) सूचियों के पुनरीक्षण पर अनुमानतः कितना व्यय हुआ है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 3 करोड़।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

बच्चों को गोद लेने के बारे में कानून

373. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार चालू वर्ष में समाज के गरीब तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये क्या कदम उठाने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बच्चों को गोद लेने के बारे में एक सामान्य विधान लाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० **(श्रीमती) फूलरेणु गुह) :** (क) सरकार ने समाज के गरीब तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये सहायता की विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम शुरू किये हैं, जो मुख्यतया निम्नलिखित हैं :

(1) **पिछड़े वर्गों के लिये कल्याण योजनाएं :**

पिछड़े वर्गों के विकास के लिये विशेष रूप से किये गए कल्याण उपायों में शिक्षा योजनायें, आर्थिक विकास योजनायें तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनायें शामिल हैं। इनमें से शिक्षा योजनाओं को सब से अधिक प्राथमिकता दी गई है। मैट्रिक-उपरान्त स्तर पर शिक्षा, आदिम जातीय विकास खण्डों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों का विकास, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिये सहकारी कार्यक्रम तथा मेहतरों और संमार्जकों के रहने सहने और काम करने की परिस्थितियों में सुधार, को अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना गया है और उन्हें 100% केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। 1969-70 के दौरान इन योजनाओं के लिये 19.14

करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि पिछड़ वर्गों को साधारण विकास कार्यक्रमों के अधीन लाभ पहुंचे इन लोगों के कल्याण के लिये निश्चित किये विभिन्न क्षेत्रीय परिव्ययों की एक निश्चित प्रतिशतता को लेने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

2. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से साधारण गरीब वर्गों के लिये कल्याण योजनायें :**

समाज के गरीब वर्गों के कल्याण को सहायता देने के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिये सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को धन देगी। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) अनाथालयों, शिशु गृहों, बाल भवनों, बालबाड़ियों, नर्सरी स्कूलों, शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों तथा बाल निर्देशक क्लीनिकों को सहायता ;

(ख) निराश्रित, बचाई गई तथा दुखी स्त्रियों की देखभाल, बचाव, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिये आवासीय संस्थाएं ;

(ग) उन स्थानों में मातृत्व केन्द्र, जहां ऐसी सेवाएं सुलभ नहीं है ;

(घ) कम-आय वर्गों के काम करने वाली स्त्रियों के लिये होस्टल ;

(ङ) बालकों के लिये अवकास शिविर ;

(च) शहरी कल्याण विस्तार परियोजनायें ;

(छ) शहरी क्षेत्रों में समेकित स्कूल-पूर्व परियोजनाएं ;

(ज) वयस्क स्त्रियों के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम ;

(झ) सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम ;

इनके अतिरिक्त बोर्ड के अन्य कार्यक्रमों, जैसे कि कल्याण विस्तार परियोजनायें, परिवार तथा बाल कल्याण कार्यक्रम तथा सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रमों, से भी समाज के गरीब वर्गों को अन्य लोगों की तरह लाभ पहुंचता है।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) प्रस्तावित विधान का उद्देश्य कानूनी कार्यवाहियों द्वारा बच्चों को दत्तक लेने के समान कानून की व्यवस्था करना है।

प्रथम श्रेणी के यात्रियों को स्थानों का आवंटन के बारे में प्रक्रिया

374. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम श्रेणी के यात्रियों को ऊपर तथा नीचे के स्थानों का आवंटन करने के लिये रेलवे अधिकारियों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ;

(ख) 25 दिसम्बर, 1969 को नई दिल्ली से बम्बई के लिये चलने वाली "फ्रंटियर मेल" के कम्पार्टमेंट 'जी', डिब्बा संख्या 6019 में बैठने वाले यात्रियों के नाम क्या थे और इन

व्यक्तियों की बुकिंग की तारीखें क्या थीं और इनके लिये कौन-कौन से स्थान नियत किये गये थे ;

(ग) क्या इस मामले में प्रक्रिया और अनुदेशों का उल्लंघन किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) वर्तमान आदेशों के अनुसार, किसी गाड़ी विशेष में उपलब्ध निचली शायिकाओं के 75 प्रतिशत तक ऐसी शायिकाओं का आवंटन प्राप्त आवेदन पत्रों की अग्रता के आधार पर किया जाना चाहिये और शेष 25 प्रतिशत शायिकाओं का आवंटन भी, विशिष्ट व्यक्तियों, महिलाओं, अपाहिजों आदि की मांगों को पूरा करने के बाद, अग्रता के आधार पर किया जाना चाहिये ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गई है । इस मामले में कार्य-विधि और हिदायतों का उल्लंघन नहीं किया गया ।

विवरण

25 दिसम्बर, 1969 को नई दिल्ली से बम्बई सेन्ट्रल तक जाने वाली फ्रंटियर मेल के डिब्बा नं० 6019 के कक्ष "जी" में रखे गये यात्रियों के नाम	उनकी बुकिंग की तारीख	किस किस्म की शायिका आवंटित की गई
1. उप विधि मंत्री के वैयक्तिक सहायक	6-12-69	निचली
2. डा० सी० एन० रोहतगी	6-12-69	निचली
3. श्री कार्तिक उरावं, संसद सदस्य	13-12-69	निचली
4. श्री बी० एन० शास्त्री, संसद सदस्य	13-12-69	निचली

(घ) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे में द्वितीय श्रेणी समाप्त करना

375. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय श्रेणी के रेल यात्रियों से होने वाली आय में निरन्तर कमी को दृष्टि में रखते हुए सरकार द्वितीय श्रेणी को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो द्वितीय श्रेणी में की जाने वाली यात्रा से सरकार का विचार किस प्रकार राजस्व में वृद्धि करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मध्यवर्ती वर्षों में किराये की दरों में वृद्धि के बावजूद, 1964-65 से दूसरे दर्जे के यात्री यातायात से होने वाली राजस्व आमदनी लगभग एक ही स्तर पर बनी रही है । 1967-68 से दूसरे दर्जे के यात्रियों की संख्या में कमी का रुख रहा है लेकिन इस दर्जे के यात्रियों की संख्या अब भी पर्याप्त रही है इसलिए इस दर्जे को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । रेलों पर यात्रा के दर्जों की संख्या कम करने के उद्देश्य से

1956 में इस दर्जे को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया था और इस विनिश्चय को आंशिक रूप से क्रियान्वित भीं किया गया लेकिन जनता की मांग के दबाव के कारण 1962 में इस विनिश्चय को रद्द कर दिया गया।

(ख) यात्री यातायात से होने वाले राजस्व के प्रश्न पर समग्र रूप से विचार करना पड़ता है और इस प्रयोजन के लिए बिना-टिकट यात्रा समाप्त करने और सेवाओं में सुधार आदि जैसे उपाय बरते जा रहे हैं। दूसरे दर्जे के यातायात में वृद्धि करने के उद्देश्य से दूसरे दर्जे के शयनयान भी चलाये जा रहे हैं।

Nationalisation of Cigarette Industry

377. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are still foreign shares in adequate number in the Cigarette manufacturing factories in India;

(b) whether Government have ever considered to nationalise the said industry; and

(c) if not, whether some decisions are likely to be taken in future in this regard?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). There is no proposal at present for nationalisation of the Cigarette Industry.

Increase in Steel Price

378. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) whether the consumption of Iron ore in world market would be affected due to increase in the steel prices;

(b) the main reasons for such a rapid increase in the steel prices; and

(c) whether a reduction in the price of steel is likely to be considered in future?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) No, Sir.

(b) The price increase takes into account the uncompensated cost increases, wages increases and the need to augment the internal resources of the steel companies to finance the replacement and modernization programmes.

(c) A reduction in price could be considered in case the cost of production goes down, but this is not likely.

Imperial Tobacco Company

379. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the percentage of shares owned by foreigners in the Imperial Tobacco Company at present;

(b) whether these shares have any effect on foreign exchange ;

(c) if not, the manner in which payment is made ; and

(d) whether any effort has been made to convert these shares into Indian shares ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) As on 28th August, 1969, 93.4% of the share capital of the company was held by foreigners.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The company was granted consent on 21st October, 1969 for issue of additional capital of the order of Rs. 3.79 crores on the condition that the shares involved will be issued only to Indians and that the company will Indianise its share capital to the extent of 40% within the next 5 years.

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा दिया जाना

380. **श्री सत्य नारायण सिंह : श्री प० गोपालन : श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 293-क के अनुसार किसी कम्पनी द्वारा किसी राजनीतिक प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति को कोई चन्दा दिया जाना निषिद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में कितनी कम्पनियों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को 1,000 रुपये से अधिक चन्दा दिया था ; और

(ग) सांविधिक उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् । 28 मई, 1969 से ।

(ख) धारा 293-क के संशोधित होने के पूर्व, राजनैतिक पार्टियों को, 25,000 रु० अथवा, तीन लगातार आर्थिक वर्षों के मध्य, शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, अंशदान में देने की अनुमति थी ; तथा इसे लाभ-हानि के लेखाओं में प्रकट करना पड़ता था। 30 जून, 1969 तक, 28,162 कम्पनियां, कार्यरत थीं तथा इन सम्पूर्ण कम्पनियों के लाभ-हानि के लेखे अभी तक कम्पनी रजिस्ट्रारों को प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यदि कभी धारा 293-क के उपबन्धों के लिये कोई उल्लंघन सरकार के नोटिस में आते हैं तो विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

लघु तथा सहायक उद्योगों के लिए कानून

381. **श्री जे० के० चौधरी :** **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री बे० कु० दास चौधरी : **श्री आत्म दास :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु तथा सहायक उद्योगों के लिए एक व्यापक कानून बनाने जा रही है, जिससे उनके परिरक्षण, संरक्षण, संवर्धन तथा उनके विकास की गति तेज करने के लिए आवश्यक सांविधिक व्यवस्था की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). इस विषय पर प्राप्त सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं ।

भाखड़ा-नंगल रेलवे लाइन (उत्तर रेलवे) को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

382. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री नंगल-भाखड़ा रेलवे लाइन (उत्तर रेलवे) के बारे में 9 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3293 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा भाखड़ा-नंगल रेलवे लाइन को अपने हाथ में लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा किस तारीख तक कर दिया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). रेलवे बोर्ड द्वारा नांगल डैम से भाखड़ा तक की निजी साईडिंग (जिसका निर्माण भाखड़ा परियोजना प्राधिकरण द्वारा किया गया था) को अपने अधीन लेने के प्रस्ताव की उत्तर रेल प्रशासन और भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड के परामर्श से अभी जांच की जा रही है । इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि इस काम को कब तक अन्तिम रूप दिया जा सकेगा, क्योंकि यह एक जटिल मामला है ।

चौथी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करना

383. **श्री हेम राज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र

में स्थापित की जाने वाली कितनी औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है और लाइसेंस दिये गये हैं तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या उन्हें पूरे संघ राज्य क्षेत्र में समान रूप से बांटा गया है या केवल एक या दो जिलों में ही केन्द्रित किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में नाहन फाउन्ड्री के आधुनिकीकरण तथा विस्तार का प्रस्तावित कार्यक्रम बनाया है। इसके अलावा पौन्टा (जिला नाहन) में भारत सीमेंट निगम द्वारा एक सीमेंट कारखाने की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी भी नई औद्योगिक परियोजना की स्थापना के लिए 1969 की अवधि में कोई भी लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में दोनों ही संयंत्र सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

384. **श्री हेम राज :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में शीशा बनाने का कारखाना, गत्ता और लुग्दी मिलें, इलैक्ट्रानिक कारखाना, घड़ियां बनाने का कारखाना अथवा ऐसे अन्य वन आधारित उद्योग स्थापित करने की, जिनके लिए वहां पर कच्चा माल उपलब्ध है तथा जलवायु उपयुक्त है, संभावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई सर्वेक्षण कराने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिमाचल प्रदेश का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाईड एकोनोमिक रिसर्च द्वारा किया गया था। इसका प्रतिवेदन (दिसम्बर 1961) प्रकाशित हुआ था। दूसरा सर्वेक्षण मेसर्स करम चन्द थापर द्वारा अखबारी कागज की फैक्टरी की स्थापना के लिए व्यास-सतलज अपवाह क्षेत्र का किया गया था। इस फर्म और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक करार हो गया है तथा "कुलू वैली डैवलपमेंट कारपोरेशन" बन गया है। यू० एन० डी० पी० ने यमुना घाटी अपवाह क्षेत्र में प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। जिसका प्रतिवेदन अभी प्रतीक्षित है।

(ख) राज्य सरकारों/संघीय प्रशासनों के औद्योगिक विकास के लिए विमनों के अंकन का कार्य उचित अभिकरणों द्वारा यथा आवश्यक वे ही स्वयं करते हैं।

Establishment of Tractor Plant in Public Sector

385. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had given an assurance in the Lok Sabha that a plant with a capacity of manufacturing 50,000 tractors annually would be set up, in the Public Sector, but now two plants with the production capacity of only 20,000 tractors are being set up ; and

(b) if so, the reasons for not implementing the assurances given in the Lok Sabha?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). It is true that I mentioned in the Lok Sabha some time ago that it was proposed to set up a tractor factory in the Public Sector with a capacity of 50,000 tractors. Such a large capacity cannot be established straightaway. To start with it is proposed to set up capacity for 12,000 tractors of one make (20 HP) with the minimum investment required. This capacity will later be increased both in numbers and in H. P. ranges so that eventually the plant will produce a large number of tractors of different sizes.

Central Subsidy for Supply of Electricity to Small Scale Industries in States

386. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of States along with the amount of grant paid to each by the Centre during the last three years for supplying electricity at the rate of nine paise per unit to such small scale industrial units as were functioning with power connection up to twenty H. P. ; and

(b) the amount being paid by the Centre per unit as grant to different States ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). Separate grants are not paid to State Governments for supply of electricity at subsidised rates to Small Scale Units. Central Assistance is not linked to particular schemes but is sanctioned in the form of Grants and Loans in bulk at the end of each financial year on the basis of expenditure in respect of all plan schemes under Small Scale Industries.

Standardisation of Machinery Parts

387. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of machinery parts and other items standardised so far keeping in view the development of small scale industries ; and

(b) the extent of standardisation proposed to be done during the Fourth Plan and the extent of such work likely to be left for completion after the Fourth Plan period ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The total number of standards published to date is 5726. A large number of these deal with machinery and machinery parts. The standards are prepared in consultation with the representatives of the industry for which they are intended, including, those of the small scale sector.

(b) It is expected that the total number of published standards would rise to 10,570 by the end of the Fourth Plan. Standardisation is a continuous process and it is difficult to forecast how much work will be left over for completion after the Fourth Plan.

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

388. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हुए 40 करोड़ रुपये की हानि को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के इस्पात के मूल्यों में 40 रुपये प्रति टन से 207 रुपये प्रति टन तक की वृद्धि की गई है ;

(ख) क्या रेलवे तथा वित्त मंत्रालयों ने मूल्य में वृद्धि का विरोध किया था ;

(ग) इस्पात उत्पादन को कितना लाभ पहुंचा है ; और

(घ) इस्पात के मूल्य में इस वृद्धि का औद्योगिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) मूल्य वृद्धि में अपरिपूरित लागत वृद्धि, वेतन वृद्धि, तथा पुराने पुर्जों को बदलने तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए इस्पात कम्पनियों के आन्तरिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है।

(ख) सभी सम्बद्ध मन्त्रालयों तथा विभागों से विचार-विमर्श के बाद सरकार ने मूल्य वृद्धि के लिए सहमति दी थी।

(ग) बिक्री से होने वाली इस्पात उत्पादकों की आय में 75 रुपये प्रति टन की औसत होने की आशा है।

(घ) लोहे और इस्पात के उत्पादों का थोक मूल्यों का सूचकांक, जो मूल्य वृद्धि के पहले 27 दिसम्बर, 1969 को 149.3 (आधार : 1961-62 = 100) था, मूल्य वृद्धि के बाद 3 जनवरी, 1970 को बढ़कर 154·6 हो गया।

कटक-पारादीप रेल सम्पर्क

389. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री रवि राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक पारादीप रेलवे लाइन को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिये निर्णय किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार कटक-पारादीप रेलवे लाइन 1972 के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है। इस समय मिट्टी का काम और पुल सम्बन्धी कार्य हो रहा है।

लघु उद्योगों के लिये आयातित इस्पात

390. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री आत्म दास :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को दस करोड़ रुपये के मूल्य का आयातित इस्पात देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका वितरण किस प्रकार किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) लघु उद्योग एककों में आयातित इस्पात का वितरण धातु व्यापार निगम द्वारा राज्य सरकार के उद्योग निदेशकों द्वारा बताई आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है ।

Replacement of Out-Moded Railway Carriages in Kerala

391. **Shri K. Anirudhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a growing dissatisfaction among the travelling public in Kerala about the old and out-moded Railway carriages being in use in that region ; and

(b) the steps taken to replace out-moded Railway carriages by new ones ?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) There is no indication of growing dissatisfaction amongst the travelling public of Kerala on account of the condition of coaches. Some complaints regarding defects and deficiencies have, however, been received.

(b) Wooden bodied coaches are being progressively replaced by new steel bodied coaches as and when these become available.

Price of Steel

392. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have given permission for raising the price of steel by Rs. 77.50 per tonne ;

(b) the total anticipated increase in the income of the Tata Iron and Steel Company ;

(c) the total additional expenditure to be incurred annually by Government due to this increase in the price of steel ;

(d) whether it is also a fact that due to this increase in the price of steel, Indian steel would be most costly in the world market ;

(e) whether it is also a fact that Japan imports iron ore from India and manufactures steel at cheaper rates ;

(f) if so, the reasons for this increase in the prices ; and

(g) keeping in view the position in the world market, what attitude would be adopted by Government towards the export of Indian steel ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) Yes, Sir.

(b). The sales realisation of Tata Iron and Steel Company may increase by about Rs. 11 crores.

(c) Rs. 10 crores (estimated).

(d) Even after the price increase, the steel prices (ex-works) in India are on the whole lower than the corresponding prices in the U. K. and Japan and considerably lower than those in the U. S. A.

(e) Precise data regarding cost of production of steel in Japan are not available, as they are regarded as confidential.

(f) The price increase taken into account the uncompensated cost increases, wage increases and the need to augment the internal resources of the steel companies to finance the replacement and modernization programmes.

(g) The prices of steel fixed by the Joint Plant Committee with the approval of Government do not apply to steel which is exported. Producers of steel are free to sell materials at any price they consider suitable in the export market.

Applications for Licence to set up Tyre and Tube Factory in Backward State

393. **Shri Deven Sen:** Will the Minister of **Industrial Development , Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a new moter tyre and tube factory in view of the increasing demand for 1.5 crores of tyres and tubes;

(b) the number of applications received so far for setting up of the said factory alongwith the names of the industrial houses and the name of the party whose application is being considered by Government;

(c) whether Government propose to issue licence to the party which would set up its factory in a backward State;

(d) If so, the name of industrial house which has applied for a licenee to set up the factory in a backward State; and

(e) if not, the policy of Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (e). Government do not have any proposal for setting up an automobile tyre and tube factory ; but have issued a Press Note inviting applications for industrial licence for creation of additional capacity in this field. The last date of receipt of the applications has been indicated as 28.2.1970. The Press Note **inter alia** specifies that preference will be given to those applications which envisage setting up of the proposed unit in an industrially backward region. The total additional capacity proposed to be covered by additional licensing is of the order of 1.5 million nos. As the last date for receipt of applications is 28.2.1970, applications are still being received. They will all be considered together and a decision will be taken on merits in each case.

Inquiry into Sahu Jain Establishment in Rajasthan

394. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government would constitute an enquiry into the affairs of Sahu Jain establishment in Rajasthan ;

(b) whether the legislators from Rajasthan have also made a demand in this regard to the State Government and the Union Government ;

(c) the nature of charges levelled by the said Legislators ; and

(d) whether a detailed report thereon would be laid on the Table of the House ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Government has no proposal before it for instituting an enquiry into the affairs of the companies belonging to the Sahu Jain Group having their registered office in the State of Rajasthan.

(b) Government has received no such demand for enquiry from legislators from Rajasthan. It is not known if any such demand has been made to the State Government.

(c) and (d). Do not arise.

रेलवे वर्कशापों से रद्दी इस्पात की खरीद

395. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखाने रेलवे वर्कशापों से रद्दी इस्पात खरीद रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस्पात कारखानों में इस्पात के निर्माण के लिये रेलवे के रद्दी इस्पात के प्रयोग की प्रतिशतता क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के बड़े इस्पात कारखानों में से कोई भी कारखाना रेलवे वर्कशाप से रद्दी इस्पात नहीं खरीद रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिमी तट रेलवे लाइन

396. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड अथवा योजना आयोग ने पश्चिमी तट रेलवे के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). कोंकन क्षेत्र से होकर बम्बई और मंगलूर के बीच एक तटीय रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक-व्यावहारिकता अध्ययन

किया जा रहा है । अध्ययन के परिणाम ज्ञात हो जाने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन

397. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री द्वा० ना० तिवारी, संसद सदस्य की अध्यक्षता में बनाई गई तालिका द्वारा बनाये गये लोकतंत्रीय समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). सरकार ने औद्योगिक नीति तथा और कुछ सम्बन्धित मामलों पर हाल ही अपने कुछ निर्णयों की घोषणा की है । इस आशय की जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रतिसंलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2584/70]** इन निर्णयों को देखते हुए यह प्रश्न कि क्या औद्योगिक नीति संकल्प 1956 पर पुनरीक्षण की आवश्यकता है, विचाराधीन है ।

प्रेस विज्ञप्ति

औद्योगिक लाइसेंस नीति सरकारी निर्णय

प्रशासनिक सुधार आयोग, औद्योगिक लाइसस नीति जांच समिति तथा योजना आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, गत मासों में सरकार औद्योगिक विकास से सम्बन्धित अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने में सावधानीपूर्वक विचार करती रही है । इनमें (क) औद्योगिक लाइसेन्स नीति (ख) सरकारी वित्तीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने सम्बन्धी नीति (ग) सरकारी क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित नीति में कुछ परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है ।

लाइसेंस नीति

सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि अर्थ व्यवस्था के लिये मूलभूत, विशिष्ट तथा सामरिक उद्योगों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण उद्योगों वाली सूची तैयार की जानी चाहिये । इन उद्योगों के लिये व्यापक उद्योग योजनाएं तैयार की जायेंगी तथा प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक निवेश उपलब्ध किये जायेंगे । यह सुनिश्चय करने के लिये सावधानी बरती जायेगी कि साधारण महत्व के उद्योगों के लिये भी विदेशी मुद्रा का पर्याप्त हिस्सा अलग से निर्धारित किया जाये । चतुर्थ योजना के दौरान होने वाले उत्पादन व्यवधान को दृष्टि में रखते हुए आर्थिक मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श से योजना आयोग ने महत्वपूर्ण उद्योगों की एक सूची बनाई है । अनुबंध 1 में सूची संलग्न है ।

औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 (समय-समय पर संशोधित) की अनुसूची "क" में सम्मिलित उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के लिये सुरक्षित महत्वपूर्ण सूची में ही रखा जायेगा। महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ-साथ, सभी 5 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के प्रस्तावों को "भारी निवेश" क्षेत्र के अन्तर्गत समझा जायेगा। समय-समय पर संशोधित औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के लिये सुरक्षित उद्योगों के अतिरिक्त, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में परिभाषित बड़े उद्योग समूहों से सम्बन्धित सभी उपक्रमों, विदेशी व्यापार संस्थाओं तथा सहयोगी अथवा विदेशी कम्पनियों की शाखाओं से, साथ ही अन्य आवेदकों से, यह आशा की जायेगी कि वे बाकी के क्षेत्रों को अन्य वर्गों के उद्यमियों को छोड़ते हुए महत्वपूर्ण तथा भारी निवेश वाले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में हिस्सा लेने तथा योगदान देंगे। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में सुझाये गये संयुक्त क्षेत्र वाले विचार को सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया गया है। सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि उपरिलिखित दो क्षेत्रों में गैर-सरकारी उपक्रम समूहों द्वारा अपनाए जाने वाली बड़ी परियोजनाओं के मामले में इस विचार को जितना संगत हो सकता है, लागू किया जाये। मध्यम क्षेत्र में, 1 करोड़ रु० से 5 करोड़ रुपये तक निवेश वाले बड़े उद्योग समूहों से सम्बन्धित उपक्रमों के अलावा पार्टियों के लाइसेंस आवेदनपत्रों पर विशेषरूप से विचार किया जायेगा तथा उदारतापूर्वक लाइसेंस जारी किये जाएंगे केवल। ऐसे आवेदन पत्रों के अतिरिक्त जहां विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अड़चनों पर विचारपूर्वक संवीक्षा की आवश्यकता होती है। बड़े औद्योगिक समूहों से संबंधित अथवा नियंत्रित उपक्रमों एवं विदेशी शाखाओं/सहयोगियों से प्राप्त लाइसेंस आवेदनों पर सामान्य प्रसार के लिये विचार किया जाएगा जहां यह प्रसार कम से कम आर्थिक स्तर को विकसित करने के लिए आवश्यक हो तथा जिससे अधिक लागत दक्षता का सुनिश्चिय हो। एकाधिकार तथा निरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया जाएगा।

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा बनाए गए तथा उसके प्रतिवेदन के पैरा 2.16 में उल्लिखित बड़े औद्योगिक समूहों से संबंधित फर्मों के वर्गीकरण के लिए निर्धारित मापदण्ड को सरकार ने मान लिया है। फिर भी, यह माना गया है कि इस प्रकार के वर्गीकरण में समय-समय पर परिवर्तन होते रहना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ, जब 3अप्रैल, 1970 से प्रबन्धक अभिकरण प्रणाली समाप्त हो जायेगी तो बड़े औद्योगिक समूहों की अथवा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों तथा व्यापार संबंधों की सूची में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। समवाय कार्य विभाग ऐसे संशोधन तथा परिवर्तन करने एवं प्राधिकृत और अद्यतन सूची रखने के लिए अभिकरण का कार्य करेगा। ऐसी कम्पनियां अथवा उपक्रम जो 20 बड़े औद्योगिक गृहों की सूची में अपने नाम को सम्मिलित कर लेना गलत समझते हैं, वे समवाय कार्य विभाग को अभिवेदन दे पाते हैं जो इस मामले पर निश्चय तथा निर्णय के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन करेगा। इसी प्रकार, सरकार द्वारा अपनाए मापदण्ड के संदर्भ में सूची में वृद्धि करने के लिए एक उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

लघु क्षेत्र : लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित करने की विद्यमान नीति (मशीनें तथा उपकरणों में

7.5 लाख रु० तक के निवेश वाले) जारी रहेगी तथा जहां कहीं मांग को पर्याप्त मात्रा तक पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की आशा की जा सकती है, सुरक्षित करने के क्षेत्र का प्रसार किया जायेगा। औद्योगिक विकास मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग ने सुरक्षित किये जाने वाले उद्योगों की प्रथम सूची तैयार कर ली है। अनुबन्ध दो में दी गई सूची को सुरक्षित किया जायेगा।

सहकारी क्षेत्र : कृषि उद्योगों विशेष रूप से गन्ना, जूट अन्य कृषि वस्तुओं के परिष्करण को सहकारी क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान करने के आवेदकों पर प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

लाइसेंसीकरण उपबंधों से छूट दिए जाने की सीमा जिसमें नए उपक्रमों को लाइसेंस देना तथा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार 25 लाख रु० से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा (भूमि, इमारत तथा मशीनों जैसी अचल आस्तियों के रूप में) उपक्रमों तथा उपक्रमों के वर्गों के मामलों में जिनकी विद्यमान आस्तियां 5 करोड़ रुपये से कम हैं और जो (1) बड़े उद्योग समूहों से संबंधित न हों, जैसा कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा वर्गीकृत किया गया है (2) जो 10 लाख रु० से अधिक अथवा 10 प्रतिशत से अधिक मशीनों तथा उपकरणों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में न चाहते हों, उसमें जो भी कम हो, तथा जिन्हें कच्चे माल, पुर्जों तथा इसी तरह के अन्य सामान के लिए नाममात्र को छोड़कर विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता न हो तथा (3) जो 'प्रभुत्वशाली उपक्रमों' की श्रेणी में शामिल न हों जैसा कि एकाधिकार अधिनियम में उल्लेख किया गया है। सरकार लाइसेंस मुक्ति प्राप्त एककों को संधारण तथा कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने का कोई वचन नहीं देगी।

पुनः लाइसेंसी ऋण : 1 करोड़ रु० तक लाइसेंसी ऋण के लिए छूट की सीमा बढ़ा देने से तथा अन्य नीति उद्देश्यों की प्राप्ति के होने की दृष्टि से, लाइसेंसीकृत आवश्यकताओं से कई उद्योगों को मिली विद्यमान छूट समाप्त कर दी जायेगी। अब तक लाइसेंस मुक्त किए गये उद्योगों में जो आवेदक औद्योगिक एककों की स्थापना करने की इच्छा करते हैं, को आगे से नई नीति के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र देने होंगे।

निर्यातोन्मुख उद्योग : सरकार ने निर्यात प्रयासों में तीव्रता लाने की दृष्टि से लाइसेंस नीति में पर्याप्त परिवर्तन लाने की आवश्यकता को समझ लिया है। औद्योगिक विकास मंत्रालय विदेशी व्यापार मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके इस संबंध में मार्गदर्शीय रूप रेखायें तैयार करेगा तथा उनकी बाद में घोषणा की जायेगी।

कार्यान्वयन : इन निर्णयों को लागू करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय आवश्यक अनुदेशों तथा अधिसूचनाओं को जारी करेगा। मार्गदर्शीय व रूपरेखाओं को लाइसेंस समिति को भेज दिया जायेगा जिससे कि लाइसेंस के लिए आये नये आवेदन पत्रों पर कार्य करते समय इन निर्णयों को तथा औद्योगिक विकास के अन्य सम्बन्धित उद्देश्यों को ध्यान में रखें।

सरकारी वित्तीय संस्थाएं : सिद्धान्त रूप से संयुक्त क्षेत्र को स्वीकार कर लेने से भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने वाली बड़ी परियोजनाओं के मामले में प्रबन्ध वर्ग में विशेषकर नीति स्तर पर अधिकाधिक हिस्सा लिया जाये। सरकारी वित्तीय संस्थान भी, अपने वित्तीय सहयोग के प्रबन्ध के लिहाज से, निर्दिष्ट समय के अन्दर-अन्दर भविष्य में दिये जाने वाले ऋणों तथा ऋण पत्रों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से इक्विटी में परिवर्तन करने के लिए स्वविवेक का प्रयोग कर सकेगी। पहले दिये गये ऋणों तथा ऋण-पत्रों के बारे में, सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं को चूक-कर्ताओं के मामलों में परिवर्तन करने के लिए समझौता करने के लिए स्वविवेक से कार्य करना होगा। इस बारे में बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जायेंगे।

सरकारी क्षेत्र की भूमिका : आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण को कम करने के लिए किये गए उपायों के साथ ही, औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में निहित क्षेत्रों से इतर सरकारी क्षेत्र से प्रयोजन में प्रर्याप्त विस्तार होने का प्रस्ताव है। विभिन्न मंत्रालय शीघ्र बनने वाली परियोजनाओं को जिनसे अगले कुछ वर्षों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े उत्पादन व्यवधानों के संभावित विकास से, एक औचित्य सीमा तक, उत्पादन के लिए हाथ में लेने पर विचार करेंगे। सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम के प्रसारार्थ आवश्यक साधनों को पूरा करने के लिए सिद्धान्त रूप से यह निश्चित किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थाएं सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहयोग के लिए आये आवेदनपत्रों पर उसी प्रकार विचार करने के लिए सक्षम होनी चाहिए जिन शर्तों पर गैरसरकारी पार्टियों से आए आवेदनपत्रों पर विचार किया जाता है। बैंकिग विभाग के सम्बन्ध में विस्तृत विचार करने के पश्चात् आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे।

अनुबन्ध—1

(महत्वपूर्ण उद्योगों की सूची)

1. कृषि निवेश

(क) उर्वरक

(1) नाइट्रोजनमय

(2) फासफेटिक

(ख) पेस्टीसाइड (केवल मौलिक रसायन)

(ग) ट्रैक्टरों तथा पावरटिलरों

(घ) राक-फासफेट तथा पाइराइट्स

2. लोहा तथा इस्पात

(क) कच्चा लोहा

(ख) ढलवां लोहा तथा इस्पात

(ग) मिश्र तथा विशेष इस्पात

3. अलौह धातु

4. पेट्रोलियम

(क) तेल का पता लगाना तथा उत्पादन

(ख) पेट्रोलियम शोधक

(ग) चुने हुए पेट्रो-रसायन

(1) एकीकृत पेट्रो-रसायन मिश्रण

(2) डी० एल० टी०

(3) कप्रोलेक्टम

(4) एक्रीलेनिट्रियल

(5) संश्लिष्ट रबर

5. **कोकिंग कोयल**

6. भारी औद्योगिक मशीनें (निर्धारित होने वाली)

7. शिप निर्माण तथा निकर्षण पोत

8. अखबारी कागज

9. इलेक्ट्रोनिक्स (चुने हुये उपकरणों, परीक्षण तथा नियन्त्रण उपकरण, बेतार का तार तथा सूक्ष्म लहरों वाले उपकरण)

अनुबन्ध—2

केरल लघु क्षेत्र में विकास के लिये उद्योगों की सूची जो उद्योगों की सूची के साथ जोड़नी है।

1. इस्पात फर्नीचर
2. साइकिल टायर तथा ट्यूब
3. मशीन युक्त खिलौने
4. अल्यूमिनियम के बर्तन
5. फाउंटेन कलम तथा बाल पाइन्ट कलम
6. विद्युत के हार्न
7. 30 मी० टन क्षमता से कम वाले हाइड्रोलिक जैक्स ; तथा
8. टूथ पेस्ट

विकास में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना

398. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगीकरण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या इस विषय पर नई कांग्रेस की उद्योग संबंधी तालिका के इस सुझाव पर विचार किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सुनियोजित विकास के मुख्य उद्देश्यों में देश को विभिन्न भागों का सन्तुलित विकास करना, कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति के लाभों का प्रसार करना तथा उद्योगों को चहु ओर फैलाना है । दो कार्यकारी दल स्थापित किये गये थे एक पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, मापदंड की सिफारिश करने के लिये तथा दूसरा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय तथा आर्थिक प्रोत्साहनों की सिफारिशें करने के लिए । राष्ट्रीय विकास परिषद की राज्यों के मुख्य मंत्रियों की समिति की 26 सितम्बर 1969 को हुई बैठक में इन दोनों प्रतिवेदनों पर विचार किया गया था और समिति द्वारा किये गये मुख्य मुख्य निर्णय निम्न प्रकार हैं :

(क) उद्योगों को ऋण प्रदान करने वाली तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य रियायतें सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों को उपलब्ध होना चाहिए ;

(ख) वित्तीय तथा ऋण प्रदानी संस्थायें राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के परामर्श से ऐसे पिछड़े क्षेत्रों जिन्हें औद्योगिक विकास के लिये प्रोत्साहनों की आवश्यकता है, के निर्धारण के लिए समुचित मापदण्डों का प्रतिपादन करेंगी ;

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार अनुदान देगी । अनुदान की राशि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली ऐसी प्रत्येक परियोजना जिसकी कुल पूंजी 50 रुपये से अधिक न होगी, की कुल पूंजी का दसवां भाग होगी ;

(घ) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, इन 9 राज्यों में प्रत्येक के 2 जिलों को यह अनुदान उपलब्ध होगा अन्य राज्यों में प्रत्येक के एक जिले को यह अनुदान उपलब्ध होगा प्रत्येक संघीय क्षेत्र का एक जिला भी इस रियायत को प्राप्त करेगा । केन्द्रीय सरकार का अनुदान तथा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने वाली रियायतें राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किये जा रहे प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगी ।

राज्य सरकारों/संघीय राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे विशेष उपायों के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का चुनाव करें, परन्तु अभी तक किसी से भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) नई कांग्रेस की उद्योग सम्बन्धी तालिका के सुझावों पर विचार नहीं किया गया है ।

Posting of Class III and Class IV Employees under local or nearest Railway Division

399. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased fo state:

(a) whether it is a fact that there are orders of Government that the Class III and Class VI Railway employees should be posted under the local or nearest Railway Division;

(b) if so, the extent to which these orders are complied with;

(c) the number of applications received in the Office of Railway Board and the General Managers and the number of persons transferred to their respective Divisions; and

(d) the number of such cases still under consideration and those which have been rejected with the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) to (d). There are no such specific orders as stated in part (a) of the Question. However, it is laid down that the posts in the lower grades (whose pay does not rise above Rs. 375/-) should be advertised in the newspapers commonly read in the area where such vacancies exist and that the employment notices should also be supplied to the nearby employment exchanges. Such advertisements also indicate the categories of the posts and the Division/District/Region of the Railway where vacancies exist.

When candidates are recruited through an open competition examination, they are also required to give their preference for appointment to two Divisions/Districts/Regions and panels of selected candidates are drawn up Division-wise etc. according to the preference of the candidates.

Housing Facility to Railway Employees of Commercial Department

400. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the facility of residential accommodation is available to the Engine drivers and guards, who fall under the category of Running Staff on Railways.

(b) whether it is also a fact that the said facility is not available to the employees of the Commercial Department including Ticket Collectors;

(c) whether it is also a fact that they are denied this facility because they belong to Commercial Department; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri Nanda): (a) to (d). All staff irrespective of the Department to which they belong are eligible for allotment of Railway residential accommodation. Such accommodation being limited, staff are classified as 'essential' and 'non-essential' depending upon their nature of duties, the former getting priority.

Guards and Drivers are classified as essential while staff of Commercial Department including Ticket Collectors are generally classified as non-essential.

सभापति तालिका
PANEL OF CHAIRMAN

अध्यक्ष महोदय : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम के नियम 9 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि मैंने सभापति तालिका में निम्नलिखित लोगों को नियुक्त किया है :

श्री वासुदेवन नायर

श्री प्रकाशवीर शास्त्री

श्री क० ना० तिवारी

श्रीमती सुशीला रोहतगी

श्रीमती जयाबेन शाह और

श्री श्रीचन्द गोयल ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : सभापति तालिका में हमारे दल के किसी भी सदस्य का नाम नहीं है। गत सभापति तालिका में हमारे दल का एक सदस्य था। हमारे दल का स्थान सभा में विरोधी दलों में दूसरा है। अत: मैं आप से अनुरोध करता हूं कि हमारे दल के किसी सदस्य का नाम उसमें सम्मिलित किया जाये।

सभापति महोदय : सभी दलों से एक-एक सदस्य को मैं उसमें सम्मिलित नहीं कर सकता। वैसे भी मैं इस मामले में स्वविवेक से काम करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनर्निर्धारण

श्री प्रेमचन्द वर्मा (हमीरपुर) : श्रीमान्, मैं गृह कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"पंजाब के ढांचे के अनुसार हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मानों के पुनर्निर्धारण के मामले में केन्द्रीय सरकार का निर्णय।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय। श्रीमान्, हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मान पहले पंजाब में विद्यमान वेतन मानों के ढांचे के अनुसार थे। इसी प्रकार मनीपुर, त्रिपुरा और पांडिचेरी के कर्मचारियों के वेतन-मान क्रमश: आसाम, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में विद्यमान वेतनमानों के ढांचे के अनुसार थे।

वर्ष 1968 में कुछ राज्यों में वेतन-मान काफी बढ़ाये गये और कुछ राज्यों में तो वेतन-मान केन्द्रीय सरकार के समान पदों के वेतन-मानो से भी अधिक हो गये थे। वित्तीय स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार ने पूर्ण रूप से सोच विचार कर अपनी उस नीति में परिवर्तन किया जिसके अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यमान वेतन-मान पड़ौसी राज्यों के वेतन-मानों के अनुसार स्वतः ही बढ़ते रहते थे और यह शर्त लगा दी गई थी कि संघ राज्य-क्षेत्रों के कर्मचारियों का वेतन महंगाई वेतन तथा मंहगाई भत्ते सहित, वेतन-मान में वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के समान श्रेणी के पद पर उपलब्ध होने वाले वेतन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा। यह निर्णय उपर्युक्त सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर, जिनमें हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित है, लागू कर दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पंजाब में विद्यमान वेतन-मानों को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुर्ननिर्धारण के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Shri Prem Chand Verma : Sir, I want to point out that 52 per cent of the total areas of Himachal Pradesh was included in the area of Punjab prior to 31st October 1966. The area includes district Kangra, Kullu, Lahaul, Spiti, Simla and Tehsil Una. The employees posted in this area were given assurance on their transfer to Himachal Pradesh that they will be given the same pay scales as are available in Punjab. Now the Punjab Government have revised upward the pay-scales of their employees since 1-2-68. But this benefit has not been given to these employees so far. This is on this account that about one lakh non-gazetted employees of Himachal Pradesh are agitating for it. The Himachal Pradesh Government are ready to give the revised pay scales to their employees but the Central Government are not giving their sanction. The case has been pending with the Central Government for more than two years. Hence I would like to know from the Home Minister the reasons for delay in taking the decision in this matter; whether the Prime Minister or Shri V. C. Shukla or Shri P. C. Sethi has ever given the assurance to the deputation of said employees that they will soon be given the revised pay scales. May I also know whether it has been the policy of Government of India to give to the Government employees, teachers or professors the pay scale of Punjab or Delhi, whichever is less ? Lastly, I would like that the Home Minister should give the assurance that the non-gazetted employees of Himachal Pradesh will be given the revised pay scales with effect from 1-2-68. May I know the date on which such an assurance will be given ?

Shri Vidya Charan Shukla : Sir, It is a very complicated matter and it takes time to take the decision on every such complicated matter. I am sorry that a bit more time has been taken in this matter. Neither the Prime Minister nor any other Minister gave any assurance to the deputation of the employees. Instead we tried to understand their point of view. Moreover, it is a matter which is concerned not only with Himachal Pradesh but with all the union territories. So all these things will have to be taken into consideration while deciding this question. It is a fact that we made a change in our previous policy, which provides that the pay scale of neighbouring State or the Central Government, whichever is less, will be given to the employess of the union territories. Thus I have answered all the questions raised by Hon. Member.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : मैं आपका ध्यान व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि प्रक्रिया के जो नियम बनाये जाते हैं, उनका पूर्ण

रूप से पालन नहीं किया जाता। माननीय सदस्य ने पहला सवाल करने में ही 10 मिनट लिये। दूसरी बात यह है कि मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के दो प्रस्तावों की सूचनाएं दी थीं। किन्तु उनके बारे में मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी सदस्य को किसी प्रस्ताव या चर्चा आदि के बारे में इस प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो उसे मेरे कक्ष में आकर बात करनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अब तक तो हमें यह बता दिया जाता था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में से कौन सा स्वीकार किया गया और कौन सा अस्वीकार। किन्तु अब ऐसा नहीं किया जाता है। अतः हम चाहते हैं कि पुरानी प्रक्रिया को पुनः चालू किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आर्थिक सर्वेक्षण 1969-70

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : प्रधान मंत्री की ओर से मैं आर्थिक सर्वेक्षण 1969-70 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2554/70]**

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, कम्पनी ला बोर्ड (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 23 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2555/70]**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2763 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2556/70]**

सरकारी संकल्प संख्या 16 (23)/63—लवण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा दिनांक 3 मई, 1961 को सरकारी संकल्प संख्या 18 (4)/59—लवण में अधिसूचित लवण समिति की सिफारिशों पर लिए गए कतिपय निर्णयों का स्पष्टीकरण किया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2557/70]**

वर्ष 1967-68 के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर समीक्षा को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2558/70]**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2559/70]**

रेलवे दुर्घटना जांच समिति के प्रतिवेदन के भाग दो पर रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचार

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : मैं रेलवे दुर्घटना जांच समिति, 1968, के प्रतिवेदन के भाग 2 पर रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विचारों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2560/70]**

निर्वाचनों के संचालन (संशोधन) नियम इत्यादि

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती)फूलरेणु गुह) : श्री गोविन्द मेनन की ओर से मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 145 में प्रकाशित हुए थे। की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(2) लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 146 की एक प्रति, जो दिनांक 12 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तक जिसके द्वारा संसदीय तथा विधान सभाई निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2561/70]

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, 1970, इत्यादि

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, 1970, की एक प्रति।

(2) वर्ष 1968-69 के लिए विनियोग लेखे, रेलवे भाग 1—समीक्षा, की एक प्रति।

(3) वर्ष 1968-69 के लिए विनियोग लेखे, रेलवे भाग 2—विस्तृत विनियोग लेखे, की एक प्रति ।

(4) वर्ष 1968-69 के लिए रेलवे के ब्लाक लेखे (ऋण लेखे के पूंजी विवरणों सहित), बैलेन्स शीट और लाभ तथा हानि के लेखे की एक प्रति ।

(5) राजभाषा, अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियां सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०-2562/70]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी की राज्य सभा ने अपनी 23 फरवरी, 1970 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है कि गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक, 1969 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय राज्य सभा के 73वें सत्र के पहले दिन तक बढ़ाया जाये ।

विधेयकों पर अनुमति
ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (रेलवे) संख्या 5 विधेयक, 1969

(2) विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1969

(3) विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1969

(4) मणिपुर विनियोग विधेयक, 1969

(5) बिहार विनियोग विधेयक, 1969

(6) भारतीय टेरिफ (संशोधन) विधेयक, 1969

(7) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाएं विधेयक, 1969

मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और अनुमति प्राप्त निम्नलिखित बारह विधेयकों की राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 1969

(2) विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1969

(3) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा बैंक (संशोधन) विधेयक, 1969

(4) बिहार भूमि सुधार विधियां (खानों तथा खनिजों का विनियमन) मान्यीकरण विधेयक, 1969

(5) खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी विधेयक, 1969

(6) शपथ विधेयक, 1969

(7) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1969

(8) पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक, 1969

(9) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1969

(10) आसाम पुनर्गठन (मेघालय) विधेयक, 1969

(11) मोटर गाड़ियां (संशोधन) विधेयक, 1969

(12) संविधान (तेईसवां संशोधन) विधेयक, 1969

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

100वां और 104वां प्रतिवेदन

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) गृह कार्य मंत्रालय—संघ लोक सेवा आयोग— के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 47वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 100वां प्रतिवेदन ।

(2) भूतपूर्व पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय—उर्वरक के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 49वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 104वां प्रतिवेदन ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

चौथा प्रतिवेदन

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : मैं गृह-कार्य मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण—के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अधीनस्थ विधान सभा सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

चौथा प्रतिवेदन

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार सम्बन्धी करार के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : EXCHANGE OF PROTOCOL ON THE EXPANSION OF BOKARO STEEL PLANT

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्री ने कल सोवियत समाजवादी संघ के मंत्रि परिषद् के विदेशी आर्थिक मामलों की राज्य-समिति के अध्यक्ष महामहिम श्री एस० ए० स्केचकोव के दौरे के बारे में इस सदन में एक वक्तव्य दिया था । उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में सोवियत सहयोग से लगाये गये औद्योगिक कारखानों के बारे में श्री स्केचकोव के साथ हुई बातचीत के बारे में सदन को अवगत कराया । बोकारो इस्पात प्रायोजना का 40 लाख टन क्षमता तक विस्तार करने के बारे में भी बातचीत की गई थी । भारत सरकार ने श्री स्केचकोव को बताया कि उनका विचार हिन्दुस्तान स्टील के केन्द्रीय इंजीनियरिंग और रूपांकन ब्यूरो को इस विस्तार के लिये प्रमुख सलाहकार नियुक्त करने का है । बोकारो के प्रथम चरण में यह कार्य सोवियत सलाहाकारों द्वारा किया जा रहा है । इस बीच केन्द्रीय इंजीनियरिंग और रूपांकन ब्यूरो के कुछ तकनीकों का भी विकास कर लिया गया है । सरकार द्वारा अनुमोदित विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के अनुसार रूपांकन कार्य करने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड मेसर्स 'त्याजप्रोमेक्सपोर्त के बीच हुए पहले के करार के अन्तर्गत सोवियत संगठनों की तकनीकी जानकारी भी इस ब्यूरो को उपलब्ध है ।

बोकारो के विस्तार के लिये आवश्यक अधिकांश उपकरण देश में ही तैयार किये जायेंगे । परन्तु यह तय हुआ है कि ऐसे उपकरणों का, जिनका आयात किया जाना है, भुगतान वर्तमान सोवियत ऋणों की अप्रयुक्त राशियों से किया जायेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

चौवालीसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन-मंत्री (श्री रघुरामैया) : "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से जो 23 फरवरी, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से जो 23 फरवरी, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विशेषकर रेलवे मंत्रालय की अनुदान की मांगों के लिये पर्याप्त समय निर्धारित नहीं किया गया है। अतः इस बारे में मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये कुल 17 घंटे निर्धारित किये गये हैं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 44वें प्रतिवेदन से जो 23 फरवरी, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक—जारी

REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : हमें विधेयक पर चर्चा निर्धारित समय पर समाप्त करनी चाहिये।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : 1952 का मूल अधिनियम अस्थाई कार्यवाही थी। वर्ष 1962 की आपात कालीन स्थिति के बाद सरकार ने सम्पत्ति का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था, वह सम्पत्ति अभी भी सरकार के अधिकार में है। आपतकाल स्थिति के बाद सरकार उसको पुराने अधिनियम जो स्थाई हैं, के अन्तर्गत लाना चाहती थी। यह बात समझ में नहीं आती कि इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी। यदि सरकार इस बारे में कोई स्थायी कानून बनाना चाहती है तो सरकार को इस बारे में कोई अन्य अधिनियम बनाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने इस बारे में तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि सरकार के अधिकार में कितनी कृषि सम्पत्ति और कितने भवन और अन्य सम्पत्तियां हैं। उनमें कितने प्रतिरक्षा संस्थान स्थापित हैं। बम्बई में 1939 के भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बहुत-सी सम्पत्तियां अर्जित कर ली गई थीं। वे सम्पत्ति अभी भी सरकार के अधिकार में हैं। बहुत-सी सम्पत्तियां अभी भी खाली पड़ी हैं। ऐसा कहना बहुत आश्चर्यजनक है कि उनकी सम्पत्ति दस वर्ष तक सरकार के अधिकार में रहेगी। सरकार को जनता को इस प्रकार परेशान नहीं करना चाहिए।

विधि मंत्रालय ने यह घोषणा की थी कि सम्पत्ति को 5 वर्ष से अधिक समय तक सरकार के अधिकार में नहीं रखा जायेगा। लेकिन माननीय मंत्री ने सम्पत्ति को दस वर्ष तक सरकार के अधिकार में रखने के बारे में कोई कारण नहीं दिये हैं।

इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? इसका ब्योरा मंत्री महोदय ने नहीं दिया है। सरकार को सम्पत्ति के अधिकार में लेने के बारे में सभा का विश्वास प्राप्त करना चाहिए था। ऐसा न करने से कठिनाई हो सकती है।

इस विधेयक पर विचार करने से पूर्व माननीय मंत्री को सभा को पूरी जानकारी देनी चाहिए ताकि इस विषय पर उचित ढंग से विचार किया जा सके।

Shri Gajraj Singh Rao (Mahendragarh) : I want to draw the attention of the Government regarding the difficulties suffered by the farmers, and the zamindars. The lands in Faridabad have been acquired at the rate of 2 annas or 4 annas per square yard, and they are being sold at the rate of rupees 50 and 100 per square yard.

Delhi Development Authority has requisitioned the lands of 12 villages for building bungalows on them. It was stated later that the lands were acquired for planned development. Such types of misuse of lands should be avoided. A big gang is working in Delhi in this matter. It has full support from some high Central officials. These malpractices should be stopped.

Government is doing nothing for the welfare of soldiers who are defending the country. This Act is being misused. Government should stop such types of hardships to the people. A committee should be formed to make full investigations regarding such incidents near Delhi.

I want the Government should protect the interests of the poor. Hon. Minister should assure the House that the legislation will not be misused.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : इस अधिनियम का दुरुपयोग न केवल किसानों के अहित में किया जा रहा है, बल्कि इसका दुरुपयोग देश की रक्षा करने वाले सिपाहियों के विरुद्ध भी किया जा रहा है। इस अधिनियम का जनता ने विरोध किया है। श्री लोबो प्रभु ने भी इस अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में ध्यान आकर्षित कराया था। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें।

वास्तव में अनिवार्य रूप से भूमि अर्जन करने सम्बन्धी प्रश्न उच्चस्तरीय समिति के विचाराधीन है, अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को तब तक स्थगित रखें, जब तक समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर देती। इसके बाद वह संसद् के सत्र में इसे बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मुझे दुःख है कि अब जब आपात स्थिति नहीं है तो विधेयक की अवधि दस वर्ष के लिये क्यों और बढ़ाई जा रही है।

किसानों की भूमि का अधिकतर अर्जन किया गया है। लेकिन उनके बार-बार निवेदन करने पर भी उन्हें इनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है।

भूमि को दोबारा प्राप्त करने पर किसानों को बहुत अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है और प्राप्त भूमि बहुत बुरी हालत में होती है। इसका परिणाम यह होता है कि वे भूमि को बेच देते हैं।

सरकार को इस बारे में समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपातकालिक स्थिति के नाम में भूमि अर्जन करने के परिणामस्वरूप निर्धन व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। कई बार किसानों के दावों को बहुत मामूली से तकनीकी कारण से ठुकरा दिया जाता है। तकनीकी आपत्तियों के कारण लोग अपनी देय धनराशि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

लोगों को देय यथोचित धनराशि का यथाशीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए।

Shri Shinkre (Panjim) : The Government should have the right to requisition the property not only in emergency but in normal times. It will enable the Government to go through

its security programme and social welfare projects. Government should avoid faulty planning. So that there may not be any necessity for releasing that property again. There have been corruptions in releasing property. Government should make proper arrangements for rehabilitation and residence of the persons from whom lands have been acquired. The Government acquires the land at very low prices and sells it at very high prices.

The Government should make proper and permanent decision in this regard. It is very difficult to support this Bill unless corruption is abolished.

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : विधेयक में अचल सम्पत्ति को और अधिक समय तक सरकार के अधिकार में रखने की व्यवस्था है। इससे प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उचित निर्णय न लेने का बोध होता है। मंत्रालय यह निर्णय करने में असमर्थ है कि उसे उक्त अचल सम्पत्ति की आवश्यकता है अथवा नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार आपातकाल में सम्पत्ति अर्जित कर सकती है लेकिन यह विधेयक लाकर सरकार सामान्य स्थिति को आपात स्थिति में परिवर्तित कर रही है। अतः मैं इस विधेयक को निवारक निरोध अधिनियम से भी अधिक अनुचित समझता हूं।

सरकार द्वारा किसानों से भूमि का अर्जन करने से किसान दर-दर भटक रहे हैं। भूमि को अपने पास रखने की अवधि को दस वर्ष तक बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसकी अवधि को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी हालत में किसानों को उचित मुआवजा दिये बिना उनकी भूमि को नहीं लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब हम इस विषय पर खंडवार चर्चा करेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : इस विधेयक के बारे में की गई बहुत-सी आलोचनाएं निराधार हैं तथापि मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इसमें काफी दिलचस्पी ली है। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने देश में 179 इमारतें अर्जित की हैं। वह इसके लिये 6.86 लाख रुपया वार्षिक मुआवजा देता है। प्रति रक्षा मंत्रालय ने 86,058.02 एकड़ भूमि अर्जित करनी है और इसके लिये 68.96 लाख रुपया वार्षिक मुआवजे के रूप में दिया जायेगा। वित्त मंत्रालय ने 34 इमारतें अर्जित की हैं और इसके लिये 1.41 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा।

श्री रा० बरुआ : हम यह जानना चाहते हैं कि अवधि को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है।

श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे बताया गया है कि समिति का स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन विधेयक, 1952 से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार ने इस बारे में निर्णय कर लिया है और वह अब इसके अवधि को तीन वर्ष के लिये बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है और मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे 21 अगस्त, 1970 तक परिचालित किया जाये"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 (अनुच्छेद 6 का संशोधन)

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 2 तथा 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 में

अंक "1969" के स्थान पर अंक "1970" रख दिया जाए। (7)

श्री लोबो प्रभु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 में

'Ten' ('दस') के स्थान पर 'Three' ('तीन') रखा जाए। (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 में

'Ten' ('दस') के स्थान पर 'Three' ('तीन') रखा जाये। (10)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17 में

'Ten' ('दस') के स्थान पर 'Three' ('तीन') रखा जाये। (11)

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, The period for requisitioning or acquiring of property should be reduced to two years as the three years time limit is too long. Properties of richer people like Birlas may be requisitioned for longer period but the property of low income group people should not be requisitioned for more than two years. I withdraw my amendment No. 5 in this regard wherein I suggested that the period of ten years should be reduced to five years. Now this period should be reduced to two years.

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : On a point of order sir. Shri Jha has stated that the Birla House may be requisitioned in ten years, but I want that this must be acquired immediately. This point should be cleared.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : सरकार को सम्पत्ति अर्जन करने का अधिकार होना चाहिये परन्तु इसे 10 वर्ष तक बट्टे खाते में नहीं डाले रखना चाहिये। यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने इस अवधि को 10 वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया है। यदि प्रस्ताव अपने मूल रूप में स्वीकार हो जाता तो 9 वर्ष तक आवर्तक भुगतान करने सम्बन्धी दस्तावेजों को हाथ ही नहीं लगाया जाता। गोहाटी में लोगों को गत आठ वर्ष से आवर्तक भुगतान की राशि नहीं मिल रही है। इसके साथ-साथ इस विधेयक से किसानों तथा अल्प आय वर्ग के लोगों को हानि पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त जनता को मिलने वाले आवर्तक मुआवजे की राशि भी बहुत कम है। यह कहा गया है कि बड़े लोगों के बड़े-बड़े मकानों का अर्जन कभी नहीं किया गया है। छोटे व्यक्तियों की सम्पत्ति का अर्जन किया जाता है परन्तु सरकार उनको मुआवजे के भुगतान पर निर्णय नहीं करती। अतः अब प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने इस अवधि को घटाकर तीन वर्ष कर दिया है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस अवधि के अन्दर कम आय वाले व्यक्तियों को या तो भुगतान करेगी अथवा उनकी सम्पत्ति को उन्हें वापस दे देगी अथवा उनकी सम्पत्ति का अधिग्रहण करेगी।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। इससे सरकार और विपक्ष के सम्बन्ध ठीक बने रहेंगे, जहां सहकारिता होगी। वित्त मंत्रालय ने यह आपत्ति की थी कि सम्पत्ति का अधिग्रहण करने तथा मुआवजा देने के लिये 33 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई थी, तीन वर्ष के उपरान्त उसका पता भी नहीं चलेगा और यदि बहुत बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया गया तो यह राशि कम पड़ जायेगी। इसके साथ एक बात और भी है कि यदि इस बारे में विलम्ब किया गया तो सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि होने से मुआवजे की राशि में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, इसलिए शीघ्र ही इनका अर्जन करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जहां छोटे व्यक्ति को मकान देने के लिये प्रयत्न किया जाता है, वहां हमें उनके लिये और अधिक बड़े मकानों के लिए लड़ना चाहिए। सम्पत्ति चाहे छोटी हो या बड़ी, है तो सम्पत्ति ही और सम्पत्ति का अधिकार नागरिक जीवन व्यतीत करने के अधिकार के समान है।

श्री ब० सू० मूर्ति : इस संशोधन को दृष्टि में रखते हुये मैं दो अन्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये सूचना देनी चाहिये। संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं है, कृपया उनका उत्तर दीजिये। मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

श्री ब० सू० मूर्ति : श्री लोबो प्रभु के संशोधनों को मैं स्वीकार करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी मैं सब संशोधनों को सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा । क्या श्री शिवचन्द्र झा अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री शिवचन्द्र झा : जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The amendment was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : अब सरकारी संशोधन संख्या 7 है ।

प्रश्न यह है : कि

पृष्ठ 2, पंक्ति 9

अंक "1969" के स्थान पर अंक "1970" रख दिया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 9, 10 तथा 11 प्रस्तुत करता हूं :

प्रश्न यह है : कि

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,

"ten (दस)" के स्थान पर "three (तीन)" रखा जाए । (9)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

पृष्ठ 2, पंक्ति 12

"ten (दस)" के स्थान पर "three (तीन)" रखा जाए । (10)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

पृष्ठ 2, पंक्ति 17

"ten (दस)" के स्थान पर "three (तीन)" रखा जाए (11)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

प्रश्न यह है कि :

'खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 3 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3, as amended, was added to the Bill

खण्ड-4

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं, आपकी अनुमति से सम्पूर्ण खण्ड-4 को विधेयक से निकालना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जी, हां।

श्री लोबो प्रभु : हम इस खण्ड को विधेयक से निकाले जाने के बारे में सहमत नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन भेजने वाले सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या वे अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं अपने संशोधन संख्या 13, 14 तथा 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 40

"1969" के स्थान पर "1970" रखा जाए। (—8)

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Shiva Chandra Jha : Since the Government has accepted an amendment for reducing the period for derequisitioning or acquiring the property for three years, I again request the Hon. Minister to accept my amendment also. It is not justified that the property of big persons like Birlas should be derequisitioned after three years even if the property was required for defence purposes. So far as the question of recurring payment is concerned this should be decided on the merits of the case and greater compensation should be given to the small property holders and within the shortest time, and less amount of compensation should be given to the richer persons keeping in view the problems of small property holders I have requested you to accept may amendment.

श्री लोबो प्रभु : खण्ड 4 में प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त पुनरीक्षण करने की व्यवस्था है। किन्तु किसी सम्पत्ति को तीन वर्ष तक अधिग्रहीत करने के मेरे संशोधन को स्वीकार करने के पश्चात "पांच वर्ष के पश्चात पुनरीक्षण करने" की व्यवस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। अतः सरकार को चाहिए कि वह इस खण्ड 4 को बिल्कुल हटा दे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती परन्तु इस खण्ड को विधयक का अंग बनाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय आप इसके विरुद्ध मत दे सकते हैं।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) **:** संशोधन प्रस्तुत करने के बारे में सूचना देने सम्बन्धी समय की सीमा को हटा दिया जाए और मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। दूसरे विधेयक के खण्ड 4 को हटाने के सम्बन्ध में मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय यह मैं कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। क्या मंत्री महोदय कुछ कहेंगे ?

Shri Om Prakash Tyagi : Government requisitions land or property of the poor people and the farmers at cheap rates. The poor farmers have no alternative means of their livelihood except the land which is requisitioned by the Government. But at the time of selling the very land it is sold at very high price and on the present market rates. The Government has made a policy to acquire or requisition land of the poor farmers at very cheap compensation and then sells the same land at very high rates. In emergency and dire needs Government has every right to requisition or acquire any property or land, but it should see the interests of the poor farmers and people of low income groups. They must be fully compensated on the present market rates so that they may be able to have some alternative means of livelihood for their families as land is the only means of livelihood for the poor farmers, because more than 90 per cent of the land acquired or requisitioned pertains to the poor farmers. I, therefore, request the Hon. Minister to accept my amendment.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय के अनुसार मुआवजे का बिल्कुल साफ अर्थ है कि मुआवजा बाजार के वर्तमान मूल्य के बराबर ही है। अत: सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के अनुसार सरकार को पहले से अधिग्रहीत की गई भूमि का अर्जन करने के लिए भूमि के स्वामियों को मुआवजा बाजार के वर्तमान भाव के हिसाब से देना होगा। इसलिए श्री त्यागी जी के द्वारा प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक है।

श्री लोबो प्रभु : इस समय हमारा सम्बन्ध तो भूमि आदि के किराये से है। श्री त्यागी जी के द्वारा प्रस्तावित संशोधन की व्यवस्था तो 1968 के अधिनियम में पहले ही की गई है। इसलियें इस खण्ड को निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री शिव चन्द्र झा का संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 6 : विपक्ष में 129

Ayes 6 : Noes 129

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री ब० सू० मूर्ति के संशोधन संख्या 8 को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,

"1969" के स्थान पर "1970" रखा जाए। (8)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संशोधन संख्या 12 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 12 was put and negatived

संख्या 13, 14 और 15 सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये

The amendment Nos. 13, 14 and 15 were, by leave, withdrawn

संशोधन संख्या 16 सभा के अनुमति से वापस लिया गया

The amendment No. 16 was, by leave, withdrawn

संशोधन संख्या 20 तथा 21 सभा की अनुमति से वापस लिये गये

The amendment Nos. 20 and 21 were, by leave, withdrawn

श्री क० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मतदान के समय मंत्री महोदय को भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है।

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री भण्डारे के द्वारा प्रस्तुत संशोधन खण्ड 4 को हटाने के लिये है। अब यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हम इसके विपक्ष में मत देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व मंत्री महोदय ने विधेयक से इस खण्ड को निकालने की अनुमति मांगी थी परन्तु मैंने उनको इसकी अनुमति नहीं दी, किन्तु अब मतदान के समय इसके विपक्ष में मतदान कर इसे विधेयक से निकाल सकते हैं। परन्तु वह इसे वापस नहीं ले सकते।

प्रश्न यह है कि :

'खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

खण्ड एक

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में

अंक "1969" के स्थान पर अंक "1970" रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में

अंक "1969" के स्थान पर अंक "1970" रखा जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियम सूत्र

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में,

"twentieth (बीसवें)" के स्थान पर "twenty-first (इक्कीसवें)" रखा जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में

"twentieth (बीसवें)" के स्थान पर "twenty first (इक्कीसवें)" रखा जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The title was added to the Bill

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए ।'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

'विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक
UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक

पर विचार किया जाये।" और यह भी पुरःस्थापित करता हूं कि : "अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल), अधिनियम, 1957, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सदस्यों को मालूम होगा कि 26 अगस्त, 1969 को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित पांचवें वित्त आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन के साथ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण सभा-पटल पर रखा गया था। इसके साथ वित्त आयोग को करों की आय का संघ तथा राज्यों के बीच उनके नियतन तथा अंशों के अनुसार वितरण करने सम्बन्धी सिफारिशें राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करनी होती हैं। संविधान की धारा 272 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगाये गये तथा एकत्रित किये गये संघ उत्पाद शुल्क का वित्त आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रखकर विधान के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों में वितरण किया जाता है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

इनमें से प्रथम विधेयक पांचवें वित्त आयोग की एक ओर तो उत्पाद-शुल्कों की अवशिष्ट आय को केन्द्र तथा राज्यों में वितरण करने और दूसरी ओर विभिन्न राज्यों में वितरण करने वाली सिफारिशों को लागू करने के बारे में है।

अनुवर्ती वित्त आयोग संघ उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत वस्तुओं पर उत्तरोत्तर अधिक सहभागी योजना का विस्तार करता है। प्रथम वित्त आयोग ने तीन वस्तुओं पर लगाये गये शुल्कों का 40 प्रतिशत राज्यों में विभक्त करने की सिफारिश कर इस व्यवस्था को आरम्भ किया था। इस समय समाप्त वस्तुओं पर लगे शुल्क का 20 प्रतिशत ही राज्यों में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त पांचवें वित्त आयोग ने वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में भी उन विशेष उत्पाद-शुल्कों को राज्यों में बांटने की सिफारिश की है जो अभी तक नहीं बांटे जाते हैं। जनसंख्या पर आधारित राज्यों के 80 प्रतिशत भाग तथा सापेक्ष सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के 20 प्रतिशत भाग का वितरण करने वाले सिद्धान्त का आयोग ने प्रतिपादन किया है। इस 20 प्रतिशत का दो तिहाई भाग उन राज्यों में बांटा जायेगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय अन्य समस्त राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति आय से कम होगी और बाकी का एक तिहाई समस्त राज्यों के पिछड़े वर्गों को देखते हुये बांटा जायेगा।

दूसरा विधेयक चीनी, तम्बाकू तथा कपड़े पर लगे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों की अवशिष्ट आय को राज्यों में वितरित करने के बारे में है। इन वस्तुओं पर यह अतिरिक्त शुल्क बिक्री कर के स्थान पर 1957 में राज्यों से परामर्श करने के उपरान्त लगाया गया था। इन शुल्कों की आय राज्यों को जाती है।

पांचवें वित्त आयोग को इन शुल्कों की अवशिष्ट आय का वितरण करने वाले सिद्धान्तों की सिफारिश करने के अतिरिक्त अन्य सब वस्तुओं पर वर्तमान व्यवस्थाओं की वांछनीयता तथा ऐसी व्यवस्थाओं का विस्तार करने की गुंजाइश का निरीक्षण करना था।

राज्य सरकारों के विरोध को देखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि जब तक भारत सरकार राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् वर्तमान योजना में आवश्यक परिवर्तन करके इसे

जारी रखने के लिए किसी प्रकार सहमत नहीं हो जाती तब तक इस योजना को चालू रखना वांछनीय नहीं होगा। इस मामले पर अन्तिम निर्णय होने तक आयोग ने सिफारिश की है कि गारण्टी की बकाया राशि का भुगतान करने के पश्चात् 50 प्रतिशत तो जनसंख्या के आधार पर और शेष 50 प्रतिशत बिक्री कर के संग्रहण के आधार पर वितरण किया जाये।

Mr. Chairman : The Hon. Msnister is moving two amendments at a time. I hope the House will agree to this.

Shri Shri Chand Goyal : How. can it be possible. Both the Bills are separate and the amendments are also moved separately. One Bill should be taken at a time.

श्री लोबो प्रभु : दो विधेयकों को एक साथ प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं है चाहे वे एक जैसे ही हों। इस पर एक-एक कर अलग-अलग विचार करना चाहिए। दोनों विधेयकों को एक साथ लेने से गड़बड़ हो जायेगी।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि दोनों विधेयकों को एक साथ लिया जायेगा अथवा अलग-अलग।

सभापति महोदय : सदन ने दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार करने के बारे में सहमति भी दी थी। अन्यथा दोनों विधेयकों पर अलग-अलग विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : सदन के सहमत होने पर भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध है।

सभापति महोदय : वे इस समय केवल एक ही विधेयक को पेश करें।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रद्धाकार सूपकार (सम्बलपुर) : मैं कहना चाहता हूं कि उचित तो यह था कि पांचवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही इस विधेयक पर विचार किया जाता। उत्पाद-शुल्क का 20 प्रतिशत कर विभिन्न राज्यों में वितरित करने का कार्य वित्त आयोग को सौंपा गया है। परन्तु विधेयक के रूप में जो प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा गया है उसे या तो हम स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि दो घण्टे के समय में ही हमें उत्पाद-शुल्क को विभिन्न राज्यों में वितरित करने पर विचार करना है। विधेयक के खण्ड 4 की 1962 के मूल अधिनियम की धारा 3 के साथ तुलना करने से पता चलता है कि विकसित राज्यों और पिछड़े राज्यों में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। पांचवे वित्त आयोग को प्रतिवेदन मिलने से पूर्व के आवंटन से पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का प्रतिशत घट गया है। परन्तु बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता बढ़ गया है। वित्त आयोग

ने राज्यों को देय उत्पाद-शुल्क के बीस प्रतिशत का अस्सी प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा शेष बीस प्रतिशत अन्य आधारों पर बांटने की सिफारिश की है ।

योजना पर व्यय होने वाली राशि का विभिन्न राज्यों में समान रूप में बांटने के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अधिक उचित मानदण्ड रखा है । उसके अनुसार 60% जन संख्या के आधार पर, 10% प्रति व्यक्ति आय के आधार पर । यदि यह उक्त आय राष्ट्रीय औसत आय से कम है, तो 10% कर प्रयत्नों के आधार पर और 10% सिंचाई और विद्युत की चालू योजनाओं के आधार पर आवंटन करने का निर्णय किया गया है ।

यदि जन-संख्या को इस बारे में इतना महत्व दिया जाता है तो परिवार नियोजन कार्यक्रम व्यर्थ हो जायेगा और राज्यों में जन-संख्या वृद्धि में प्रतिस्पर्द्धा हो जायेगी ।

इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिये ।

पांचवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन मिलने के पश्चात् कई राज्यों ने उसकी सिफारिशों पर आपत्तियां उठाईं जिसका सम्बन्ध इन दो विधेयकों तक ही सीमित नहीं है ।

इस विधेयक का विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय असंतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा । मैं समझता हूं कि इस विधेयक में सम्मिलित पंचम वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

श्री एस० आर० दामानी : (शोलापुर) : अब उत्पाद-शुल्क राजस्व का मुख्य भाग बन गया है । वर्ष 1950-51 में यह 67.5 करोड़ रुपये था और अब 1500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । यह बढ़ोत्तरी केवल शुल्क की दर बढ़ाने से सम्भव नहीं हुई है अपितु व्यापक वसूली एवं नई मदों पर उत्पाद-शुल्क लगने से सम्भव हुआ है ।

इस शुल्क की उगाही पर एक प्रतिशत खर्च बैठता है जोकि अन्य करों की उगाही पर होने वाले खर्च से बहुत कम है और इस शुल्क से बचना भी अति कठिन है । बिक्री कर का अपवंचन बहुत अधिक होता है इसलिये मेरा सुझाव है कि बिक्री कर को उत्पाद-शुल्क में मिलाने पर विचार किया जाये । जिन दो उद्योगों में बिक्री कर को उत्पाद-शुल्क में मिलाया गया था उनमें उत्पादन बढ़ा है । यदि राज्य सरकारें इस बात पर सहमत नहीं होतीं तो उन्हें उत्पादन वृद्धि के हित में राजी किया जाये । इसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को स्वनियोजित रोजगार भी मिल सकेंगे ।

यह अधिनियम बहुत पहले बना था और इसमें कई खण्ड हैं । अब इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है ।

पिछले कुछ वर्षों से दो प्रकार की दरें चल रही हैं, एक व्यवहार्य और दूसरे स्वीकृत । व्यवहार्य दरें स्वीकृत दरों से नीची हैं । इससे अनेक कठिनाइयां पैदा होती हैं और मुकदमेबाजी भी होती है। सहस्रों मदों पर उत्पाद-शुल्क देय होता है । यदि कोई वस्तु वर्गीकृत नहीं है तो अधिकारियों को कठिनाई होती है । ऐसी दशा में अधिकारी व्यवहार्य दरें नहीं लेते और मुकदमेबाजी शुरू हो

जाती है। वर्गीकृत दरों और व्यवहार्य दरों को समाप्त किया जाना चाहिये और उत्पाद-शुल्क की दर में एकरूपता लाई जानी चाहिये।

श्री प्र० चं० सेठी : यहां हम केवल कर वितरण की चर्चा कर रहे हैं न कि उत्पाद-शुल्क की उगाही के साधनों की।

श्री एस० आर० दामानी : हम उत्पाद-शुल्क को उगाहने के बाद ही बांटते हैं। मैं माननीय सदस्यों के विचारार्थ कुछ कठिनाइयां रखना चाहता हूं।

उत्पाद-शुल्क मूल्य पर आधारित नहीं अपितु मात्रा पर आधारित है। अतएव सस्ते कपड़े और महंगे कपड़े पर एक ही उत्पाद-शुल्क देय होता है। मैं चाहता हूं कि उत्पाद-शुल्क को शीघ्र ही मूल्यानुसार लिया जाये जिससे कि उपभोक्ताओं को लाभ हो।

उत्पाद-शुल्क की 1500 करोड़ रुपये की राशि का कुछ भाग निर्माताओं को मशीनों के आधुनिकीकरण के लिये दिया जाना चाहिये जिससे उद्योगों का विकास हो, उत्पादन बढ़ सके, उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचे और अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सके। उत्पाद-शुल्क के 1500 करोड़ रुपये का कुछ प्रतिशत उद्योगों के विकास कार्यों के लिये दिया जाना चाहिये जिससे उत्पादन बढ़ सके, माल के गुणों में वृद्धि हो सके और उपभोक्ताओं को भी लाभ हो।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** (विशाखापत्तनम) : उत्पाद-शुल्क राज्यों में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बांटे जाएंगे। उत्पाद-शुल्क से थोड़ी आय वाले व्यक्तियों को बहुत कठिनाई होती है। इसकी बहुत अधिक वृद्धि का कारण प्रशासन पर बहुत अधिक फजूलखर्ची होना है।

सरकार और निर्माताओं के बीच बढ़ते हुये व्यवहारों के कारण अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अधिकारी कारखानों में जाकर उत्पादन का अनुमान लगाते हैं, जिसके आधार पर कर लगाया जा सके। सरकार ने गत वर्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने का आश्वासन दिया था परन्तु वास्तव में उसे और भी विषम बना दिया गया है। लाख दो लाख रुपये की पूंजी से स्थापित छोटे उद्योगों को भी बड़े उद्योगों के समान लेखे रखने पड़ते हैं। उत्पादन-शुल्क विभाग के कर्मचारी प्रति सप्ताह अथवा प्रति मास छोटे कारखानों में जाते हैं और यदि उनकी वैसी आवभगत नहीं होती जैसी बड़े-बड़े कारखानों में होती है तो वे उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते। छोटे उद्योगों के लिये यह स्थिति घातक सिद्ध होती है। बड़े-बड़े उद्योग तो उच्च अधिकारियों के साथ मिल कर अपने मामले तय कर लेते हैं। यदि छोटे उद्योगों को भी इतने अधिक लेखे रखने पड़े तो वे सरकार के विरोधियों के साथ मिल जाएंगे। छोटे उद्योगों में लाभांश कम होता जा रहा है इसलिये उन पर कर का बोझा भारी रहता है। राज्य को उत्पाद-शुल्क से हिस्सा लेते हुये प्रसन्नता हो सकती है। प्रायः हर वर्ष ही कुछ न कुछ वस्तुओं पर कर लगाये जाते हैं। भारी करों से निर्वाह खर्च बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाना पड़ता है और दूसरी ओर उत्पाद-शुल्क

---

* तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Telugu.

बढ़ा दिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि इन उत्पाद-शुल्कों पर निर्भर रहना उचित नहीं। स्पष्ट है कि 4000 करोड़ रुपए के राजस्व में 1500 करोड़ रुपये उत्पाद-शुल्क से प्राप्त होते हैं। सरकार की इस नीति से जन-साधारण का भार बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री आयव्ययक प्रस्तुत करते समय इन बातों पर ध्यान रखेंगे।

मुझे वित्त आयोग द्वारा सुझाये वितरण के प्रतिशत पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं जानना चाहता हूं कि वित्त आयोग ने किस आधार पर प्रतिशतता नियत की है ? इसके लिये विचार की मुख्य बात यह है कि पिछले पांच वर्षों में राज्यों का कितना विकास हुआ है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त आयोग की सिफारिशों से स्पष्ट प्रतीत होता है, उन्होंने औसत को ही आधार माना है। औसत पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ राज्य पिछड़े हुए हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। औसत के आधार के पर पिछड़े राज्य पिछड़े ही बने रहेंगे।

क्षेत्रीय असंतुलन के कारण आन्दोलन होते हैं। आन्दोलनों को दबाने के लिये आश्वासन दिये जाते हैं और एक राज्य को दिये गये आश्वासनों को देखकर अन्य राज्यों में आन्दोलन होते हैं।

समस्याओं का गम्भीर अध्ययन करने से हम उनका समाधान खोज सकते हैं और उससे राज्यों के असंतोष को दूर कर सकते हैं।

वित्त आयोग ने कहा है कि वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कुल उत्पादन-शुल्क के 20 प्रतिशत के अतिरिक्त इन वर्षों के वित्त अधिनियमों के अनुसार विशेष करों और उत्पादन-शुल्कों का भी राज्य में बंटवारा किया जाए। मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

क्या इन वर्षों के वित्त अधिनियम हमारे सामने हैं। क्या अनुदान 20 प्रतिशत के हिसाब से दिए जायेंगे अथवा अधिक। मैं समझता हूं कि विशेष करों पर राज्य को देय प्रतिशतता बीस प्रतिशत से अधिक होगी।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं श्री सूपकार के विचारों से सहमत हूं कि प्रस्तुत विधेयक द्वारा परोक्ष रूप से पांचवें वित्त आयोग की शिफारिशों को सदन की स्वीकृति के लिए रखा जा रहा है। यह बहुत अनुचित कार्य है कि उक्त प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किये बिना ही राज्यों को आवंटन किये जायें।

पिछले वित्त आयोग का कार्य समाप्त होने से पांच वर्ष से पहले ही नया वित्त आयोग नियुक्त करने की कोई आवश्यकता न थी। यह चौथ वित्त आयोग की अवहेलना थी।

चौथे आयोग ने कहा था कि हर आयोग की नियुक्ति के साथ बटवारे के सिद्धान्त नहीं बदलने चाहिए। पांचवे आयोग का मत है हमें इन सिद्धान्तों को बदलने का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने केन्द्रीय अंशदान 2,388 करोड़ से बढ़ाकर 3226 करोड़ कर दिया है। इस धन का बटवारा बहुत अनुचित ढंग से किया है। राज्यों को बटवारे के लिये केवल उत्पादन शुल्क को ही नहीं लेना चाहिए, अपितु समग्ररूप से अनुदानों को लेना चाहिए।

पांचवें वित्त आयोग ने जन-संख्या को आधार मानकर परिवार नियोजन का महत्व कम कर दिया है।

संविधान के सिद्धान्तों के अनुसार करों के रूप में एकत्रित धन उन्हीं राज्यों में बाटा जाना चाहिए।

आसाम को दिया जाने वाला अंशदान 40 प्रतिशत बढ़ाया गया है और बिहार का 106 प्रतिशत जबकि मैसूर का 8.6 प्रतिशत घट गया है और केरल को दिया जाने वाला अंशदान भी घट गया है।

सभी राज्यों ने चौथे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर अपनी योजनाएं बनाई थीं।

मैसूर की 425 करोड़ की योजना के आधार पर 274 करोड़ रुपये की कमी थी। अब योजना को घटाकर 324 करोड़ कर दिया गया है।

सामान्य उत्पादन शुल्क का 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, जबकि 20 प्रतिशत अन्य आधारों पर। वास्तव में 93 प्रतिशत बटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। उत्पादन शुल्क के बारे में कुछ राज्यों के साथ पक्षपात किया गया है।

मैसूर को सड़कों के लिये 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है जबकि पांच वर्ष में मैसूर को 20 करोड़ रुपया वर्तमान सड़कों पर ही व्यय करना है। यदि गांवों के लिये सड़कें नहीं बनाई जातीं तो उनका बाजारों और शिक्षा संस्थाओं से सम्बन्ध नहीं जुड़ता। मेरा निवेदन है कि मैसूर को इसके लिये 100 करोड़ रुपया दिया जाय जिससे कि कमी पूरी की जाये।

यदि आप कहें कि आप योजना व्यय की प्रतिपूर्ति दे सकते हैं योजना वाह्य व्ययों पर नहीं दी जायेगी, तो आप इस विषय में राजनीति जोड़ रहे हैं। आप धारा 275 के अंतर्गत मैसूर को अधिक अनुदान दें। यदि आप पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बिक्रीकर को पुनः लागू करेंगे तो स्थिति और भी बिगड़ जायगी। उत्पादन-शुल्क में 52 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है, जबकि अन्य करों में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यदि आप उत्पादन-शुल्क को मूल्यानुसार लेंगे तो अधिक धन प्राप्त होगा, परन्तु इस आधार पर इसे पुनः राज्यों के बिक्री कर के लिये न दें। पंचम वित्त आयोग ने तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है और नये सिद्धान्तों को अपनाया है। सरकार को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। यदि सरकार राज्यों के अधिकारों की अवहेलना करते हुए इस प्रतिवेदन को स्वीकार करती हैं, तो यह एक भूल होगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak): There is multiplicity of taxes in India and a man right from his birth till death is burdened with scores of taxes. People are just fed up with the burden of these taxes.

Then there is the duplicity of Central and State taxes. They have separate armies of inspectors. The high incidence of taxation has compelled even men of integrity and honesty to deflect from the path of rectitude and people have started maintaining duplicate register to dodge the inspectors. The heavy and burdensome taxes which have given emergence to malpractices on the part of the tax payers have also eroded the moral fibre of the nation.

I want to cofine myself only to tobacco and sugar. In villages only recreation is smoking. It is not within their means to have television, radios etc. Tobacco is the only thing which affords them temporary forgetfulness from the fever and fret of the world. Moreover, the inspectors in the villages play havoc with the ignorant and innocent villagers. The former misrepresent the facts before the latter and extort money from them by fair and foul means. That money does not go into the coffers of the Government. These inspectors have amassed huge wealth and they are leading a very luxurious life. Their assets and properties are for disproportionate to their ostensible and known incomes.

The same is the case with sugar. Government says that it will not tax the farm produce. But nothing has been spared. Jute, groundnut, chillies, sugar, cotton, tobacco, all these things have been taxed.

Indirect taxes are bad. They should be replaced by better and appropriate direct taxes. The tax-collecting machinery is seething with corruption. A large portion of the tax collection is misappropriated by the inspectors. The procedure should be simplified for bringing the corruption to a vanishing point.

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : केन्द्र तथा राज्यों के बीच उत्पादन शुल्क के बटवारे का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, जिसका अभी तक कोई समुचित समाधान नहीं निकल पाया है ।

इस विधेयक में जो समझौता सूत्र है, मैं नहीं समझता कि उससे राज्यों के हितों की पूर्ति हो पायेगी । इस विधेयक में बटवारे का जो तरीका दिया गया है तथा पांचवें वित्त आयोग ने जो तरीका बताया था, मैं उसका विरोध करता हूं । जो पहला सूत्र है, वह इस विधेयक में दिया गया है, उससे विशेषकर पिछड़े राज्यों को बहुत हानि होगी, जबकि अपेक्षाकृत विकसित राज्यों को अधिक लाभ होगा । विकसित राज्य में अधिक साधन जुटाने की क्षमता है जबकि पिछड़े राज्य ऐसी स्थिति में नहीं हैं । विभिन्न राज्यों में शेष धन के विभाजन के लिये यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि उसकी एक निश्चित प्रतिशतता उन राज्यों को दी जानी चाहिये, जिनमें हरिजन और आदिवासी बड़ी संख्या में हैं ।

पिछली बार वित्त आयोग ने कहा था कि 20 प्रतिशत का दो तिहाई उन राज्यों को दिया जाये, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय मध्यमान आय से कम है और केवल एक तिहाई उन राज्यों को जिनमें अस्पतालों, स्कूलों, सड़कों आदि की कमी है । यदि इन कसौटियों का पालन किया गया तो पिछड़े राज्यों को कभी भी महत्व नहीं दिया जा सकेगा ।

अब समय आ गया है, जब हमें पिछड़े राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों का पता लगाने के लिये एक अलग वित्त आयोग नियुक्त करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । यदि राज्यों के बीच की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये शीघ्र कार्यवाही न की गई तो हालत गम्भीर हो जायेगी ।

मुझे पता लगा है कि योजनावधि में लगभग 1300 करोड़ रु० की राशि बच रहेगी । विकसित राज्यों से फालतू राशि को लेकर पिछड़े राज्यों में बांटना चाहिये । यदि ऐसा न किया गया तो आर्थिक विषमता दूर नहीं हो पायेगी और हमारे लोक तन्त्र को आघात पहुंचेगा ।

Shri Beni Shanker Sharma (Banka) : Bill, in my opinion should have been brought after giving due consideration to the recommendations of the Finance Commission. The Report of the Finance Commission spells out a number of criteria to which many more could be added, for example the larger allocation of the proceeds from the excise duty to States with metropolitan cities.

The defective tax collecting machinery of the Government has not ensured the fullest collection of the Government revenues. Multi-point sales taxes is bound to generate fresh wave of corruption and also bring down the State revenues.

The States are also vaxed on the question of excise duty because the Central Government, where prerogative it is to impose the additional excise duty is not imposing the same in the desired ratio. This should be increased.

The West Bengal Government has shown a deficit of Rs. 40 crores in the present budget and there is hardly any possibility of imposing fresh imposts by the State Government. I therefore urge upon the Government to give special grants to West Bengal in view of the fact that Calcutta is a cosmopolitan city faced by the most impracticable problem of transport and traffic. A different criterion should be applied in respect of the States having metropolitan cities.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के बारे में संविधान में जो उपबन्ध हैं, उन पर पूरी तरह बहस होनी चाहिये, इस छोटे से विधेयक से काम नहीं चलेगा। अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं क्योंकि केन्द्र तथा राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सरकारें अब नहीं रहीं। यदि राज्यों को केन्द्र के अधीन रखा जायेगा तो अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पायेंगे।

राज्यों को जितना धन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये दिया जाता है तथा जितना धन क्रियान्विति के लिये आवश्यक होता है, दोनों में बड़ा अन्तर होता है। ज्यों-ज्यों नये योजना आयोग नियुक्त किये जाते हैं, राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता बढ़ती जाती है। राज्यों की आय स्थिर रहती है जबकि उनका खर्च बढ़ता जाता है और परिणामस्वरूप उन्हें प्रत्येक छोटी योजना के लिये केन्द्र के पास जाना पड़ता है।

इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि राज्यों पर केन्द्र का नियन्त्रण रहना चाहिये और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र के पास पर्याप्त साधन होने चाहिये। किन्तु इसके साथ-साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी हो। प्रथम योजना से तृतीय योजना तक राज्यों के कुल व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

द्वितीय योजना में राज्यों के लिये 5,885 करोड़ रुपये का जो कुल व्यय रखा गया था, उसमें से 2,868 करोड़ रुपये अथवा उसका 49 प्रतिशत व्यय केन्द्र द्वारा किया गया, जबकि तृतीय योजना में 10,833 करोड़ रुपयों में से केन्द्र ने 52 प्रतिशत व्यय किया। इससे स्पष्ट है कि राज्य अपने साधनों के लिये केन्द्र पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं।

इसलिये इस रोग का ऊपरी तौर पर उपचार करने की बजाय, विभिन्न योजनाओं और कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में राज्यों के अपर्याप्त साधनों के विषय में गम्भीरता से सोचना चाहिये। अपर्याप्त साधनों के कारण ही राज्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान वित्तीय आयोग के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि धन का बंटवारा भी संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है। इससे राज्यों को भारी हानि उठानी पड़ती है। पिछड़ेपन और ऐसी ही अन्य बातों को भी राज्यों के मामले में डाल दिया जाता है, जबकि योजना आयोग को इन बातों पर विचार करना चाहिये। इस प्रकार सारे का सारा मामला ही बिगड़ जाता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वित्तीय आयोग राज्यों की केवल गैर-योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ही विचार करता है। राज्यों की योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं पर धारा 242 के अन्तर्गत शुद्ध रूप से उनकी अपनी इच्छानुसार ही विचार किया जा सकता है। योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं और वित्तीय आयोग द्वारा निर्धारित राशि का जब तक सुगठित सामंजस्य नहीं हो जाता, तब तक राज्यों के लिये स्वयं योजना को ही क्रियान्वित करना बहुत कठिन हो जाता है।

हमें योजना तथा वित्त आयोग के समग्र ढांचों का ही पुनरीक्षण करने का प्रयास करना चाहिये। चौथे वित्तीय आयोग ने भी इस सम्बन्ध में यही बात कही है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि वित्तीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर धन का बंटवारा संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है, इससे राज्यों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वित्त आयोग के एक सदस्य ने आयोग के प्रतिवेदन में अपने विचार प्रकट करते हुए स्पष्टरूप से कहा है कि :

"हमारे प्रतिवेदन के पैरा 6-49 को देखने से पता चलेगा कि हमने जिस बंटवारे सम्बन्धी योजना की सिफारिश की है, उससे प्रति व्यक्ति अधिक आय वाले विकसित राज्यों के अतिरिक्त साधनों में वृद्धि होगी। इससे उन राज्यों तथा अन्य राज्यों में असमानता बढ़ेगी।" इस सम्बन्ध में उन्होंने बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नाम लिया है। उस सदस्य ने आगे कहा है कि :

"हमने न्यूनाधिक रूप से चौथे वित्तीय आयोग के मार्ग का ही अनुसरण किया है। हां, धन का बंटवारा करने की प्रक्रिया में थोड़ा-सा संशोधन किया है, किन्तु इससे असमानता कम करने में अधिक सहायता नहीं मिलेगी।"

इसलिये सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के समग्र प्रश्न पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों का एक आयोग नियुक्त करे। जब तक राज्यों की वित्तीय साधनों सम्बधी स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, उस समय तक देश में एक समन्वित और अनुकूल संघीय ढांचे को बनाये रखना काफी कठिन होगा। हम केन्द्र से दान नहीं मांग रहे हैं। यह तो राज्यों का संघीय अधिकार है कि वह स्वयं अधिक साधन उपलब्ध करे और केवल केन्द्र की दया पर ही अथवा यहां बैठे कुछ व्यक्तियों पर ही आश्रित न रहें।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The Hon. Minister has stated that the main purpose of bringing forward this Bill is to get the approval of the House on the devolution of excise duty between the various States as recommended by the Finance Commission. But as several of my Hon. friends have stated, this devolution has not been properly regulated. There is a big disparity between the development of various States and Government make a mess of

everything. Now a new rule has been framed to devolve the excise duty. According to it income from excise duty is to be divided by the population and the remainder should be devolved. I think this approach is basically wrong. Rules should be such as are easily understood by the people. Shri Panigrahi has challenged the average system, suppose one man makes use of 100 yards of cloth and another puts on only 2 yards, the average of the cloth so worn shall be 251 yards. This is a fantastic system. There should be a direct system of taxation so that tax evasion may be reduced to minimum. Common man should be able to understand this system easily.

The backward States should get lion's share so far as the devolutions of funds is concerned but it is very unfortunate that such decisions are taken on political levels. States which are in the good books of the Centre get more help as compared with the other. This disparity must not be there. While framing the rules we should keep in view the needs of the backward States.

It has been stated that Bihar and U. P. get 18 percent and 13 percent respectively from the Centre but I may tell you that even these two are not among the advanced States. Similarly Andaman and Nicobar are the areas with lesser resources. Socialism can not be brought merely by shouting slogans, we have to move in that direction. No scope should be left, for tax-evasion. Persons who have amassed huge wealth by foul means should be brought to book. Backward States should be put on a firm financial footing, if our country has to progress in the real sense.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The Fifth Finance Commission has recommended that 20 percent of the share of the Union excise duties during 1969-70, 1970-71 and 1971-72 should be distributed among the States. I think that it is not just. The National Development council and the States should have been consulted in this matter. Before embarking upon the implementation of these recommendations the Government should have ascertained reactions of the National Development Council and the various States thereon.

The provision relating to the appointment of a finance commission after every five years to make recommendations about the sharing of finances between the Centre and the States needs to be radically changed. The time is changing very fast. The States which have been lagging behind other States in the matter of development need special attention. Though the State of Bihar is rich in iron, coal and other minerals yet the State has not been benefited from them. On the other hand other States have benefited from them. The per capita income of the States like Bihar and Orissa has not risen and these States remain backward industrially. To remove regional imbalance the States of Orissa and Bihar as well as other backward states should be given greater share in the revenues that are to be shared between the States and the Centre.

The Finance Commission is appointed after every five years as envisaged in Article 280 of the Constitution. Instead of every five years, the commission should be appointed every year and for this propose a suitable amendment should be made in the Constitution. A new criterion should be evolved for distribution of the finances among the states so that the undeveloped States may get greater share in comparison to the developed ones.

The amount realised in the shape of various taxes has not been equitably distributed among the various States. The Central Government inspite of its tall talk of socialist pattern of society and other slogans has been giving encouragement to capitalism in the country right since the time we achieved Independence. It is high time that they should do away with the present

policy and embark upon a really socialist policy. In spite of the supreme court's judgement they have not nationalised all the banks but only 14 of them. If they are sincere that the resources of the nation should be utilised for development purposes, they should nationalise all the banks including the foreign banks operating in this country.

No compensation should be paid to these banks. The Government's basic policy is wrong. If their basic policy regarding financial matters is orientated, there would be no need to appoint commissions etc. The Government would be in control of all resources and all this tax bungling would stop.

This Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon. The meeting of the NDC should be convened to discuss this matter and a new criterion of distribution of Union excise duties should be evolved after ascertaining the views of the State Governments.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : श्री सेझियान ने कहा है कि विशेष वित्त आयोग को राज्यों तथा केन्द्र के बीच वित्तीय सम्बन्धों सम्बन्धी मामलों पर भी विचार करना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस मामले पर विचार किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्तमान सांविधानिक उपबन्ध काफी व्यापक है और वे वर्तमान ढांचे की आवश्यकताओं से निपट सकते हैं और कि वित्त आयोग तथा योजना आयोग दोनों इस स्थिति से निपट सकते हैं।

वित्त आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय था। राज्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों और विभिन्न तथ्यों तथा इस समस्या के विभिन्न पहलुओं की पूरी तरह जांच करने के बाद ही आयोग ने ये सिफारिशें की हैं। उत्पादन शुल्कों के बारे में उसके द्वारा की गई सिफारिशों को हम पृथक् से नहीं ले सकते हैं। इसलिये केवल पांचवें वित्त आयोग के बारे में ही नहीं अपितु पिछले आयोगों के बारे में भी यही प्रथा रही है कि जो भी सिफारिशें की जाती हैं, उन पर ध्यान से विचार किया जाता है और उन्हें एक पंचाट के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

यह विधेयक बड़ा सीमित है। पांचवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि उत्पादन शुल्कों से प्राप्त शुद्ध आय का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को बांटना जारी रखा जाये, जैसाकि अब तक किया जाता रहा है। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि 1972-73 और 1973-74 के लिये विशेष उत्पादन शुल्क का 20 प्रतिशत हिस्सा भी, जो केन्द्र के लिये आरक्षित किया जाता था, राज्यों में बांट दिया जाये।

मैं यह बताना चाहता हूं कि अब स्थिति में कितना परिवर्तन हो गया है। 1961-62 में मूल शुल्क 450 करोड़ रुपये था और अतिरिक्त शुल्क 39 करोड़ रुपये था। 1969-70 में मूल शुल्क से 1376 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और अतिरिक्त शुल्क से 62 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। जहां तक अतिरिक्त शुल्क का सम्बन्ध है, यह सारी की सारी राशि राज्यों को जाती है। जहां तक मूल शुल्क का सम्बन्ध है पहले 450 करोड़ रुपये का 29 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को जाता था जबकि अब 1376 करोड़ रुपये का 20 प्रतिशत हिस्सा उनको जाता है। इसलिये राज्यों को काफी बड़ी राशि मिल रही है।

यह सच हो सकता है कि कुछ राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, क्योंकि उनका दावा है कि उनकी स्थिति कुछ और होनी चाहिये थी। परन्तु सारी स्थिति को देखते हुए उत्पादन शुल्क के बंटबारे से लगभग सभी राज्यों को केवल फायदा ही नहीं हुआ है अपितु उससे उनकी अर्थोपाय स्थिति में भी सुधार होगा। पहले अग्रिम आयकर वसूली में से राज्यों को तभी हिस्सा दिया जाता था जब नियमित निर्धारण पूरे हो जाते थे। परन्तु अब अग्रिम कर वसूली वसूली-वर्ष में राज्यों में बांटी जाने वाली निधि का एक अंग होगा। इससे उत्पादन शुल्क, आय-कर या अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय में से राज्यों को अधिक हिस्सा ही नहीं मिलेगा अपितु उनकी अर्थोपाय स्थिति में सुधार होगा। और इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार की अर्थोपाय स्थिति इस सिफारिश के कारण काफी पिछड़ गई है। यह सच है कि कुछ राज्यों की इस निधि में हिस्से की प्रतिशतता कुछ कम हो गई है। इसीलिए जहां कहीं गैर-योजना विकास का प्रश्न पैदा होता है, यह कहा गया है कि राज्यों द्वारा जो कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं, उनके बारे में योजना आयोग के साथ तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार किया जायेगा और राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है, परन्तु इस समय मैं केवल यही कहूंगा कि पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिये एक पंचाट के समान के समान हैं और यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : माननीय मंत्री ने केन्द्रीय राज्य वित्तीय समिति के गठन सम्बन्धी मेरी टिप्पणी की ओर निर्देश किया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था और उन्होंने सिफारिश की है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के मामले में विवाद उत्पन्न होने पर अन्तर्राज्य परिषदें स्थापित की जानी चाहिये और शुरू में ऐसी परिषदें दो वर्ष के लिये स्थापित की जा सकती हैं। मुझे आशा है, मंत्री महोदय उन सिफारिशों का अध्ययन करेंगे और जहां आवश्यक हो उन पर अमल करेंगे।

श्री प्र० चं० सेठी : वह सिफारिश आन्तर्राज्य परिषदों के गठन से सम्बन्धित है, परन्तु हम तो यहां केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री शिवचन्द्र झा का संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 30 अप्रैल, 1970 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, 3

सभापति महोदय : खण्ड 2 व 3 के बारे में कोई संशोधन नहीं रखे गए प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clauses 2 and 3 were added to the Bill

खण्ड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1969" के स्थान पर "1970 रखा जाये।

(श्री प्र० चं० सेठी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 1, as amended was added to Bill

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"Twentieth" ["बीसवां"] के स्थान पर "Twenty first" ["इक्कीसवां"] रखा जाये।

(श्री प्र० चं० सेठी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया
The Title was added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व के माल) संशोधन विधेयक

ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : इस विधेयक का उद्देश्य चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाली आय के राज्यों में बंटवारे के बारे में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना है । ये शुल्क राज्य सरकारों की सहमति से 1957 में लागू किये गये थे । उससे पहले राज्य इन वस्तुओं पर बिक्री कर लगाते थे । इन शुल्कों से जो शुद्ध आय प्राप्त होती है, वह केन्द्र के हिस्से को छोड़कर राज्यों में बांट दी जाती है ।

पांचवें वित्त आयोग को इन शुल्कों से होने वाली आयकर के वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तों के बारे में सिफारिश करने के अतिरिक्त वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखने या अन्य वस्तुओं को भी ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत लाने की वांछनीयता की जांच करने के लिये भी कहा गया था। आयोग के अनुसार वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए । परन्तु राज्यों के आम विरोध को दृष्टि में रखते हुए आयोग ने सिफारिश की है कि इस व्यवस्था को तभी जारी रखा जा सकता है जब केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर इसमें उचित संशोधन करके उनके साथ कोई समझौता कर ले । अन्तिम निर्णय होने तक आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्याभूत राशियों के भुगतान के बाद शेष राशि का वितरण 50 प्रतिशत जनसंख्या के आधार और 50 प्रतिशत बिक्रीकर वसूली (केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़कर) के आधार पर किया जाना चाहिये ।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की वांछनीयता का मामला जितनी जल्दी सम्भव होगा राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा जायेगा ।

आयकर में हिस्सा बटाने तथा सहायता अनुदानों आदि के भुगतान के बारे में आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनके बारे में स्थिति सभा पटल पर रखे गये व्याख्यात्मक टिप्पण में स्पष्ट कर दी गई है । इसलिये मैं उस बारे में सभा का समय नहीं लेना चाहता ।

आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 1969-70 की कराधान दरों पर 1969-74 में राज्यों को कुल 4266 करोड़ रुपये दिए जायेंगे जबकि चौथे वित्त आयोग ने 1966-71 के लिये 2886 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। 1969-74 में राज्यों को वास्तव में 4266 करोड़ रुपये से अधिक राशि दी जायेगी क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त कर लगाये जाने पर राज्यों के हिस्से में भी वृद्धि हो जायेगी।

माननीय सदस्यों को इस बात में रुचि होगी कि प्रत्येक वित्त आयोग के पंचाट के अन्तर्गत राज्यों का हिस्सा बढ़ता रहा है।

वित्त आयोग के पंचाट के अन्तर्गत राज्यों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि के बावजूद केन्द्र राज्यों को उनकी योजनाओं में विकास कार्यक्रमों के लिये काफी सहायता देता है। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्यों की योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा 880 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह राशि बढ़कर क्रमश: 1058 और 2515 करोड़ रुपये हो गई थी। बाद की तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान राज्यों को उनकी योजनाओं के लिये 1799 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। चौथी योजना अवधि में राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता 3500 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

वित्त आयोग का काम बड़ा पेचीदा होता है। उसे यह देखना होता है कि केन्द्र की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों को धन का बटवारा इस प्रकार किया जाये जिससे कि उनकी पर्याप्त रूप से सहायता की जा सके। राज्यों के बीच धन का वितरण इस प्रकार किया जाता है जिससे राज्यों के बीच विषमता को रोका जा सके।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि पहले विधेयक को पारित किया जायेगा और बाद में इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने रखा जायेगा। इसका क्या फायदा होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस विधेयक का क्षेत्र बड़ा सीमित है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत चीनी, तम्बाकू तथा कपड़ा बिक्रीकर से मुक्त किया गया है और उन पर उत्पादन-शुल्क वसूल किया जाता है। पांचवे वित्त आयोग ने कहा है कि अधिकांश राज्य इस व्यवस्था के विरुद्ध हैं। हालांकि हमें देश भर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बिक्री कर की बजाय, जिस पर अमल कराना बड़ा कठिन है, सारी वस्तुओं पर उत्पादन कर लागू कर दिया जाये। परन्तु राज्यों की मांग है कि चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर से उत्पादन-शुल्क हटा दिया जाये और पहले की तरह उन पर भी बिक्री कर लगा दिया जाये।

वित्त आयोग ने कहा है कि जब तक कोई समझौता न हो जाये, वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जाये, यदि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि पुरानी व्यवस्था को

पुनः अपनाया जाये तो इस अधिनियम में तदनुसार परिवर्तन करना होगा। इसीलिये मैंने कहा है कि यह विधेयक एक अन्तरिम उपाय है।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा): बिक्रीकर के बारे में अनेक कठिनाइयां थीं। विभिन्न राज्यों में बिक्रीकर की अलग-अलग दरें थी। बेइमान लोग इस कर से बच सकते थे और ईमानदार लोगों को आय विवरण देने आदि में बड़ी परेशानी होती थी। इन सबसे छुटकारा पाने के लिये यह सुझाव दिया गया था कि बिक्रीकर की बजाय उत्पादन-शुल्क लगाया जाये क्योंकि इससे कर के रूप में अधिक राशि भी प्राप्त होगी और अन्य कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी। आंकड़ो को देखने से पता चलेगा कि उत्पादन-शुल्क के रूप में जो राशि प्राप्त हुई है और उसमें से जो हिस्सा राज्यों को दिया गया है वह उस राशि से कहीं ज्यादा है जो उन्हें बिक्री कर के रूप में प्राप्त होती। बिक्रीकर की चोरी हो सकती है परन्तु उत्पादन-शुल्क की चोरी नहीं हो सकती क्योंकि यह स्रोत पर लगाया जाता है।

बिक्रीकर की बजाय उत्पादन कर लगाये जाने से राज्यों तथा व्यापारियों दोनों को सुविधा हुई है। इसलिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य इस शुल्क को जारी रखने के लिये राजी नहीं है। यदि अन्य वस्तुओं पर भी बिक्री कर की बजाय उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है तो राज्यों को उसी दर से हिस्सा मिलता रहेगा और अन्तर्राज्य बिक्री कर की समस्या भी नहीं रहेगी। इसलिये राज्यों को केवल वर्तमान व्यवस्था जारी करने के लिये राजी नहीं किया जाना चाहिये अपितु अन्य वस्तुओं को भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के लिये भी उन्हें राजी किया जाना चाहिये। अतिरिक्त करों का विभाजन करने के लिये जो आधार सुझाया गया है वह उचित ही है क्योंकि इस बात की गारंटी दी गई कि करों के ढांचे में परिवर्तन से पहले जो राशि राज्यों को मिलती थी, वह मिलती रहेगी और करों से होने वाली अतिरिक्त आय को उसी अनुपात से बांटा जायेगा जैसा कि विधेयक में कहा गया है।

मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में तथा कुछ अन्य मदों को उत्पादन कर के क्षेत्र में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में राज्यों को सहमत करने के लिये मंत्री महोदय सभी सम्भव उपाय करेंगे।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी): महोदय, यहां दो प्रश्न पैदा होते हैं। पहला यह कि क्या इन विशेष करों से प्राप्त होने वाली आय का विभाजन सभी राज्यों के बीच उचित रूप से किया जायेगा? मेरा कहना है कि यह विभाजन अन्यायपूर्ण है। राज्य सरकारें इसी कारण चाहती हैं कि वे स्वयं बिक्री कर लगाएं। अन्याय की बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि राज्यों को उतना ही भाग दिया जा रहा है जितना कि 1958 में दिया जाता था। तब से अब तक इस आय में काफी वृद्धि हुई है किन्तु करों से प्राप्त हुई आय का विभाजन करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। केन्द्र सरकार राज्यों की ओर से इन करों को एकत्र करती है। वह उत्पादन कर के स्थान पर बिक्री कर एकत्र कर रही थी। इस प्रकार आप केवल कर उगाहने वाले हैं, राज्यों को दी जाने वाली राशि में परिवर्तन करने का अधिकार आप को नहीं है। वित्त आयोग ने जनसंख्या को

आधार बना कर बिक्रीकर के आंकड़ों की अनदेखी की है। इसी से राज्यों में असंतोष बढ़ रहा है। इसलिये अतिरिक्त करों से प्राप्त होने वाली आय का विभाजन करने के सम्बन्ध में वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है, सर्वप्रथम उसे समाप्त करना चाहिये।

दूसरी बात देखने की यह है कि राज्यों की दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से उत्पादन कर तथा बिक्रीकर में से कौन-सा कर अधिक अच्छा है। यह एक सर्वविदित बात है और राज्यों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिये कि उत्पादन कर जो कि मूल स्रोत पर ही लगाया जाता है, पूर्ण कर है। उत्पादन कर द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों से कर उगाहा जा सकता है। इसके स्थान पर यदि बिक्री-कर लगाया जाता है तो आय में निश्चय ही कमी होगी क्योंकि छोटे व्यापारी छूट सीमा के अन्तर्गत कर देने से बच जायेंगे और करों की चोरी की सम्भावना भी अधिक रहेगी। केवल ईमानदार व्यक्ति ही उस कर को देते हैं।

सरकार का दोष यह है कि वह उत्पादन करों में भेदभाव करती है। जिस उत्पादन कर को वह स्वयं उगाहती है और जिसको बिक्री कर के स्थान पर उगाहा जाता है। उन दोनों में अंतर रखा जाता है। यह भी उचित नहीं कि आप कतिपय छोटी वस्तुओं पर तो कर लगायें और बड़ी-बड़ी वस्तुओं को छोड़ दें।

सरकार को उत्पादन कर सम्बन्धी समग्र प्रश्न पर ही बहुत सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये। क्योंकि उत्पादन कर में निरन्तर वृद्धि होने के साथ-साथ भ्रष्टाचार में भी अधिक वृद्धि होती है। यह समाजवाद की दिशा में उचित कदम नहीं है।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): This Bill like the previous one is tentative in nature and unless it is discussed in the National Development Council in consultation with the States, I simply support the principle of the Bill which was an inspiring factor even of the original Bill and which ensured the continuance of excise duty on Tabacco, Sugar and Cloth in place of sales tax. Excise duty should be imposed at one source and efforts should be made to include additional items also. This will not only remove the inconveniences of the public but will also check the tax-evasion. In addition to that thousands and lakhs of small dealers will be able to be saved of the inconvenience of maintaining the registers and that will provide relief from them at the hands of the inspectors.

We should also pay attention to the doubts expressed by the Finance Commission and see that the States are agreed to impose the excise duty at the source only and its distribution should be quite fair so that the dissatisfaction of the States may be eliminated.

I hope it shall not remain a tentative measure but will be converted into a statutory one.

श्री कण्डप्पन (मैटूर): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने राज्यों के ऋण दायित्वों की सहज में ही अवहेलना कर दी है और ऐसा दिखाने का प्रयत्न किया है कि पांचवे वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की स्थिति सुचारु रूप से चल रही है। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि राज्यों को इसी क्षेत्र में अधिक कठिनाई का अनुभव हो रहा है।

अनेक राज्यों में तो ऋण तथा उसके ब्याज की अदायगी करने के पश्चात् विकास कार्यों

के लिये कुछ भी नहीं बच पायेगा। मेरे अपने राज्य में भी स्थिति यही है। तीनों योजनाओं में राज्यों के ऋण दायित्वों में होने वाली वृद्धि से मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूं। 1952 में यह राशि 239 करोड़ रुपये थी। 1966 में यह राशि 4094 करोड़ रुपये हो गई। मेरा विचार है कि अब तो यह 6000 करोड़ रुपये के लगभग हो गई है। अदायगी का जहां तक प्रश्न है, पहली योजना में सभी राज्यों ने मिल कर 9% की अदायगी की दूसरी योजना में 33% तथा तीसरी योजना में 40% के लगभग अदायगी की। किन्तु यदि हम प्रत्येक राज्य को पृथक से देखें तो पता चलेगा कि जिन राज्यों पर ऋणों का भार अधिक है उनके दायित्व भी अधिक हैं। किन्तु वित्त आयोग तथा भारत सरकार दोनों ने ही इस तथ्य की अवहेलना की है। इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक सोचा जाना चाहिये अन्यथा योजनाओं द्वारा भी वहां क्या किया जा सकेगा।

विभिन्न वित्त आयोगों ने राज्यों की कठिनाइयों को पहचाना है और उस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें भी की हैं किन्तु स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, विलम्ब किये बिना एक स्थाई तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिये। पांचवें वित्त आयोग ने एक स्थान पर कहा है कि "राज्यों के राजस्व में और उनके व्यय में बहुत भारी अन्तर है।

किन्तु स्वयं वित्त आयोग की सिफारिशें भी उस चिन्तनीय स्थिति को कम करने के लिये कुछ अधिक नहीं कर पाएंगी। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से हमें कुछ खुशी नहीं हुई है किन्तु खेद तो यह है कि भारत सरकार उन पर भी कुछ ध्यान नहीं दे रही है। वित्त आयोग ने विशेष उत्पादन कर को बांटने के सम्बन्ध में जो सिफारिश की है, मुझे आशा है कि 1972 से उसे लागू करने के लिये सरकार अवश्य सहमत हो जाएगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अधिक से अधिक वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाया जाना चाहिये किन्तु अधिकतर राज्यों की मांग यह है कि उन्हें फिर से बिक्री कर लगाने की अनुमति दी जाये। यहां यह जानना नितांत आवश्यक है कि राज्य ऐसा क्यों चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूं। वित्त आयोग द्वारा अपनाये गये फार्मूले के अनुसार मेरे राज्य का भाग 285.34 करोड़ रुपये होगा। इस समय केन्द्र और राज्यों में जो वित्तीय सम्बन्ध हैं, उनसे लोगों के मन में एक गलत धारणा बनती है और वह यह कि हमारे राज्य से जो कर राशि वसूल की जाती है, उसका कोई अपहरण कर रहा है। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, कर एकत्र करने में उसका महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है किन्तु सूची में योजना के अनुसार उसका चौथा और पांचवां स्थान है। यदि हम चाहते हैं कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध अधिक सौहार्दपूर्ण हों तो उक्त धारणा को चाहे वह गलत ही क्यों न हो, दूर करना अति आवश्यक है। इस धारणा को दूर करने के लिये वित्त नियतन के सम्बन्ध में स्थाई कानून बनाये जाने चाहिये। यह कार्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की इच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिये। अतः मेरी वह मांग है कि इस मामले में केन्द्र को राज्यों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श करना चाहिये और कोई ऐसा सूत्र बनाना चाहिये जो सभी राज्यों को स्वीकार्य हो।

वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद ने कुछ क्षेत्रों के पिछड़ेपन के बारे में विचार किया है। किन्तु उन्होंने यह देखने का प्रयास नहीं किया कि तथाकथित पिछड़े क्षेत्रों के पिछड़ेपन का कारण क्या है। मेरे विचार से पहले यह देखा जाए कि अमुक क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों है ? कुछ क्षेत्रों पर संसाधनों का उतना उपयोग नहीं किया जाता, जितना किया जाना चाहिये। पिछड़ेपन के नाम पर अदक्षता को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिये। अत: राज्यों को वित्त का नियतन करते समय केन्द्र को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिये। विकास कार्यों के मामले में ऐसा होने पर ही राज्यों में होड़ लगेगी।

* **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** (विशाखापत्तनम) : 1957 में विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की दर पृथक-पृथक थी जिससे 'वस्तुओं का पलायन' या 'पूंजी का पलायन' एक राज्य से दूसरे राज्य में होता था। उस समय सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस मामले पर विचार करके यह निर्णय किया था कि उत्पादन-शुल्क केन्द्रीय सरकार लगाये और वसूल करके राज्यों में बांटे। यह सच है कि केन्द्रीय सरकार इस शुल्क की राशि में से कुछ भी राशि अपने पास नहीं रखती और सम्पूर्ण राशि राज्यों में बांट देती है। यदि करदाताओं को कर एकत्र करने वाले अधिकारियों द्वारा की जाने वाली परेशानियों से मुक्त रखा जाये, तो वर्तमान व्यवस्था ही रखी जानी चाहिए। वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद्, जिसने भी इस प्रश्न पर विचार किया, उसने राज्यों के मुख्य मंत्रियों या अन्य अधिकारियों से ही बातचीत की है, और ये लोग राज्य की आय को बढ़ाने के लिये लोगों पर भार डालने में नहीं हिचकते। वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस विषय पर विचार करते समय कभी करदाताओं के विचारों और अनुभवों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे इस संबंध में अनेक तारें मिली हैं जिनमें यह मत व्यक्त किया गया है कि उत्पादन-शुल्क कम जटिल है और लोग इसे चाहते हैं। मंत्री महोदय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लोग बिक्री कर की तुलना में उत्पादन-शुल्क को अधिक पसन्द करते हैं। इस मामले में राष्ट्रीय विकास परिषद् को आवश्यकता से अधिक महत्ता नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि वह कोई स्थायी संगठन नहीं है और वह कानून द्वारा गठित भी नहीं है। अतः इसके लिये राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृति लेना उचित नहीं है। मेरे विचार से इस मामले में केन्द्र के पास ही शक्ति रहनी चाहिए।

Shri K. M. Madhukar (Kesarsia): Now the circumstances have changed and the States are asking for more financial as well as political powers in the changed circumstances. So the question of Centre-State relations should be considered keeping in view the new atmosphere. Such a bill should have been brought after full consideration. This is an interim provision and such a measure would not suffice. There is nothing in this Bill which may lead us to socialism, national integration, improvement in Centre-State relations and will provide relief to small shopkeepers. In the changed circumstances we should give more financial and political powers to States. Regional imbalance should be removed by giving special help to backward States. As far as the Bihar State is concerned it is still a backward State. More attention should be paid to the States which are known as backward. This Bill will not be sufficient for all these purposes.

---

* मूल तेलगु के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Translated Version based on the English translation of spech delivered in Telugu.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं इस आयोग के कार्य-संचालन संबंधी ब्योरे की चर्चा अधिक नहीं करूंगा, क्योंकि वर्तमान प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि केन्द्र का राज्यों के प्रति क्या रवैया है। यदि केन्द्र राज्यों को उपनिवेश के रूप में समझता है, तो कोई भी सूत्र सफल नहीं हो सकता। जो व्यवस्था पिछले 20 वर्षों में अपनाई गई उससे राज्यों का दिवाला निकल गया है। आजकल सभी राज्यों के बजट घाटे के हैं। यदि केन्द्र राज्यों की वित्तीय शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता है तो उसे राज्य के लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा।

जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य का सम्बन्ध है, वह एक सीमावर्ती राज्य है और उसके सामने शरणार्थियों के पुनर्वास से सम्बन्धित अनेक समस्याएं हैं। इस कार्य के लिये उसे कम से कम 125 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सीमा-सम्बन्धी अनेक समस्याएं भी पश्चिम बंगाल सरकार के सामने मुंह बाये खड़ी हैं। केन्द्रीय सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।

हम केन्द्रीय सरकार को बताना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं। यदि सरकार वास्तविकता से आंख मूंदती है तो किसी भी सूत्र से लाभ होने वाला नहीं है। अन्त में मेरा निवेदन है कि यदि केन्द्र-राज्यों के सम्बन्ध सुधारने हैं, तो केन्द्र को राज्यों द्वारा मार्ग दर्शन के अनुसार काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केन्द्र राज्यों का मार्ग दर्शन करे।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut): Mr. Chairman, instead of sales tax excise duty should be levied on a commodity at its source because the entire production does not reach the godowns from the factory. But if the Hon. Minister is of the opinion that unlike sales tax, there are no irregularities in Excise Department. You are mistaken. In U.P. the whole game of politics is carried on with the money of sugar mill owners. It is true that at the time of taking sugar from the godowns, they pay excise duty but a large number of sugar bags do not even reach the godowns and in this way, excise duty is evaded on a large scale. The Hon. Minister must look into it. The only solution of it is the nationalisation of sugar mills. However, the evasion of excise duty should be stopped forth with.

Secondly I would like to point out that 70 percent of sugar cane is used for manufacture of Khandsari and Gur. It is therefore not desirable to impose duty on Khandsari. Khandsari is selling in the market at 60 per cent of the price at which sugar is sold in the market. The levy of excise duty on Khandsari is a great setback for the Khandsari Industry. I would urge upon the Government to look into it and exempt Khandsari from this duty.

श्री प्र० च० सेठी : ये दोनों विधेयक पहले एक साथ लिये गये थे इसलिये इन विधेयकों पर बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों ने एक समान विचार व्यक्त किये हैं। कुछ बातों का उत्तर मैं पहले विधेयक के पारित किये जाने के समय उठाई गई बातों के उत्तर में दे चुका हूं। माननीय सदस्य श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्, श्री रणधीर सिंह तथा श्री भारती जी सबने कहा है कि उत्पादन शुल्क विभाग में भी भ्रष्टाचार विद्यमान है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि उत्पादन शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार है ही नहीं। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्पादन

शुल्क विभाग के अधिकारियों को कारखानों से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर न मिले जिससे उस विभाग में भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जायेगी। हमने अब ऐसा तरीका निकाला है जिससे कि माल उत्पादन के सम्बन्ध में निर्माताओं पर विश्वास करने के साथ-साथ उनके दोषी पाए जाने की स्थिति में उन्हें कड़ा दंड दिया जा सकता है। यही कारण है कि हमने इस विधेयक में माल के उत्पादन स्रोत से एक वर्ष के लिये उत्पादन शुल्क अधिकारियों को हटाने की व्यवस्था की है। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि हम इसमें पूरी तरह सफल ही होंगे। हम इस सम्बन्ध में सतत सुधार करने का प्रयत्न करेंगे जिससे अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने का कम से कम अवसर मिलेगा। माननीय सदस्यों की इस बात से मैं सहमत हूं कि हमें अधिक सतर्क रहने की तथा कड़े उपाय करने की आवश्यकता है।

उत्पादन शुल्क एक स्थान पर ही लिया जाता है, इसलिये केवल उत्पादक को ही यह शुल्क देना पड़ता है और उपभोक्ता अथवा खरीददार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। विक्रीकर अनेक स्तरों पर लगाया जाता है। इसलिये इसमें उपभोक्ताओं को अधिक कठिनाई होती है। पहले विधेयक पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय मैं बता चुका हूं कि हमें देश के सभी भागों से अभ्यावेदन मिले हैं कि चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर विक्रीकर न लगाया जाये। माननीय सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है। वे यह चाहते हैं कि इसके अन्तर्गत न केवल तीन वस्तुएं अपितु अनेक वस्तुएं रखी जायें। इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार-विमर्श किया जायेगा। अधिकतर राज्य सरकारों ने इसका इस आधार पर विरोध किया है कि बुनियादी करों की राशि 450 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1376 करोड़ रुपये हो गई है जबकि कर वसूली का व्यय काट कर मिलने वाली अतिरिक्त करों की राशि 1961-62 में 39 करोड़ से बढ़कर केवल 62 करोड़ हुई है। राज्यों का कहना है कि राज्यों को मिलने वाली अतिरिक्त करों की राशि अपेक्षाकृत कम है। वे चाहते हैं कि उत्पादन शुल्क के स्थान पर वे स्वयं विक्रीकर लगायें। अतः मेरे लिये इस समय इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देना कठिन है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर समूचे मामले पर विचार किया जायेगा। इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है।

मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को आश्वासन देता हूं कि राज्यों के साथ उपनिवेशों जैसे व्यवहार का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि राज्य भी देश के ही अंग हैं।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The Hon. Minister has stated that the question of distribution will be considered in the National Development Council. Why has the National Development Council not so far taken a decision on this question when the Report of the Finance Commission was before the Government since long ? How much time will be taken to decide this matter ? Why was it not taken up in the last meeting of the Development Council ? An early decision should be taken in this matter.

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय अपने उत्तर में कुछ और कहना चाहते हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी, नहीं। मुझे जो कुछ कहना था, वह मैं कह चुका हूं।

सभापति महोदय द्वारा श्री शिवचन्द्र झा का संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 3 was put to vote and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल), अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे । खंड 2 पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खंड 3 (दूसरी अनुसूची का संशोधन)

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

मेरा संशोधन उन राज्यों के बारे में है, जिन्हें वित्त आयोग द्वारा कम धन दिया गया है । मेरा सुझाव है कि राज्यों को उसी प्रतिशत के हिसाब से धन दिया जाना चाहिए जो कि चौथे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है । मैं चाहता हूं कि यह अनुदान अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत दिया जाना चाहिये, न कि अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत; क्योंकि अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत योजना अनुदानों में राजनीति सम्बद्ध रहती है । राज्यों के लिये केन्द्रीय सरकार के विचारों से समता रखना आवश्यक नहीं है । मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेने पर सरकार को अधिक धन नहीं देना पड़ेगा, अतः मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

श्री प्र० चं० सेठी : इस विधेयक में तम्बाकू, चीनी और कपड़े पर उत्पादन शुल्क तब तक जारी रखने की व्यवस्था है, जब तक राष्ट्रीय विकास परिषद इस पर विचार न कर ले । माननीय सदस्य के संशोधन का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि इस विशेष मामले में पांचवे वित्त आयोग के निर्णय को भिन्न दृष्टि से रखा जाये । अतः यह निर्णय स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 4 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खंड 1, — (संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ)

संशोधन किया गया —

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, —

"1969" के स्थान पर "1970" रखा जाये। (2)

— (श्री प्र० चं० सेठी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as Amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया —

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, —

"Twentieth" ["बीसवां"] के स्थान पर "Twenty-first" ["इक्कीसवां"] रखा जाये। (1)

— (श्री प्र० चं० सेठी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 25 फरवरी, 1970/6 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 25th February, 1970/6 Phalguna, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—6-5-70—340